खण्ड-366, अंक-3
सोमवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1906
(26 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
कोरम के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश	6
प्रश्नोत्तर	6–83
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	83
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री गुरुदत्त सोलंकी के निधन पर शोकोद्गार	83–86
सेन्ट्रल हाल के उद्घाटन कार्यक्रम के स्थगन की सूचना	86
लखनऊ निवासिन हरिजनी महिला श्रीमती कुसुमा देवी की चिड़ियाधर में पेड़ से दबकर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
सीतापुर में व्याप्त गन्दगी तथा नगरपालिका की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87–88
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ के द्वितीय वर्ष के छात्रों का परीक्षा-फल घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
म्युनिसिपल इण्टर कालेज, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के सेवा निवृत्त श्री बांके लाल गुप्त को नई दर से पेंशन आदि का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
ग्वालखेड़ा (मुरादाबाद) में चबूतरे के रूप में मस्जिद को पूरा कराने से रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
श्री बैजनाथ यादव, प्रधान पिपरौली (लखनऊ) की होमगार्ड की ट्रक से कुचल कर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
तकिया माइनर फूलपुर, जिला आजमगढ़ में पानी न देने से फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
अध्यादेशों के बार-बार सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90-96
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर संशोधन अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	97
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	97

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना (षष्ट) आदेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) 97

उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम लि0 का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (सदन के पटल पर रखे गए) 98

उत्तर प्रदेश मार्ग पार्श्वीय भूमि नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) 98

यू0पी0 एलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि0 का सप्तम प्रतिवेदन, 1980–81 (सदन के पटल पर रखा गया) 98

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 98

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) 98

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) 98–99

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 99–100

1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) था अनुदान संख्या 17—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी) 101–143

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 148

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना 143

भूमि विकास बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों को बरखास्त किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 143-145

कानपुर देहात की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य 145–149

नत्थियां 150–156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 26 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 6 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 319

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर	कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर		
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
		केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	केशोराम, श्री	बदायूं
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	खरगत, श्री	वाराणसी
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच		
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
ऊदल, श्री	वाराणसी	गया सिंह, श्री	उन्नाव
ए0 सी0 गाइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
		गुलाम नबी, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ	गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	गोविर्द्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा

गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जौराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
तर्पेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीप उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरणपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फर-नगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्दे राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोतम, श्री	मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ

फख्रे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला" श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहम्द, श्री	मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपूर
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानीपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मित्र सेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फर नगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पांडेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद

राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद	रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती	रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती	रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई	रूद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई	लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
राम करन, श्री	वाराणसी	रूद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़	रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर	रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर	जौनपुर	लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
राम गोबिन्द, श्री	बलिया	लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी	लालसा, श्री	आजमगढ़
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर	वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी	विजय कुमार, श्री	लखनऊ
रामजी राम, श्री	फैजाबाद	विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर	विजय सिंह राना, श्री	आगरा
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़	विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर		
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर	विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
राम प्रसाद, श्री	जालौन	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
राम भजन लाल, श्री	खीरी	विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर	विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
राम लाल, श्री	सीतापुर	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई	बृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर	वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर	शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
राम सागर, श्री	बाराबंकी	शिरोमणि, श्री	बांदा
राम सिंह, श्री	सहारनपुर	शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली	शिव नरेश, श्री	बांदा
राम सिंह रावत, श्री	एटा	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर	शिवनारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर	शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर	शिव बालक, श्री	रायबरेली
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच	शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर	शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली	शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा		

शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोः—पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री राम सजीवन सिंह, सदन में उपस्थित थे।

कोरम के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में कोरम का ध्यान रखें ।

श्री हुकुम सिंह–

आधे दर्जन इनके मंत्री बाहर हैं, हाउस कौन चलाये ?

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, 5 मिनट हो गये, लेकिन कोरम नहीं हो पाया, इसलिए ऐसे ही आज हाउस एडजर्न होना चाहिए । यह तो चाहते नहीं हैं कि सदन चले, यह तो जबरदस्ती हम और आप इनसे इस सदन को चलवा रहे हैं । यह तो इनका रोजाना का हाल है । पांच मिनट हम लोगों के यों ही खराब गये ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 26 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के महाविद्यालयों के अध्यापकों की मांगें

**श्री ऊदल तथा श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों के अध्यापकों ने अपनी कुछ मांगों को सरकार के समक्ष रखा है, वे क्या हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के अध्यापकों ने हड़ताल कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार समझौता वार्ता उनके प्रतिनिधियों को बुला कर करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा राज्य पंत्री (श्री राम सिंह)–

इन अध्यापकों की प्रमुख मांगें कतिपय शासनादेशों में संशोधन, अन्तरिम सहायता दिया जाना, तदर्थ एवं स्थानापन्न शिक्षकों की सेवाओं का नियमितीकरण, लखनऊ एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोला जाना, ग्रामीण भत्ता, नगर, भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं भ्रमण को नि:शुल्क सुविधा दिया जाना, बी.एड/एम.एड कक्षाओं में प्रवेश हेतु शिक्षकों के आश्रितों को अतिरिक्त अंक दिया जाना, पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रवक्ता वेतन मान दिया जाना, आदि हैं ।

जी हां शिक्षक 16-2-84 से हड़ताल पर थे परन्तु इन अध्यापकों ने अपनी हड़-ताल 12 मार्च, 84 से वापस ले ली है।

इन अध्यापकों के प्रतिनिधियों से शासन द्वारा 6 फरवरी, 84 एवं 7 मार्च, 84 को वार्ता की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल–

यह जो प्रमुख मांगें गिनाई गई हैं– कतिपय शासनादेशों में संशोधन, अन्त-रिम सहायता तदर्थ एवं स्थानापन्न शिक्षकों का नियमितीकरण, लखनऊ व इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं का खोला जाना आदि आदि, क्या इस सम्बन्ध में अध्यापकों ने हड़ताल की थी ? और हड़ताल समाप्त होने के बाद 6 फरवरी, 84 तथा 7 मार्च, 84 को शासन के साथ उनके प्रतिनिधियों की जो वार्ता हुई, तो उसमें शासन ने उनकी मांगों में से किन-किन मांगों को स्वीकार किया ? और बाकी मांगों के बारे में क्या अभी वार्ता जारी है?

श्री राम सिंह–

14 मांगें थीं, जिन पर विचार किया गया था, उनमें से कुछ मांगें ऐसी हैं, जिन पर विचार चल रहा है, कार्य-वाही चल रही है। तो विभिन्न मांगों

के सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो प्रत्येक विन्दु पर मैं यहां प्रकाश डाल सकता हूं । यों जो शासनादेश निर्गत हुए हैं, उनमें जो संशोधन की बात है, वह हो रही है । अन्तरिम सहायता की जो बात है, उसमें उनकी मांग 500 रुपये की है, उसको सिद्धान्त रूप में हमने स्वीकार किया है और उस पर हमारी कार्यवाही हो रही है । जहां तक तदर्थ नियुक्तियों का सम्बन्ध है, उस बारे में माननीय शिक्षा मंत्री ने जो सदन में कहा है, उस पर कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह से लखनऊ विश्व विद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने का जहां तक सम्बन्ध है, उस पर हमने यहां के कुल-पति को लिखा है, इसमें शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है । जहां तक ट्रेवलिंग एलाउन्स अर्थात् यात्रा भत्ता का सम्बन्ध है और दूसरी सुविधाएं देने का सवाल है, उस पर भी हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । जहां तक ट्रेजरी से पेमेन्ट की बात है, इनके वेतन भुगतान का सम्बन्ध है, 5 महाविद्यालयों को हम इसी वर्ष से ले रहे हैं और शासन बाकी के बारे में अगले वर्ष विचार करेगा ।

श्री सरदार सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से जो पत्र कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्व-विद्यालय को लिखा गया, उसका वहां से जवाब क्या आया है?

श्री राम सिंह–

अभी तो कार्यवाही की गयी है। चाहते हम यह हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो और निर्णय हो जाये।

श्री पंचानन राय–

तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित करने के विषय में क्या सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो किन बातों पर सरकार विचार कर रही है?

श्री राम सिंह–

मैंने यह कहा था कि इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस पर कार्यवाही की जा रही है और उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति का मामला है इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई शर्त रखी है ? अगर कोई शर्त रखी है तो उसके लगाये जाने का क्या कारण है ? सभी तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित न करने का क्या कारण है?

श्री राम सिंह–

इस विषय में 3-1-84 तक, विधि-वत चयन समिति द्वारा चयनित जो लोग हैं और जो वी0 सी0 द्वारा अनुमोदित हैं, उन्हें हम नियमित करने पर सहानु-भूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ।

श्री उदल–

जो उनकी यह मांगें हैं कि उनको ग्रामीण भत्ता दिया जाये, नगर भत्ता दिया जाये, चिकित्सा भत्ता दिया जाये तथा भ्रमण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहे, इन मांगों के बारे में सरकार ने क्या फैसला लिया है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, जहां तक नगर भत्ता और ग्रामीण भत्ता देने का सवाल है, फिलहाल हमारे संसाधनों की कमी के कारण उनको मानना सम्भव नहीं है । जहां तक चिकित्सा सुविधा की बात है, तथा पूरी

सर्विस में एक बार भ्रमण की सुविधा निःशुल्क वाली बात है, उस पर हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री पंचानन राय–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, तो विचार तो दोनों तरह का होता है, उसके पक्ष में भी और उसके विपक्ष में भी, मैं स्पष्ट यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने तदर्थ अध्यापकों को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई फैसला लिया है या नहीं?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि इस सम्मानित सदन में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उनको विनियमित करने के लिये, उस पर हम विचार कर रहे हैं। इससे अधिक अभी फिलहाल मैं और क्या कह सकता हूं ? उस पर कार्यवाही हो रही है।

लखनऊ स्थित गुडम्मा स्पोर्ट्स कालेज में पश्चिमी जर्मनी की जूनियर हाकी टीम के लखनऊ आगमन पर सुअर व गाय के गोश्त को खाने में दिये जाने की जांच

**2–श्री शेर बहादुर, श्री प्रभुनारायण सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्रीमती सुखदा मिश्रा, श्री पन्ने लाल, श्री राम प्यारे पाण्डेय, श्री मीर मजहर अली तथा

श्री अनवार मुहम्मद खां–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गुडम्मा स्पोर्ट्स कालेज में 5 नवम्बर, 1983 को पश्चिमी जर्मनी की जूनियर हाकी टीम के लखनऊ आगमन पर कालेज के भोजनालय में सुअर व गाय का गोश्त बनवाकर (टीमों को) खाने के लिये दिया गया जिसका विरोध कालेज के भोजनालय में खाना बनाने वाले हिन्दू मुसलमान कर्मचारियों व छात्रों ने भी किया था ? क्या इस सम्बन्ध में लखनऊ स्थित एक विधायक का पत्र भी विभाग को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया यह भी बतायें कि उक्त टीम के खाने पीने रहने पर कितना व्यय हुआ?

खेलकूद राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)–

गाय का गोश्त नहीं दिया गया। पश्चिमी जर्मनी की टीम द्वारा प्राथमिकता जाहिर करने पर "पोर्क" व "हैम" (सुअर का गोश्त) खाने में दिया गया। सुअर का गोश्त बनाने के लिये जूनियर कुक (श्री सत्तार खां) ने मना कर दिया था, परन्तु सीनियर कुक (श्री जुम्मन अली) ने अपनी इच्छा से ही सुअर का गोश्त बनाने पर सहमति दे दी थी। इस सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, विधायक, लखनऊ का एक पत्र माह नवम्बर 83 में प्राप्त हुआ था जिस पर निदेशक, खेलकूद से जांच कराई गई है। जांच आख्या शासन के विचाराधीन है, विचारोपरान्त, समुचित कार्यवाही की जायेगी। उक्त टीम की यात्रा पर रु0 6,000/- तथा भोजन पर रु0 1,000/- अर्थात् कुल रु0 7,000/- व्यय किया गया।

श्री शेर बहादुर–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सीनियर कुक जुम्मन अली को धमकी देकर और 200 रुपये से 500 रुपये तनख्वाह का लालच देकर उससे जबरदस्ती गोश्त बनवाया गया ? दूसरे क्या यह सत्य है कि मेस के बर्तनों में पकवाया गया जिससे मेस के सभी कर्मचारियों ने 2 दिन तक भोजन

नहीं किया । तीसरे क्या यह सही है कि जांच अधिकारी श्री भल्ला ने अंग्रेजी में उसका बयान लेकर अनपढ़ आदमी जुम्मन अली के दस्तखत लिये?

श्री संजय सिंह–

माननयवर, जो माननीय सदस्य ने सवाल किया तो इसमें मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि इसमें आजतक किसी भी स्तर से वहां पर अध्यापक रहते हैं, कोच रहते हैं, प्रिंसिपल से लेकर क्लास 3, 4 के कर्मचारी रहते हैं किसी की इस घटना के संबंध में कोई कांपलेंट आज तक नहीं है । इसमें जो भी जांच की गयी, भल्ला ने इसकी जांच की और उससे बयान लिये हैं उसमें उसके दस्तखत मौजूद हैं, वह मेरे पास है । जहां तक बरतनों का सवाल है, बरतन तो प्रिंसिपल ने अपने घर से दिये थे।

श्री प्रभु नारायण सिंह–

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्व विदित है कि किसी के धर्म से, धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं किया जाता है, चाहे वह आतिथ्य सत्कार की बात हो या और कोई बात हो । भारतीय व्यंजन सबसे रुचिकर विदेशों में माने जाते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थितियां आयीं कि एक धर्म विशेष के कुक से भारतीय व्यंजन न बनवाकर उसकी रुचि के विपरीत दूसरे प्रकार के व्यंजन बनवाये गये?

श्री संजय सिंह–

जैसा मैंने निवेदन किया जहां तक हैम और पोर्क की बात है हिंदुस्तान में ही नहीं, लखनऊ की बात मैं करता हूं कि सेंट्रल डेयरी फार्म अलीगढ़ यह बनाता है और लखनऊ में तथा हिंदुस्तान में हर जगह दुकानों में इसकी बिक्री की जाती है जिसको ज्यादातर खिलाड़ी और सभी लोग खाते हैं । जहां तक इसको कुक करने की बात है उसने खुद ही लिखा है कि अंग्रेजों के समय से कुक हूं, जितनी भी टीमें आती हैं बनाता हूं । जहां तक कुक करने की बात है तो इसमें सिर्फ फ्राई करके, घी उसमें दिया गया और ज्यादा उसमें बनाने की प्रक्रिया नहीं होती । उसमें उसने लिखा है कि हमें गर्व है कि टीम की इच्छानुसार हम इसको बनाकर खिला रहे हैं।

(श्री श्यामलाल वाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री अध्यक्ष–

एक दूसरे से लड़ना नहीं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

मान्यवर, झगड़ना मेरा स्वभाव नहीं, आप तो जानते हैं कि मैं बड़ी सरल बात करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जो सबसे पहली बात है कि यह भारी अनर्थ हो गया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जर्मनी की टीम भारत आयी तो क्या भारत की पावन धरती पर चरण रखते ही उसने कालेज के प्रबन्धक से यह मांग की कि मुझे सुअर का या गाय का मांस खिलाया या अपनी खैरख्वाही में सुअर का मांस परोसा गया । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा सत्तार साहब ने नहीं बनाया और इंकार कर दिया, तो इसकी जांच सबसे अयोग्य डाइरेक्टर से, जो फौजी डायरेक्टर हैं, खेलकूद को जानते नहीं हैं उससे जांच क्यों करवायी गयी ? क्या उन सब बातों को देखते हुए वह स्पोर्ट्स कालेज और एक पी0 सी0 एस0 अफसर है, एक फौजी अफसर है, इनको हटाकर खिलाड़ियों के द्वारा, खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान भविष्य में करेंगे?

श्री संजय सिंह–

मान्यवर, जैसा कि हमारे दोस्त माननीय वाजपेयी जी ने कहा, कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि सुअर का गोश्त खायेंगे, इसकी जांच हो रही है, जैसे ही उसकी आख्या आ जायगी, जैसे ही जांच पूरी हो जायेगी, उसमें समुचित (यथोचित) कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से, पहली बात कि क्या डायरेक्टर भल्ला द्वारा जो बयान लिखा गया, जैसा कि मेरी जानकारी है, वह बयान अंग्रेजी में लिखा गया है, हिन्दी में नहीं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सत्तार खां ने जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, इन्कार कर दिया। एक मुसलमान कर्मचारी जो वहां पर था, उसने नौकरी छोड़ दी। तीसरी बात, जहां तक इसमें खर्चे की बात आई है और कहा गया है कि केवल 7 हजार रुपये खर्च हुआ, मान्यवर, इस बात के सम्बन्ध में दिनांक 12-3-84 को मुहम्मद रफी सिद्दीकी ने भी शासन को एक लम्बा-चौड़ा पत्र लिखा था, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है और इसकी कापी मैं आपको दे रहा हूं। इसमें भी उन्होंने इस मसले को उठाया था और इसमें भी लिखा है कि सुअर का गोश्त जबरदस्ती बनवाया गया। मान्यवर, टीमों में बाहर से जो हमारे मेहमान आते हैं, उनको खिलाना हमारा फर्ज है। हम लोग भी जब सफर करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग कह देते हैं कि ये खायेंगे और यह खायेंगे और उसकी एहतियात बरती जाती है। मान्यवर, कोई भी मुसलमान या हिन्दू गाय या सुअर का गोस्त नहीं बनायेगा और न खिलायेगा और डायरेक्टर भल्ला मिलिट्री के आदमी हैं, उनके लिए गाय और सुअर बराबर है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं। क्या यह सही है कि बयान अंग्रेजी में लिखा गया ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सिद्दीकी साहब ने प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें इस बात का उल्लेख किया था? यदि हां, तो उसकी जांच क्या हुई ? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कही गयी है कि 7 हजार रुपये खर्च हुआ, मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है, जिसमें 7 हजार रुपये खर्च किया जाय बाहरी टीमों के लिए, टोटल खर्चा 13 हजार रुपये हुआ, इसमें शराब की बोतलें मंगा कर पिलवायी गयीं, क्या यह सत्य है ?

श्री संजय सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने अपने जवाब में सारी बातों के बारे में कहा है, यह जहां तक खर्चे की बात है, यह दारू वगैरह की बात है, जेतली साहब ज्यादा जानते हैं व्यवस्थापक ये रहे होंगे, अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी तक किसी ने इसके बारे में कम्प्लेंट नहीं की थी। हमारे मुसलमान विधायक की डायरेक्ट चिट्ठी शायद उनको ही मिली हो, हमको उनकी चिट्ठी नहीं मिली। जहां तक धर्म की बात है, हम भी उसी तरह से बल देते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर हमको इस तरह की कोई संकेतमात्र जानकारी हो कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई बात हुई है। आपने अभी अपने हाउस में भी देखा कि हमारे किसी भी मुसलमान साथियों की कोई शिकायत नहीं है। जहां तक जेतली साहब की शिकायत है, स्पोर्ट्स कालेज से इनकी शिकायत जाती है, उसको मैं दिखवा रहा हूं और मैं उसको हल करूंगा। मान्यवर, जहां तक सवाल की बात है, इसमें

कोई भी गम्भीरता नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसमें कार्यवाही की जायगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ चलने वाली प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन सम्बन्धी अनियमितता को दूर करने का विचार

*1—श्री छत्तर सिंह, श्री विष्णु दयाल वर्मा, श्री सूबेदार सिंह, श्री अकबाल हुसैन, श्री राम हर्ष राय, श्री राम कृष्ण माहेश्वरी तथा श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ चलने वाले लगभग 400 प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को 20 मई, 1975 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना/नियमावली सं0 1931/15(6)-9(7)/73 का उल्लंघन करके सम्बन्धित प्रबन्ध समितियां प्रति अध्यापक औसतन 100 रुपये वेतन देती है जबकि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक नौकरी शुरू करते ही लगभग 600 रु0 प्रति मास वेतन पाते हैं? क्या अपनी मांगों के संबंध में तथा इस अनियमितता को दूर करने के लिये इन अध्यापकों ने बेसिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में 26 जनवरी, 1984 ई0 से विधान सभा के सामने क्रमिक अनशन शुरू किया है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या इन अध्यापकों के वेतन वितरण का भार भी शासन वहन करेगा?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)—

प्रश्न में उल्लिखित नियमावली का उल्लंघन करके सम्बन्धित प्रबन्ध समितियों द्वारा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को औसत वेतन 100 रु0 देने की पुष्टि तभी की जा सकती है जबकि इस संबंध में सभी जनपदों से सूचनायें प्राप्त कर ली जायं। किन्तु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि माध्यमिक विद्यालयों के साथ चल रहे प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को 100—150 रुपया मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। बेसिक शिक्षक संघ ने 26-1-84 से जो क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया था उसे 17-2-84 को स्थगित कर दिया। प्रश्नगत अध्यापकों का वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिये जाने के प्रश्न पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने दिन हो गये प्रश्न के और जिलों से सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100—150 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। हमारे प्रश्न के पहले अध्यापक संघ ने ज्ञापन दिया था उस पर कोई कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुनीता चौहान—

प्रतिनिधि मंडल मिला था और उसको आश्वासन दिया गया था कि इस पर शीघ्र कार्यवाही होगी। प्रतिनिधि मण्डल आश्वस्त हो गया था कि कुछ समय बाद मिलेंगे, जो कार्यवाही होगी उसको हम स्वयं बता देंगे।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

जैसा मंत्री ने बताया कि प्रतिनिधि मण्डल आश्वस्त हो गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आश्वासन दिया

था उसको पूरा करने में क्या दिक्कत है ?

श्रीमती सुनीता चौहान–

प्रतिनिधि मण्डल को जो आश्वासन दिया गया था उसमें कोई समय निश्चित नहीं किया गया था। बहुत शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मण्डल सन्तोषप्रद स्थिति में हमारे यहां से गया।

श्री प्रभु नारायण सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध इन प्राइमरी विद्यालयों को भी मान्यता विभाग द्वारा ही दिया जाता है और उनमें नियुक्त होने वाले शिक्षकों का अनुमोदन भी क्या विभाग द्वारा ही दिया जाता है ?

श्रीमती सुनीता चौहान–

जी हां।

श्री मोहन सिंह–

इन प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों को जो अप्रशिक्षित थे उनको प्रशिक्षित करा लिया है। यह कहना कि डेढ़ सौ रुपया वेतन मिलता है सर्वथा असत्य है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक वेतन संदाय पर लाने का शासन विचार कर रहा है। शासन कब तक इसको पूरा करायेगा कि यह वेतन संदाय अधिनियम के तहत किया जाय तथा शासन का इस बात पर आंकलन कितना है कि कितना व्यय भार संनिहित है ?

श्रीमती सुनीता चौहान–

शासन विचार करेगा लेकिन विचार करने के बाद बता सकूंगी कि कितना व्यय भार पड़ेगा ।

श्री पंचानन राय–

प्रश्न में लिखा है 100 रुपया वेतन मिलता है। बन्धुआ मजदूरी को खत्म करना 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल है। जो प्राइमरी विद्यालय खुल रहे हैं, 15 रुपया फीस ली जाती है लेकिन पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को 100 रुपया और 50 रुपया वेतन दिया जाता है।

तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से, कि क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनायेगी जिससे इनको जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन है उतना वेतन मिल सके?

श्रीमती सुनीता चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के आधार पर विचार करेंगे ।

मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भाटपाररानी (देवरिया) के छात्रों द्वारा अनशन तथा मांगें

*2–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भाटपार रानी (देवरिया) के छात्र अपनी मांगों को लेकर गत मास से क्रमिक तथा 8 फरवरी, 84 से आमरण अनशन कर रहे हैं, तथा 13 फरवरी को ग्यारह छात्र गिरफ्तार भी किये गये हैं तथा असामाजिक तत्वों ने छात्रों की बर्बरता पूर्वक पिटाई भी की है? यदि हां, तो छात्रों की मांगें क्या हैं एवं उन्हें तत्काल पूरा कराने में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री राम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह विडम्बना है इस प्रश्न को लेकर काम रोको प्रस्ताव आया आपने सरकार को निर्देश दिए तुरन्त रिपोर्ट मंगाने को, आपने संसदीय कार्य मंत्री जी से कहा 3 बजे चेम्बर में आकर स्थिति से अवगत करायें। मान्यवर, इन सबके

बावजूद भी कोई कार्यवाही न होने के कारण मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया, उसके बाद वहां के छात्र अनशन कर रहे थे फिर आपने निर्देश दिये थे तब अनशन टूटा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मंत्री जी का उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, कौन सी सूचना मंत्री जी एकत्र कर रहे हैं और कौन सी बात मंत्री जी की जानकारी में नहीं है ?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, जहां तक इस सवाल का संबंध है इस प्रश्न का संबंध है बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त करनी है । इसमें डी0 एम0 महोदय को 14 मार्च को टेलेक्स दिया 20 मार्च को फिर लिखा है मान्यवर, अगर सदन में अपर्याप्त सूचना रखी जाती है तो ठीक नहीं रहता है तो सम्पूर्ण सूचनायें आ जाएंगी तो हम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह एक ही जिले से संबंधित मामला है । एक ही स्कूल से संबंधित है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शासन का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया है । मैं चाहूंगा कि एक हफ्ते के अन्दर सारे उत्तर सदन में आ जाने चाहिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आपकी कृपा है आपके निर्देश का पालन यह करेंगे या नहीं ? मैं चाहता हूं कि प्रयोजित परिक्षायें चल रही हैं दो दर्जन से ज्यादा परीक्षार्थियों के नाम काटकर उन्हें निकाल दिया है गुण्डों का राज्य चल रहा है । गुण्डों को संरक्षण प्राप्त है तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जिन लड़कों के नाम काटे गये हैं वह आज ही मंत्री जी के निर्देश पर नाम लिख लेंगे ताकि वह प्रयोजित परीक्षाओं से वंचित न रह जाएं ?

श्री रामसिंह–

मान्यवर, नाम काटने और न काटने से संबंध प्राचार्य का होता है यह तो उनके स्तर की बात है इसमें शासन कहां से आता है?

सोमवार, 26 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–श्री मित्रसेन–

[दिनांक 5-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या–10 द्वारा अन्तरित ।]

बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत देवाशरीफ मेले में जियारत हेतु आये तीर्थ यात्रियों को सुविधा देने हेतु योजना

*2–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत देवाशरीफ में लगने वाले मेले में जियारत के लिये देश के कोने-कोने से तथा विदेशों से भी श्रद्धालु भक्त आते हैं ?यदि हां, तो क्या शासन देवा शरीफ में पर्यटकों को सुविधा देने हेतु कोई यात्री विश्राम-गृह तथा एक अच्छा होटल बनाने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

जी । वर्ष 1982 में कुल 55,510 तीर्थ यात्री जियारत के लिए आये ।

शासन ने देवाशरीफ में पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 शैय्या के एक यात्री निवास की योजना स्वीकृत की थी जिसकी कुल प्रारंभिक अनुमानित लागत रू0 5.35 लाख है । इस योजना के कार्यान्वियन हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं प्रश्न के प्रथम खण्ड में दिया गया है कि "क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत देवा-शरीफ में लगने वाले मेले में जियारत के लिये देश के कोने-कोने से तथा विदेशों से भी श्रद्धालुभक्त आते हैं ?" मान्यवर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वर्ष 1982 में कुल 55,510 तीर्थ यात्री जियारत के लिए आये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ही नहीं परम माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशों से आए श्रद्धालु भक्तों की संख्या क्या थी ? मान्यवर, इन्होंने कहा कि 55.35 लाख है और हमारे उत्तर में लिखा है कि 5.35 लाख है ? लगता है हमारा उत्तर गलत छप गया है । मेरे पास सूचना पांच लाख की है, आपने जो पढ़ा है 55.35 लाख है, खैर क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं दूसरे खण्ड के बारे में कि मान्यवर, देवां शरीफ का मेला एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मेला है । इसकी महत्ता को देखते हुए बजाय 30 शय्याओं के यात्री निवास के 100 शय्याओं का विश्राम गृह बनवाने पर विचार करने और यदि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो केन्द्रीय पर्यटन विभाग के जो मंत्री जी श्री खुर्शीद आलम साहब, जो खुले हाथों से पैसा दे रहे हैं प्रदेश के विकास के लिये, क्या उत्तर प्रदेश शासन उनसे अनुरोध करके देवां जैसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर 100शय्याओं वाला विश्राम गृह या होटल बनवाने और वहां पर्यटन विभाग की कोई इकाई, जो लेखा जोखा रखे कि एक वर्ष में कितने यात्री आए, स्थापित कराने पर विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, परम आदरणीय बाजपेयी जी ने वर्ष 1982 पढ़ा, लेकिन उसके पहले जी हां नहीं पढ़ा । मान्यवर, वहां विदेशों से कुल 10 यात्री आए । दूसरे, जो यह हमारी पर्यटन आवास गृह की व्यवस्था है, अभी चल रही है, इसके लिये जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी है । जमीनों के लिये गजट होने जा रहा है । भूमि की व्यवस्था हो गयी है, जैसे ही पूरी हो जाएगी पहले 20 शय्याओं की व्यवस्था करेंगे और यदि आवश्यकता महसूस हुई, तो फिर विचार करेंगे । वैसे, वहां मान्यवर, साल में केवल दो बार मेला लगता है और गाहे बगाहे लोग आते जाते हैं, बराबर लोग नहीं आते जाते । इसलिये उनके आवास की व्यवस्था की ऐसी बहुत अधिक जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें 5.35 लाख है या 55 लाख है, स्पष्ट नहीं है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, 5.35 लाख रुपया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहां कि वर्ष में दो बार मेला लगता है, यह बात मैं स्वीकार करता हूं । मान्यवर, मैं उस स्थान के करीब का निवासी हूं, वहीं आंखें खोली हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ऐसा तीर्थ स्थान है, जहां बारहों महीने यात्री आते हैं और 100-50 तो रोज ही आते हैं । दूसरे मान्यवर, वहां जो 20 शय्याओं वाला यात्रीगृह स्वीकृत है, जो उसकी स्वीकृति हुई वह कब हुई और भूमि अधिगृहण का कार्य कब से चल रहा है ? क्या माननीय मंत्रीजी केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री खुर्शीद आलम साहब से अनुरोध करेंगे कि

वह पैसा देने के लिये तैयार हैं और शुरू से ही वहां 100 शय्याओं वाला विश्राम गृह बनवाने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, यह योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है, पहले यह राज्य सरकार के अन्तर्गत थी, अब जिला योजना के अन्तर्गत है । आपको जिले में जो बजट मिला है, उसमें से जितना चाहें इसके लिये खर्च करा लें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी यह एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का मेला है । मान्यवर, आप कितने दयालू हैं, बात सुन लेते हैं । मान्यवर, अपील मैंने सुप्रीम कोर्ट में की है, आपके सामने, आप कहते हैं तहसीलदार के सामने जाइये । मैं इस आदरणीय विधान सभा से गुहार लगा रहा हूं आप जिला स्तर की बात कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि केन्द्र से अनुरोध किया जाए कि इस अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मेले के लिये योगदान करने की योजना बनाएं, आप जिला स्तर की बात करते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इसके लिये प्रदेश स्तर पर अपने पर्यटन विभाग से क्या सहयोग देने जा रहे हैं, जिससे वहां 100 शय्याओं वाला विश्राम गृह बन सके ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, जब श्री बाजपेयी जी अगुवाई करें पूर्ण रूप से तो हम भी भागीदार बनना चाहेंगे । हम कोई कोताही नहीं करेंगे । और इस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को लिखने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है ।

जनपद आजमगढ़ के बेसिक परिषदीय शिक्षकों के प्राविडेन्ट फण्ड से धन का अपहरण किये जाने से संबंधित पत्र

*3–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बेसिक परिषदीय शिक्षकों के प्राविडेण्ट फण्ड से धन का अपहरण किये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 फरवरी, 1983 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुनीता चौहान–

जी हां ।

मामले में उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर को जांच करने के निर्देश दिये गये थे । जांच आख्या अभी उनसे प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, बेसिक स्कूलों के अध्यापकों का प्राविडेण्ट फण्ड का पैसा विद्यालय निरीक्षक के यहां जमा रहता है । फर्जी चेक काटकर लाखों रुपया उसमें से निकाल लिया गया है । 30 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री जी आजमगढ़ पधारे हुए थे । वहां पर अध्यापकों ने उनको एक मेमोरेन्डम दिया । वहां पर डिप्टी डाइरेक्टर भी मौजूद थे । इसके बारे में मैंने स्वयं लिखा है । परन्तु इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि शिक्षा निदेशक से जांच करायी जा रही है और अभी उनकी आख्या नहीं आई है । इस मामले को डेढ़ साल हो गया है और यह भी मालूम है कि लाखों रुपए प्राविडेन्ट फण्ड से फर्जी चेक काटकर निकाला गया है और अभी तक इस पर जांच पूरी नहीं हो पायी है कि पैसा निकाला गया है या नहीं ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने

उप शिक्षा निदेशक को इस पर जांच हेतु आदेश कब दिये ? क्या यह सही है कि वर्तमान अपर शिक्षा निदेशक श्री ईश्वर शरण गौड़ ने आजमगढ़ जाकर इसकी जांच कर ली थी ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुनीता चौहान–

मान्यवर, 30 जून, 1983 को उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर मण्डल को जांच हेतु आदेश दिये थे ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि 30 अक्टूबर को जब माननीय शिक्षा मंत्री जी आजमगढ़ पहुंची हुई थी तो अध्यापकों ने उन्हें एक प्रार्थना-पत्र दिया था, उस प्रार्थना-पत्र का क्या हुआ है ? फर्जी पैसा प्राविडेन्ट फण्ड से निकाल लिया गया और अध्यापकों को अपना पैसा नहीं मिल पा रहा है । वे लोग रिटायर हो चुके हैं । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच हेतु आदेश दे दिये गये हैं, किन्तु अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी है । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार की तरफ से और शिक्षा निदेशक की तरफ से अभी तक इस संबंध में क्या प्रयास किए गये हैं ताकि जांच जल्दी पूरी हो सके ?

श्रीमती सुनीता चौहान–

मान्यवर, माननीय श्री राय साहब ने जो प्रश्न किया है, वह बिलकुल सही है । अनियमितताएं हुई हैं और जो जांच रिपोर्ट आनी थी वह अभी नहीं आई है, उसमें देर हुई है । भले ही प्रश्न का उत्तर देर में आये, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इसके लिए हमें जो भी कड़ा कदम उठाना पड़े, उसे हम उठायेंगे ।

ग्राम सभा नेवलगंज, विकास खण्ड हसन गंज, जनपद उन्नाव में उप प्रधान के चुनाव का स्थगन तथा ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा भेजा गया रजिस्ट्री पत्र

*4–श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनांक 7-2-83 को ग्राम सभा नेवलगंज विकास खण्ड हसनगंज, जनपद उन्नाव में उप-प्रधान का चुनाव होना निश्चित था और सरकारी अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी पर भी पहुंच गये थे, किन्तु ग्राम प्रधान के अल्पमत में होने के कारण वह मौके पर नहीं पहुंचा जिसके कारण चुनाव स्थगित किया गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम सभा के सदस्यों ने कोई रजिस्ट्री दिनांक 7-2-83 को खण्ड विकास अधिकारी, हसनगंज, जनपद उन्नाव को भेजी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

ग्राम सभा नेवलगंज विकास खण्ड हसनगंज जनपद उन्नाव में उप प्रधान का चुनाव दिनांक 7-2-83 को प्रधान की बीमारी के कारण उनके अनुपस्थित होने के फलस्वरूप नहीं हो सका ।

जी हां ।

उक्त रजिस्ट्री पत्र में श्री मो0 अहमद को अपना मतदान देने तथा उप प्रधान पद पर निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की मांग की गई थी । दिनांक 25-3-83 को सम्पन्न हुए चुनाव में श्री मोहम्मद अहमद उप प्रधान पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए ।

नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के शिक्षकों के पी0 एफ0, जी0 पी0 एफ0 में गबन तथा छात्रवृत्ति में हेरा फेरी किये जाने की जांच

*5–श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित ता0 प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के शिक्षकों के पी0 एफ0, जी0 पी0 एफ0 के लाखों रुपये का भारी गबन तथा छात्रों की छात्रवृत्ति में लाखों रुपये के हेराफेरी किये जाने के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा जांच विवेचना पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीअम्मार रिजवी)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य नहीं रहते हैं, इसके लिए कुछ न कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी और उसके लिए माननीय सदस्यों को जुरमाना किया जाय । माननीय सदस्यों को हम इंश्योर्ड कर रहे हैं बीमा स्कीम के अन्तर्गत । इस संबंध में माननीय सदस्यों से पूछा गया था कि आप अपनी जन्म तिथि दे दें । इस संबंध में हमारे सचिव महोदय ने 3-3 पत्र भी माननीय सदस्यों को भेज दिये हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही माननीय सदस्यों ने इसकी सूचना भेजी है अर्थात् 130 ने अपनी सूचना भेज दी है, इस संबंध में बाकी लोगों ने नहीं भेजी है । जो जुरमाना माननीय सदस्यों को किया जाय, जो माननीय सदस्य यहां पर नहीं आते हैं और प्रश्न पर जो खर्चा होता है, वह पैसा जो है, वह उनके खाते में जमा हो जायेगा । इस पर मैं विचार कर रहा हूं । इस पर बैठक बुलाकर विचार किया जायेगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

यह किस चीज से संबंधित है ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये । मेरे कक्ष में मिल लें ।

*6–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

*7–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

[दिनांक 21-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-9 द्वारा उत्तरित ।]

जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में माने जाने का विचार

*8–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में माने जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन इस पर विचार कर अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों को प्रथम श्रेणी अधिकारी का दर्जा देने का कष्ट करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

जी हां।

प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम प्रधानों तथा ग्राम सभाओं को नये अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में घोषणाएं

*9–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 25 अप्रैल, 1983 को लखनऊ में हुए उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में मंत्री जी ने प्रधानों

को तथा ग्राम सभाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान दे पाने में अधिक सक्षम होने के लिए कुछ अधिकार देने की घोषणा की है? यदि हां, तो ग्राम प्रधानों तथा ग्राम सभाओं को कौन-कौन से नये अधिकार दिये गये हैं?

श्री राम सजीवन सिंह–

दिनांक 25 अप्रैल, 1983 को लखनऊ में कोई ग्राम प्रधान सम्मेलन नहीं हुआ था। दिनांक 23 अप्रैल, 1983 को राज्य स्तरीय ग्राम प्रधान सम्मेलन में ग्राम प्रधानों तथा ग्राम सभाओं को नये अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित घोषणाएं की गई थीं :–

(1) शासन की विकास योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाय । एकीकृत ग्राम विकास योजना में लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में करने के आदेश हो चुके हैं। चयनित लाभार्थियों की सूची प्रधानों को दी जायेगी तथा न्याय पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जायेगी। इसी प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी प्रधानों के माध्यम से कराया जाय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में बनायी गई योजनाओं का स्थल चयन गांव सभा की सहमति से किया जायेगा।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में प्रधानों से भौतिक सत्यापन करवाया जायेगा।

(3) बेसिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यान्वयन पर प्रधानों को निरीक्षण अधिकार प्राप्त होगा।

(4) प्रादेशिक स्तर पर तथा जनपद स्तर पर पंचायत भवन बनवाया जायेगा जिसके लिए पंचायत निधि से धनराशि व्यय की जायेगी।

(5) ग्रामीण स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें गांव सभा, क्षेत्र समितियां एवं जिला परिषदें हैं, के वित्तीय सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने हेतु तथा वित्तीय सुदृढ़ीकरण के साधन ज्ञात करने हेतु शासन द्वारा एक ग्रामीण स्वायत्त शासन वित्तीय श्रोत जांच आयोग स्थापित किया जायेगा।

(6) ग्राम प्रधानों की सुरक्षा के लिए निर्देश जिला पुलिस को भेजे जायेंगे।

(7) ग्राम पंचायतों व गांव सभा के चार्ज शीघ्र एक मास के अन्दर दिये जायेंगे।

(8) 20 सूत्रीय कार्यक्रम को गांव-गांव में पहुंचाने एवं सफलता के लिए विशेष रूप से प्रधानों का सहयोग लिया जायेगा।

(9) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में पूरा सहयोग लिया जायेगा।

(10) राजस्व विभाग द्वारा सम्पत्ति रजिस्टर पंचायतों को अनिवार्यतः शीघ्र दिलाया जायेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि ग्राम सभाओं और ग्राम प्रधानों को क्या नये अधिकार दिये जायेंगे, या देने की घोषणा सरकार ने की है – मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इसमें पेराग्राफ-4 से लेकर 10 तक-इसमें ग्राम प्रधानों को कौन से अधिकार दिये गये हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । आप बता दें कि इसमें 4 से लेकर 10 तक जो बात कही गई है-इसमें ग्राम प्रधानों और ग्राम सभाओं को

कौन से अधिकार दिये गये हैं ? जैसे, उदाहरण के लिये, आपने लिखा है-पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में पूरा सहयोग लिया जायगा । आप मान लें अधिकारी सहयोग न लें, तो उसमें प्रधान को कौन सा अधिकार है-क्या वे कुछ कर सकते हैं ? इसी तरह से है-बीस सूत्रीय कार्यक्रम को गांव-गांव में पहुंचाने एवं उसकी सफलता के लिये विशेष रूप से प्रधानों का सहयोग लिया जायगा । अगर मान लें, अधिकारियों ने उसमें उनका सहयोग न लिया, तो उसका आपने कुछ निराकरण किया है ? इसी तरह से लिखा है कि प्रादेशिक स्तर पर तथा जनपद स्तर पर पंचायत भवन बनवाये जायेंगे ।
तो, इसकी बाबत ग्राम प्रधानों और ग्राम सभाओं को कौन से अधिकार दे दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं ।

यह अधिकार संख्या 4 से लेकर अधिकार संख्या 10 तक जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पढ़ा, इसमें ग्राम प्रधानों और ग्राम सभाओं को कौन से अधिकार हैं ? अधिकार संख्या 4 में लिखा है कि प्रादेशिक स्तर पर तथा जनपद स्तर पर पंचायत भवन बनवाया जायगा जिसके लिए पंचायत निधि से धनराशि व्यय की जायगी । इसमें, ग्राम प्रधानों को और ग्राम पंचायतों को क्या अधिकार हैं ? ऐसे ही अधिकार संख्या 6, 7 और 8, जिनमें मंत्री जी ने लिखा है ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जायगा, यदि अधिकारीगण ग्राम प्रधानों का सहयोग न लें तो क्या बाइंडिंग है ?

श्री राम राजीवन सिंह–

सम्मेलन में जो घोषणा की गयी थी, उसके अनुसार 1 से 4 तथा 6 से 10 तक के सम्बन्ध में हर विभाग के विभागाध्यक्ष को इसका जी0 ओ0 करा दिया गया है और अधिकारियों को हिदायत दी गयी है कि ग्राम प्रधानों का सहयोग लें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अधिकार संख्या 4 से लेकर 10 तक तो आपने जबाब दे दिया । अधिकार संख्या–1 के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा तीन बिन्दु दिये गये हैं । इसमें प्रथम बिन्दु है कि एकीकृत ग्राम विकास योजना में लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में करने के आदेश हो चुके हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इनके ग्राम विकास अधिकारी या विकास खण्ड के अधिकारीगण ग्राम सभाओं की बैठक में चुनाव न करें अपने मनमाने ढंग से अगर सूची बना देते हैं और इसकी सूचना शासन या माननीय मंत्री जी को दी जाय तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी सजा निर्धारित है ? मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर खुली बैठक में चयन न किया जाय तो क्या कोई कानूनी बन्दिश उन पर है ?

श्री राम राजीवन सिंह–

जहां कोई अधिकारी गड़बड़ी करेंगे या जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा करेंगे, वहां उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि इस प्रश्न के ऊपर जितनी चिन्ता माननीय मंत्री जी को होनी चाहिये थी, नहीं प्रतीत होती है । उन्होंने बड़े साधारण ढंग से कहा कि कार्यवाही करेंगे । सवाल अधिकारों का है, आपने नियम में कोई अधिकार प्रधानों को दिया है या नहीं ? यदि प्रधान बैठक करना चाहता है, गांव सभा की गांव पंचायत की,

तो उसको उसका भी अधिकार नहीं है, वह अधिकार भी लेखपाल और सेक्रेटरी में निहित है । यदि ग्राम प्रधान, गांव पंचायत, गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक करता है और लेखपाल और सेक्रेटरी उसमें सम्मिलित न हों, तो उनके खिलाफ कार्यवाही का प्राविधान करेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह–

प्रधान अपने गांव का जिम्मेदार जन-प्रतिनिधि है । उसको अपने स्तर पर गांव सभा की समय-समय पर बैठकें करने का पूरा अधिकार है ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

यह हमारे यहां जो पंचायत राज चल रहा है, इसकी तीन संस्थायें हैं–जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और ग्राम पंचायत । शासन की ओर से समय-समय पर इस सिस्टम में विचार करने के लिये एक समिति बनाने का आश्वासन लगभग 3 वर्ष से बराबर चल रहा है, मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये, जिसमें ग्राम प्रधानों के अधिकार, ग्राम सभा को अपनी सही ढंग से भूमिका निभाने आदि के संबंध में जो समिति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, उस पर कब तक निर्णय देंगे और समिति कब तक बनायेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप यह कहिये कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम सजीवन सिंह–

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बिहारी लाल–

मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर मंत्री लोग सही नहीं देते हैं इसके लिये कोई व्यवस्था आपकी ओर से होनी चाहिये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में यह जानना चाहता हूं कि–

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मंत्री जी से बात क्यों कर रहे हैं, जब कोई प्रश्न किया जाता है तब आप उनसे बात न करें, मंत्री जी प्रश्न को सुन नहीं पाते हैं ।

श्री मोहन सिंह–

बात नहीं कर रहे हैं, यह उनसे गाइडेन्स ले रहे हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया है, इसको प्रभावी बनाने के लिये कि क्षेत्र समितियों में ग्राम प्रधान अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, तो क्या आप पंचायत राज अधिनियम में, क्षेत्र समितियों के अधिनियम में आवश्यक संशोधन इस सदन में लाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, अभी तो इस पर विचार नहीं हो रहा है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा मे बी0 ए0 में उर्दू विषय खोलने की मांग

*10–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा में उर्दू विषय से बी0 ए0 खोलने की स्वीकृति 1976 में दी गयी थी परन्तु आज तक उक्त विषय से बी0 ए0 नहीं खोला गया, जबकि कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित भी किया गया और अन्य कई विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास खोल दिये गये हैं ? यदि हां,

तो उर्दू के डिग्री क्लास न खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह–

इस कालेज को बी0 ए0 उर्दू की अस्थायी सम्बद्धता कुलाधिपति महोदय द्वारा जुलाई, 1980 से दो वर्षों के लिये प्रदान की गई थी और इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश राज्यपाल सचिवालय के पत्र 25-1-80 द्वारा जारी किए गये ।

उर्दू के डिग्री क्लास न खोले जाने के कारणों की जांच करायी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंचानन राय, आप सदन में अखबार क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपके इस एजेन्डे को पढ़ रहा हूं, यह अखबार नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, जैसा कि उत्तर में माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि 1980 से दो सालों के लिये उनको इजाजत दी गयी जिसके लिए गवर्नर के आदेश 25-1-80 को जारी हो गये और आज 1984 है । चार साल बीत जाने के बावजूद आज तक वहां उर्दू के क्लासेज बी0 ए0 के नहीं खोले जा सके हैं ? मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिये जांच करायी जा रही है । जो इतना अहम् श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इंस-टीट्यूशन है और उसमें चार साल बीत जाने के बावजूद आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो अभी तक उर्दू की क्लासेज वहां बी0 ए0 के लिये नहीं खुल पायी हैं और इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने गवर्नर के आदेशों की अवहेलना की है तथा उप कुलपति के आदेशों की अवहेलना की है ? क्या कोई समयबद्ध टाईम पर आप उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे और वहां पर उर्दू की क्लासेज जारी करने के आदेश देंगे ?

श्री राम सिंह–

अभी 21 मार्च को शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को इस संबंध में लिखा गया है, जांच करायी जा रही है और जांच में जो अधिकारीगण व कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ के विद्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पढ़ने वाले बच्चों एवं आश्रितों को शिक्षा शुल्क में मुक्ति का प्राविधान

*11–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पढ़ने वाले बच्चों एवं आश्रितों को शिक्षा शुल्क में मुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद प्रतापगढ़ के विद्यालयों में शिक्षारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों एवं आश्रितों को यह सुविधा मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह–

जी, हां ।

जनपद प्रतापगढ़ के सभी 80 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 79 विद्यालयों में यह सुविधा पहिले से प्रदान की जा रही है । केवल एक विद्यालय बजरंग इण्टर कालेज, भदरी, प्रतापगढ़ में वर्तमान शिक्षा सत्र 1983-84 से संबंधित छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त करके यह सुविधा प्रदान की जा रही है ।

वर्ष 1982-83 तक इस विद्यालय के संबंधित छात्रों द्वारा आवेदन पत्र न दिये जाने के कारण यह सुविधा प्रदान नहीं की गई थी ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह एक गम्भीर सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को, अब भी ऐसे लोग देश में हैं जो कि अंग्रेजी के हिमायती मालुम पड़ते हैं, उनके आश्रितों को जो सरकार ने सुविधायें दी हैं, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 79 स्कूलों में यह लागू कर दी गयी हैं, एक स्कूल में इस साल लागू किया जायेगा। यह तो असंभव है कि किसी विद्यार्थी को सुविधा मिलती हो, और वह आवेदन न करे। जो अधिकारी थे उन्होंने आवेदन पत्र नहीं भरवाये। मैं जानना चाहता हूं कि उस विद्यालय के जो अधिकारी थे उन्होंने आवेदन पत्र लेने के लिए प्रयास नहीं किए, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अगर अभी तक नहीं किया है तो कौन सी कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पढ़ने वाले बच्चों एवं आश्रितों को विभिन्न प्रकार से चाहे शिक्षा शुल्क में मुक्ति दी जाती हो अथवा अन्य किसी प्रकार से उन्हें भी आवेदन पत्र भरना चाहिए था। मैं यह मानता हूं कि प्रधानाचार्य की शिथिलता इस में रही हो कि उन्होंने जानकारी नहीं दी। अगर इस तरह की शिकायत आती कि इस प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान हो रही है तो यह जांच हो गयी होती। मैं मानता हूं कि शिथिलता प्रधानाचार्य की ओर से है। छात्रों को भी मांग करनी चाहिए थी।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1982-83 में प्रश्नगत विद्यालय में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे उस सुविधा से वंचित रह गये हैं तो क्या आप इस वर्ष उनको पुरानी छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, 3 छात्र राम बाबू, जगदीप और योगेश नाथ को शुल्क से मुक्ति की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

जनपद मथुरा के प्रत्येक ब्लाक में प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख एवं कनिष्ठ प्रमुखों के चुनाव में अनुमोलित किये गये प्रगतिशील किसानों को मतदान न देने का कारण

*12–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 मई, 83 को मथुरा जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 7-7 प्रगतिशील कृषकों का कोआप्शन हुआ था ? यदि हां, तो 29 मई, 83 को हुए प्रमुख ज्येष्ठ, प्रमुख एवं कनिष्ठ प्रमुखों के चुनाव में सभी कोआप्ट किये गये प्रगतिशील किसानों को मतदान न करने देने के क्या कारण थे ?

श्री राम सजीवन सिंह–

जी, हां।

वस्तुतः 2 के स्थान पर भूल से प्रत्येक ब्लाक में 7-7 व्यक्ति अनुमोलित कर लिए गए थे, अतएव प्रत्येक खण्ड में सर्वाधिक मत प्राप्त 2 व्यक्तियों को ही मतदाता सूची में रखा गया। शेष 5-5 सदस्यों की सूची से अपमार्जित किए जाने के कारण वे मतदान न कर सके।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जिला प्रशासन ने बहुत बड़ी भूल की प्रगतिशील किसानों का कोआप्सन हुआ था और जब वह लोग वोट देने के लिए गये तो उन्हें वोट देने नहीं दिया गया और वापस कर दिया गया और उनको इस बात की सूचना भी नहीं दी गयी कि उनका नाम मतदाता सूची से निकाल दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि जो चुनाव अधिकारी थे जिनके कारण यह गलती हुई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई या नहीं हुई? यदि नहीं हुई तो क्या उन 5-5 प्रगतिशील किसानों को चुनाव व्यय दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, यह जो सहायक निर्वाचन अधिकारी थे, उनके विरुद्ध चुनाव निदेशालय कार्यवाही कर रहा है।

श्री सरदार सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन लोग निकाले गये, निकालने के आधार क्या थे और क्या उनको चुनाव व्यय सरकार देगी ?

श्री राम सजीवन सिंह–

पंचानन राज एक्ट में यह प्राविधान है कि अगर कहीं पर किसी से भूल हो जाती है तो चुनाव निदेशक को यह अधिकार है कि उसके सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें। मान्यवर, जिनको सर्वोच्च मत मिले थे, उनको रखकर बाकी 5 को वहां से पृथक कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता लेकिन यह जो प्रश्न किया गया उसके उत्तर में एक गम्भीर अनियमितता की गयी। मान्यवर, आप नियम 282 देख लें। इस सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है। माननीय सरदार सिंह के प्रश्न का जो लिखित उत्तर दिया गया उसमें रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है। कोआप्ट शब्द अंग्रेजी का है और रोमन लिपि में लिखा है। मान्यवर, आप स्वयं चाहते हैं कि इस सदन में हिन्दी का प्रयोग अबाध रूप से चले और जब कोई सदस्य किसी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप टोक देते हैं। इसलिये जो लिखित उत्तर में मंत्री जी ने अंग्रेजी शब्द का रोमन लिपि में प्रयोग किया है उसके लिये आप इस सरकार की घोर भर्त्सना करने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष–

यह नियम विरुद्ध है। मंत्री लोग भविष्य में ध्यान रखें।

तत्कालीन सचिव, मण्डी समिति बिसवां श्री नवरतन सिंह चौहान के विरुद्ध उनके बिसवां रहने के कार्यकाल में विभिन्न शिकायती पत्र

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति बिसवां, जिला सीतापुर के विरुद्ध उनके बिसवां रहने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार तथा अनियमितता करने के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जिसमें प्रश्नकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतें शामिल हैं? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, की गईं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

जी हां।

तत्कालीन सचिव मण्डी समिति बिसवां श्री नवरतन सिंह चौहान के विरुद्ध उनके बिसवां रहने के कार्यकाल में विभिन्न शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनमें श्री मुख्तार अनीस तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदस्य, विधान सभा के भी शिकायती पत्र शामिल हैं। इन शिकायती पत्रों में मुख्यत: व्यापारियों को परेशान करने, गेट पास जारी करने, लाइसेंस बनाने व नवीनीकरण करने में अवैध रूप से धन की मांग करने एवं अनियमित नियुक्तियां करने की शिकायतें थीं।

शिकायती पत्रों की प्रारंभिक जांच क्षेत्रीय उप निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद्, लखनऊ मण्डल द्वारा करायी गयी। जांच

में मण्डी समिति में गेट पास जारी करने में अनियमितता, बिना स्वीकृति मनमाने ढंग से दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्ति, आवक रजिस्टर एवं मांग वसूली रजिस्टर के रखरखाव में लापरवाही एवं लाइसेंस नवीनीकरण में अनुचित धन की मांग के आरोप सही पाये गये । श्री नवरतन सिंह चौहान सचिव का स्थानान्तरण कर दिया गया है । प्रश्नकर्ता द्वारा उच्च अधिकारी से जांच कराने के सुझाव पर शासन स्तर से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए, आप प्रश्न का उत्तर स्वतः देखने की कृपा करें कि जांच में उस भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट सही पायी गयी । घूस लेने, अनियमित रूप से गेट पास जारी करने और गलत ढंग से नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में आरोप सही पाये गये । मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि स्थानान्तरण कोई दन्ड नहीं है और यह सूचना मैंने तथा हमारे सीतापुर के विधायक श्री मुख्तार अनीस ने पत्र द्वारा दो-तीन महीने पहले उनके विरुद्ध दी थी । मैं जाना चाहूंगा कि जब जांचकर्ता द्वारा आरोप सही पाये गये और वह भी मंडी समिति द्वारा तथ्य सही पाये गये तो उनके खिलाफ अभी तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें तथ्य सही पाये जाने के बाद उनको तुरन्त हटा दिया गया और उनका जो मूल विभाग था उसमें उनको प्रत्यावर्तित करने के लिये लिख दिया गया है । बाकी जांच जब आयेगी, उस समय उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो मंडी समिति के सचिव का इसमें संदर्भ दिया गया है वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर में भी रहे। वहां पर भी उनके खिलाफ कुछ आरोप सिद्ध हुए थे जिसके परिणामस्वरूप उनको निलंबित किया गया था और फिर जब वे बिसवां में गये तो अब भी उनके खिलाफ आरोप सही पाये गये हैं तब उन्हें आप उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें उनके मूल विभाग में कब प्रत्यावर्तित किया गया? और क्या यह सही है कि उन्हें अभी तक प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है। मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ अभी तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यगण ने सचिव, मंडी समिति बिसवां के विरुद्ध जो शिकायतें दी थीं उनकी हमारे उप निदेशक (प्रशासन) ने जांच की थी। जांच करने के पश्चात् उन्होंने जो सिफारिश कीं उसके आधार पर उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। उनकी दूसरी सिफारिश यह थी कि उनको मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाय। उसके बारे में निदेशक स्तर पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस प्रकार की गम्भीर शिकायतों के आधार पर केवल प्रत्यावर्तित करना उचित होगा या उनके विरुद्ध चार्जशीट देकर जिस सजा के वे लायक हों वह देना उचित होगा। तीसरा मान्यवर, उन्होंने स्पेशल आडिट सैल के द्वारा जांच करने के लिए लिखा है उसके आदेश कर दिये गये हैं। चार्जशीट उनको दे दी गयी है और जो भी उत्तर उनका आयेगा उसके बाद जो

सम्भव कार्यवाही होगी जिसके लायक यह होंगे वह निश्चित ही दी जायेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने लिखा है आवश्यक रजिस्टर एवं मांग वसूली रजिस्टर के रखरखाव में लापरवाही एवं लाइसेंस नवीनीकरण में अनुचित धन की मांग के आरोप सही पाये गये। इतने गम्भीर आरोप हैं इस पर आपने कहा कि स्थानान्तरण कर दिया गया है। कई बार यहां पर यह चीज आ चुकी है कि स्थानान्तरण कोई दण्ड नहीं होता। तो जब जांच के परिणामस्वरूप वह दोषी पाये गये हैं तो उनको दंडित न करने का क्या कारण है?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, जिस समय जांच चल रही थी माननीय सदस्यों ने मुझसे यह आग्रह किया कि साहब सेक्रेटेरियट से किसी उच्च अधिकारी को जांच के लिए भेजा जाय। अतः वह तमाम कार्यवाही जो थी उसमें शिथिलता आ गयी और हमने यहां से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को आदेश कर दिये और जांच के बाद जब रिपोर्ट मेरे सामने आयी तो उसमें चार्ज-शीट दी गयी। जब तक चार्जशीट का जवाब न आ जाय तब तक क्या कार्यवाही की जाय यह कहना कठिन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो बात मैं कहना नहीं चाहता था उसे कह रहा हूं उस व्यक्ति को बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैंने खुद माननीय मंत्री जी से कहा था कि वहां का एस0 डी0एम0 जो मंडी समिति के प्रशासक है वह उस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने में असमर्थ थे। इस पर मैंने कहा कि आप लखनऊ से सचिवालय स्तर से या मंडी निदेशालय से किसी अधिकारी को भेज दें जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। जांच के बाद आरोप सही पाये गये। जब निर्देश कर दिये गये कि उनको अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाय तो उसके आदेश अभी तक प्रभावी न होने के क्या कारण है और उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री यशपाल सिंह–

माननीय सदस्य संभवतः जानते होंगे कि मंडी निदेशक को स्वयं इस प्रकार की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह सीधी कार्यवाही कर सकें। उनका मूल विभाग डायरेक्टर एग्रीकल्चर है उनको लिखना पड़ता है तो प्रोसेज जारी है।

हाई स्कूल में विद्यार्थियों के रुके हुए परीक्षाफल को घोषित किया जाना

*14–श्री थम्मन सिंह गहलौत (अनु0)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 में जो घोषणा की थी कि हाई स्कूल में जिन विद्यार्थियों के परीक्षाफल रुके हुए हैं उन्हें शीघ्र घोषित कर दिया जायेगा? यह परीक्षा-फल किस महीने की किस तिथि में घोषित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा 1982 में विभिन्न कारणों से 22768 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रुके थे। इनमें से 29-2-84 तक 19719 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं। प्रतिबन्धों की पूर्ति होने पर अवशेष 3049 परीक्षार्थियों के प्रकरण निर्णीत हो सकेंगे।

श्री लालता प्रसाद आर्य, निवासी ग्राम खमौली, जिला उन्नाव द्वारा मेसर्स गुप्ता कोल्ड स्टोरेज शफीपुर में जमा किया गया आलू वापस प्राप्त न होने की शिकायत

*15–श्री भीखा लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लालता प्रसाद आर्य, निवासी ग्राम खमौली, **विकास खण्ड गंज मुरादाबाद,** जिला उन्नाव का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-3-83 के साथ जिला उद्यान अधिकारी को प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि उनके द्वारा गुप्ता कोल्ड स्टोरे शफीपुर में जमा किया गया 430 बोरा आलू पूरा वापस नहीं मिला? यदि हां, तो बाकी आलू वापस दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बेनी बाई–

जी हां, किन्तु प्रार्थना पत्र में केवल 42 बोरे (36.44 कुन्तल) आलू मेसर्स गुप्ता कोल्ड स्टोरेज सफीपुर में भण्डारित करने का उल्लेख है जिसके सापेक्ष 5 बोरे (10.18 कुन्तल) आलू वापस प्राप्त न होने की शिकायत है।

जिला अधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी शीतगृह, उन्नाव ने उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा–24 के अन्तर्गत 4.59 कुन्तल आलू श्री आर्य को कम प्राप्त होने के सापेक्ष में 367.20 रुपये के क्षतिपूर्ति का आदेश दिनांक 21 जुलाई, 1983 को पारित किया। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोक्त शीतगृह ने श्री लालता प्रसाद आर्य को 367.20 रु0 का भुगतान कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, उत्तर से मैं सन्तुष्ट हूं।

*16–श्री मुईद अहमद–

[दिनांक 14-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या–19 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों के नवीन पदों के सृजन पर रोक

*17–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत अध्यापकों का पद सृजन सन् 1981 से रोक दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? पद सृजन की अनुमति कब तक दे दी जायेगी?

श्रीमती सुनीता चौहान–

जी हां। निदेशालय द्वारा मार्च, 1982 से समस्त संस्थाओं में नवीन पदों के सृजन पर रोक लगाई गई थी। यह रोक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अनुरक्षण अनुदान में निरन्तर हो रही वृद्धि के कारण वित्तीय व्ययभार पर नियंत्रण की दृष्टि से लगाई गई थी। अब जनवरी, 1984 से रोक समाप्त कर दी गई है तथा निदेशालय द्वारा नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी जा रही है।

यू0पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड ट्रस्ट में कान्ट्रीब्यूशन की धनराशि का कथित दुरुपयोग

*18–श्री जीराज सिंह मौर्य (अनु0)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, 22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ में इम्प्लाइज प्राविडेण्ट फण्ड एक्ट 1956 के अन्तर्गत गठित इम्प्लाइज प्राविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट में कान्ट्रीब्यूशन की धनराशि का दुरुपयोग करने के फलस्वरूप

हुई लगभग साढ़े पांच लाख रुपये की हानि की वसूली के क्या प्रयास किये गये हैं? उक्त मामले में दोषी पाये गये संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री यशपाल सिंह–

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड ट्रस्ट में कान्ट्रीब्यूशन की किसी धनराशि के दुरुपयोग करने का कोई मामला नहीं हुआ है। अतः दुरुपयोग करने के कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय जुबिली इन्टर कालेज, गोरखपुर के अध्यापकों द्वारा धरना तथा शैक्षिक वातावरण पर प्रभाव

*19–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रा0 शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की गोरखपुर इकाई के निर्देशन पर गोरखपुर जनपद के राजकीय विद्यालयों के शिक्षक जिलाधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे हैं जिससे पूरे जनपद का शैक्षिक वातावरण उद्वेलित है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की?

श्री राम सिंह–

जी हां। केवल राजकीय जुबली इं0 का0 गोरखपुर के अध्यापकगण दि0 17-8-83 से 19-8-83 तक धरना पर थे। जनपद के शैक्षिक वातावरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास से स्थिति सर्वथा ठीक रही एवं 19-8-83 को धरना भी समाप्त हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डी0एम0 के समक्ष राजकीय विद्यालय के अध्यापकों के धरना देने के कारण क्या थे?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, वहां के अध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह को पुलिस ने 8-8-83 की रात में पकड़ कर ले गयी थी और उनको थाने में मारा पीटा क्योंकि हत्या के दोष में पुलिस उनको जांच में ले गयी थी, इसलिए उनको मारा पीटा गया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस ने अध्यापक के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और मारा पीटा तो उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? वास्तविकता यह है कि डी0 एम0 ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और डरा धमका कर धरना वालों को वहां से हटा दिया। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ, जिसको शासन स्वीकार करता है कि अध्यापक को मारा पीटा गया, क्या कार्यवाही किया?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, 19-8-83 को वहां शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी थे तो उनके समक्ष उस पुलिस अधिकारी ने क्षमा याचना किया जिससे अध्यापक सन्तुष्ट हो गये। इसलिए मैं समझता हूं कि कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप था कि जिला प्रशासन ने धमकी देकर अध्यापकों को कि यदि धरना नहीं हटाते हैं तो बंद कर दिया जायेगा। इसलिए मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या मंत्री जी मेरे आरोपों की जांच करायेंगे और अध्यापक को मारा पीटा गया तो उस

पुलिस अधिकारी को वहां से हटाने का आश्वासन देंगे?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, प्रजातंत्र में सभी जानते हैं कि जो सामूहिक रूप से अध्यापक धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे उनको डरा धमका कर समझौता कर लिया गया।

*20–श्री प्रदीप कुमार यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

1–2–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

-[दिनांक 7-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 167-168 द्वारा उत्तरित।]

3–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

-[दिनांक 7-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–174 द्वारा उत्तरित।]

4–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

-[दिनांक 7-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–169 द्वारा उत्तरित।]

श्रीमती सुदामा देवी, सहायक अध्यापिका का कार्य भार ग्रहण करने में व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में पत्र

5–श्री राम चरण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 14-2-83 को एक पत्र श्रीमती सुदामा देवी स0 अ0 आदर्श बालिका विद्यालय, जलालपुर माफी, चुनार मिर्जापुर के कार्य-भार ग्रहण करने में व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। प्रकरण में जांचोपरांत ज्ञात हुआ कि श्रीमती सुदामा देवी, स0 अध्यापिका के विद्यालय उपस्थित होने पर भी कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जा रहा था। अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा एकल परिचालक लागू कर श्रीमती सुदामा देवी का मई, 1983 तक का वेतन भुगतान करा दिया गया है। तत्पश्चात विद्यालय हाई स्कूल हो जाने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया है।

कृषि बीज भण्डार कोलना, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर के भवन निर्माण का प्रस्ताव

6–श्री राम चरण सिंह–

प्रथम सत्र 1982 के 18 जनवरी की कार्य-सूची में अंकित अता0 प्र0 संख्या 85 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज भण्डार ग्राम कोलना विकास खण्ड नारायनपुर, जनपद मिर्जापुर के भवन निर्माण का धन कब तक उपलब्ध हो जायेगा और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

कृषि बीज भण्डार कोलना, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर के भवन निर्माण हेतु परिव्यय जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में प्रस्तावित है। धन आवंटन के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

जनपद शाहजहांपुर के प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों की प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति

7–श्री राम आसरे पासवान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

1 सितम्बर, 1983 से 30 अक्तूबर, 83 तक कितने प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों को पदोन्नत करके प्रधान अध्यापक बनाया गया और उनको क्या बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार पदोन्नत किया गया?

श्री अम्मार रिजवी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त सूचनानुसार जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों के 21 सहायक अध्यापकों की उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार प्राइमरी पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की गयी है।

विशेष मिनीकिट हेतु, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत ब्लाकों में क्षेत्र समितियों द्वारा कृषकों का चयन तथा बीज उर्वरक तथा चोंगा का वितरण

8–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष मिनीकिट हेतु जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत नरायनपुर ब्लाक, राजगढ़ ब्लाक, शीखड ब्लाक, जमालपुर ब्लाक एवं पहाड़ी ब्लाक में कितने कृषकों का चयन क्षेत्र समितियों द्वारा किया गया है? चयनित कृषकों में से कितनों को मिनीकिट बीज उर्वरक तथा चोंगा का वितरण हुआ है? विकास खण्ड नरायनपुर के विशेषरपुर, शेरपुर बगही, नियामतपुर कलां, गंगापुर फत्तेपुर, प्रतापपुर बघेड़ी-बघेड़ा, नकहरा, कलेहट गांवों में किन-किन कृषकों को मिनीकिट बीज एवं खाद दिये गये?

श्री यशपाल सिंह–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष मिनीकिट हेतु जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत नरायनपुर, राजगढ़, शीखड़ जमालपुर एवं पहाड़ी ब्लाक में 3137 कृषकों का चुनाव क्षेत्र समितियों द्वारा किया गया। चयनित कृषकों में से 2798 कृषकों को विशेष मिनीकिट बीज उर्वरक एवं चोंगा का वितरण किया गया।

विकास खण्ड नरायनपुर के ग्राम विशेषरपुर शेरपुर, बगही, नियामतपुर कला, गांगपुर फत्तेपुर, प्रतापपुर, बघेड़ी-बघेड़ा, नकहा बेलहट में 225 कृषकों को बीज एवं उर्वरक के विशेष मिनीकिट वितरित किये गये। कृषकों की सूची संलग्न † है।

मन्शादीन शुक्ला इण्टर कालेज, लखनऊ के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री एस0 पी0 मिश्र द्वारा अवशेषों के भुगतान के संबंध में दिया गया पत्र

9–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने शिक्षा सचिव को श्री एस0 पी0 मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, मन्शादीन शुक्ला इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र सहित अपना पत्र 14-11-83 को दिया था? यदि हां, तो श्री मिश्र की पेंशन, भविष्यनिधि, जून, 83 के वेतन, जीवन बीमा का पैसा, वेतन निर्धारण की राशि आदि के भुगतान के लिए क्या निर्णय लिया गया? क्या शासन श्री मिश्र के भुगतान का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

श्री मिश्र के प्रश्नगत अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश दिनांक 5-1-1984 को दिये जा चुके हैं।

†छापी नहीं गयी।

10–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

-[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सख्या–163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम कैरी हेतु लिंक रोड निर्माण करने के सम्बन्ध में पत्र

11–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बत लायेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड विसन्डा के अन्तर्गत ग्राम कैरी के लिए लिंक रोड निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के जुलाई, 1980 से अब तक कितने पत्र प्राप्त हुए? उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? उक्त लिंक रोड का निर्माण क्या वर्ष 1983-84 या 84-85 में करा दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में जुलाई, 1980 से अब तक दो पत्र क्रमश: 17-8-83 तथा 9-1-84 को प्राप्त हुए जिन्हें जिला शासी निकाय (गवर्निंग बाडी) की बैठक दिनांक 20-11-83 एवं 9-1-84 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिला शासी निकाय (गवर्निंग बाडी) से उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण का अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर में प्राइमरी पाठशाला बहीदाढ़ी में अवैध रूप से वेतन आहरित करने वाले अध्यापक के विरुद्ध जांच

12–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री चतुर्भुज सिंह, ब्लाक प्रमुख बांसगांव–गोरखपुर का बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित कोई शिकायती पत्र इस आशय का मिला है कि बे0 शि0 प0 गोरखपुर में प्राइमरी पाठशाला बहीदाढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति अध्यापक के रूप में वेतन प्राप्त कर रहा है जिसने मई, 83 में ही प्रमुख पद का चुनाव लड़ने हेतु त्याग पत्र दिया था एवं जिसे तत्कालीन बे0 शि0 अ0 ने स्वीकार भी कर लिया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

संबंधित अध्यापक का वेतन माह अक्तूबर, 1983 से रोक दिया गया है। उनके द्वारा अध्यापक पद से त्यागपत्र दिये जाने और उसकी स्वीकृति के संबंध में जांच की जा रही है।

श्रीमती निर्मला जी मिश्रा, प्रवक्ता द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही

13–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती निर्मला जी मिश्रा, प्रवक्ता डा0 बी0 नाथ जी दयाल बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव ने दिनांक 29 अप्रैल, 80 को माध्यमिक शिक्षा संशोधित अधिनियम की धारा ए(1) के अन्तर्गत कोई प्रतिवेदन शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, लखनऊ को दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अम्मार रिजवी–

श्रीमती निर्मला जी मिश्रा का प्रत्यावेदन माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई(10) के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

मांसी, तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में स्थित पैदल पुल की मरम्मत

14–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांसी, जिला परिषद् पैदलपुल, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा सन् 1981 से टूट गया है, जिसकी मरम्मत हेतु क्षेत्रीय जनता व प्रश्नकर्ता द्वारा बार-बार जिला परिषद् को लिखा गया है? यदि हां, तो सरकार कब तक

पुल की मरम्मत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

मांसी तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में स्थित पैदल पुल की मरम्मत जिला परिषद् द्वारा जनवरी, 1984 में पूर्ण रूप से करा दी गयी है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड तथा पदोन्नति न मिलने की जांच

15–श्री शेर बहादुर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोलह वर्ष पूर्व से निरन्तर कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक जो सर्विस काल में ही ट्रेनिंग पाये हैं, को आज तक न तो सेलेक्शन ग्रेड में लिया गया न उनकी पदोन्नति ही हुई? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति कब तक की जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना एकत्र होने में समय लगने की सम्भावना है क्योंकि यह सूचना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित है।

16–श्री राजकुमार राय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम सभा सूरजपुर, विकास खण्ड दोहरी-घाट में खड़ंजा निर्माण कार्य

17–श्री राजकुमार राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रश्नकर्ता के विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 5वें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–52 के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 के बीत जाने के बाजवूद उक्त कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं कराया गया?

श्री बलराम सिंह यादव–

ग्राम सभा सूरजपुर विकास खण्ड दोहरीघाट में खड़ंजा निर्माण कार्य दिनांक 27-7-1983 को पूरा हो चुका है।

18–श्री राजकुमार राय–

[दिनांक 12-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या–161 द्वारा उत्तरित]

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश द्वारा आजमगढ़ जनपद के मार्गों का निरीक्षण

19–श्री राज कुमार राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 5वें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता आर0 ई0 एस0 ने क्रम संख्या 1, 2, 3, व 4 में दर्शायी गयी सड़कों के निरीक्षण के समय खड़ंजा से निर्मित पाया और अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में भी लिखा दिया था?

श्री बलराम सिंह यादव–

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश की निरीक्षण टिप्पणी के क्रमांक–1 पर इंगित पक्की सड़क का धनौली मार्ग निरीक्षण के समय खड़ंजा से निर्मित नहीं पाया गया। किन्तु क्रमांक-2 बलिया रोड से बेतौली लक्ष्मण जी कुटी सम्पर्क मार्ग एवं क्रमांक-3 पक्की सड़क के रसूलपुर तथा क्रमांक-4 चक्रउथ से भुवालीपुर सम्पर्क मार्ग निरीक्षण के समय खड़ंजा से निर्मित पाये गये। तदनुसार ही निरीक्षण रिपोर्ट में भी उक्त मार्गों की तत्कालीन स्थिति दर्शित है।

विश्व बैंक की सहायता हेतु भारत सरकार के माध्यम से सड़कों के रख-रखाव की योजना

20–श्री राज कुमार राय–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न

संख्या 129 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि विश्व बैंक की सहायता हेतु भारत सरकार के माध्यम से रख-रखाव की योजना कब भेजी गयी और उसमें घोषी तहसील जनपद आजमगढ़ की कौन-कौन सी सड़कें व सम्पर्क मार्ग इंगित हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव–

विश्व बैंक की सहायता हेतु भारत सरकार के माध्यम से रख-रखाव की योजना जुलाई, 1982 में भेजी गयी थी । परन्तु भारत सरकार द्वारा कतिपय आपत्तियों के करने के कारण पुनरीक्षित योजना भेजे जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा टूल एण्ड प्लान्ट्स के खरीद में घोटाले से अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

21–श्री रामकुमार राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? कितना धन अवैधानिक भुगतान पाया गया? अलग-अलग कौन-कौन से आरोप सही पाये गये?

श्री बलराम सिंह यादव–

सी0 सी0 ए0 रूल्स के तहत दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र दिये जा चुके हैं तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रश्न के इस भाग का उत्तर दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

घोसी पकड़ी मार्ग के निर्माण में त्रुटिपूर्ण कार्यों से संबंधित शिकायती पत्र तथा शासकीय धन की क्षति

22–श्री राज कुमार राय–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितनी शासकीय धन की क्षति पायी गयी? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी एवं उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में क्या कठिनाई है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्माणाधीन घोसी पकड़ी मार्ग के त्रुटिपूर्ण कार्यों से संबंधित जिलाधिकारी, आजमगढ़ के शिकायती पत्र पर मुख्यालय पर स्थापित टेकनिकल आडिट सेल द्वारा करायी गयी जांच के फलस्वरूप मु0 12,110 रुपये की शासकीय क्षति दर्शित हुई, जिसके लिए श्री बब्बन सिंह, सहायक विकास अधिकारी श्री सन्तोष राय, श्री दीनानाथ तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी पाये गये।

श्री बब्बन सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निमित्त अधिशासी अभियन्ता, फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। श्री दीनानाथ अधि0 अभि0 तथा श्री सन्तोष राय सहायक अभियन्ता के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा जांच अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी को नियुक्त किया गया है।

23–श्री राजकुमार राय–
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री बसन्त राम दानी, निलम्बित, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी वाराणसी के विषय में निर्णय लेने की कार्यवाही

24–श्री राज कुमार राय–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें बसन्त राम दानी, निलम्बित, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी के विषय में माह मार्च, 83 में प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से तक किसी कर्मचारी को निलम्बित रखने का क्या कारण है?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां। श्री बसन्त राम दानी के मामले से संबंधित अभिलेख जनपद जौनपुर से देर से प्राप्त होने के कारण आरोप-पत्र तैयार करके तामील करने में विलम्ब हुआ था। अब जांच अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है और उस पर शीघ्र निर्णय लेने की कार्यवाही की जा रही है।

25–श्री राज कुमार राय–
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक पाठशालाओं एवं हाई स्कूल सीनियर बेसिक शिक्षा स्कूल में सहायक एवं प्रधान अध्यापक के रिक्त पद

26–श्री राज कुमार राय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में प्राथमिक पाठशालाओं (जूनियर बेसिक स्कूल) एवं हाई स्कूल सीनियर बेसिक शिक्षा स्कूल में अलग-अलग कितने स्थान सहायक एवं प्रधान अध्यापकों के रिक्त हैं? उन रिक्तियों को भरने के लिए शासन क्या कदम उठा रहा है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक दीक्षित शिक्षकों तथा वरिष्ठ शिक्षकों के वेतन में असंगतता का औचित्य

27–श्री राज कुमार राय–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत प्राथमिक दीक्षित शिक्षक जो वर्ष 1974 में नियुक्त हुए हैं वर्ष 1971 के नियुक्त दीक्षित शिक्षकों से अधिक वेतन पा रहे हैं? यदि हां, तो समान योग्यता रखने वाले दीक्षित वरिष्ठ शिक्षकों को कम वेतन देने का क्या औचित्य है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में अवकाश नगदीकरण की व्यवस्था की मांग

28–श्री राज कुमार राय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में अवकाश नगदीकरण की कोई व्यवस्था शिक्षकों, लिपिकों और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इन्हें यह सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी।

29–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[दिनांक 20-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–103 द्वारा उत्तरित।]

प्रो0 अशोक त्रिवेदी को वरिष्ठतम अध्यापक के पद पर कार्य कराने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही

30–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रो0 अशोक त्रिवेदी को न्यायालय बांदा के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार वरिष्ठतम अध्यापक के पद पर कार्य कराने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

यह प्रकरण अब भी न्यायालय के विचाराधीन है अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अरबी बोर्ड के कार्य का परिक्षेत्र तथा चुनाव प्रणाली

31–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के अरबी बोर्ड के कार्य का क्या परिक्षेत्र है और उसके सदस्यगण की क्या सीमायें तथा अधिकार हैं? इस बोर्ड के पदाधिकारीगण अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष कौन होते हैं तथा उनका चुनाव कैसे होता है? क्या सरकार द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है?

श्री अम्मार रिजवी–

अरबी बोर्ड के कार्य का परिक्षेत्र निम्नलिखित है :–

(1) पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का निर्धारण।

(2) परीक्षकों की नियुक्ति।

(3) प्रश्न पत्रों का संयमन।

(4) परीक्षाओं का संचालन।

(5) परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण आदि।

रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षायें बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मंत्री, कोषाध्यक्ष नहीं होते। सदस्यों का नामांकन शासन द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू विषय

32–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय महाविद्यालय हैं और क्या यह सही है कि केवल एक रजा डिग्री कालेज, रामपुर (महिलाओं के महाविद्यालयों को छोड़कर) में ही उर्दू विषय है और क्या यह भी सही है कि 82-83 में चार महाविद्यालय जो खोले गये हैं उनमें उर्दू नहीं है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रदेश में 48 राजकीय महाविद्यालय हैं।

जी हां।

वर्ष 1982-83 में केवल तीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए जिनमें उर्दू विषय नहीं है। परन्तु चार महाविद्यालय वर्ष 1983-84 में खोले गए हैं इनमें से राजकीय महाविद्यालय देवबन्द (सहारनपुर) में उर्दू विषय की मान्यता दी गयी है।

मान्यता एवं सहायता प्राप्त मण्डलवार अरबी मदरसों को स्वीकृत धनराशि

33–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के अरबी मदरसों की एक सूची सदन के पटल पर रखते हुए कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता व सहायता प्राप्त अरबी मदरसों को वर्ष 1980-81 व 81-82 में महंगाई अतिरिक्त सहायता अन्तरिम सहायता के रूप में प्रत्येक मदरसे को कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है तथा

छठी पंचवर्षीय योजना में इन अरबी मदरसों को कितना-कितना विकास अनुदान दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूची "क"† संलग्न है ।

वर्ष 1980-81 व 1981-82 में मंहगाई, अतिरिक्त सहायता, अन्तरिम सहायता के रूप में दी गई धनराशि का विवरण संलग्न सूची "ख"† में दिया गया है ।

सूची "ग"† संलग्न है।

प्रदेश के मण्डलवार अरबी मदरसों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण

34–श्री रियासत हुसैन–

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मण्डलवार उप शिक्षा निदेशक ने अपने-अपने मण्डल में अरबी मदरसों के अध्यापकों को वेतन आयोग के निर्णय के अनुसार अनुदान दिया है और उनके अध्यापकों का वेतन निर्धारण कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

केवल मेरठ मंडल के 6 तथा बरेली मंडल के 3 मदरसों को अनुदान दिया गया है । अन्य मंडलों के मदरसों के अध्यापकों का विकल्प पत्र प्राप्त न होने के कारण वेतन निर्धारण नहीं हो सका है ।

नैत्यक लिपिकों के पद से टीपा लेखकों के पद पर प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में जांच

35–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा उप निदेशक द्वितीय मण्डल, आगरा द्वारा नैत्यिक लिपिकों के पद से टीपा लेखकों के पद पर प्रोन्नतियों के बारे में संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 8008/15(2)-81-28/561/1981, दिनांक 11-12-81 के आधार पर कोई जांच की गयी थी? यदि हां, तो उस जांच की रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

शासनादेश सं0 8008/15(2)-81-28/561/1981 दि0 11-12-81 द्वारा नहीं बल्कि शासनादेश सं0 8008/15(2)81-28(56)/1982, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 द्वारा जांच करने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद में लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच

36–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच किससे कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है तथा उक्त पद की नियुक्ति के मानक और प्रक्रिया क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद में लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच जिलाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त, फैजाबाद द्वारा की गयी।

जिलाधिकारी की जांच से यह कहना सम्भव नहीं है कि चुनाव पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया। उप विकास आयुक्त की जांच में नियुक्ति सम्बन्धी कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग नियमावली, 1980 के अनुसार लिपिक पद पर सीधी भर्ती की अर्हतायें (मानक) निम्न प्रकार हैं :—

1—माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।

2—हिन्दी टंकण का ज्ञान (टंकक के पद के लिये)।

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1979 के अनुसार लिपिक पद पर एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है।

जनपद सीतापुर में कार्यरत जूनियर हाई-स्कूल, अध्यापक तथा इमारतें

37—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कितने सरकारी जूनियर हाई स्कूल कार्यरत हैं ? उनमें कितने ऐसे स्कूल हैं, जिसमें एक या दो अध्यापक हैं तथा कितने स्कूलों की इमारतें हैं और कितने स्कूल बगैर इमारतों के हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के 140 जूनियर हाई स्कूल हैं। जिनमें से 8 विद्यालयों में एक या दो अध्यापक कार्यरत हैं।

78 जूनियर हाई स्कूलों की इमारतें हैं। 62 स्कूल भवनहीन हैं।

देवरिया में भागलपुर विकास खण्ड के सुकरौली गांव में कूप का निर्माण तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा धनराशि का भुगतान

38—श्री मोहन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत भागलपुर विकास खण्ड के सुकरौली गांव का निर्बल वर्ग कूप कब किस जमीन में किस अधिकारी द्वारा बनवाया गया? उसकी गहराई और चौड़ाई क्या है, उसमें कितना ईंट कितना सीमेन्ट लगा और उस कूप के लिये विकास खण्ड से कितना सीमेन्ट दिया गया? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस कूप में कितनी धनराशि लगी और कितनी धनराशि विकास खण्ड से भुगतान की गयी ? भुगतान करने वाले अधिकारी का क्या नाम है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर के सुकरौली ग्राम में एक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर सार्वजनिक हित में रजिस्ट्री कर देने पर उसी भूमि पर कूप बनवाया गया है। कूप की गहराई 5-3 मीटर है (17 फुट 8 इंच) चौड़ाई (आन्तरिक व्यास) 1-54 मीटर (5 फुट 2 इंच) है। कूप में 5050 अदद ईंट का उपयोग किया गया है। इस कार्य हेतु विकास खण्ड से कुल 15 बोरी सीमेन्ट दी गई है। विकास खण्ड से उक्त कूप के निर्माण हेतु कुल मु0 3735·55 पैसा दिया गया है। इस कूप के निर्माण पर अब तक सीमेन्ट सहित रु0 2409·41 पैसा व्यय हुआ है। शेष धनराशि मु0 1326·14 सीमेन्ट की कीमत सहित अभी ग्राम विकास अधिकारी के पास कूप के जगत तथा शेष कार्य के निर्माण

हेतु अवशेष है। कूप के निर्माण हेतु उक्त धनराशि का भुगतान श्री एन0 एस0 मिश्रा, खंड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर में निर्बल वर्ग के आवासों का निर्माण

39–श्री मोहन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद अन्तर्गत भागलपुर विकास खण्ड में निर्बल वर्ग के किन-किन लोगों का आवास किस अधिकारी द्वारा कब से बन रहा है और कब तक पूरा होगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर में 9 आवास निर्माणाधीन हैं। दो आवास वर्ष 81-82 के हैं। जो श्री मल्लू पुत्र छकौड़ी ग्राम नरियांव व श्री सुखारी पुत्र शिवराज के लिए श्री बंश बहादुर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तथा सात आवास वर्ष 82-83 के निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम श्री चन्द्रबली पाण्डेय एवं श्री कान्त ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा निम्न लोगों के लिए बनाये जा रहे हैं–

1–श्री कपिल देव पुत्र पुलेसर ग्राम नेनुआ।

2–श्री पतिराज पुत्र रामवृक्ष ग्राम नेनुआ।

3–रामसूचित पुत्र गंगाधर ग्राम नेनुआ।

4–श्री पारसनाथ पुत्र सूर्यनाथ ग्राम नेनुआ।

5–श्री दीनानाथ पुत्र बन्धू ग्राम बलिया।

6–श्री रामनरेश पुत्र बच्चन ग्राम नेनुआ।

7–श्री रामवृक्ष पुत्र गंगाधर ग्राम नेनुआ।

उपरोक्त सभी व्यक्तियों के आवासों का कार्य ईंट उपलब्ध न होने के कारण अवरुद्ध है। ईंटों के उपलब्ध होते ही इन सभी निर्माणाधीन आवासों को पूरा करा दिया जायेगा।

जनपद देवरिया में विकास खण्ड भागलपुर के प्रांगण में आम का वृक्ष टूट जाने के कारण नीलामी

40–श्री मोहन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत भागलपुर विकास खण्ड के प्रांगण से एक आम का वृक्ष काट कर बेच दिया गया? यदि हां, तो बेचने वाले अधिकारी का नाम क्या है और वह पैसा विकास खण्ड की सम्पत्ति में क्यों नहीं जमा किया गया?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं, देवरिया जनपद के विकास खण्ड भागलपुर के प्रांगण में एक आम का वृक्ष काट कर नहीं अपितु तेज आंधी के फलस्वरूप बीच से टूट जाने के कारण नीलाम किया गया। उक्त पेड़ की नीलामी श्री एन0 एस0 मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी। वृक्ष की नीलामी से प्राप्त रु0 200/- की धनराशि चालान संख्या 61 द्वारा दिनांक 25-6-83 के लेखा शीर्षक 114-सामूदायिक विकास योजनाओं से प्राप्ति के मद के अन्तर्गत जिला देवरिया के खजाने में जमा कर दी गयी है।

41–42–श्री मित्रसेन–

[दिनांक 5.3.84 को तारांकित प्रश्न संख्या-10 द्वारा उत्तरित]

नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत अस्थायी, तदर्थ चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक श्रमिकों, कनिष्ठ लिपिक, टंकक आदि के पद पर चयन तथा विज्ञापित अर्हताएं

43–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पत्रांक संख्या 3362/ दिनांक 25-2-82 के विज्ञापन के आधार पर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ विभिन्न अनुभागों में कार्यरत अस्थायी, तदर्थ चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक श्रमिकों कनिष्ठ लिपिक, टंकक के पद पर कोई चयन किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने अभ्यर्थी उक्त पद पर चयनित किये गये, उनकी विज्ञापित अर्हता क्या थी और कितने पदों पर स्थायी तदर्थ नियुक्तियां की गयीं एवं उनके टंकण परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंक क्या हैं?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

कुल 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। विज्ञप्त अर्हताएं निम्नवत् थीं :–

1–कम से कम इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ।

2–अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण में कम से कम 30 एवं 25 प्रति मिनट की गति ।

3–उन अभ्यर्थियों को वरीयता जो सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग में स्थापना एवं लेखा कार्यों के करने का 2 वर्ष का अनुभव रखते हों। 27 पदों पर नियमित तथा 16 पदों पर स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की गयी। अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 150-151 पर ।)

44–श्री मित्रसेन–

[दिनांक 5-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या–10 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर एवं हरिंगटन गंज में बायो गैस प्लान्ट लगाने हेतु निर्धारित लक्ष्य

45–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर एवं हरिंगटन गंज में बायोगैस प्लान्ट लगाने हेतु वर्ष 1982-83 में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उक्त लक्ष्य की पूर्ति न होने के क्या कारण थे और उसमें कौन-कौन सी अनियमिततायें पायी गयीं ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद फैजाबाद के विकास खंड मिल्कीपुर एवं हरिंगटनगंज में वर्ष 1982-83 में क्रमशः 35 व 30 बायोगैस संयंत्र स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 30व 10 संयंत्रों की स्थापना की गयी जो कि लक्ष्य पूर्ति का क्रमशः 88 व 33 प्रतिशत है। कार्यक्रम के पूर्णतः स्वैच्छिक होने एवं जनता से अपेक्षित सहयोग न प्राप्त होने के कारण लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति नहीं की जा सकी । योजना कार्यान्वयन में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी ।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों तथा राजकीय शिक्षकों के जी0 पी0 एफ0 के नियम

46–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए जी0 पी0 एफ0 के वे ही नियम लागू है जो समकक्ष राजकीय शिक्षकों के लिए है? यदि नहीं, तो दोनों में क्या अन्तर है और इसके क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं इसलिये तुलना का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड अजमतगढ़ में हरिजन बस्तियों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण

47–श्री पंचानन राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड अजमतगढ़ में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन हरिजन बस्तियों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में किया गया है ? इसमें अलग-अलग कितना धन व्यय हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों को जोड़ने वाले किसी भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में नहीं किया गया है ।

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण का विवरण

48–श्री पंचानन राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 81-82, तथा 82-83 में किनको-किनको, किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना ऋण वितरित किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव–

आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकास खण्ड में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में वर्ष 1980-81 में 238, 1981-82 में 180 तथा 1982-83 में 161 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

इन वर्षों में लाभान्वित किए गए लाभार्थियों के नामों की, उनको उपलब्ध करायी गयी परियोजना तथा उक्त परियोजना हेतु वितरित ऋण संबंधी सूचना अति विस्तृत है । यह सूचना माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खण्ड में सम्पर्क मार्गों का निर्माण

49–श्री पंचानन राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन हरिजन बस्तियों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों का निर्माण वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में किया गया है ? इसमें अलग-अलग कितना धन व्यय हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव–

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खण्ड में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 व 81-82 में किसी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ । क्योंकि वर्ष 1980-81 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू नहीं था तथा वर्ष 81-82 में कोई धन आवंटित नहीं था। वर्ष 1982-83 में आजमगढ़-रौनापार पक्की सड़क से नसीरपुर-फतेहपुर हरिजन बस्ती के बाहर तक सड़क पहुंचाई गई, जिसके निर्माण पर रू0 11,728.00 व्यय हुए ।

मुसाखांड के पुरवा मलुइया दाई एवं मुबारकपुर में हरिजन बस्तियों में ब्लास्टिंग कूप के निर्माण को स्वीकृति

50–श्री उदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव मुसाखाण्ड के पुरवा मलुइया दाई, ब्लाक शहाबगंज, त0 चकिया, जिला

वाराणसी में पेय जल के लिये एक कुएं को खोदने का कार्य बी0 डी0 ओ0 तथा ए0 डी0 एम0, चकिया ने जून, 1983 में किया था ? क्या यह सत्य है कि 5 फिट कुआं खोदने के बाद पत्थर पड़ गया ? यदि हां, तो उसको ब्लास्टिंग करके पत्थर को आज तक नहीं तोड़ा गया और कुआं अधूरा पड़ा है ? क्या इस संबंध में एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, वाराणसी को 15-7-83 को शंकर प्रसाद, मंत्री ब्रांच कमेटी, मुसाखाण्ड, कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया था, जिस पर जिलाधीश ने सी0 डी0 ओ0 वाराणसी एवं ए0 डी0 एम0 परियोजना को आदेश उक्त कुएं को बनवाने हेतु दिया था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी और कुआं कब तक बन जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं ।

मूसाखांड के पुरवा मलूइया दाई एवं मुबारकपुर में दो हरिजन पेयजल कूप के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1982-83 में दी गयी थी ।

खंड विकास अधिकारी, शहाबगंज ने रिपोर्ट दी है कि उपरोक्त ग्राम पहाड़ के ठीक नीचे होने के कारण 10-12 फिट के बाद पत्थर पड़ जाता है । इस आधार पर कूपों की खुदाई न करके इन बस्तियों में ब्लास्ट कूप बनवाने के लिए अपर जिलाधिकारी (परियोजना) वाराणसी ने अपने पत्रांक-2946/एस0 टी0/83-84 दिनांक 29-8-83 द्वारा सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) वाराणसी को आदेश दे दिये हैं । ब्लास्ट यूनिट प्राप्त होने पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री शंकर प्रसाद मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी ब्रांच मूसाखांड (चकिया) वाराणसी का दिनांक 15-11-83 का एक पत्र दिनांक 31-12-83 को प्राप्त हुआ था जिस पर सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) वाराणसी की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि उनके पत्रांक-1278/ल0 सिं0/ब्ला0 कूप/विविध/83-84 दिनांक 5-9-83 द्वारा मिर्जापुर जिले को ब्लास्ट यूनिट भेजने हेतु लिखा गया है । ब्लास्ट यूनिट प्राप्त होने पर कार्य तुरन्त शुरू करा दिया जायेगा ।

जनपद वाराणसी में स्थित शिकारगंज, चकिया विकास खण्ड में बोरिंग

51–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक शिकारगंज, जिला वाराणसी में बोरिंग (ड्रिलिंग सेट) नहीं हो पा रही है क्योंकि नीचे पत्थर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ब्लाक के लिये माइनर एरीगेशन के लिये रिंग्स मशीन (पत्थर काटने वाली) की व्यवस्था करेंगी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद वाराणसी में स्थित शिकारगंज चकिया विकास खण्ड का कृषि क्षेत्र 15551 हैक्टर है, जिसके 12123 हैक्टर भूमि की सामान्य प्रकार के साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है । इस ब्लाक का केवल 3324 हैक्टर क्षेत्र असिंचित है जिसमें पत्थर होने के कारण हैन्ड बोरिंग सेट से बोरिंग करना सम्भव नहीं हो पा रहा है । इस सम्बन्ध में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा सर्वेक्षण करना आवश्यक है, जिसके लिए आदेश निर्गत कर दिए गये है ।

कृषि बीज भंडार रेहटी, जलालपुर को शीघ्र खुलवाने की मांग

52–श्री प्रभुनारायण सिंह–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलाल-

पुर के अंतर्गत ग्राम रेहटी में स्थित बीच गोदाम कब से और किन कारणों से बन्द है ? क्या क्षेत्रीय किसानों को खाद एवं बीज आदि उपलब्ध कराने हेतु सरकार इस गोदाम को शीघ्र खुलवायेगी ?

श्री यशपाल सिंह–

कृषि बीज भंडार रेहटी जलालपुर पर चोरी की घटना हो जाने के कारण प्रभारी को निलम्बित किया गया जिसके कारण दिनांक 24-9-83 को भंडार सील कर दिया गया था । 14-10-83 को दूसरे प्रभारी की तैनाती की गई और 2-1-84 को भंडार खुलवा कर चार्ज करा दिया गया। तब से किसानों को बीज व खाद उपलब्ध कराया जा रहा है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत जिला स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति पदाधिकारी की संख्या

53–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति होती है ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी उक्त चयन समिति के पदाधिकारी होते हैं ? क्या जनपद हरदोई में इस संबंध में कुछ अनियमितताओं की शिकायत वित्तीय वर्ष 1982-83 में शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं:–

1–जिला विद्यालय निरीक्षक अध्यक्ष

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव

3–अपर जिला बेसिक शिक्षा–अधिकारी (महिला) और उनकी अनुपस्थिति में उप विद्यालय बालिका निरीक्षिका सदस्य।

जी हां ।

मामले में विभागीय जांच की जा रही है ।

नेशनल इन्टर कालेज सैय्यद राजा, जिला बनारस की प्रबन्ध समिति की मान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश तथा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

54–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल इन्टर कालेज सैय्यद राजा, जिला बनारस की प्रबन्ध समिति को मान्यता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थगन आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

हां।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

55–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, सैय्यद राजा, जिला बनारस की प्रबन्ध समिति में विवाद तथा विद्यालय में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो अनियमितताये क्या है उन पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

अनियमितताएं निम्नवत हैं:-

(क) विभिन्न व्यक्तियों के दो दलों में जिनमें एक दल का नेतृत्व श्री इन्द्रदेव सिंह, प्रबन्धक के रूप में तथा दूसरे दल का नेतृत्व श्री मनसूबा राय प्रबन्धक के रूप में कर रहे हैं, इस अधिकार के बारे में कि वे विद्यालय के प्रबन्धतंत्र के विधिपूर्ण अधिकारी हैं। विवाद उत्पन्न है । प्रबन्धतंत्र के विवाद न्यायालय में भी विचाराधीन है।

(ख) विद्यालय प्रबन्धाधिकरण द्वारा वर्ष 1978-79 से 31-7-80 तक का रु0 21861.33 पै0 उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत खोले गये वेतन वितरण संयुक्त खाते में जमा न कर इस धनराशि को विद्यालय के हितों के प्रतिकूल अन्य कार्यों में लगाया गया है और उसका दुरुपयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त विद्यालय के सेवा निवृत्त अध्यापकों को पेन्शन का भुगतान न किया जाना ।

उक्त अन्यमितताओं के कारण शासन द्वारा राजाज्ञा संख्या-9 (1)/4225/15-2001 (101)/81 दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 द्वारा विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गयी है ।

भवन्त मेहता विद्यालय भरवारी, इलाहाबाद में कार्यरत श्री जे0 पी0 पाण्डेय द्वारा दिया गया प्रत्यावेदन तथा प्राचार्य के विरुद्ध न्यायालय का निर्णय

56-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि भवन्त मेहता विद्यालय भरवारी, इलाहाबाद में कार्यरत श्री जे0 पी0 पाण्डेय द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1982 को कोई प्रत्यावेदन शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी-

श्री जे0 पी0 पान्डेय के दिनांक 29 दिसम्बर, 1982 के प्रत्यावेदन की प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती । किन्तु एक प्रत्यावेदन दिनांक 21 दिसम्बर, 1982 प्राप्त हुआ है ।

उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा जांच की जा रही है ।

57-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवंत मेहता महाविद्यालय भरवारी, इलाहाबाद के प्राचार्य के विरुद्ध एक शासकीय अपील संख्या 476/1957 में न्यायालय ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय का प्रतिपालन शासन द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी-

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इन्हें एक वर्ष के कड़े कारावास की सजा घोषित की थी।

जी हां । न्यायालय के निर्णय के अनुसार डा0 प्रसाद ने दण्ड भोगा था ।

58-श्री पंचानन राय-

[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-99 द्वारा उत्तरित।]

जनपद आजमगढ़ के हरैया ब्लाक में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण का वितरण

59—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में किनको-किनको किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना ऋण वितरित किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आजमगढ़ जनपद के हरैया विकास खण्ड में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में वर्ष 1980-81 में 226, 1981-82 में 340 तथा 1982-83 में 455 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ।

संबंधित वर्षों में लाभान्वित प्रत्येक लाभार्थी के नाम, उनको उपलब्ध करायी गयी परियोजना तथा उपलब्ध कराये गये ऋण सम्बन्धी सूचना अति-विस्तृत है । यह सूचना माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का कथित निर्माण

60—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन हरिजन बस्तियों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का निर्माण वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में किया गया है ? इसमें अलग-अलग कितना धन व्यय हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों को जोड़ने वाले किसी भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में नहीं किया गया है ।

तहसील वाह, जनपद आगरा में जिला परिषद् की दूकानों का निर्माण तथा आवंटन हेतु निर्धारित शर्तें

61—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील वाह, जनपद आगरा में जिला परिषद की नई दुकानें निर्माण करायी गयी थी तथा उनके आवंटन में क्या नियम बनाये गये थे ? क्या यह सही है कि आवंटन उन नियमों के आधार पर नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जिला परिषद आगरा द्वारा प्रश्नगत दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये गये थे, बल्कि शर्तें निर्धारित की गई थीं ।

जी नहीं ।

नीलाम की शर्तों के पूरे तरह पालन न होने तथा उचित बोली न आने के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा, जिला परिषद् में बाजार एवं घाट के बकायेदार तथा वसूली की कार्यवाही

62—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, जिला परिषद् में बाजार एवं घाट के कितने बकायेदार हैं और उनके विरुद्ध वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और वर्तमान ठेकेदार की कितनी किस्तें बकाया हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जिला परिषद्, आगरा में वर्ष 81-82 तक बाजार के दो एवं घाट के 94 बकायेदार हैं। बकायेदारों के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही की गयी है। वसूली प्रमाण पत्र और बकायेदारों की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेज दी गयी है। दिनांक 1 जनवरी, 1984 तक 23 घाटों की किश्तें वर्तमान ठेकेदारों पर देय हो गयी है। दिनांक 31 मार्च, 1984 तक बाजार के वर्तमान ठेकेदार से केवल रु0 4,000/- वसूल होना है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरांई, वाराणसी की मैनेजिंग कमेटी के विवादों का निर्णय

63–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरांई, वाराणसी की मैनेजिंग कमेटी का विवाद वर्षों से वाराणसी कचहरी में चल रहा है और सन् 81 से उप-निदेशक, शिक्षा, वाराणसी के यहां भी विवाद चल रहा है? अभी तक निर्णय नहीं हुआ? क्या शासन की नीति है कि विवाद ग्रस्त कालेजों, विद्यालयों को तब तक ग्रांट नहीं दिया जायगा, जब तक उनके विवादों का निपटारा न हो जाय? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय को सन् 82-83 में ग्रांट दे दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी एवं ललितपुर जनपदों में ऊसर तथा बंजर भूमि तथा सुधार हेतु उपाय

64–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी एवं ललितपुर जनपदों में कितने हेक्टेयर भूमि किसानों की ऊसर तथा बंजर है तथा उक्त भूमि के सुधार हेतु शासन ने अभी तक क्या उपाय किये हैं?

श्री यशपाल सिंह–

झांसी एवं ललितपुर जनपदों में किसानों की कोई ऊसर भूमि नहीं है बंजर भूमि 58724 हे0 है जिसके सुधार हेतु कोई अलग से योजना नहीं है परन्तु चयनित जल समेट क्षेत्रों में भूमि संरक्षण विधियों एवं वनीकरण द्वारा बंजर भूमि का उपचार किया जाता है।

65–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती के कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत वेतन से काटी गयी धनराशि

66–श्री मसरूर जाफरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती के कर्मचारियों का सी0 डी0 एस0 अनिवार्य योजना का 1974 से 1980 तक कुल कितना धन कर्मचारियों के वेतन से काटा गया तथा कितना धन अक्तूबर, 1983 तक कर्मचारियों को भुगतान किया तथा कितना शेष है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है? उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित कराये गये मार्गों की लम्बाई तथा व्यय

67—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में अलग-अलग किन-किन कितनी लम्बाई के मार्गों का निर्माण किया गया तथा इन पर प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गई है?

श्री बलराम सिंह यादव—

आजमगढ़ जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 में कराये गये मार्गों की लम्बाई एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मार्ग की ल0 (कि0मी0)	व्यय (लाख में)
80-81	10.95	6.61
81-82	33.93	10.69
81-82	50.94	13.00
82-83	1.00	1.00
82-83	1.00	1.00
योग	97.82	32.300

अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन में राहत की सुविधा

68—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश प्राप्त अध्यापकों को जो राहत की किश्तें दी जाती हैं वे राजकीय कर्मचारियों के समान हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सितम्बर, 82 तथा दिसम्बर, 82 की दो राहत की किश्तें उपर्युक्त श्रेणी के अध्यापकों को दी गयी हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

30-6-74 के पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन में राहत स्वीकृत की जाती है।

जी हां।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पेंशन लागू होने के समय मांगे गये विकल्प

69—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पेंशन लागू होने के समय जो विकल्प मांगे गये थे, उस समय पारिवारिक पेंशन योजना न होने के कारण जिन लोगों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लिया था, उन्हें विकल्प बदलने के लिये अवसर देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में शासन विभाग के पास अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन्हें विकल्प बदलने का अवसर कब तक प्रदान किये जाने की सम्भावना है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों की निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की जा सकी है, शासन के निर्णय के अनुसार इन्हें विकल्प बदलने का अवसर देना फिलहाल सम्भव नहीं है।

रा0 क0 उ0 मा0 विद्यालय, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का बकाया वेतन

70—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0 क0 उ0 मा0 विद्यालय, मउनाथ-भंजन, आजमगढ़ के शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का माह जुलाई, 1983 का वेतन भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। क्योंकि वेतन की धन-राशि रु0 14638·10 पैसे में से बारह हजार रुपया चोरी चला गया था। जिसके बारे में कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फर्रुखाबाद में अल्पसंख्यक घोषित किये गये माध्यमिक विद्यालय

71—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय अल्पसंख्यक घोषित हैं? क्या यह सही है कि एम0 एम0 हाई स्कूल, कन्नौज, फर्रुखाबाद को अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित करने का प्रकरण शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है? यदि हां, तो इस समय विद्यालय की क्या स्थिति है?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद फर्रुखाबाद में निम्नांकित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को अल्प-संख्यक घोषित किया गया है :—

(1) क्रिश्चियन इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद।

(2) सिटी गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, फर्रुखाबाद।

(3) रखा गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़

हां।

शासन के निर्णय के विरुद्ध विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ में प्रधानाचार्या का रिक्त पद

72—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ में विगत एक वर्ष से प्रधानाचार्या का पद रिक्त है, जिससे शिक्षण कार्य अवरुद्ध हो रहा है? यदि हां, तो कब तक प्रधानाचार्या की व्यवस्था कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, परन्तु उक्त कालेज की वरिष्ठतम प्रवक्ता, स्थानीय व्यवस्था के रूप में प्रधानाचार्या के पद का कार्य सम्भाले हुई हैं, फलस्वरूप शिक्षण कार्य अवरुद्ध नहीं है।

अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी होने के बाद, प्रधानाचार्या की व्यवस्था हो सकेगी।

मनोकरण कन्या जू0 हा0 स्कूल, शाहजहांपुर की अध्यापिकाओं के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

73—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि दिनांक 19-11-83 को मंडलीय विद्यालय निरीक्षिका, बरेली ने अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) शाहजहांपुर को एक पत्र मनोकरण कन्या जू0 हा0 स्कूल, शाहजहांपुर की अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान करने के विषय में लिखा है? यदि हां, तो क्या संबंधित

अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्त भुगतान कब तक करा दिया जावेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इंटर व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षार्थी श्री अरविन्द कुमार मिश्र सहित अन्य परीक्षार्थियों का अघोषित परीक्षाफल

74–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परीक्षा केन्द्र, मुरारी इन्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित श्री अरविन्द कुमार अनुक्रमांक 563025 के साथ 12 अन्य परीक्षार्थियों का वर्ष 1983 का इण्टरमीडिएट परीक्षाफल अब तक अघोषित है? यदि हां, तो उक्त परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिये जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

नहीं, वर्ष 1983 की इण्टर व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षार्थी अनुक्रमांक 563025 अरविन्द कुमार मिश्र सहित 13 अन्य परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान प्रयोगात्मक विषय की परीक्षा के अंक प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण थे। उनके परीक्षाफल पूर्ण करके सूचना संबंधित पंजीकरण केन्द्र को क्रमशः दिनांक 11-8-83 एवं 7-2-84 को भेजी जा चुकी है।

प्रदेश में खारे पानी वाले क्षेत्रों के लिए भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन की योजना

75–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में खारे पानी वाले क्षेत्रों के लिए भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन ने कोई विशेष योजना तैयार की है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जनपद आगरा, मथुरा में खारे पानी से संबंधित अनुसंधान की योजना निर्माणाधीन है।

श्री ओंकार नाथ मिश्रा, सहायक अध्यापक, भारतीय शिक्षा सदन इन्टर कालेज, सिकन्दरपुर को निरन्तर वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

76–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओंकार नाथ मिश्रा, सहायक अध्यापक, भारतीय शिक्षा सदन इन्टर कालेज, सिकन्दरपुर, जनपद फर्रुखाबाद को निरन्तर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है? क्या यह सही है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस संस्था के उप प्रबन्धक द्वारा श्री मिश्रा को सेवा समाप्ति के लिए दिनांक 28-4-82 को दिए गये नोटिस को दिनांक 28-7-82 को स्थगित कर दिया है? यदि हां, तो उच्च न्यायालय तथा विभाग के आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा वेतन भुगतान कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री मिश्र की सेवा समाप्ति तक का वेतन भुगतान किया गया उसके बाद का वेतन नहीं दिया गया है।

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-7-82 के स्थगन आदेश के पहले ही वह पद भरा जा चुका था तथा श्री मिश्रा को पुनः कार्यभार ग्रहण कराने का कोई आदेश नहीं था। कार्यभार न ग्रहण करने के कारण वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य नारायण तिवारी, प्रधान अध्यापक प्राइमरी विद्यालय, खतराना, फर्रुखाबाद को भविष्य निधि का भुगतान

77—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य नारायन तिवारी, प्रधान अध्यापक प्राइमरी विद्यालय, खतराना, फर्रुखाबाद (नगर क्षेत्र) ने 30 जून, 1982 को अवकाश ग्रहण कर लिया था? यदि हां, तो क्या इनकी भविष्य निधि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो इस देरी के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषद् में जमा भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान श्री सत्य नारायन तिवारी को 11-5-83 को कर दिया गया। श्री तिवारी द्वारा पाठशाला संबंधी सम्पूर्ण चार्ज विलम्ब से देने के कारण उन्हें उक्त भुगतान 11-5-83 को किया जा सका। नगरपालिका अवधि के अंशदान संबंधी आख्या नगरपालिका फर्रुखाबाद से प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि का भुगतान दिनांक 30-8-83 को किया गया। इसके लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। अत एव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा फरेन्दहा, ब्लाक फाजिल नगर में फरेन्दा अल्पिका के कुलाबा नं0 10, 11 तथा 12 पर गूल का निर्माण

78—श्री ध्रुव प्रसाद राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्डक समादेश के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी, तमकुही राज, जनपद देवरिया ने ग्राम सभा फरेंदहा, ब्लाक फाजिल नगर में गुल नं0 10, 11, और 12 का निर्माण माह जून, 1983 में कराया और वह बह गये? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

भूमि संरक्षण अधिकारी, तमकुही-राज जनपद, देवरिया ने ग्राम सभा फरेंदहा ब्लाक फाजिल नगर में फरेंदहा अल्पिका के कुलाबा नं0 10, 11 तथा 12 पर गूल का निर्माण माह मई और जून, 1983 में कराया था, जो बहा नहीं है। गूलें सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं तथा उनसे रबी की सिंचाई हो रही है।

ग्राम खैरुल्लापुर, जनपद सीतापुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल व उसका भवन

79—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खैरुल्लापुर (ब्लाक लहरपुर) जनपद सीतापुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल खुला है? यदि हां, तो क्या उसकी इमारत बन गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत विद्यालय का चयन समिति द्वारा चयनित न होने के कारण भवन का निर्माण सम्भव नहीं हो सका।

शिक्षण शाखा से पृथक निरीक्षण शाखा के प्राइमरी स्तर के अनुभवहीन निरीक्षकों को राजकीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के शासनादेश की निरस्ति

80—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं के मांग पत्र दिनांक 8 अगस्त, 77 की मांग संख्या 4, जिसके

अनुसार शिक्षण शाखा से पृथक निरीक्षण शाखा के प्राइमरी स्तर के अध्यापन अनुभवहीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों तथा उप विद्यालय निरीक्षकों को राजकीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या पदों पर पदोन्नतियां तुरन्त बन्द करने तथा इस आशय के 1947 तथा 1949 के शासनादेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की गयी थी, के अनुसार शिक्षा विभाग के उपरोक्त शासनादेशों को निरस्त किया गया? यदि नहीं, तो इस अनावश्यक विलम्ब का क्या कारण है, जबकि राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश इस मांग के लिए निरन्तर निवेदन कर रहा है और शासन तथा राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के बीच 1980 में 30 सूत्रीय मांग के क्रमांक 2 की इसी मांग पर दिनांक 9 सितम्बर, 1980 को समझौता की गयी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जे0 एल0 एम0 डी0 जे0 इण्टर कालेज, खैराबाद, जिला सीतापुर में समाज शास्त्र के लिए प्रवक्ता पद का सृजन, नियुक्ति अथवा प्रोन्नति न किये जाने के संबंध में कार्यवाही

81–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जे0 एल0 एम0 डी0 जे0 इण्टर कालेज, खैराबाद जिला सीतापुर में समाज शास्त्र विषय के लिये प्रवक्ता पद का सृजन वर्ष 1974 में होने के बाद कोई नियुक्ति अथवा प्रोन्नति न किये जाने का क्या कारण है? प्रोन्नति कब तक कर दी जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

जे0 एल0 एम0 डी0 जे0 इण्टर कालेज, खैराबाद, सीतापुर में प्रवक्ता (समाज शास्त्र) के पद का सृजन वर्ष 1975 में हुआ था। उक्त पद पर प्रोन्नति के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां प्रस्ताव प्राप्त हुआ लेकिन विद्यालय के एक अन्य अध्यापक द्वारा वरिष्ठता के सम्बन्ध में आपत्ति करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। इस संबंध में पत्र व्यवहार एवं जांच पड़ताल चल रही थी। इसी बीच दिनांक 8-4-1981 को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में समस्त शिक्षकों की नियुक्तियों/पदोन्नतियों पर रोक लगा दी गई। तदुपरान्त 26-2-82 की अधिसूचना द्वारा उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम लागू हुआ। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अब समस्त नियुक्तियां/प्रोन्नतियां आयोग द्वारा चयन के बाद की जायेंगी।

रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जा चुकी है।

के0 एम0 हा0 से0 स्कूल, मकरन्दनगर (कन्नौज), फर्रुखाबाद में एल0 टी0 वेतनक्रम का सृजित पद तथा मान्यता

82–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 एम0 हा0 से0 स्कूल, मकरन्दनगर (कन्नौज), फर्रुखाबाद में एल0 टी0 वेतनक्रम का केवल एक पद सृजित है? इसे हाई स्कूल की मान्यता कब प्राप्त हुई तथा एल0 टी0 वेतनक्रम में शिक्षकों की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय विद्यालय एवं कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (चौकीदार) को साप्ताहिक अवकाश तथा त्योहारों एवं राष्ट्रीय पर्वों का अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

83—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय विद्यालय एवं कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/(चौकीदार) को साप्ताहिक अवकाश तथा त्योहारों एवं राष्ट्रीय पर्वों का अवकाश दिए जाने का प्राविधान है? क्या यह भी सही है कि इन चौकीदारों से लगभग 17 घंटे प्रतिदिन कार्य लिया जाता है? क्या शासन इस पर विचार करेगा कि इन कर्मचारियों से शासन की नीति के मुताबिक 7 घण्टे का कार्य लिया जाय तथा सारे अवकाश दिये जाएं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। किन्तु यह सही नहीं है कि इनसे 17 घंटे प्रतिदिन कार्य लिया जाता है। यह अवश्य सही है कि जब किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चौकीदारी के कार्य पर लगाया जाता है तो उसे आठ घंटे से अधिक ड्यूटी पर रहना पड़ता है। जी हां। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनता उ0 मा0 विद्यालय, पुरसौली में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भारी कटौती के बाद वेतन का भुगतान, तथा श्री हरी राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा की गई शिकायत की जांच

84—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में जनता उ0 मा0 विद्यालय, परसौली में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा दिये जाने वाले वेतन का भुगतान भारी कटौती के बाद किया जाता है? यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य की जांच कराकर प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

85—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि श्री हरी राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा उक्त विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध उक्त संबंध में शिकायत करने के कारण वर्ष 1983 के प्रारम्भ में ही सेवा मुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करा कर कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

86—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 23-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 75 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद हरदोई के आई0 आर0 इन्टर कालेज, संडीला में सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों की अवैधानिक पदोन्नति के संबंध में शिकायत

87—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के आई0 आर0 इन्टर कालेज, संडीला में वर्ष 1983 के दौरान सी0टी0 ग्रेड के तीन अध्यापकों की पदोन्नति एल0 टी0 ग्रेड में की गई? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के कुछ भूतपूर्व छात्रों द्वारा इन पदोन्नतियों को अवैधानिक बताते हुए कोई शिकायत जिला विद्यालय

निरीक्षक हरदोई को की गयी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बच्चन लाल दिनकर के प्रोन्नति के संबंध में पत्र

88–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-4-82 व 19-8-82 जो श्री बच्चन लाल बाल्मीकी के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

श्री बच्चन लाल बाल्मीकि का कोई प्रार्थना-पत्र अग्रसारित होकर नहीं प्राप्त हुआ है । श्री बच्चन लाल दिनकर का अहस्ताक्षरित पत्र अग्रसारित होकर प्राप्त हुआ है ।

कृषि निदेशक से श्री बच्चन लाल दिनकर की प्रोन्नति के संबंध में वर्तमान स्थिति जानने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री दिनकर की प्रोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर समय आने पर नियमानुसार की जायेगी।

जूनियर हाई स्कूल चौकी, जिला कानपुर देहात के अध्यापक श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ल का निलम्बन

89–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 25-8-82 का पत्र श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ल, विज्ञान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल चौकी, जिला कानपुर देहात के पियरलेस में काम करने और शिक्षण कार्य ठीक से सम्पादित न करने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर से प्राप्त सूचनानुसार मामले में उप विद्यालय निरीक्षक, कानपुर से जांच करायी गयी और जांच के आधार पर श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ल विज्ञान अध्यापक, को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समिति यूसुफपुर द्वारा कृषकों से मण्डी शुल्क की वसूली

90-श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित एवं निर्माणाधीन कृषि मंडी समितियों द्वारा कृषकों द्वारा निजी बीज के रूप में आलू, चना, धान आदि उपजों के ऊपर मंडी क्षेत्र में मंडी सीमा के बाहर एवं अन्दर ले जाने एवं ले आने में मंडी टैक्स वसूल करने के कोई निदेश अब तक जारी किये गये हैं? यदि हां, तो इसे जारी करने का क्या औचित्य है? यदि नहीं, तो गाजीपुर में यूसुफपुर कृषि मंडी समिति द्वारा जो अभी निर्माणाधीन है वर्ष 1980 से अब तक कृषकों से काफी धनराशि की वसूली की जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री यशपाल सिंह–

जी नहीं ।

निजी बीज के रूप में आलू, गेहूं इत्यादि के ऊपर मंडी क्षेत्र में मंडी सीमा के बाहर एवं अन्दर केवल ले जाने एवं लाने में मंडी शुल्क वसूल नहीं किया जाता है । मंडी समिति यूसुफपुर द्वारा

जो मंडी शुल्क वसूल किया जाता रहा है वह मंडी अधिनियम की धारा 17(3)(ख) के अन्तर्गत निर्दिष्ट कृषि उत्पादकों के मंडी क्षेत्र में विक्रय के सौदों पर वसूल किया जाता है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा परिषद्, जौनपुर के जूनियर विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद

91—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के जूनियर विद्यालयों में कितने प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के इण्टर कालेजों का नामिका निरीक्षण

92—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद जौनपुर के किन-किन इण्टर कालेजों का नामिका निरीक्षण किया गया? क्या उक्त सभी विद्यालयों को निरीक्षण आख्या प्रेषित कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर में श्रव्य-दृश्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था

93—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में श्रव्य-दृश्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था है? यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में इससे कितने विद्यालयों के छात्र लाभान्वित हुए? क्या यह सत्य है कि इस जनपद में इस योजना की निष्क्रियता से छात्रों को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार छात्रों के हित में इस योजना को द्रुतगति से चलाएगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डी0 एस0 एम0 इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध जांच

94—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के सातवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0एस0 एम0 इण्टर कालेज का0 (मुरादाबाद) की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध किन-किन बिन्दुओं पर किनके द्वारा व कब जांच करायी गयी थी व जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

डी0 एस0 एम0 कालेज इण्टर, कांठ (मुरादाबाद) के इण्टर एवं डिग्री प्रभाग की सम्मिलित शिकायत की गयी थी । शिकायती पत्र में उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद कार्यालय के लेखाधिकारी से दिनांक 24-1-1982 को जांच करायी गयी । इण्टर कालेज के सम्बन्ध में जांच आख्या के अनुसार विद्यालय से मिली हुयी महमूदपुर मुआफी की भूमि, जो कालेज को दान के रूप में प्राप्त हुई थी, संस्था के नाम में हस्तान्तरित नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त 3.6 एकड़ भूमि बिल के रूप में वर्ष 1976 में प्राप्त हुयी थी। इसकी आय विद्यालय के लेखे में जमा नहीं हुयी है ।

डी0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन तथा दिये गये ज्ञापन के संबंध में कार्यवाही

95—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर के डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध मा0 शि0 सं0 आगरा ने जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा के कार्यालय पर दिनांक 12-2-82 से 23-2-82 तक क्रमिक अनशन किया था? यदि हां, तो अनशनकारियों की मांगें अभी तक क्यों नहीं पूरी की गईं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

96—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आगरा आगमन पर माह दिसम्बर, 1982 में माध्यमिक शिक्षक संघ, आगरा द्वारा डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, आगरा में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम पंचायत सेवक संघ द्वारा क्रमिक आमरण अनशन तथा मांगें

97—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सेवक (ग्राम्य पंचायत अधिकारी) संघ ने जून, 1981 में क्रमिक आमरण अनशन (जिसमें श्री छीतर सिंह की मृत्यु दिनांक 22 जून, 1981 को हुई थी) प्लानिंग कार्यालय, आगरा के सामने किया था ? यदि हां, तो अनशनकारियों की मुख्य मांगें क्या थीं और उनमें से कितनी मांगें अब तक पूरी कर दी गई हैं और जो मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं, उनको पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, अनशनकारियों की मुख्य मांगें उनके ज्ञापन के अनुसार 11 थीं जिनका विवरण संलग्न है । मांग संख्या 4 व 9 को छोड़ कर शेष सभी मांगें पूरी कर दी गई हैं । जो दो मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं उनके संबंध में स्थिति निम्नवत् है:—

मांग संख्या 4 में केवल एक ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शांती स्वरूप की सेवा पुस्तिका तैयार होना शेष है जिसके लिए शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

मांग संख्या—9—में श्री मोहम्मद अब्बास सहायक आंकिक/कैशियर द्वारा किये गये गबन एवं घुटाले की जांच हेतु जिला कृषि अधिकारी को नियुक्त किया गया है । जांच आख्या अप्राप्त है । गबन के संबंध में विशेष आडिट सम्पन्न करने हेतु महालेखाकार उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 152 पर।)

झांसी एवं इलाहाबाद लघु सिंचाई विभाग के वृतों को राज्य के व्यय पर चलाने का निर्णय

98—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 10166/38-4-1205/78, दिनांक 26-2-83 द्वारा झांसी एवं इलाहाबाद लघु सिंचाई विभाग के दो सर्किल समाप्त कर दिए हैं ? क्या यह भी सच है कि लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, आगरा का सर्किल कार्यालय भी मुरादाबाद स्थानान्तरित किया

जा रहा है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं ।

झांसी और इलाहाबाद वृतों को अब राज्य के व्यय पर चलाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है ।

जी नहीं ।

जनपद गोण्डा में मंडी समितियों में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों का कार्यकाल तथा नियमित किये जाने की कार्यवाही

99–श्री यमुना प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अन्तर्गत संचालित जनपद गोंडा की मण्डी समितियों में कार्यरत कितने ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी हैं, जिनकी सेवाएं 3 वर्ष से अधिक हो गयी है ? क्या उनके नामों व सेवावधि की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह–

जनपद गोण्डा में मण्डी समितियों में कोई ऐसा वर्कचार्ज कर्मचारी नहीं है जिसकी निरन्तर सेवा 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो । केवल मन्डी समिति नवाबगंज में एक वर्कचार्ज कर्मचारी की सेवा अवधि बीच-बीच में खंडित अवधि को मिलाकर 3 वर्ष से अधिक है । उसकी सेवा अवधि का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 153 पर।)

100–श्री यमुना प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि समय-समय पर जारी किये गये स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी उक्त जनपद गोंडा की मण्डी समितियों में तीन साल से अधिक की सेवा के वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित न करके बाहरी अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्तियां कर ली गयी है? यदि हां, तो क्यों ? क्या कृषि मंत्री इसकी जांच कराकर अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करके तीन साल से अधिक की सेवा के वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह–

जनपद गोण्डा की किसी मण्डी समिति में तीन साल से अधिक की सेवा के वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित न करके बाहरी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । अतः जांच कराने तथा अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

101–श्री राम स्वरूप वर्मा–

–[दिनांक 23-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–16 द्वारा उत्तरित ।]

जैन कन्या इन्टर कालेज नई मण्डी, मुजफ्फरनगर के इन्टर कक्षाओं में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिये मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र

102–श्री दीपक कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का 22-8-82 को जैन कन्या इन्टर कालेज, नई मण्डी मुजफ्फर नगर के इन्टर कक्षाओं में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए मान्यता देने हेतु शिक्षा मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

हां । मामले में विचार किया गया किन्तु प्रश्नगत विद्यालय को उक्त मान्यता देना संभव न हो सका। प्रकरण विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है ।

स्व0 फिराक गोरखपुरी के जन्म स्थली अड़िलापार-गोरखपुर में महिला महाविद्यालय, वाचनालय सहित संग्रहालय निर्माण करने पर विचार

103–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्व0 फिराक गोरखपुरी के जन्म स्थली अड़िलापार–गोरखपुर में उनकी स्मृति में महिला महाविद्यालय, वाचनालय साहित्य संग्रहालय निर्माण करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति सहजनवा, गोला व बड़हलगंज द्वारा मार्गों का निर्माण

104–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मण्डी समिति सहजनवां एवं मण्डी समिति गोला व बड़हलगंज द्वारा वर्ष 80-81 81-82, 82-83 व 83-84 में कुल कितने और कौन-कौन मार्गों का निर्माण कराया गया ?

श्री यशपाल सिंह–

प्रश्नगत वर्षों में मण्डी समिति सहजनवां द्वारा कोई मार्ग निर्माण नहीं कराया गया। गोला एवं बड़हलगंज मण्डी समितियां नहीं हैं, अतः इनके द्वारा मार्ग निर्माण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद की जिला परिषद् द्वारा निर्मित कतिपय मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

105–श्रीमती गौरी देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की जिला परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों सेवइं-लर दिया, रुस्तमपुर-मलौनी बांध (कर्जाकपुर) जेतपुर वोकटा एवं महावीर-छापरा-कुस्मील मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं।

जिला परिषद् की सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण सम्बन्धित जिला परिषद् तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति से ही हो सकता है। प्रश्नगत सड़कों के हस्तान्तरण हेतु जिला परिषद्, गोरखपुर से अथवा उन्हें ग्रहण करने का सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में कराए गए निर्माण कार्य

106–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत

वर्ष 1983 में कौन-कौन से कार्य कराए गए? क्या उक्त सभी कार्य समय के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में संपर्क मार्ग, पुलिया निर्माण, पंचायत भवन, गांव सभाओं के अन्दर खड़न्जा निर्माण डूने निर्माण तथा नर्सरी का कार्य कराया जा रहा है। उक्त सभी कार्यों का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराये जाने की आशा है।

श्री त्रिवेणी सहाय, भूतपूर्व विधायक, गोंडा का 'सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इण्टर कालेज,' गोंडा की फर्जी समिति के संबंध में पत्र

107–श्री बलबीर सिंह (फर्रुखाबाद)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 29-11-1983 को श्री त्रिवेणी सहाय, भूतपूर्व विधायक गोंडा का कोई प्रार्थना पत्र 'सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इण्टर कालेज गोंडा' की एक फर्जी समिति के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त समिति की जांच करायी गयी? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। मामले में शिक्षा निदेशक से आख्या मांगी गयी है जिसके प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

जनपद बरेली के बिल्डिंग काम्पलेक्स में राजकीय दीक्षा विद्यालय, फरीदपुर, बरेली को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश

108-श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बरेली में उनके विभाग का दस वर्ष पूर्व 30 लाख रुपये की लागत से बना हुआ एक बिल्डिंग काम्पलेक्स जो लाल फाटक होकर रामगंगा पुल पर जाने वाले मार्ग पर स्थित है, पिछले दस वर्ष से खाली पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस भवन का उपयोग करने के लिए मंत्री जी कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

राजकीय दीक्षा विद्यालय आंवला (बरेली) समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप।

जी हां।

प्रश्नगत भवन में राजकीय दीक्षा विद्यालय, फरीदपुर, बरेली को स्थानान्तरित करने के आदेश 26 दिसम्बर, 1983 को निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज साण्डी, जिला हरदोई की प्रबन्ध समिति की अनियमितताओं के संबंध में दी गई नोटिस

109-श्री हरी शंकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवदरबार आश्रम इण्टर कालेज साण्डी, जिला हरदोई की प्रबंध समिति की अनियमितताओं के सम्बन्ध में नोटिस विभाग द्वारा कब दी गई और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

देव दरबार आश्रम इन्टर कालेज, सण्डी, जिला हरदोई की प्रबंध समिति को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-घ (3) के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 30-9-83 को दी गई। इस प्रकरण में आगे कार्यवाही हेतु शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

ग्राम सभा बेलखरा जनपद मिर्जापुर में हरिजन पेय जल हेतु कूप की ब्लास्टिंग कराने के सम्बन्ध में पत्र

110–श्री राम चरण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 14-11-83 को ग्राम सभा बेलखरा वि0 खं0 जमानापुर जनपद मिर्जापुर में हरिजन पेय जल हेतु कूप की ब्लास्टिंग कराने के सम्बन्ध में लिखा था? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। पत्र के साथ संलग्न श्री शिवमूरत लाल के प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी करते हुए कूप की ब्लास्टिंग की मांग की गई थी, जबकि ग्रामवासियों ने उक्त पत्र के माध्यम से कूप निर्माण हेतु धन की मांग की है। सिंचाई कूपों के बिस्फोटन का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके लिए कृषक को अग्रिम धन जमा करना होता है जो कि उक्त कूप के लिये जमा नहीं किया गया है। ग्राम सभा को उपरोक्त कूप निर्माण हेतु धन की मंजूरी दिये जाने के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है। धन की व्यवस्था होने पर कूप के बिस्फोटन का कार्य करा दिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर की गयी नियुक्तियों के संबंध में शिकायती पत्र

111–श्री मोहन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत 77-78 में कितने ऐसे लोग प्राइमरी स्कूल में अध्यापक रखे गये हैं जिनकी नियुक्तियां वर्ष 72-73 में बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग सैनिक अभ्यर्थी के रूप में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी हैं? इस संबंध में दिनांक 23-4-73 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक आदि को श्री जगन्नाथ पाण्डेय ने अपने शिकायती पत्र द्वारा सूचित किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रहमत अली, प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक विद्यालय चिमहट के स्थानान्तरण आदेशों की निरस्ती का कारण

112–श्री राम लाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण आदेश गत वर्ष 1981 में हुए थे? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण किन कारणों से किया गया था तथा उसे पुनः रोक दिये जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

113–श्री रामलाल वर्मा–

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त स्थानान्तरण किसके आदेश से हुआ था तथा उक्त स्थानान्तरण के निरस्त किये जाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया है?

श्री अम्मार रिजवी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के आदेश से।

शिक्षा विभाग के पाठ्य पुस्तक कार्यालय, लखनऊ में कतिपय पदों के सृजन का औचित्य व पद के कर्त्तव्य तथा दायित्व

114–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के पाठ्य पुस्तक कार्यालय लखनऊ में साहित्यिक सहायक, चित्रकार, सहायक अधिकारी एवं उप पाठ्य पुस्तक अधिकारी के कितने पद है? इन पदों के सृजन हेतु क्या औचित्य रहा है? प्रत्येक पद के कर्त्तव्य एवं दायित्व क्या है? प्रत्येक पदों के अर्हता शासन द्वारा क्या निर्धारित है? क्या ये पद लोक सेवा आयोग से भरे जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद्, आगरा के प्राइमरी शिक्षकों की प्रोवीडेन्ट फंण्ड की बकाया धनराशि

115–श्री बदन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् आगरा के प्राइमरी शिक्षकों का सन् 1960 से प्रोवीडेन्ट फण्ड का कितना धन ऐसा है जो अध्यापकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? क्या यह भी सच है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा के कार्यालय में अध्यापकों की पास बुक व लेजर बुक भी उपलब्ध नहीं है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी, ग्राम चौमाशाहपुर व मोंहदऊ में अच्छे जल व स्ट्रेटा का पता लगाने हेतु अन्वेषणात्मक छिद्रण

116–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर-सीकरी के ग्राम चौमाशाहपुर व मोंहदऊ में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा सन् 1979-80 या 1980-81 में किये गये छिद्रण (बोरिंग के छिद्रण) सफल हो गये है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों के ये बोरिंग अभी तक सिंचाई विभाग को हस्तांतरित क्यों नहीं किये गये है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर-सीकरी के क्षेत्र में अत्यन्त खारेपन व अच्छे स्ट्रेटा न मिलने की गम्भीर समस्या है। वर्ष 1980-81 में चौमाशाह पुर व मोंहदऊ में अच्छे जल व स्ट्रेटा का पता लगाने हेतु अन्वेषणात्मक छिद्रण किये गये। उक्त स्थलों पर जो जल मिला, वह उस स्थान एवं आस-पास के क्षेत्रों में, पम्पों से नलकूपों द्वारा उपलब्ध जल की तुलना में बहुत अच्छा है। परन्तु गुणवत्ता के जो मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं उनके अनुसार यह सफल नहीं है। यही कारण है कि सिंचाई विभाग को यह अभी तक हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।

जनपद आगरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुष एवं महिला के रिक्त पद

117–श्री बदन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुष एवं महिला दोनों के पद कई महीनों से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, श्री गोपाल कृष्ण गर्ग, के स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री नरदेव सिंह पाल, सह जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली, का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30-6-83 द्वारा किया गया था । श्री गर्ग अपने पद से दिनांक 28-7-83 को कार्यमुक्त होकर चले गये परन्तु श्री पाल ने अभी तक योगदान नहीं दिया है तथा अवकाश पर चल रहे हैं । फिलहाल दिनांक 29-7-83 से श्री प्रमोद शर्मा उप विद्यालय निरीक्षक आगरा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ।

तत्कालीन अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) आगरा, कु0 शारदा गुप्ता के स्थानान्तरण होने तथा 30-6-83 को कार्यमुक्त हो जाने के बाद, उनके स्थान पर तैनात श्रीमती सन्तोष भाटिया ने दिनांक 7-7-83 को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया था । इस प्रकार उक्त दोनों पद रिक्त नहीं पड़े हैं ।

118–श्री बदन सिंह–

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

119–राम स्वरूप वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

120-122–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

[मंत्रि मण्डल में सम्मिलित होने के कारण हटाये गये ।]

कृषि रक्षा विभाग को कृषि विभाग से अलग करके नया निदेशालय बनाने के प्रश्न पर विचार

123–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि रक्षा विभाग को कृषि विभाग से अलग कर नया निदेशालय बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

जी नहीं ।

कृषि उत्पादन के हित में आवश्यक नहीं है ।

नगर परिषद्, देवरिया में सहायक अध्यापक व अदीब कामिल योग्यता वाले सहायक अध्यापकों का वेतन जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों के समान किये जाने हेतु कार्यवाही

124–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् देवरिया के अन्तर्गत नगर परिषद् देवरिया में वर्ष 1979 तक कुल कितने सहायक अध्यापक एवं अदीब कामिल योग्यता वाले सहायक अध्यापक के रूप में जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त थे व किन कारणों से उन सहायक अध्यापकों का वेतन जुलाई, 1979 में 450 रु0 के स्केल में नहीं फिक्स किया गया जब कि उसी योग्यता

वाले बेसिक शिक्षा परिषद् देवरिया के अन्तर्गत कार्यरत समस्त जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतन 450 रु0 से शुरू होने वाले स्केल में फिक्स किया गया है व यह कमी कब तक ठीक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

एक सहायक अध्यापक। अध्यापक का वेतन रु0 450–720 के वेतनमान में निर्धारित किया जा चुका है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अधिक विशेष वेतन बढ़ोत्तरी देने के आदेश

125–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिन शिक्षकों के एक या दो बच्चे हैं और आखिरी बच्चे की उम्र 10 साल या उससे अधिक है उनको परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके वेतन में एक अधिक विशेष वेतन बढ़ोत्तरी देने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से विकास क्षेत्र देसही देवरिया जिला देवरिया के अन्तर्गत आने वाले बेसिक शिक्षा परिषद, देवरिया के शिक्षक उक्त लाभ से वंचित हैं व उक्त लाभ उन्हें कब तक मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

विकास क्षेत्र देसही जिला देवरिया के सात परिषदीय शिक्षकों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सुविधा प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वृज नन्दन सिंह, सहायक अध्यापक की हत्या तथा उनकी पत्नी को बकाया वेतन, जीवन बीमा एवं भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान

126–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृज नन्दन सिंह अध्यापक प्रा0 पाठशाला ग्राम भटनी दादन, ब्लाक देसही देवरिया जिला देवरिया की 19/20 दिसम्बर, 82 की रात्रि को गोली मार कर हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो इनकी पत्नी को उनका बकाया वेतन, सामूहिक जीवन बीमा तथा पारिवारिक पेंशन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया से प्राप्त सूचनानुसार श्री वृज-नन्दन सिंह, सहायक अध्यापक की मृत्यु दिनांक 19/20 दिसम्बर, 1982 को हुई थी। स्व0 अध्यापक के वेतन, जीवन बीमा एवं भविष्य निधि की देय धनराशि का चेक निर्गत किया जा चुका है ।

माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड प्रदान किये जाने की स्वीकृति

127–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को जिनकी सेवा 16 वर्ष हो गयी है? क्या उन्हें सलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि देवरिया जिलान्तर्गत किसी भी विद्यालय को सलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी नहीं । देवरिया जिलान्तर्गत कुल 73 विद्यालयों के 454 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों को सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

श्री बैजनाथ पाण्डेय की जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर एल0 टी0 ग्रेड में पदोन्नति के सम्बन्ध में जांच

128–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को ज्ञात है कि राजकीय इण्टर कालेज, सुल्तानपुर में सी0 टी0 ग्रेड में कार्यरत श्री बैजनाथ पाण्डेय ने जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर अपनी पदोन्नति एल0 टी0 ग्रेड में करा लिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री बैजनाथ पाण्डे ने एल0 टी0 ग्रेड में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । उनके प्रमाण पत्रों के संबंध में छानबीन की जा रही है ।

जनपद आगरा के विकास खंड अकोला में बसैया रायमल (शीतलकुंड) में नई न्याय पंचायत के सृजन के संबंध में पत्र

129–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक अकोला में बसैया रायमल (शीतल कुंड) में नई न्याय पंचायत के सृजन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जनवरी, 83 व जुलाई, 83 के बीच प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का तद्विषयक पत्र दिनांक 7-4-83 प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से जांच कराई गयी ।

सम्बन्धित गांव सभा प्रधानों के विरोध एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से विकास क्षेत्र अकोला में बसैया रायमल (शीतलकुंड) के नाम से नवीन न्याय पंचायत का सृजन समीचीन नहीं पाया गया ।

जनपद आगरा के गांव सोहेल्ला में खड़ंजा लगाने सम्बन्धी पत्र

130–श्री विजय सिंह राना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के गांव सोहेल्ला में खडंजा लगाने संबंधी ग्राम्य विकास उप निदेशक श्री डी0 टी0 के0 त्रिपाठी के पत्र संख्या 160 ग्रा0/33-3-8 सी0/17/82 दिनांक 31 जुलाई, 1982 के संदर्भ में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम के नगरमहापालिका आगरा की सीमा में आ जाने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खडंजा लगवाना संभव नहीं हो सका है । अब इस ग्राम के विकास की कार्यवाही नगर महापालिका द्वारा ही की जा सकती है।

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक व जूनियर स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के एरियर नकद में भुगतान किये जाने की मांग

131–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या मा0 शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 23-11-83 को प्रश्नकर्ता विधायक ने एक आवेदन-पत्र विशेष

सचिव शिक्षा (श्री भवानी शंकर शर्मा) को इस आशय का दिया है कि जनपद शाहजहांपुर की विशेष परिस्थितियों के आधार पर इसी जनपद के प्रा0 व जूनियर स्कूलों के अध्यापकों के वेतन का एरियर नकद में शीघ्र भुगतान करा दें ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है और सरकार कब तक उपरोक्त एरियर का भुगतान नकद में करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

दिनांक 23-11-83 का नहीं वरन् दिनांकित 28-11-83 का शिक्षा सचिव को सम्बोधित प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मानों का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों के अनुसार 1-7-79 से किया गया था । इन संस्तुतियों पर शासन के निर्णयानुसार 1-7-79 से अगस्त, 1981 तक के वेतन के एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की भांति ही अध्यापकों की भविष्य निधि में किया जाना था । अतः इस अवधि का भुगतान नकद रूप में किया जाना सम्भव नहीं है । अगस्त, 1981 के पश्चात देय एरियर का भुगतान नकद रूप में किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और यथाशीघ्र यह भुगतान कर दिया जायगा ।

आगरा जिले में फलों का रस बनाने वाले कारखाने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

132–श्री विजय सिंह राना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में फलों का रस बनाने वाले काखाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के दिनांक 24-3-83 के पत्र पर मंत्री जी द्वारा लिखे गये आदेशों के संदर्भ में आगरा मण्डल विकास निगम द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

एसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद सीतापुर में खोले गये प्राइमरी स्कूलों में छात्र तथा अध्यापिकाओं की संख्या

133–श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद सीतापुर में सन् 77, 78 और 79 में जो प्राइमरी स्कूल खोले गये उन स्कूलों की छात्र संख्या अलग-अलग कितनी है तथा वहां कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद सीतापुर में वर्ष 77-78 में 135 तथा वर्ष 79 में 72 प्राइमरी स्कूल खोले गये। स्कूलवार छात्र संख्या तथा कार्यरत अध्यापकों की संख्या संलग्नक* में अंकित है।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेंशन आगणन का कार्य

134–श्री बदन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेंशन का आगणन एवं स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो जून, 1983 के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदेश में इस कार्य को क्यों नहीं सम्पादित कर रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

---

*छापा नहीं गया ।

शासनादेश दिनांक 23-6-83 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेंशन **आगणन का कार्य परीक्षक स्थानीय निधि-** लेखा, उत्तर प्रदेश, तथा स्वीकृति का अधि- **कार जिला बेसिक शिक्षा अधि-** कारियों को दे दिया गया था परन्तु परीक्षक स्थानीय निधि लेखा ने इस कार्य के बिना **अतिरिक्त स्टाफ के करने में असमर्थता** व्यक्त कर दी । अतः प्रकरण पर पुर्न-विचार करके शासनादेश दिनांक 17 जनवरी, 1984 द्वारा यह अधिकार पुनः जिला विद्यालय निरीक्षकों को दे दिया गया जो अब इस कार्य को सम्पादित करने लगे हैं ।

जनपद उत्तरकाशी में डबरौली व लिमच्या गाड़ के बीच भू-स्खलन से व्यक्तियों की मृत्यु तथा आर्थिक सहायता की मांग

135–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 9-9-80 को जनपद उत्तर-काशी के डवराली एवं लैमच्चा (हर्सिल) के बीच भू-स्खलन में राजकीय कार्य में जा रहे **10 कर्मचारी व मजदूर, भूस्खलन में धंस** कर मरे थे ? इसमें विकास खण्ड भटवारी में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत श्री बचन सिंह भण्डारी भी थे ? इस संबंध में पर्व-तीय क्षेत्र में सेवारत मृत कर्मचारियों की सेवा नियमावली के नियम संख्या 197 के आधार पर तथा जिला पंचायतराज अधिकारी उत्तरकाशी के निदेशक पंचायतराज को लिखे पत्रांक 1042/23-पं/स्था/80-81 दिनांक 21-1-81 द्वारा उपरोक्त मृत कर्म-चारी के ज्येष्ठ पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी को अपने पिता के स्थान पर सर्विस दिये जाने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उप-रोक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ? उपरोक्त परिवार को क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां । दिनांक 9-9-80 को जनपद उत्तरकाशी में डवराली व लिमच्या गाड़ के बीच भूस्खलन से 4 कर्मचारी, 1 सस्ते गल्ले का व्यापारी तथा सा0 नि0 वि0 के **5 मजदूर धंसकर मर गये थे उनमें श्री** बचन सिंह भंडारी सहायक विकास अधि-कारी (पंचायत) भी शामिल थे । इनके पुत्र को सेवा में लिए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी को जनपद उत्तरकाशी के विकास विभाग में लिपिक के पद पर दिनांक 28-9-80 से नियुक्त किया गया है । स्वर्गीय भंडारी के परिवार को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 154 पर।)

जिला परिषद् आगरा को गामरी-जरूआ कटरा मार्ग की मरम्मत हेतु विशेष अनु-दान के सम्बन्ध में पत्र

136–श्री विजय सिंह राना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला परिषद् आगरा के पत्र दिनांक 17-12-82 के द्वारा जिला परिषद् आगरा की सड़क गामरी-जरुआ कटरा, मार्ग की मरम्मत हेतु मांगे गये विशेष अनुदान के सन्दर्भ में शासन द्वारा अब तक क्या कार्य-वाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

धनाभाव के कारण विशेष सड़क अनुदान दिया जाना संभव नहीं पाया गया ।

शाहजहांपुर जनपद के प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के कुल रिक्त पद

137–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में कितने प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रधानाध्यापक 1 जुलाई, 1983 से अब तक नहीं हैं और क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध जांच

138–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे **कि शाहजहांपुर के कार्यवाहक जिला विद्यालय** निरीक्षक के विरुद्ध शिक्षा मंत्री एवं निदेशक शिक्षा विभाग को 1-10-83 से 31-**11-83 तक प्राप्त हुई शिकायतों पर क्या** कार्यवाही की गई और जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पौड़ी-गढ़वाल जनपद में विकास विभाग में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक तथा चपरासी को स्थायी न करने का कारण

139–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में विकास विभाग में वर्ष 1967 से नियुक्त कनिष्ठ लिपिक तथा वर्ष 1962 से नियुक्त चपरासी अभी तक इतनी लम्बी सेवा अवधि के बावजूद भी स्थायी घोषित नहीं हो पाये हैं जब कि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि तीन साल की सेवा पूर्ण होने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर दिया जाय यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्ष 1967 से नियुक्त अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों का स्थाईकरण स्थाई पदों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका । वर्ष 1962 से नियुक्त कोई भी चपरासी अस्थाई नहीं है ।

राजकीय विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में पेंशन विसंगति को दूर करने की मांग

140–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षक मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों से अधिक मंहगाई भत्ता पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करके समान मंहगाई भत्ता प्रदान करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, नवीन पेंशन योजना से आवृत्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं डिग्री कालेजों के सेवा निवृत्त शिक्षकों को पेंशन में राजकीय कर्मचारियों के समान राहत स्वीकृत की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संस्कृत पाठशालाओं को मान्यता देने की मांग

141–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कपया बतलायेंगे कि संस्कृत पाठशालाओं के मान्यता के कितने प्रकरण कब से शासन के विचाराधीन है ? क्या संस्कृत शिक्षा प्रसार हेतु सरकार इन पाठशालाओं को शीघ्र मान्यता प्रदान करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

एक भी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142–श्री प्रभूनारायण सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज, धर्मापुर एवं जलालपुर में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

143–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज, धर्मापुर एवं जलालपुर में वर्ष 1983 में कितने जनता बायोगैस संयंत्र लगाए गए ? क्या उन्हें समय से छूट स्वीकृत होकर मिल गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में 28, धर्मापुर में 46 एवं जलालपुर में 18 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना वर्ष 1983 में की गयी । जलालपुर में 1 बायोगैस संयंत्र को छोड़कर सभी संयंत्रों पर अनुदान की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है । जलालपुर में जिस बायोगैस संयंत्र पर अनुदान नहीं मिला है उसकी स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से की गयी है, और अनुदान भी आयोग द्वारा सीधे दिये है । प्रदेश सरकार उससे संबंधित नहीं है।

144–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 1-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–156 द्वारा उत्तरित]

सीतापुर जिले के लहरपुर में नेहरू संग्रहालय का शिलान्यास तथा निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

145–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के लहरपुर में 26 जून, 1976 को तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) तथा कर्नाटक के राज्यपाल (श्री उमाशंकर दीक्षित) ने स्व0 श्री मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू, द्वारा आजादी की लड़ाई के समय (लहरपुर) में की गई पद यात्रा की स्मृति में एवं नेहरू संग्रहालय की स्थापना का शिलान्यास किया था तथा पत्थर लगाया था ? यदि हां, तो संग्रहालय निर्माण की प्रगति क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल (श्री उमाशंकर दीक्षित) तथा उ0प्र0 के तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) द्वारा जो शिलान्यास किया गया वह "नेहरू युवक केन्द्र" हेतु था जिसका निर्माण "नेहरू युवा संस्था" नामक गैर सरकारी संस्था कराना चाहती थी। वर्तमान समय में मौके पर शिलान्यास का कोई पत्थर नहीं लगा है तथा उक्त संस्था का भी अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है।

146–श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

इलाहाबाद जनपद के बहरिया विकास खण्ड में आई0 आर0 डी0 एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

147–श्री राधे श्याम पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में बहरिया विकास खण्ड में वर्ष 1982-83 में हरि-

जन एवं निर्बल लोगों को आई0आर0डी0 एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है ? क्या इसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद इलाहाबाद के बहरिया विकास खण्ड में वर्ष 1982-83 में आई0आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया गया जिनकी अलग-अलग सूची †संलग्न है ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में उक्त विकास खण्ड में किसी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं किया गया।

बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों के वेतन असंगतियों को दूर करने की मांग

148–श्री राधे श्याम पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों की वेतन असंगतियों पर कर्मचारी संघ के साथ दिनांक 22 अप्रैल, 1983 को मुख्य मंत्री जी ने वार्ता की थी ? यदि हां, तो वार्ता में मुख्य मंत्री के क्या निर्देश थे? क्या शिक्षा मंत्री ने मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार मई, 1983 के प्रथम सप्ताह में अपने एवं वित्त मंत्री जी के बीच असंगतियों पर निर्णय लेने का आश्वासन संघ को दिया था ? उक्त के सम्बन्ध में संघ के स्मरण पत्र पर दिनांक 25 जुलाई, 1983 को असंगतियों पर मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार उनके सचिव द्वारा 15 दिनों में निर्णय ले लेने के आदेश हुये थे? यदि हां, तो अब तक उक्त आदेश पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिए थे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के वेतनमानों में हुई असंगतियों पर प्रथमत: सचिवों के स्तर पर तथा तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार मंत्री स्तर पर विचार कर लिया जाय और यदि इन स्तरों पर कोई निर्णय न हो सके तब प्रकरण उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी द्वारा कोई आश्वासन दिए जाने की सूचना रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

जी हां । वेतनमानों में हुई असंगतियों पर निर्णय वित्त विभाग की सहमति से ही लिया जा सकता है इस हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को सन्दर्भित किया जा चुका है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा परिषदीय कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच रिपोर्ट की मांग

149–श्री राधे श्याम पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (श्री व्यास मिश्र) ने परिषदीय कर्मचारियों के वेतन मांगने पर दिनांक 4 अप्रैल, 1983 को अपशब्दों का प्रयोग किया था तथा इस पर कर्मचारियों द्वारा शासन से उनके निलम्बन एवं उनके विरुद्ध जांच की मांग की गई थी और इसके लिए शिक्षा निदेशक ने 1 माह का समय निश्चित किया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†छापी नहीं गयी।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी संघ द्वारा शासन को दिया गया ज्ञापन एवं कृत कार्यवाही

150—श्री राधे श्याम पटेल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी संघ द्वारा शासन को दिनांक 22 जुलाई, 83 में 17 सूत्री मांगों की कोई नोटिस दी गई है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनकी पूर्ति हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उनकी पूर्ति कर दी जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें व उन पर की गई/की जा रही कार्यवाही की स्थिति संलग्नक में दी गई है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 155 पर)

ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित डिजाइन का बन्धन समाप्त करने की मांग

151—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत केवल निर्धारित डिजाइन के अनुरूप आवास गृह की सामग्री हेतु अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या जनहित में डिजाइन का बन्धन खत्म करके आवश्यकतानुसार गृह निर्माण करने की छूट देने के प्रश्न पर विचार करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत केवल उ0 प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्धारित डिजाइन के अनुरूप आवास गृह बनाने हेतु निर्माण सामग्री के लिए अनुदान दिये जाने का उद्देश्य यह है कि उपलब्ध शासकीय सहायता के अन्दर ही आवास पूर्ण रूप से निर्मित हो सके और आवासों में अधिकाधिक एकरूपता लाई जा सके।

जी नहीं। निर्धारित डिजाइन का बंधन समाप्त करना जनहित में उचित नहीं होगा क्योंकि इस परिस्थिति में निर्धारित अनुदान सीमा के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करना कठिन होगा। योजना के अन्तर्गत यह ध्यान रखा जाता है कि ग्र0 वि0 डेस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये भवनों के नक्शे तथा प्राक्कलन में से किसी भी एक प्रकार के मकान के लाभार्थियों की आवश्यकता, क्षमता, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां तथा निर्माण सामग्री की स्थानीय **उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए** लाभार्थियों के आवासों का निर्माण एक

152—श्री राधेश्याम पटेल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा, जनपद बांदा के अध्यापकों की मांगें एवं कृत कार्यवाही

153—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के हिन्दू इण्टर कालेज अतर्रा के शिक्षकों द्वारा जनवरी, 83 में अनशन व सत्याग्रह किया गया? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी तथा उन पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। दिनांक 1-1-83 को विद्यालय भवन में प्रतीक अनशन एवं

3-1-83 को क्रमिक अनशन पर अध्यापक बैठे थे।

निम्नलिखित 13 मांगे थी :—

1—पुनरीक्षित वेतनमान के कारण देय अवशेष का भुगतान।

2—सी0 डी0 एस0 की चौथी तथा पांचवीं किस्त का भुगतान।

3—कक्षा निरीक्षकों के पारिश्रमिक वर्ष 81-82 का भुगतान।

4—अन्य शिक्षकों के अवशेष देयकों का भुगतान एवं अन्य समस्याओं का निराकरण।

5—कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 के ब्याज का हिसाब वर्ष 81-82 तक एवं लेखा पर्ची।

6—महंगाई भत्ते के अवशेष देयकों का भुगतान।

7—प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को **वेतन भुगतान की निश्चितता ।**†

8—विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं तानाशाही दुर्व्यवहार की जांच।

9—विभिन्न नियुक्तियों में अनियमितता की जांच।

10—समय विभाजन चक्र सारिणी में अनियमितता एवं तानाशाही की जांच।

11—अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी0 आई0 सी0 पेंशन आदि का शीघ्र भुगतान।

12—मृत कर्मचारी श्री रामआसरे के आश्रित की नियुक्ति के संबंध में।

13—व्यक्तिगत समस्यायें श्री कमलेश कुमार पाण्डेय के कार्यभार ग्रहण करने, श्री तीरथ प्रसाद तिवारी के वेतन भुगतान, श्री सूर्यबली सिंह, श्री कौशल किशोर मिश्र व श्री द्वारिका प्रसाद गुप्त को परिवार नियोजन का लाभ देने हेतु, श्री रमा शंकर गुप्त एवं श्री शिवमोहन सिंह का प्रकरण।

कृत कार्यवाही का विवरण †संलग्न है।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पद के सृजन हेतु लगाई गई रोक को समाप्त करने की मांग

154—श्री राधे श्याम पटेल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पदों का सृजन, जो उप शिक्षा निदेशक (मण्डल) द्वारा होते थे, सितम्बर, 82 से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी ? क्या विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव से उत्पन्न पठन-पाठन में अव्यवस्था एवं छात्रों के हित में अविलम्ब अध्यापक पदों के सृजन पर लगी रोक को समाप्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

शिक्षा निदेशक को पद सृजन के अधिकार थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त अध्यापकों की संख्या तथा आरक्षण का कोटा

155—श्री राधे श्याम पटेल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शासन की अधिसूचना संख्या 1710/सत्रह-ति-1-53-81 दिनांक 10-7-81 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से किस-किस ग्रेड में कितने अध्यापक नियुक्त किए गये? अनुसूचित जाति तथा पिछडी जाति के अध्यापकों की संख्या कितनी है ? क्या

†छापा नहीं गया।

आरक्षित कोटे के अनुसार अध्यापकों की संख्या पूरी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

शासन की अधिसूचना दिनांक 10-7-81 के अनुसार निम्नलिखित अध्यापक नियुक्त किये गये:–

प्रवक्ता–25

स्नातक वेतनक्रम–22

सी0 टी0 वेतनक्रम–41

इसमें से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है:–

	अनु0 जाति	पिछड़ी जाति
प्रवक्ता–4		5
स्नातक वेतनक्रम–1		10
सी0 टी0 वेतनक्रम–6		13

पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण है, किन्तु वांछित विषय के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण नहीं है।

राजकीय पुस्तकालय कमलानगर, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद को पुनः चालू कराने की मांग

156–श्री राधे श्याम पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पुस्तकालय कमलानगर, तहसील फूलपुर, विकास खण्ड बहरिया, जिला इलाहाबाद बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब से? क्या शिक्षा प्रसार की उपयोगिता को देखते हुए तुरन्त चालू कराने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में ब्लाक बडोखर के ग्राम भरखरी में स्वीकृत पुल का निर्माण

157–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा में जिला चयन समिति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की दिनांक 5 सितम्बर, 1981 की बैठक में बडोखर ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरखरी में पुलिया निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो निर्माण कार्य पूरा हो गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वर्ष 83-84 में उक्त पुलिया का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

इस पुलिया का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 82-83 में पूरा कराया जा चुका है।

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कन्नौज में सुशीला देवी गर्ल्स इन्टर कालेज के क्रीड़ा स्थल हेतु भूमि के अर्जन की संस्तुति

158–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद ने दिनांक 22-12-1980 को पिछड़ा अनुभाग-7 को जनपद फर्रुखाबाद में तहसील कन्नौज में सुशीला देवी गर्ल्स इंटर कालेज, कन्नौज के क्रीड़ा स्थल हेतु ग्राम कन्दरौली बांगर में 0.06 एकड़ भूमि के अर्जन की संस्तुति की थी? यदि हां, तो इस मामले में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 तथा

6/17 के अंतर्गत विज्ञप्ति कब जारी की गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

हां। भूमि अध्याप्ति के संबंध में शासन द्वारा अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है। प्रकरण पर विचार किया जा रहा है।

नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ, उ0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर कृत कार्यवाही

159–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक अधिवेशन जो कि अप्रैल, 83 के प्रथम परवारे में इटावा में हुआ उस समय उन्हें (ग्राम्य विकास मंत्री जी को) 13 सूत्रीय मांग-पत्र सेवा शर्तों एवं पदों के पुनरीक्षण आदि के बारे में हाल में मिला? यदि हां, तो उक्त मांगों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। 13 सूत्रीय मांगों में से जिन मांगों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है उनकी जानकारी अध्यक्ष नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ को करा दी गयी है।

राजकीय इण्टर कालेज, सुल्तानपुर में कार्यरत अध्यापक श्री बैजनाथ पाण्डेय को सी0 टी0 वेतनक्रम में नियुक्ति तथा एल0टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति की जांच

160–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, सुल्तानपुर में कार्यरत अध्यापक श्री बैजनाथ पाण्डेय को 1973 में सी0टी0 वेतनक्रम में नियुक्ति दी गई थी और उन्हें उस पद पर स्थायीकरण के बाद उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1982 में सी0 टी0 वेतन क्रम से एल0 टी0 वेतन क्रम में पदोन्नति कर दिया गया? क्या यह सही है कि श्री पाण्डेय ने अपने मूल प्रमाण-पत्र और उपाधियां विभाग को अभी तक नहीं दिखाई हैं? यदि हां, तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, श्री पाण्डेय सी0 टी0 वेतनक्रम में 16-9-72 से कार्यरत है। यह स्थायी नहीं है। एल0टी0 में पदोन्नति का आदेश निर्गत हुआ था किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। श्री पाण्डेय के प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

श्री अलख नारायण सिंह, सहायक अध्यापक, प्रा0 पाठशाला, वि0 क्षेत्र भदोही के विरुद्ध जांच

161–क–श्री भीखा लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में श्री अलख नारायण सिंह, स0अ0प्रा0 पाठशाला अमवां, वि0 क्षेत्र भदोही के विरुद्ध कतिपय उप पुलिस अधीक्षक, ज्ञानपुर तथा पुलिस अधीक्षक वाराणसी ने अक्टूबर, 1983 में उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी के पास कोई रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

1–वरिष्ठ उप पुलिस अधीक्षक, ज्ञानपुर (वाराणसी) ने श्री अलख नारायण सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला अमवां, विकास क्षेत्र भदोही के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं भेजी वरन् पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), वाराणसी के पत्र का संदर्भ देते हुये शिक्षा उप निदेशक, वाराणसी ने उक्त अध्यापक के स्थानान्तरण

के सम्बन्ध में पत्र लिखा था । इस स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोंपरान्त ही कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री राधेश्याम, मंत्री राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग, उन्नाव का स्मृति पत्र तथा मांगों के संबंध में कार्यवाही

161—ख—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राधेश्याम, मंत्री राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग, उन्नाव का **स्मृति पत्र दिनांक 2-12-83 कर्मचारियों की लम्बित मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में** उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उनकी पूर्ति **के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?**

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

162—श्री जगदीश सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के कार्यवाहक जिला **विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध** कितनी लिखित शिकायतें मंत्री को व शिक्षा निदेशक को **15-10-83 से 3-12-83** तक प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई और जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माणार्थ स्वीकृत धनराशि

163—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण का कार्य स्वीकृत हो चुका है तथा इसके लिये चार लाख रुपया भी स्वीकृत है? यदि हां, तो इस स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न होने का क्या कारण है तथा कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री संजय सिंह—

फर्रुखाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माणार्थ रु0 6,00,000/- की धनराशि दिनांक 26 नवम्बर, 1983 को स्वीकृत की जा चुकी है तथा स्टेडियम का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में नवीन मंडी के निर्माण की मांग

164—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खण्ड राजेपुर में नवीन मंडी का निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

राजेपुर में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की आवक कम होने के कारण मंडी स्थल निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया।

स्व0 श्री राम प्रताप मिश्र, दफ्तरी के सेवा में रहते निधन के फलस्वरूप उनके पुत्र की नियुक्ति के संबंध में पत्र

165—श्री मोती लाल दहेलवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-12-83 को प्रधानाचार्य श्री जयनारायण डिग्री कालेज, लखनऊ ने अपने पत्र सं0 1052/0/83 के द्वारा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) इलाहाबाद को तथा उसकी प्रतियां जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ तथा उप शिक्षा निदे-

शक (षष्ठम मण्डल) लखनऊ के पास परिनियमावला की धारा 39-00 के अन्तर्गत स्व0 श्री राम प्रताप मिश्र (दफ्तरी) के सेवा में रहते निधन के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री चन्द्रशेखर मिश्र की नियुक्ति के संबंध में भेजा था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या चन्द्रशेखर मिश्र की नियुक्ति की जा चुकी है? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

महाविद्यालय से इस संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं मांगी गयी हैं।

जी नहीं।

महाविद्यालय से वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री बजरंग इण्टर कालेज, घनश्यामपुर में सी0टी0 ग्रेड के अध्यापक श्री अवधेश प्रसाद तिवारी की नियुक्ति का आधार

166–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बजरंग इण्टर कालेज, घनश्यामपुर, जौनपुर के उप प्रबन्धक के पुत्र श्री अवधेश प्रसाद तिवारी की नियुक्ति 1982-83 में मा0 शिक्षा अधिनियम के विपरीत सी0 टी0 ग्रेड में तदर्थ रूप से उक्त विद्यालय में किस आधार पर की गयी है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री अवधेश प्रसाद तिवारी की नियुक्ति वर्ष 1982-83 में सी0टी0 ग्रेड के अध्यापक के पद पर श्री बजरंग इण्टर कालेज, घनश्यामपुर में की गयी है। श्री अवधेश प्रसाद तिवारी, श्री सरजू प्रसाद तिवारी भूतपूर्व उप प्रबन्धक के पुत्र हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य की लिखित सूचना के अनुसार श्री सरजू प्रसाद तिवारी ने उक्त नियुक्ति के 6 माह पूर्व ही उप प्रबंधक पद से त्याग पत्र दे दिया था।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

167–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित जिला कानपुर देहात के बी0टी0सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रार्थना पत्र दिनांक 8-11-83 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार ने बी0 टी0सी0 प्रशिक्षित समस्त लोगों की नियुक्ति कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित समस्त लोगों की नियुक्ति के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर के ग्राम तरसावां तथा पल्हवापुर के बीच चौड़ी पुलिया बनाने विषयक पत्र

168–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में ग्राम तरसावां तथा पल्हवापुर के बीच मठिया के पूरब में रजबहा पर बनी जर्जर पुलिया के स्थान पर एक सजल्त तथा चौड़ी पुलिया बनाने विषयक संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन का तत्कालीन जिलाधिकारी, सीतापुर को एक अ0शा0 पत्र संख्या 1384/38-7-251/1391/81 दिनांक 2-3-82 द्वारा उक्त पुलिया बनाने हेतु कार्यवाही करने के लिए निर्-

शित किया गया था? यदि हां, तो अब तक उक्त कार्य आरम्भ न किए जाने का **क्या कारण है?**

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

डा0 जी0 नाथ जी दयाल बालिका इंटर कालेज, उन्नाव में प्रधानाचार्या के पद पर अध्यापकों की प्रोन्नति के संबंध में कार्यवाही

169–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जी0 नाथ जी दयाल बालिका **इण्टर कालेज, उन्नाव की प्रधानाचार्या के अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त वरीयता-क्रम में प्रथम स्थान पर रहने वाली प्रवक्ता को प्रोन्नति न देकर प्रबन्धक मण्डल ने** उनसे कनिष्ठ तथा कम अनुभवी अध्यापिका **को वह स्थान दे दिया ? इसके क्या कारण हैं एवं शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?**

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त स्थान तथा नियुक्ति तथा पदोन्नति में वंचित रखने का औचित्य

170–श्री अबुल कलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी **तथा जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू** अध्याण्कों के कितने स्थान रिक्त हैं ? और रिक्त स्थानों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

171–श्री अबु कलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की पदोन्नति माह सितम्बर से नवम्बर तक **सन् 1983 में की गयी है ? क्या यह** सही है कि प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के उर्दू अध्यापकों को इससे **वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?**

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 राम लाल पाण्डेय भूतपूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया की पेंशन और अवकाश नगदीकरण का भुगतान

172–श्री मोहन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि डा0 राम लाल पाण्डेय, भू0 पू0 जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया का दिनांक 7-7-81 को प्राविजनल पेंशन तथा दिनांक 10-6-82 को स्थायी पेंशन और ग्रेच्युटी तथा जी0 पी0 एफ0 की राशियां दी गयीं, किन्तु बाद में किसी जांच प्रक्रिया के कारण पेंशन और अवकाश **नगदीकरण रोक दिया गया है ? यदि** हां, तो उनकी पेंशन और अवकाश नगदीकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

डा0 पाण्डेय को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा जी0 पी0 एफ0 का भुगतान किया जा चुका है। उनके उपार्जित अवकाश का नगदीकरण भी स्वीकृत किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

173–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड अधिकारी जैतीपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही

174—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारी, जैतीपुर के विरुद्ध बीस सूत्रीय कार्यक्रमों का सही पालन न करने के संबंध में कोई शिकायती पत्र अशोक शर्मा, महामंत्री जनपद जनवादी पार्टी, शाहजहांपुर ने माह मई, 1983 अथवा उसके आस पास उप विकास आयुक्त व आयुक्त, बरेली मण्डल को भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या शिकायतकर्ता से जांच अधिकारी ने सम्पर्क किया था अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता से भी सम्पर्क स्थापित किया। शिकायतकर्ता द्वारा कोई तथ्यात्मक विवरण, प्रमाण तथा साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने के कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी की कोई गल्ती साबित नहीं हुई।

जनपद शाहजहांपुर में फलों की मण्डी हेतु प्रस्तावित स्थल का चुनाव

175—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में फलों की मण्डी हेतु प्रस्तावित स्थल का चुनाव कर लिया गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत मंडी हेतु भूमि का चयन किया गया था परन्तु उसमें बाग की भूमि सम्मिलित है। अतः उसे अर्जित करना संभव नहीं है। वैकल्पिक स्थल की तलाश की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर शहर के मंडी समिति के सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

176—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनपद शाहजहांपुर शहर की मंडी समिति के सचिव के विरुद्ध दिनांक 14-12-83 को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक (प्रशासन) कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, बरेली द्वारा करायी जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण में विलम्ब का कारण

177—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या खेल कूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है? इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री संजय सिंह—

जनपद शाहजहांपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु कम से कम 6.5 एकड़ निःशुल्क भूमि की आवश्यकता है, जो अभी उपलब्ध नहीं है। भूमि के लिये प्रयास किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों को नये वेतनमान के एरियर का भुगतान

178–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों को नये वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

सम्पूर्ण एरियर बिलों को तैयार कराने व उनकी जांच में समय लगने के कारण अभी भुगतान नहीं किया जा सका है। अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है और यथाशीघ्र एरियर का भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतान के लिए निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

बांदा नगर के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की पदोन्नति

179–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या बांदा नगर के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की पदोन्नति विगत पांच वर्षों से नहीं की गयी? यदि हां, तो पदोन्नति न करने के कारण क्या है? पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू अध्यापकों का विवरण

180–श्री सिकन्दर अली खां नवाब–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद शाहजहांपुर में जूनियर हाई स्कूल में कितने उर्दू अध्यापक हैं? किन-किन स्थानों पर है? जिन स्थानों पर उर्दू अध्यापक नहीं है उसका कारण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर0 आई0 जी0 एस0 गोरखपुर के विरुद्ध पत्र पर जांच

181–श्री राज कुमार राय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्रीमती शैलजा राय, निर्मल मेडिकल स्टोर्स, सूरजपुर, आजमगढ़ का दिनांक 13-10-83 का पत्र प्रश्नकर्ता के संस्तुति पत्र दिनांक 31-10-83 के साथ आर0 आई0 जी0 एच0, गोरखपुर के विरुद्ध मिला था? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की और उसमें क्या परिणाम निकले?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य पुरातत्व संगठन के निदेशक द्वारा रोशनुद्दौला कोठी की छत की मरम्मत की जांच

182–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वित्तीय वर्ष में राज्य पुरातत्व संगठन के निदेशक द्वारा रोशनुद्दौला कोठी की छत की मरम्मत बीस हजार रुपये में करायी गयी? क्या यह सही है कि बरसात में पूरी छत क्षतिग्रस्त हो गयी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करके धन को वसूलने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

रोशनुद्दौला कोठी के छत की मरम्मत में वर्ष 1982-83 में रु017,000 का कार्य कराया गया, जिसमें मात्र 12,353.48 रुपये का ही व्यय मरम्मत पर किया गया। शेष रुपये 4,646.52 का भुगतान ठेकेदार को कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण नहीं किया गया।

उक्त मरम्मत की गयी छत बरसात में टपकने लगी, इस संबंध में विभागीय जांच करायी जा रही है । जांच पूरी होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

फैजाबाद के नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विस्तृत विवरण

183—श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री यमुना प्रसाद तथा श्री माधव प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में जनवरी, 1982 से अब तक द्वितीय तथा तृतीय (सीनियर तथा जूनियर) और चतुर्थ श्रेणी में कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? उनमें 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के प्रत्येक श्रेणियों के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त श्रेणियों में कब तक कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

अपेक्षित सूचना संलग्न परिशिष्ट में दी हुई है ।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर शेष में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है । अनुसूचित जन जाति का कोटा किसी श्रेणी में पूरा नहीं है । भविष्य की नियुक्ति में निर्धारित अर्हता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का कोटा पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 156 पर)

184—श्री यमुना प्रसाद—

[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 14 द्वारा उत्तरित ।]

जिला रामपुर के ग्राम मजरा बहादुर के बेसिक परिषदीय स्कूल के भवन निर्माण के संदर्भ में पत्र पर की गयी कार्यवाही

185—श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मजरा बहादुर जिला रामपुर के बेसिक परिषदीय स्कूल के भवन निर्माण के संदर्भ में उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 83 जिसके पाने की सूचना आपने अ0 शा0 प0 594/15 (5)/83 652/83 दिनांक 15 नवम्बर, 1983 दी है तथा जिसमें आपने मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 से वांछित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो सकी है । रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

कल्याणपुर (कानपुर) विधान सभा क्षेत्र को सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

186—श्री राम नारायण पाठक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 में कल्याणपुर (कानपुर) विधान सभा क्षेत्र को सड़कें बनाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कितना कार्य किया गया और उस पर कितना व्यय किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कानपुर जनपद के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कल्याणपुर (कानपुर) विधान सभा क्षेत्र को सड़क निर्मण हेतु रु0 14.00 लाख की धनराशि स्वीकृत

की गयी है, जिससे 10.30 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराया जा चुका है । निर्माण कार्य पर 11.03 लाख रुपया व्यय किया गया है ।

प्रदेश में प्रति कुन्तल आलू की उत्पादन लागत तथा न्यूनतम मूल्य

187—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति कुन्तल आलू की उत्पादन लागत क्या है ? क्या आलू उत्पादक कृषकों को आलू उत्पादन में निवेशित पूंजी श्रम एवं लाभ को देखते हुए समर्थन न्यूनतम मूल्य 100/- प्रति कुन्तल निर्धारित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

लगभग रुपये पैंतालिस प्रति कुन्तल।

जी नहीं ।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए आलू के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

आलू के क्रय विक्रय, रख रखाव व संचालन वहन एवं निर्यात आदि की समुचित व्यवस्था

188—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में आलू उत्पादक कृषकों के हित को देखते हुए आलू के क्रय विक्रय रख-रखाव व संचालन वहन एवं निर्यात आदि की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां, इस वर्ष आलू के क्रय-विक्रय रख-रखाव व संचालन वहन एवं निर्यात आदि की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है । आलू के क्रय के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि उसके भाव यदि 50/- रुपये प्रति कुन्तल से नीचे गिरते हैं तो पी0सी0एफ0 आलू की खरीद करेगा । राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप अन्य प्रदेशों को आलू के निर्यात हेतु पर्याप्त मात्रा में रेलवे वैगन उपलब्ध हुए/हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त आलू के भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिये सरकार सतत् प्रयत्नशील है । सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप भण्डारण क्षमता लगभग 21 लाख मी0 टन हो गयी है । सरकार की इन व्यवस्थाओं से आलू उत्पादकों को उनके उत्पादित आलू का उचित मूल्य मिल रहा है । यह आशा की जाती है कि इस वर्ष आगे भी कृषकों को उनके आलू का उचित मूल्य इन व्यवस्थाओं से मिल सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा श्री बैजनाथ मिश्र, सहायक अध्यापक को पुनः सेवा में बहाल करने के संबंध में पत्र

189—श्रीमती गौरी देवी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ने अपने पत्रांक शिविर/1958/78-79, दिनांक 11-7-78 द्वारा श्री बैजनाथ मिश्र, सहायक अध्यापक, निवासी ग्राम वासपार, पो0 पिपरौली बाजार, जिला गोरखपुर को निर्दोष सिद्ध करते हुए पुनः सेवा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो इस पर कोई कार्यवाही अब तक न करने का क्या कारण है ? उन्हें कब तक पुनः सेवा में बहाल कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में उल्लिखित बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 11-7-78

द्वारा प्रश्नगत अध्यापक श्री बैजनाथ मिश्र का उन्हें सेवा में लेने विषयक प्रार्थना-पत्र सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को आदेशार्थ प्रेषित किया गया था । उक्त पत्र के सन्दर्भ से सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेश जिला बेसिक अधिकारी गोरखपुर को प्राप्त न होने के कारण उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् से इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति पूछी जा रही है । श्री मिश्र को सेवा में बहाल करने के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित बात बताना सम्भव नहीं है ।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के प्राइमरी पाठशाला तथा जू0 हा0 स्कूल के रिटायर अध्यापकों को अपनी तहसील से पेंशन दिलाये जाने के प्रश्न पर विचार

190—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के प्राइमरी पाठशाला तथा जू0 हा0 स्कूल के रिटायर अध्यापकों को अपनी पेंशन लेने बस्ती जिला हेड क्वार्टर जाने-आने व कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार नौगढ़ तहसील के रिटायर अध्यापकों को नौगढ़ तहसील से ही पेंशन दिलाने का प्रबन्ध करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेवा निवृत्त अध्यापकों को तहसील से ही पेंशन दिलाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के कार्यालय का रोशनुद्दौला भवन में स्थानान्तरण

191—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग का कार्यालय जवाहर भवन, लखनऊ से रोशनुद्दौला भवन में अप्रैल, 1983 में किस अधिकारी के आदेश से स्थानान्तरित किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा असुरक्षित घोषित किया जा चुका है ?

श्री अम्मार रिजवी—

निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन का स्थानान्तरण निदेशक, सांस्कृतिक कार्य उत्तर प्रदेश की सहमति से रोशनुद्दौला कोठी में किया गया । स्थानान्तरण के पूर्व उक्त भवन की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नयी दिल्ली के विशेषज्ञों के परामर्शानुसार करा ली गयी थी । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी रोशनुद्दौला कोठी को असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है ।

बकेवर वर्कशाप का उद्योग विभाग से यू0पी0 स्टेट एग्रो को हस्तान्तरण तथा चेफ कटर्स (कुटी मशीन) के निर्माण हेतु योजना

192—श्री धनीराम वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के कस्बा बकेवर में उद्योग विभाग द्वारा कोई पायलेट वर्कशाप सन् 1974 में स्थापित की गई थी और सन् 1978 को एग्रो को हस्तान्तरित कर दी गई थी जिसमें एग्रो ने कुटी मशीन एवं चैपकटर आदि बनाये जाने की योजना बनायी थी परन्तु आज तक

उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है और लगभग वेतन आदि पर तीस हजार रुपया से भी अधिक व्यय प्रति वर्ष अनावश्यक रूप से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत अतिशीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करवाकर वेतन आदि पर किये जा रहे जनता के धन का सदुपयोग करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां ।

बक्केवर वर्कशाप उद्योग विभाग से यू0 पी0 स्टेट एग्रो को वर्ष 1978 में हस्तान्तरित की गयी थी । यू0पी0 स्टेट एग्रो द्वारा इस वर्कशाप में चेफ कटर्स (कुटी मशीन) के निर्माण हेतु योजना बनायी थी । कुटी मशीन (चेफ कटर) आदि बनाये जाने की योजना वित्तीय दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं थी अतः इस योजना को प्रारम्भ नहीं किया गया । उसे पुनः प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त वर्कशाप में वेतन आदि पर जो व्यय हो रहा है, उसका सदुपयोग करने हेतु निगम द्वारा उप सेवा केन्द्र खोल कर स्थानीय कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है ।

ग्राम रहियांवा, जिला फैजाबाद के अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर आई0 आर0डी0 का पैसा लिये जाने की जांच

193–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दि0 7-1-84 का शिकायती पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम रहियांवा वि0ख0 मया, जिला फैजाबाद के अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर किसी अन्य ने आई0आर0डी0 का पैसा ले लिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किससे करवाई गयी और जांच का निष्कर्ष क्या निकला ? क्या इस मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच जिला पंचायत राज अधिकारी से कराई जा रही है । जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नौबत सिंह आर्य टीचर जू0 हा0 स्कूल, सिरौली जिला एटा को अवकाश के बाद स्कूल में कार्यभार ग्रहण की आज्ञा न दिया जाना

194–श्री छत्तर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी इंसपेक्टर जिला परिषद् एटा ने श्री नौबत सिंह आर्य, इंगलिश टीचर जू0 हा0 स्कूल सिरौली, डा0 बिलराम, जिला एटा को अवकाश के बाद एक मई, 1968 से अब तक स्कूल में कार्यभार ग्रहण की आज्ञा क्यों नहीं दी गई ? क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या जी0 2349/81 दिनांक 23-5-81 सवेतन बहाली के आदेश की भी अवहेलना की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कालेज, गोण्डा एवं राजकीय इंटर कालेज (बालक एवं बालिकाएं) गोरखपुर में सी0टी0 वेतनक्रम के शिक्षक तथा पदोन्नति

195–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फखरूद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कालेज, गोण्डा एवं राजकीय

इंटर कालेज (बालक एवं बालिकाएं), गोरखपुर में इस समय कुल कितने सी0 टी0 वेतनक्रम के शिक्षक कार्यरत हैं? इनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं जिनकी शासनादेश के अन्तर्गत एल0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति हो जानी चाहिए ऐसे लोगों के नाम क्या हैं तथा इनकी कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी ? **क्या इससे संबंधित प्रश्न कर्ता का दिनांक** 19-9-83 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपके पत्रांक 2724/एम0/83, दिनांक 27-9-83 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अवकाश प्राप्त जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया श्री गुलाब शंकर दीक्षित की प्राविजनल पेंशन, ग्रेच्युटी तथा यात्रा बिल का भुगतान

196–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 28-2-83 को श्री गुलाब शंकर दीक्षित जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने अवकाश प्राप्त किया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि आज तक उनको पेंशन तथा प्राविजनल ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । श्री दीक्षित को छः माह के लिये प्राविजनल पेंशन तथा प्राविजनल ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है । अन्तिम पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा चुका है ।

197–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवकाश प्राप्त अधिकारियों को वर्ष 1978 तथा 1981 के तीन अवकाश प्रकरण वर्ष 1976 से 1978 की अवधि के स्थानान्तरण यात्रा बिल 911.80 पैसे तथा 732.85 पैसे भुगतान का शेष है? यदि हां, तो बिल 234.25 पैसे तथा 487.55 पैसे का भुगतान शेष है? यदि हां, तो उक्त मामलों में निर्णय लेकर संबंधित देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? **यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्री अम्मार रिजवी–

यह प्रकरण विभिन्न जनपदों से सम्बन्धित है जिनके बारे में छान-बीन की जा रही है ।

हिन्दू कन्या इण्टर कालेज शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में लेखों की सम्परीक्षा में आडिट आपत्तियां तथा निस्तारण हेतु नीति स्रोतों से धन जमा न करने के विरुद्ध कार्यवाही

198–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1962 से वर्ष 1982 तक हुए कालेज लेखों की सम्परीक्षा में कितनी आडिट आपत्तियों का निवारण 31-5-83 तक किया गया और कितनी आडिट आपत्तियां शेष हैं ? यदि आडिट आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है तो शिक्षा निदेशक के पत्रांक अ-9623/दो-ग/99/78-79, दिनांक 18-8-78 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

199–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1962 से अब तक की अवशेष आडिट आपत्तियों के निवारणार्थ मैनेजमेंट को अपने श्रोतों से कालेज निधि में कितना धन जमा करना आवश्यक है ? तथा मैनेजमेंट द्वारा आपत्तियों के निस्तारण हेतु नीति श्रोतों से धन जमा न करने के फलस्वरूप क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक निष्कर्ष निकल सकेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कु0 शशि व श्रीमती सरला देवी को बकाया वेतन के विषय में आर0 आई0 जी0 एस0 मंडल, बरेली को दिया गया पत्र तथा कृत कार्यवाही

200–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक ने 17 सितम्बर, 83 या इसके आस-पास कोई आवेदन पत्र कु0 शशि व श्रीमती सरला देवी की बकाया वेतन मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर द्वारा भुगतान के विषय में आर0 आई0 जी0 एस0 मण्डल बरेली को दिया था? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई? तथा उपरोक्त वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ मंडल में प्रश्न पत्रों की छपाई पर व्यय

201–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ मंडल में प्रश्न पत्रों की छपाई में प्रति छात्र अलग-अलग क्या धनराशि व्यय की गयी है? क्या यह सही है कि प्रति छात्र लखनऊ मण्डल में 5 रुपये से अधिक तथा वाराणसी मंडल में 2 रुपये से कम व्यय हुआ है? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

202–श्री भीखालाल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद से सन् 1975 तक के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

बांदा जनपद में वर्ष 1975 से पूर्व वर्षों के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 1975 में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित कुल 258 अभ्यर्थियों में से 47 की नियुक्ति की जा चुकी है। पद रिक्त होने पर शेष की नियुक्ति की जा सकेगी।

श्री कबलू राम चपरासी, जू0 हा0 स्कूल, जीयनपुर, आजमगढ़ के अवशेष वेतन का भुगतान

203–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कबलू राम चपरासी, जू0 हा0 स्कूल, जीयनपुर, आजमगढ़ के अवशेष वेतन भुगतान से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बसंत विद्यालय इण्टर कालेज, मिर्जापुर की प्रबन्ध समिति की अनियमितताओं से सम्बन्धित पत्र तथा जांच

204–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसंत विद्यालय इण्टर कालेज, मिर्जापुर की प्रबन्ध समिति की अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-3-83 शिक्षा सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं? उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच के क्या परिणाम निकले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

शिकायतें निम्नवत् हैं :–

1–प्रबन्ध तंत्र का अपने दायित्वों के निर्वाह करने में पूर्णतः विफल होना।

2–विद्यालय में भवन की कमी के कारण इण्टर (वाणिज्य) की कक्षायें समाप्त कर दिया जाना।

3–प्रबन्धतंत्र द्वारा अनियमित रूप से छात्र कोष से लगभग रु0 25,000.00 ऋण लेकर कमरों का निर्माण कराया जाना।

4–हरिजन छात्रवृत्ति का वितरण अनियमित रूप से प्रबन्धक व प्रधानाचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाना।

5–अधिनियम की अवहेलना कर प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रधानाचार्य के अधिकार/कर्तव्यों में हस्तक्षेप करना।

6–विद्यालय के क्रीड़ा स्थल के क्रय हेतु प्राप्त रु. 6000-00 के अनुदान के बराबर प्रबन्धतंत्र द्वारा मैचिंग धनराशि की व्यवस्था न किये जाने के कारण उसका उपभोग न हो सकना।

7–प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रशासन योजना की अवहेलना किया जाना।

8–प्रबन्धतंत्र में जातिवाद एवं भाई भतीजावाद होना।

9–विद्यालय के प्राभूत का भवन जे0 सी0 बाल मंदिर के कब्जे में चले जाने के कारण विद्यालय का प्राभूत शून्य हो जाना।

शिकायतों की जांच प्रधानाचार्य, रा0 इ0 का0 मिर्जापुर द्वारा की जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हो सकी है। जांच आख्या मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय इन्टर कालेज, स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में प्रवक्ता भूगोल व पी0 टी0 आई0 का रिक्त पद

205–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा में प्रवक्ता भूगोल व पी0 टी0 आई0 का स्थान दो वर्ष से रिक्त है? यदि हां, तो इनके स्थान की पूर्ति न करने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

(1) प्रवक्ता भूगोल के पद पर कार्यरत पद धारक 7-2-82 से 4-10-83 तक अवकाश पर थे। दिनांक 5-10-83 को उक्त प्रवक्ता ने कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

(2) एल0 टी0 ग्रेड में कार्यरत पी0 टी0 आई0 का स्थानान्तरण 12-12-82 को हो गया था। संस्थाध्यक्ष, द्वारा पी0 टी0 आई0 (एल0 टी0 ग्रेड) के स्थान पर विज्ञान-गणित अध्यापक मांगा गया है। अतः पी0 टी0 आई0 के रिक्त पद की अभी पूर्ति नहीं की गयी है।

आदर्श हायर सैकेण्डरी स्कूल सी0 ओ0 डी0 कानपुर के छंटनी शुदा अध्यापक और कर्मचारी का समायोजन

206–श्री भूधर नारायण मिश्रा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श हायर सेकेण्डरी स्कूल सी0 ओ0 डी0 कानपुर के कितने छटनी शुदा अध्यापक और कर्मचारी दिनांक 31-12-1982 तक समायोजित किये जा चुके हैं जो अभी कहीं भी समायोजित नहीं हो सके हैं उनके नाम क्या हैं तथा इसका क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

दिनांक 31-12-1982 तक 19 में से 17 कर्मचारियों/अध्यापकों को समायोजित कर दिया गया था। शेष 2 का समायोजन जनवरी, 1984 तक कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[समय 12 बजकर 22 मिनट]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्न सं0 34 में मैंने जो मदरसों की सूची मांगी थी उसमें खेद है कि शाहजहांपुर को मुरादाबाद मण्डल में दिखाया गया है। सूची "क" में क्र0 सं0 21, 22 और 23 पर जो मदरसे हैं, वह शाहजहांपुर में हैं लेकिन उनको मुरादाबाद मण्डल में दिखाया गया है जबकि बरेली मण्डल में शाहजहांपुर है, यह मिस्प्रिन्ट भी नहीं हो सकता है चूंकि लगातार तीन जगहों पर दिखाया गया है। इसलिए मंत्री जी इस सम्बन्ध में बता दें कि क्या सही है?

श्री अध्यक्ष–

शिक्षा मंत्री जी आप इसको देखें और इसको साफ कर दें।

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

ठीक है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, एक प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे भी कहना है, आप अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष–

आप हम को लिखकर दीजिए तो।

श्री पंचानन राय–

आज के एजेन्डे में हमारा अतारांकित प्रश्न सं0 201 है। नियमावली में लिखा है कि एक बार से ज्यादा स्थगित नहीं होगा, जबकि यह तीन बार स्थगित हो चुका है। यह इसलिए हुआ है कि लखनऊ मण्डल में पर्चों की छपाई में 5 रुपया प्रति छात्र और वाराणसी मण्डल में 2 रुपया व्यय किया गया है। इसमें किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। . . .

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए, मैं देखूंगा।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री गुरुदत्त सोलंकी के निधन पर शोकोद्गार

*श्री श्रीपति मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष इस हमारे सदन के सदस्य माननीय स्वर्गीय श्री गुरुदत्त सोलंकी, जो 1977 से 1980 तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, उनका निधन कल 25 मार्च, 1984 को दिल के दौरा पड़ने से हो गया है। इस माननीय सदन के अधिकांश सदस्य उनसे परिचित हैं, विशेष रूप से न भी परिचित हों, लेकिन साधारणतया अधिकांश सदस्य उनसे परिचित हैं। विशेष रूप से मैंने इसलिए कहा कि परिचित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने के लिए वह अपने आप को बहुत आगे दिखाकर या बढ़ाकर नहीं पेश किया करते थे। वह एक अध्ययनशील, पढ़ने-लिखने वाले और विचारक व्यक्ति थे। वह निर्भीक रूप से अपनी बातों को रखने वाले इंसान थे। पार्टी और दल के मतभेद होते हुए भी वह एक मानव-सिद्धान्तों के आधार पर विचार-विमर्श के आधार पर, लाजिक और तर्क के आधार पर कभी भी किसी बात से सह-मत हो सकते थे और किसी भी बात से असहमत हो सकते थे, वह उनका चाहे कितना ही प्रिय हो। वह सदन के एक विचारक के रूप में हमेशा याद किये जायेंगे। पठन-पाठन से उनकी रुचि थी। मुझको भी ऐसा सौभाग्य मिला है, अत्यन्त विरोधी दलों के दोनों किनारों पर रहते हुए भी उनसे बातें करने का अवसर मिलता था। मैं समझता हूं ऐसे व्यक्तियों का राजनैतिक जीवन से हट जाना राजनैतिक जीवन में अच्छाइयों की कमी हो जाने की बात है।

श्री सोलंकी का जन्म 20 दिसम्बर, 1917 को आगरा में हुआ था। उन्होंने बलवन्त राजपूत इण्टर कालेज से हाईस्कूल तथा आगरा कालेज से इण्टर की परीक्षाएं पास की थीं। उन्होंने 1942 में हिन्दी साहित्य में एम0 ए0 की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद दर्शनशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य का भी उन्होंने अध्ययन किया। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में उनका जीवन व्यतीत हुआ, जहां वह अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष, प्राचार्य के रूप में रहे। राजनैतिक जीवन भी उन्होंने वहां बिताया और राजस्थान ऐसी जगह में जहां पर सामन्तवाद और राजतन्त्र का जोर था, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे पहले स्थापना की थी। इस प्रकार की प्रगतिशील विचारों के वह व्यक्ति थे, बाद में धीरे-धीरे अपने चिन्तन और इस तरह के कार्यों के बल पर वह आगे बढ़े। अन्य तरह की भी उनकी हाबियां थीं, जिनको वह सोचते रहे और करते रहे। किताबें भी उन्होंने लिखी। मैं यह कहूंगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन में वह उस तरह से सफल नहीं हुए, क्योंकि वह धन नहीं इकट्ठा कर सके, पैसा नहीं इकट्ठा कर सके। उनके 6-6 लड़कियां हैं, उनकी शादी व्यवस्था का वह इन्तजाम नहीं करा सके। उनकी मुझसे कई बार बात हुई, शादी की बात करते रहे कोई मर गया है तो उसकी संतानों की शादी के बारे में, उसके प्रबन्ध के बारे में बात करते थे कि प्रबन्ध करा सके, तो करा दें। अपने बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा, हमेशा दूसरों के बारे में ही कहते रहे। उनके निधन से एक अच्छा राजनैतिक एवं विचारक हमारे बीच से उठ गया है जिसकी पूर्ति आसानी से नहीं हो सकती। मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से हार्दिक श्रध्दांजलि उनको अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री सोलंकी जी के निधन के विषय में जो अपने शोकोद्गार व्यक्त किये मैं उनसे अपने को तथा अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दल को सम्बद्ध करता हूं । हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा दल के वे एक प्रमुख सदस्यों में से थे । 2–3 दिन पहले मेरी उनकी बात भी हुई थी । कल मैं आगरा अपनी पार्टी के काम से जा रहा था, मैंने देखा था कि रेलवे रेजर्वेशन चार्ट में उनका भी नाम था । संयोग से मुझे जगह नहीं मिल पायी थी । मैं स्टेशन पर था, इतने ही में हृदयविदारक यह सूचना मिली कि श्री सोलंकी जी का देहान्त हो गया है, सुनकर मैं धक्क सा रह गया । उनके साथ मुझे इस सदन में भी बैठने का अवसर मिला है । वे एक राजनैतिक क्षेत्र के तो अच्छे कार्यकर्ता थे ही, साथ ही भाषा और दर्शन के भी वे विद्वान थे । उनसे अनेक विषयों पर बातें हुआ करती थीं। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और बड़ा ही अच्छा उनका व्यवहार था । वे बड़े ही उच्च विचारों के व्यक्ति थे । उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर राजस्थान में शिक्षा जगत में कार्य किया । वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के प्राध्यापक थे । उसके बाद वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आये । इस आदरणीय सदन के भी वे सदस्य रहे और उसके बाद वे विधान परिषद् के सदस्य थे । वे लेखक भी थे । उनके न रहने से हमारी पार्टी को तो जो क्षति हुई है वह हुई है, पर राजनैतिक क्षेत्र में भी एक रिक्तता आ गयी है जिसका भरा जाना सम्भव नहीं है । राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के हमारे नेता माननीय चौधरी चरणसिंह जी को तो व्यक्तिगत रूप से जो दुख हुआ होगा वह कहा ही नहीं जा सकता है। जब ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से उठ जाता है, तो सचमुच बड़ा दुख होता है । यह संयोग था कि श्री सोलंकी जी चौधरी चरणसिंह के दामाद थे, इसलिये उनके दुख की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है । हम सभी को महान् दुख हुआ है । कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, वे एक बहु-मुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे । भगवान उनके दुख को सहन करने की हम सब को ताकत दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनको हार्दिक श्रध्दांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदना उनके दुखित परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री गुरुदत्त सोलंकी के निधन पर जो शोकोद्गार अभी माननीय नेता सदन व माननीय नेता, विरोधी दल ने प्रकट किये, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बध्द करता हूं । श्रीमन् मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री सोलंकी जी से विचार विमर्श करने का मौका मिला था और हर विषय पर उनसे बात होती थी । वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे । हमारे राजनैतिक विचार कुछ भी हों, पर उनमें सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे मौजूदा हालत में, हर राज-नैतिक परिस्थिति में अपने को एडजेस्ट कर लेते थे । इस सदन में भी उनके साथ काम करने का मौका हमें मिला । आज उनके निधन से एक ऐसा समाज सेवी, विचारवान व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया है जिसका हमें बहुत दुख है, हार्दिक दुख है, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से, हमारी संवेदनायें उनके दुखित परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री गुरुदत्त सोलंकी के संबंध में माननीय नेता सदन और विरोधी दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं अपने को मैं उससे सम्बद्ध करता हूं । माननीय सोलंकी के निधन पर मुझको और मेरे दल को काफी दुख है और शोक है । एक अच्छा विचारक, अच्छा राजनीतिज्ञ, अच्छा बुद्धिजीवी, अच्छा समाजसेवी आज हमारे बीच से उठ गया है । मान्यवर, मैं दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे और मेरे दल की तरफ से यह विचार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

***श्री कुंवर सिंह नेगी–**

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय विरोधी पक्ष के नेतागण ने स्वर्गीय श्री गुरुदत्त सोलंकी के निधन पर जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे संबद्ध करता हूं । मान्यवर, स्वर्गीय सोलंकी एक अच्छे राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक उच्चकोटि के विद्वान थे और अच्छे कवि थे । उनके निधन से जहां हमारे प्रदेश ने एक अच्छा राजनीतिज्ञ खोया है वहीं एक अच्छा कवि भी खोया है । मान्यवर, हमारे दल की ओर से और मेरी ओर से स्वर्गीय सोलंकी के शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन और माननीय उप विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय गुरुदत्त सोलंकी के बारे में जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने को उससे संबद्ध करता हूं । जहां तक उनके जीवन का संबंध है उनमें सादगी थी, उनमें गरीबों के लिये हमदर्दी थी । आज की पीढ़ी में ऐसे विचारों के व्यक्ति बहुत कम हैं कि जिनका केवल उद्देश्य रहा कि किस प्रकार ऐसी पुस्तकें लिखी जायं ऐसी कविता लिखी जाय जिससे समाज की सेवा हो सके । वह बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे । अपने मकान से हजरतगंज इत्यादि के लिये वह पैदल ही जाते थे । उनके परिवार से मेरा संबंध रहा है । वह अधिक से अधिक अपना समय अपनी पढ़ाई में, अपने लेखों की सामग्री एकत्रित करने में और इस प्रकार के कार्यों में व्यतीत करते थे जिससे जो आज का बुद्धिजीवी वर्ग है वह किस प्रकार से उस पर विचार कर सके । अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार उनके प्रति व्यक्त किये हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये, मैं अपनी तरफ से और इस आदरणीय सदन की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार तक इन विचारों को भिजवा दूंगा । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे । कृपया दो मिनट के लिये अपने स्थान पर मौन खड़े हों ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए ।)

सेंट्रल हाल के उद्घाटन कार्यक्रम के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कार्यक्रम के अनुसार आज सेंट्रल हाल का उद्घाटन होना था तो उसको स्थगित कर दिया गया है । उससे संबंधित जितने कार्यक्रम थे, जलपान या होली मिलन के उनको स्थगित कर दिया गया है । इसके स्थान पर कल उसी समय और उसी स्थान पर, जैसा आज कार्यक्रम निर्धारित था, वह कल होगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लखनऊ निवासिनी हरिजन महिला श्रीमती कुसुम देवी की चिड़ियाघर में पेड़ से दब कर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 9 सूचनायें प्राप्त हुयीं थीं जिनमें से माननीय श्री श्याम लाल बाजपेयी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय मोतीलाल देहलवी, माननीय पंचानन राय, माननीय रियासत हुसैन, माननीय सन्त बख्श रावत और और माननीय अबुल कलाम की सूचना को मैंने स्वीकार किया है और बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है ।

*श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण घटना को लाकर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

दिनांक 3-3-84 को श्रीमती कुसुमा देवी मूल निवासिनी बाराबंकी जनपद वर्तमान निवास सी–1120, इंदिरानगर, लखनऊ मध्याह्न में अपनी पुत्री तथा पुत्र सहित बनारसी बाग लखनऊ चिड़ियाघर देखने आयी थीं । श्रीमती कुसुमा देवी जैसे ही एक बिलायती इमली के पेड़ के नीचे पहुंची थीं, उसकी बहुत मोटी शाखा टूट कर गिर गयी , जिससे श्रीमती कुसुमा देवी की मृत्यु हो गयी तथा दोनों बच्चे घायल हो गये ।

बनारसी बाग जैसे चिड़ियाघर में नित्य बालक, वृद्ध, युवा सैकड़ों की संख्या में जानवरों को देखने आते हैं, अस्तु चिड़ियाघर की देखभाल पूर्ण सावधानी से होनी चाहिए । चिड़ियाघर के अधिकारियों, कर्मचारियों की असावधानी से सौ वर्ष से भी अधिक पुराने पेड़ के नीचे हरिजन परिवार की एक सम्भ्रान्त महिला की मृत्यु हो गयी ।

आपसे निवेदन है कि पेड़ की आयु की जांच कराने के लिए टूटे हुए पेड़ की जांच तक सुरक्षित रखा कर असावधानी बरतने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को दण्डित करा कर श्रीमती कुसुमा देवी के परिवार को शासन से हरजाना दिलाने की कृपा करें ।

सीतापुर में व्याप्त गन्दगी तथा नगरपालिका की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सीतापुर नगरपालिका प्रशासन में व्याप्त दुर्व्यवस्था के कारण जनजीवन अत्यन्त त्रस्त है । सम्पूर्ण नगर में भीषण गन्दगी कूड़े के ढेर, उफनाती नालियों पर टूटे पत्थर, सड़कों पर बहता पानी, बिजली के खम्भों पर बल्ब नदारद दिखायी देंगे । प्रशासक महोदय ने नागरिकों को आश्वासन दिया था कि होली के पूर्व विशेष सफाई अभियान किया जायेगा, परन्तु अभियान तो दूर रहा मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कूड़ा डालने की जगह पर सड़े कूड़े के ढेर तक नहीं हटाये गये । वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है परन्तु वर्ष भर सड़क निर्माण पर होने वाला धन अभी तक खर्च न करके, कार्य न हो, सड़कों के वर्कआर्डर इसी सप्ताह देने का वादा मात्र किया गया है । इस वित्तीय वर्ष में वाटर वर्क्स चलाने के लिए 3 जेनरेटर सेट खरीदने का प्राविधान था, वह भी अभी तक नहीं खरीदे गये । परिणाम स्वरूप बिजली के अभाव में नागरिक एक-एक बूंद पानी के लिए तड़प जाते हैं । गर्मियां आ गयीं, नागरिक पानी के आसन्न संकट से भयावह हैं । गन्दगी के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मच्छरों का साम्राज्य तथा बीमारी फैल रही है ।

अतएव मांग है कि शासन की ओर से हस्तक्षेप करके सीतापुर नगर पालिका की **दशा सुधारने हेतु विशेष अभियान चालू किया जाय।**

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ के द्वितीय वर्ष के छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल दहेलवी–

महोदय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के द्वितीय वर्ष (नवीन) के छात्र-छात्राओं की आयुर्वेदाचार्य प्रारम्भिक की परीक्षा दिसम्बर, 1983 से प्रारम्भ होकर जनवरी, 1984 में समाप्त हो गयी थी, किन्तु परीक्षा-परिणाम अभी तक नहीं घोषित किया गया है । **महाविद्यालय में पुरानी समय सारिणी को** परिवर्तित कर नयी सारिणी लागू कर दी है, **जिससे कोई भी अध्यापक कक्षायें** नहीं ले रहे हैं । **अध्यापकों ने घोषणा कर रखी है कि छात्र-छात्रायें कहीं भी** शिकायत करें, किन्तु वह दूसरी कक्षा नहीं लेंगे । **छात्र-छात्राओं को** ऐसे पुरातन **छात्र-छात्राओं के साथ अध्ययन करने पर बाध्य कर रखा गया है कि** जिनकी अभी परीक्षायें नहीं हुयी हैं । छात्रों व छात्राओं को दो वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक परिचय पत्र नहीं दिये गये हैं । **पिछले एक वर्ष से इन छात्रों** व छात्राओं को शव-विच्छेदन हेतु शव **नहीं दिये जा रहे हैं, जिससे शरीर रचना का अध्ययन असंभव हो गया है ।** प्रबन्ध व्यवस्था एवं अध्यापक प्रधानाचार्य के नियंत्रण में नहीं रह गया है । छात्रावास व कक्षाओं में बिजली-पानी की उचित व्यवस्था नहीं रह गयी है और ताला लगे हुए सामान की चोरी हो रही है । **विवशतः छात्र उद्वेलित और आन्दोलित** है । समस्याओं का समाधान अपेक्षित है ।

म्युनिसिपल इण्टर कालेज, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के सेवानिवृत्त श्री बांके लाल गुप्त को नई दर से पेंशन आदि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार के संज्ञान में एक मानवीय, अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना लाना चाहता हूं । श्री बांके लाल गुप्त ने म्यूनिसिपल इंटर कालेज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में 35 वर्ष सेवा करने के उपरांत 30-6-78 को अवकाश ग्रहण किया । अपने पेंशन के प्रपत्र विकल्प पत्र सहित अक्टूबर, 78 में प्रस्तुत कर दिये तथा निरीक्षक के आदेशानुसार पी0 एफ0 के राजकीय अंश को भी उन्होंने वापस कर दिया ।

6 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी उन्हें नयीं दर से पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया है । इस संबंध में उन्होंने **सम्बन्धित अधिकारियों को अनेक पत्र लिखे हैं तथा व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किया है उनकी स्थिति आर्थिक संकट के कारण अत्यन्त सोचनीय एवं दयनीय हो गयी है ।**

राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय, उन्हें नयी दर से पेन्शन तत्काल दी जाय तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्वालखेड़ा (मुरादाबाद) में चबूतरे के रूप में मस्जिद को पूरा कराने से रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री रियासत हुसैन–**

ग्राम ग्वालखेड़ा थाना विलारी जनपद मुरादाबाद में चबूतरे के रूप में एक मस्जिद स्थित है। बहुत अरसे से अल्प संख्यक वर्ग के लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उसको वह पक्की मस्जिद बना सकें, परन्तु गांव के दूसरे लोग इस पर आपत्ति करते हैं और उन्हें **जान से मार डालने की धौंस देते हैं**। इसका हवाला सन् 1983-84 में सामान्य बजट के समय क्षेत्रीय विधायक श्री अकबर **हुसैन द्वारा दिया गया था परन्तु उस** पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

दिनांक 17 को होली के अवसर पर शाम को गांव के होली खेलने वाले लोगों ने जबरदस्ती इस चबूतरे पर होली भी खेली और रंग भी खेला जिससे इस गांव के अल्पसंख्यक वर्ग में घोर असन्तोष, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुयी है क्योंकि उस समय अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मस्जिद पर होली खेले जाने पर आपत्ति करते तो साम्प्रदायिक दंगा होता और वह बुरी तरह से मारे जाते इसलिये उन्होंने इसको सहन कर लिया। यह भी विदित हुआ है कि वहां पर इस समय पी0ए0सी0 लगा दी गयी है और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को नमाज भी पढ़ने नहीं दी जा रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर गम्भीरता को देखते हुए शासन का ध्यान आकर्षित **करना चाहता हूं**।

श्री बैजनाथ यादव प्रधान, पिपरौली (लखनऊ) की होमगार्ड की ट्रक से कुचलकर हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत–

25 मार्च, 84 को बैजनाथ यादव निवासी पिपरौली प्रधान हैवतमऊ मवैया लखनऊ 6 बजे प्रातः स्कूटर से शहर दूध ला रहे थे कि होमगार्ड की एक ट्रक जिस पर ड्राइवर के अतिरिक्त 2-3 लोग बैठे थे जानबूझकर तेलीबाग चुंगी के आगे आम अनुसंधान केन्द्र के **निकट स्कूटर सहित कुचल कर निर्मम** हत्या कर भाग गये। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कालीचरण यादव निवासी तेलीबाग ने थाना कैंट लखनऊ में प्रातः 7-30 बजे अंकित करायी। पुलिस घटना स्थल पर करीब **10 बजे पहुंची और लाश को सील कर** पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना का कारण गांव में कुछ दिन पूर्व आलमबाग क्षेत्र के दो नवयुवकों द्वारा किसी लड़की से नाजायज सम्बन्ध होने तथा रंगे हाथों पकड़े जाने पर प्रधान के पहुंचने पर गांव वालों ने पिटाई की थी तथा इस बात की भी जानकारी मिली है कि उक्त युवती से नाजायज सम्बन्ध किसी उप निरीक्षक पुलिस के हैं जो घटना के बाद मोटर साइकिल पर देखा गया है।

इस सुनियोजित हत्या के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं क्षोभ एवं भय का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जन असन्तोष को समाप्त करें तथा मृतक के परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिलायें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तकिया माइनर फूलपुर जिला आजमगढ़ में पानी न देने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अबुल कलाम–

हमारे विधान सभा क्षेत्र फूलपुर जनपद आजमगढ़ में तकिया माइनर जिसमें 10 कि0 मी0 तक दो महीने से सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया है जिसके कारण ग्राम कछरा, सुम्माडीह, छज्जापट्टी, इमली महुआ, मनेरकला शतारपुर, रज्जाकपुर, फूततनपुर, कोरीघाटमपुर, शहमानीपुर समैसा असमौआ ग्राम के किसानों की फसल तबाह हो गयी है। स्थिति अति गम्भीर है तथा ब्लाक पवई जनपद आजमगढ़ में धुधुरी का राजकीय नलकूप बहुत दिनों से बन्द है तथा भरचकिया का ट्यूबवेल खराब है जिसके कारण भी स्थिति गम्भीर है और यह भी ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त तकिया माइनर पर जो किसानों के खेत बोये नहीं गये हैं अथवा जिन खेतों में पानी नहीं दिया गया है उसका भी फर्जी तरीके से परताल किया गया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय।

अध्यादेशों के बार-बार पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

औचित्य के प्रश्नों के अन्तर्गत मुझे चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय हुकुम सिंह, माननीय रियासत हुसैन, माननीय रुद्र प्रताप सिंह की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी की सूचना को मैंने देख लिया है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है मैंने उसको देखकर अस्वीकार कर दिया है। जहां तक माननीय रियासत हुसैन की सूचना का प्रश्न है मैंने 23-3-84 को इस सदन में पहले ही अस्वीकार कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, आप देख तो लें यह उससे अलग है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जो कार्यसूची देख रहा हूं इसमें छः अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाने हैं और उनमें बहुत से अध्यादेश ऐसे हैं जो पहली बार पटल पर नहीं रखे जा रहे हैं। कोई तीन बार, कोई चार बार, कोई पांच बार सदन के पटल पर रखा जा चुका है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 213 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि अध्यादेश प्रख्यापित करें और यह भी बन्दिश है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने के पहले मंत्रि परिषद् द्वारा सलाह दी जाती है तो मैं सिर्फ दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि राज्यपाल महोदय द्वारा किसी अध्यादेश के प्रख्यापन करने में चुनौती न देते हुए यह कानून बना दिया गया है लेकिन कोई भी कानून के पहले उसके औचित्य को देखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें कानून का पालन किया गया है या नहीं? उसका औचित्य है या नहीं? संसदीय परम्पराओं का पालन किया गया है या नहीं? मान्यवर, मेरा साफ मत है कि किसी भी अध्यादेश को पुनर्प्रख्यापन करने का जो हमारा विधायी अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इस पर कार्यपालिका का अतिक्रमण है संसदीय पद्धतियों की अवमानना है।

अनावश्यक रूप से खर्चे को बढ़ावा देते हुए मान्यवर, जो अध्यादेश प्रस्तुत किये हैं यह कई बार प्रख्यापित हो चुके हैं। मान्यवर, आपको जानकारी होगी मैं नियमों का हवाला नहीं देना चाहता जिस समय राज्यपाल को, इस बात का समाधान हो जाए कि अपरिहार्य स्थिति विद्यमान है जिनका विनियमन करना आवश्यक है, मैं माननीय राज्यपाल को चुनौती नहीं देता, लेकिन मान्यवर, आप स्वयं पढ़ लें नियमों में दिया गया है कि राज्यपाल को सलाह दी जाएगी, तो मंत्रि परिषद् ने एक सलाह राज्यपाल को दी, कि कई महीने **पहले भी राज्य भाषा संशोधन विधेयक** अध्यादेश प्रख्यापित कर दीजिए। **मान्यवर, पहले चूंकि इसे सदन के पटल** पर रख दिया गया छः महीने की उसकी लाइफ है। छः महीने से ज्यादा नहीं है। मान्यवर, यह 174(1) अनुच्छेद में है इसमें व्यवस्था है कि कोई भी विधान मण्डल में दो सत्र जरूर होंगे दोनों के बीच में **छः महीने से ज्यादा अन्तराल नहीं होगा** तो छः महीने में पास कर लेना जरूरी है तो किसी भी अध्यादेश की जिन्दगी साढ़े सात महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। मान्यवर, जब इस अध्यादेश में कुंजरू ने अनुच्छेद प्रस्तुत किया था उस वक्त उन्होंने चाहा था कि आने वाली सरकार के लोग आयेंगे और उनकी आस्था **संसदीय नियमों से समाप्त हो जाएगी** और इस अधिकार को प्रभावित करने लगेगी। इसलिए मान्यवर, उन्होंने कहा कि यह नियम बना दिया जाय कि छः माह से ज्यादा दोबारा जिन्दगी नहीं रह जायेगी।

सत्तारूढ़ दल के लोग कहेंगे कि जिस कांग्रेस ने देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गयी, उसकी परम्परा है। वस्तुस्थिति यह है कि मान्यवर, परम्परा का पालन यही लोग नहीं कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 में प्राविधान कर एक नीति लागू की गयी थी कि आर्डिनेन्स की खिलाफत करते हैं और आर्डिनेन्स जारी नहीं होने चाहिए और इसके बाद जब दोबारा सरकार बनी सन 39 के बाद में अध्यादेश जारी नहीं किये गये हैं, क्योंकि वे लोग जनतंत्र और संसदीय पद्धति की परम्पराओं को जिन्दा रखना चाहते थे। उनके प्रति आस्था रखते थे। मान्यवर, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जनवरी में इन्होंने इसको जारी किया, सरकार के पास समय था। उस समय कहा था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं तो उसके बाद 4-5-6 माह का समय था। अब दोबारा फिर वैसी ही **परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हो गयी हैं?** सरकार के पास समय था। राजभाषा जैसा विवादास्पद अध्यादेश लाया गया और विवाद उत्पन्न किया है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए यह साजिश इस विधेयक को लाकर की जा रही है। यह अलोकतांत्रिक विधि से यहां लाया जा रहा है। इसकी वजह से विधान परिषद् के कार्य काल को बढ़ाया जा रहा है।

जहां द्विसदनात्मक धारा सभाएं हैं एवं विधान परिषद् हैं, वहां और तरह नहीं हो सका तो जानबूझ कर विधान परिषद् को 5-6 दिन के लिए सत्रावसान कर दिया, इसी आर्डिनेन्स को लाने के लिए और इस प्रकार इन्होंने अना-

वश्यक व्यय भार बढ़ाया है। इन्होंने वोट आन एकाउन्ट ले रखा है, लेखानुदान ले रखा है, तत्काल बजट पास कराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी और हाउस बढ़ सकता था। मैं इस विधेयक के औचित्य के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं कि क्या इसके लिये जानबूझ कर विधान परिषद् के लिये ऐसी परिस्थिति पैदा की जा सकती है और दूसरी बात एक बार अध्यादेश निकलने के बाद उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर उसका दोबारा पुर्नप्रख्यापन किया जा सकता है। इस संबंध में कि दोबारा प्रख्यापन कितनी बार किया जा सकता है, मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा। मान्यवर, इसके बारे में बिहार सरकार के लिये सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी कर दिये गये हैं, वहां यह मामला आ गया है। मान्यवर, एक बार फिर देश में संसदीय परम्पराओं और उनके के विरुद्ध यह अध्यादेश लाया गया है। अतः मान्यवर, मैं अपनी बात पर बल देते हुए इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इसका पुर्नस्थापन हो सकता है?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो तर्क माननीय गुप्त जी ने अभी प्रस्तुत किये उनको दोहराऊंगा नहीं और न ही इसके लाने के अधिकार को चुनौती देना चाहता हूं, जिसमें उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, क्योंकि कई बार व्यवस्था हो चुकी है कि इनको कानूनी अधिकार है। मान्यवर, यहां संसदीय परम्पराओं के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली मान्यवर, सार संख्या-3 पर जो अध्यादेश, है, उसको देखने की कृपा करें। मान्यवर, पहला अध्यादेश 8 जुलाई, 1981 को जारी किया गया और आखिरी अध्यादेश 24 मार्च, 1984 को जारी हुआ। मान्यवर, 8 जुलाई, 1981 से 25 मार्च, 1984 के बीच यह सरकार उसी अध्यादेश के बल पर इस कानून को लाना चाहती है। मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि इस बीच में कितनी बार विधान मंडल मिला और उसके बाद भी क्यों इस विधान मण्डल में विधेयक को लाकर सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। अगर विश्वास में नहीं लाना चाहते हैं तो क्या यह विधान मण्डल की मर्यादाओं का उल्लंघन है कि नहीं? मान्यवर, हमारा जो संविधान है और हमारी जो नियमावली है, उसमें 6 सप्ताह का समय दिया गया है। विधान मण्डल के सत्र के शुरू होने के बाद में 6 सप्ताह का समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह कोई नई बात हो रही है। आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि 6 सप्ताह का समय दिया गया है। कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गयी है कि अध्यादेश जारी कर दिया गया। यह अपेक्षा की गयी थी कि 6 सप्ताह के भीतर विधान-मण्डल को विश्वास में लायें। सन् 1981 से लेकर अब तक विधान मण्डल को ये विश्वास में क्यों नहीं लाये? जितने भी अध्यादेश इसमें दिये गये हैं, कोई भी ऐसा अध्यादेश इसमें नहीं है, जो पहली बार यहां पर लाया जा रहा हो। 5-5 और 6-6 बार इनको यहां पर लाया गया और उसके बाद हार्सेस एडजार्न हो गया, उसके बाद से लोग भी सो गये और फिर दोबारा इसको यहां ले आये। इसके बावजूद भी हम इन्हें जगा रहे हैं। कई बार अध्यक्ष महोदय, विधान मण्डलों के अध्यक्षों की

बैठक में सरकार की इस प्रवृति पर चर्चा की गई है, उस समय वर्तमान मुख्य मंत्री तत्कालीन अध्यक्ष थे । इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वारा, विधान मण्डल की अनदेखी करके, अध्यादेश लाये जा रहे हैं, जिससे विधान मंडल की मर्यादा, संविधान की मान्यतायें और लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ कार्य किया जा रहा है । आप निर्देशित करें कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इस अधिकार का इस्तेमाल किया जाय । इनके सामने क्या दिक्कतें थीं, ये विधेयक के रूप में उसे यहां पर लाते, उस पर हम विचार विमर्श करते और उसे यह कानून बनाते । परन्तु इन्होंने ऐसा नहीं किया । संविधान की मर्यादाओं/भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात ये लोग कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप इन्हें निर्देशित करें कि मर्यादाओं, संविधान की भावनाओं और मान्यताओं का ध्यान रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष–

जो इस सदन में निर्णय हो चुका है और जिनके बारे में बहुत से माननीय सदस्य कह भी चुके हैं, माननीय श्री रियासत हुसैन जी आप उन बातों को दोहरायें नहीं ।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं वही बात कहूंगा जो आपने पहले कही कि नयी बात क्या हुई। उसी को मैं कहता हूं कि नयी बात क्या हुई । इसे आप सुनें । मान्यवर, नई बात यह है कि सरकार जानती थी कि सदन 12 फरवरी को बैठेगा और सरकार को भी यह मालूम था कि 10 हफ्ते तक यह सदन चलेगा, यह सब कुछ सरकार के संज्ञान में था और सरकार यह भी जानती थी कि 6 हफ्ते में अध्यादेश का इनएक्टमेंट हो जाना चाहिए । सरकार यह भी जानती थी कि इनएक्टमेंट तभी हो सकता है जब वह यहां पास हो जाय, कौन्सिल में पास हो जाय और उस पर गवर्नर की एसेन्ट मिल जाय । यह सारी जानकारी सरकार को थी। अगर सरकार को यह कानून बनाना ही था तो इसी समय के अन्तर्गत यह सब कुछ किया जाता । परन्तु सरकार ने जानबूझकर यह नहीं किया । राज्यपाल महोदय, अगर कोई मजबूरी है और विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर देते हैं । नई बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी 5-5 और 6-6 बार अध्यादेश और वह भी एक ही अध्यादेश, यहां पर लाया जा रहा है । 5-5 साल हो गये हैं । वही चीज यहां पर लायी जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इन अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखने से पहले आप अपनी व्यवस्था दें ।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब क्या खास बात रह गयी है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, खास बात है । खास बात यह है कि भारतीय संविधान के मुताबिक, हमारे विधान मण्डल को ही कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है । किन्हीं अपरिहार्य और लोक महत्व के विषय को, जिनका अधिनियम और कानून में प्राविधान नहीं है, और लोक हित संकट में पड़ गया है, ऐसी विशिष्ट परिस्थिति में, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, शासन को अध्यादेश जारी करने, उस लोक महत्व के संरक्षण संबंधी अधिनियम और कानून को बनाने का अधिकार विशिष्ट परिस्थितियों में मिला हुआ है । मान्यवर, संविधान की धारा के तहत जो विशिष्ट परिस्थितियों का प्राविधान है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको आप देखें, यदि उनकी इस तरह से आम परिस्थिति में परिणत कर दिया जायेगा, तो जो सम्पूर्ण सदन को अधिकार है और इसके जो गठन का औचित्य है, वह सारा का सारा मान्यवर, समाप्त हो जाता है। इसलिए मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं, इस मुद्दे पर।

दूसरी बात इसमें यह जो मद संख्या 9 और 10 है इसमें जो विशिष्ट परिस्थिति दी गयी है, उसमें मान्यवर, आप देखें। शिक्षा मंत्री शिक्षा अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्या मा0–3557/15-7-5(2)-75, दिनांक 13 जुलाई, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखेंगे। कुछ ऐसी चीजें थीं, जिसके बाबत 1983 में हुई अधिसूचना, और यह अध्यादेश के जरिये आ गयी थी, अब वह प्रेस के जरिये नहीं मिली। इसलिए इतने विलम्ब से, उसका कारण बताते हैं कि प्रेस से नहीं मिला। उसमें प्रेस में विलम्ब होने के कारण, न मिलने से यह दे रहे हैं। मान्यवर, यह किसी भी सरकार की अकर्मण्यता और दायित्व हीनता की इससे बड़ी स्वीकारोक्ति और कोई नहीं हो सकती है। विलम्ब की वजह है, इसका भी प्रकाशन सरकार अपने ही प्रेस में विलम्ब से कराती है और हम को सचित नहीं कर पाते। इसलिए मैं इन दोनों परिस्थितियों में इसका विरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, यदि आप सरकार को बार-बार अध्यादेश जारी करके, प्रदेश में नियम और व्यवस्था संचालित करने का अधिकार दिये रखेंगे, तो [illegible] नहीं रहेगा, उस पर इन्क्रोचमेंट होगा। इसलिए अध्यादेश से शासन चलाने की जो प्रथा है, मान्यवर, उसको आप ही रोक सकते हैं, नहीं तो, इस सदन का औचित्य समाप्त हो जायेगा और हमारा और आपका जो अधिकार है, उस पर नौकरशाही अतिक्रमण करती रहेगी।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने आर्टिकल 213 का हवाला दिया और आपको उन्होंने जो नोटिस दिया औचित्य के लिये, उसके अंदर उन्होंने सहमति इस बात से प्रकट की कि उन्हें, जहां तक कि राज्यपाल की जो निहित शक्तियां हैं, उसके अंदर जो आर्डिनेंस जारी करने का जो उन्हें अधिकार है, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन औचित्य का उसके साथ-साथ प्रश्न उठाया है। मान्यवर, अगर आप देखें धारा 213 को तो जो इसमें शर्तें हैं वह शर्तें पूरी तरह से पूरी होती हैं कि जब दोनों में से कोई भी एक सदन सत्र में न हो, तो उस वक्त राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि वे संतुष्ट हों तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह बात एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उठायी गयी है यहां भी और बहुत से दूसरे स्थानों पर भी। और पूरी शान में कि क्या इन परिस्थितियों में महामहिम राज्यपाल का जो अधिकार है, वह उचित है या नहीं है। मान्यवर, बहुत से इसमें निर्णय भी हो चुके हैं। यह एक लम्बी बहस है, मैं इसमें अधिक समय न लेकर आपका सिर्फ ध्यान कुछ चीजों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अगर महामहिम राज्यपाल

*वक्ता ने भाषण का परिवीक्षण नहीं किया।

संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थिति है और यहां पर अध्यादेश जारी होना चाहिए, तो उस सैटिसफैक्शन को, उस संतोष को किसी प्रकार से कहीं पर भी मान्यवर, चुनौती नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, यह बात कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया तथा इसके बारे में 1984 का जो वाल्यूम है, उसके अंदर ए0आई0आर0 1956, पेज 557 पर लिखा हुआ है कि "दि सैटिस्फैक्शन आफ दि गवर्नर इज हिज ओन सैटिस्फैक्शन, एण्ड नाट आफ दि कोर्ट आर आफ एनी अदर रीजनेबुल पर-सन।"

जो संतोष है, महामहिम राज्यपाल का, वह उनका संतोष है, न तो इसमें न्यायालय का संतोष है, उसका कंसर्न नहीं है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति का संतोष है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने राज्यपाल के संतोष पर अटैक नहीं किया है, उनको मंत्री परिषद् द्वारा जो सलाह दी गयी है, उसके बारे में कहा है।

श्री अम्मार रिजवी–

"इट इज सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन एण्ड दि कोर्ट इज, देयरफोर, नाट इन्टाइटिल्ड टू इन्क्वायर इन्टू दि रीजन्स फार दैट सैटिस्फैक्शन आर इन्टू दि सफीसियेन्सी आफ दोज रीजन्स।"

श्री मोहन सिंह–

अगर ऐसा है तो आप इस एसेम्बली को विघटित कर दीजिये और सारे अधिकार राज्यपाल को दे दीजिये।

श्री अम्मार रिजवी–

यदि राज्यपाल को "सन्तोष" है तो किसी दूसरे व्यक्ति को टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यह अदालत का जजमेंट है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि इसमें उन्होंने औचित्य का प्रश्न मन्त्रि-परिषद् की सलाह के विषय में उठाया था। मन्त्रि-परिषद् ने कोई सलाह दी, महामहिम राज्यपाल के पास गयी, अगर वह संतुष्ट हो गये तो संविधान की धारा की परिधि में बात आ जाती है। उनकी सन्तुष्टि अगर हो गयी तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है और इसके औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

कई जगह यह बात आयी है। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ए0आई0आर0, पेज 1533 पर यह मत व्यक्त किया है कि–

"इट इज, हाउ एवर वैल सैटेल्ड दैट दि नेगेसिटी आफ इम्मीडिएट एक्शन एण्ड आफ प्रोमल्गेटिंग एन आर्डिनेन्स इज ए मैटर प्योरली फार दि सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन आफ दि गवर्नर।"

यह बात निश्चित है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार और उसकी जरूरत को समझना गवर्नर का अधिकार है और "सब्जेक्टिव" अधिकार है, उसका "सैटिस्फैक्शन", "सब्जेक्टिव" है। मैं अब इसको आगे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, हाई-कोर्ट ने इस बात को कहा। कानून की शर्तें जो हैं, बहुत सी शर्तें हैं। यह बात कोर्ट्स के अन्दर, कानून के अन्दर सिद्ध है। आप यहां देखें या कहीं और देखें, जहां बहुत सी चीजें हैं वहीं आर्डिनेन्स भी उसकी शर्त है।

पिछले साल इसी तरह की बात औचित्य के रूप में माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उठायी थी। इस पर जो रूलिंग दी गयी थी, उसमें सारी बात साफ कर दी गयी

थी । माननीय राजेन्द्र गुप्त जी उसे देखें तो सारी चीज सामने आ जायगी । 22 मार्च, 1983 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1983 को उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिया गया था । उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि–"प्रश्नगत मामलों पर सम्यक रूप से विचार किया गया तथा सम्बन्धित पुस्तकों आदि का अध्ययन भी किया गया । जहां तक संविधान के अनुच्छेद 213 का सम्बन्ध है, यह श्री राज्यपाल को व्यापक विधायिनी शक्ति प्रदान करता है। इस विधायिनी शक्ति की व्यापकता पर केवल दो प्रतिबन्ध अनुच्छेद 213 द्वारा लगाये गये हैं । पहला यह कि विधान मण्डल अथवा उसका कोई सदन सत्र में न हो और दूसरा यह कि राज्यपाल का समाधान हो जाना चाहिये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पुनर्प्रख्यापन के मुद्दे पर उत्तर दीजिये?

श्री अम्मार रिजवी–

जहां तक औचित्य का प्रश्न है, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने बड़ी होशियारी के साथ औचित्य के प्रश्न को अलग किया है और राज्यपाल के अधिकारों को अलग किया है। दोनों चीजें साथ जुड़ी हुई हैं । "सन्तोष" को उससे अलग नहीं कर सकते । जब किसी भी अध्यादेश पर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर हों, तो इसका मतलब है कि राज्यपाल उससे सन्तुष्ट हैं । जब राज्यपाल सन्तुष्ट हुए तो संविधान के अन्दर प्राप्त शक्तियां जो हैं, उसके अनुरूप ही वे सन्तुष्ट हुए । इस पर कोई चुनौती नहीं हो सकती है । अदालतों के फैसलों पर चुनौती देना हुकुम सिंह जी का पुराना रवैया रहा है । लेकिन महामहिम राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किये हैं और इस पर जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, वह न तो परम्परा के हिसाब से, न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से, न तो हाईकोर्ट के निर्णय के हिसाब से और जो समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिये गये हैं, उनके हिसाब से, इसका उठाना उचित नहीं है । इसलिये यह मामला औचित्य में उठाने योग्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे केवल दो बातें कहनी हैं कि जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, मेरा अभिप्राय यह नहीं था । मैंने कहा था कि राज्यपाल को जो सन्तोष हो गया हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार को कार्यपालिका द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं उसके द्वारा बलात् हमला करके यह ऐसा कर रही है, हमारी विधायिनी शक्तियों पर यह हमला है, यह जनतंत्र पर और लोकतंत्र पर हमला है। इसलिये मैं अपने दल के साथ इस सदन से बहिर्गमन करता हूं । (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई नई बात नहीं हो रही है। 1952 से लेकर आज तक मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं, यही परम्परा रही है। न कोई नियम टूटा है, न संविधान टूटा है । जो माननीय सदस्यों ने एतराज किया है, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

पंचायत राज एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अलकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री जैराज गौतम)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1984†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग–7 की अधिसूचना सं0 भा0–3557/15-7–5-(2)–75, दिनांक 13 जुलाई, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्ठ) आदेश, 1983†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग–7 की अधिसूचना सं0 भा0–3556/15-7–5 (5)–81, दिनांक 13 जुलाई, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्ठ) आदेश, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लि0 का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे†

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1981-82 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मार्ग पार्श्वीय भूमि नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983††

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री तेज बहादुर गंगवार)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 1466/13-सा0 नि0 दा0-7-एल0 सी0-74, दिनांक 6 अप्रैल, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मार्ग पार्श्वीय भूमि नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 को शुद्धि-पत्र एवं विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81††

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1083††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग-7 की अधिसूचना सं0 मा0-1461/15-7-2 (15)/81, यू0 पी0 ए0-5-82–रूल्स, 83 दिनांक 1 जुलाई, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1983†††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 494/15-10-83-15(90)-81, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0–2-2395/दस–83–3, (1)/75–ऐक्ट–74-56-नियम- 57-संशोधन-(प्रथम)-1983, दिनांक 30 मई, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश

†छापे नहीं गये। ††छापे नहीं गये। †††छापा नहीं गया।

साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार पदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की जालौन जिले के थाना बरगी के इर्द-गिर्द गांवों में डाकुओं द्वारा पुलिस की ड्यूटी पर रहते हुये गोली चलाने से एक व्यक्ति के मरने तथा पांच लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में है । इसको मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज दिया है । दूसरी सूचना श्री लल्ल सिंह चौहान की पुलिस, पी0 ए0 सी0 कर्मचारियों की सुख सुविधा कल्याण एवं एक माह का वेतन (मानदेय) स्वीकृत होने के बाद भी महानिदेशक द्वारा उन्हें पूर्ण धनराशि वितरित न किये जाने से उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में है, इसको भी शासन का ध्यान आकष्ट करने के लिये भेज दिया है । तीसरी सूचना श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की जनपद गोरखपुर के ब्लाक बड़हलगंज के ग्राम लिपटा मण्डेरा व भगनें के हरिजनों के नाम 90 हजार रु0 की ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निकाल कर निजी प्रयोग में इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में है । इस पर भी शासन का ध्यान आकष्ट करने के लिये भेज दिया है । इनके अतिरिक्त श्री फखरे आलम व श्री ख्वाजा हलीम, श्री हरिबंश सहाय तथा श्री मोतीलाल देहलवी की सूचनाएं सुनने के लिये हैं ।

[समय 1 बजकर 18 मिनट]

*श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, यूं तो प्रदेश में रोजाना कोई न कोई घटनायें डकैती की, लूट की और चोरियों की होती रहती है, यह साधारण सी बात बन गयी है लेकिन मान्यवर, अब माननीय मुख्य मंत्री जी की पुलिस डकैती डालने में लगी है। मान्यवर, जब पुलिस डकैती करने लगे, पकड़ी जाय, पहचानी जाय तो यह घटना बड़ी असाधारण किस्म की हो जाती है। 23 मार्च को जनपद कानपुर के अन्तर्गत गांव बित्तियापुर, थाना मूसानगर में एक दर्जन डकैतों ने धावा बोला, प्यारे लाल के घर में धावा बोल दिया। . . .

मान्यवर, तमाम के तमाम डकैत अपना मुंह अंगोछा और तौलियों से ढके हुए थे लेकिन लट-पाट करते समय उनका मुंह खुल गया और वे पहचान लिये गये। जो लोग पहचाने गये उनमें एक राधेलाल नाम का पुलिस का सिपाही भी है और लखनऊ में ही नियक्त है । इतना ही नहीं, डकैतों ने हजारों रुपये की सम्पत्ति लटी और जब जाने लगे तो प्यारे लाल के भाई राम आसरे का अपहरण भी कर ले गये। उन्होंने जाते समय यह धमकी भी दी कि अगर उन्हें राम आसरे की जिन्दगी प्यारी हो तो वे 50 हजार रुपये दें दें। वह आज भी लापता है । पुलिस के लिये वह एक मिस्टरी बनी हुई है । इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा आप इस पर चर्चा करा दें । मैंने एक घटना की सूचना आपको नियम 51 में भी दी है कि पुलिस का एक सिपाही किसी के घर से लट-पाट करके ले गया और उसके घर में सोने के जेवरात भी बरामद हुए हैं । यह घटना मैनपुरी के बेवर थाने की है । आज यह स्थिति प्रदेश में हो रही है । पुलिस के लोग डकैती करने लगेंगे तो इस प्रदेश की क्या हालत होगी ? कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी सुरक्षित नहीं रह सकेगा । किसी के जान-माल की सुरक्षा नहीं हो सकती है । यह सरकार की मजबूरी है कि वह इस पर अंकुश नहीं लगा सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि चूंकि वह पुलिस का सिपाही पकड़ा गया है, पहचान लिया गया है डकैती में, तो यह एक गम्भीर और असाधारण घटना है। इसलिये मेरा आपसे पुन: आग्रह है कि आप इस पर चर्चा करा दें । . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें।

श्री लल्लू सिंह चौहान–

मैंने जो कार्य-स्थगन की सूचना दी है . . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसे शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है।

श्री लल्लू सिंह चौहान–

उससे समस्या का समाधान नहीं होता।

श्री अध्यक्ष–

यह परिपाटी तो आप लोगों ने ही रखी है।

श्री लल्लू सिंह चौहान–

उसे स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप खड़े होंगे तो राजेन्द्र कुमार गुप्त भी खड़े हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं खड़ा न होता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पुलिस के लोग ही डकैती में पकड़े जायेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी ? इसलिये शासन का ध्यान आकृष्ट करने से काम नहीं चलेगा, इस पर बयान दिला दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा प्यारे लाल जी के भाई राम आसरे का अपहरण किया गया है, इसकी जांच करायी जायेगी और जांच हो रही होगी . . .

श्री मोतीलाल दहेलवी–

यह एक गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप सुनिये। उसके बाद निर्णय तो मुझे करना है।

श्री अम्मार रिजवी–

डी0 आई0 जी0 रेन्ज का अधिकारी इसकी जांच करेगा और जो व्यक्ति लापता है, अपहरण किया गया है उसको किसी तरह से ढूंढ निकालने के लिये प्रयास किया जायेगा। जहां तक दूसरा आरोप है कि डाकुओं के बीच पुलिस का सिपाही पहचाना गया और इसमें लखनऊ का पता दिया है, इसके बारे में मैं आज ही डी0 जी0 को लिखकर भेजता हूं कि इसकी वे जांच करें वहां पर उस समय कौन-कौन लोग थे और किन-किन की रवानगी की गई है इसकी सूचना वे हमें दें।

(श्री ख्वाजा हलीम के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको बुलाया था, आप नहीं थे। नियमों का पालन कीजिये। मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये आपकी सूचना भेज दी।

मैंने माननीय मोतीलाल दहेलवी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। मैं इस विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं और बाकी सभी सूचनाएं अस्वीकार करता हूं।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,03,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,94,03,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो कृषि के योग्य क्षेत्र है वह करीब 203 लाख हेक्टेयर है जिसमें खेती की जा सकती है इसमें से अभी तक 174.08 लाख हेक्टेयर में खेती होती (इस समय 1 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए।) है। इतने बड़े प्रदेश में कृषि के लिए जितनी जमीन उपजाऊ है और जो हमको प्राकृतिक सुविधायें उपलब्ध हैं उसमें जितनी सिंचाई सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये वह हम पूरा नहीं कर पाये हैं। अभी तक जो सिंचाई की व्यवस्था हम कर पाये हैं वह आप को विदित है। जो आजादी के पहले सिंचाई यहां हो रही थी वह केवल 24 लाख हेक्टेयर में लगभग थी और अभी तक जो हमने काम किये हैं सिंचाई के क्षेत्र में एक सौ लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमने कार्य किया है। लेकिन अभी तक यह बहुत कम है और 54-55 परसेंट हम कर पाये हैं। हमारे बहुत से क्षेत्र हैं जैसे बुन्देलखण्ड, पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वांचल, मध्य यू0 पी0 और पश्चिम के बहुत सी एरिया हैं जहां पानी की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पायी है। और वहां सिंचाई की सुविधा प्रदान करनी है। हमारे साधन सीमित हैं और हमारा परिव्यय बहुत ज्यादा है तो इन सब बातों को देखते हुए असमानता अभी तक बनी हुई है। इस सब को कैसे दूर किया जाय और जहां पर अभी तक सूखा पड़ता रहा और जहां सिंचाई के बिलकुल साधन नहीं हैं जिससे वहां गरीबी बनी हुई है उसमें हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों को हम पहले प्राथमिकता दें।

आप जानते हैं कि हमारे यहां जो नदियां बहती हैं जिनसे नहरें निकालने का काम हमने किया है, अब हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नहरें निकाल सकें। इसको देखते हुए जो हमारा भूगर्भीय पानी है जो जमीन के अन्दर पानी है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाय इसको हम देख रहे हैं। दूसरा जो हमारी बड़ी-बड़ी नदियां हैं

जो वर्फ से निकलती हैं जैसे गंगा, जमुना, शारदा और गंडक आदि बहुत सी नदियां हैं जो वर्फ से निकलती हैं और जिनमें पूरे वर्ष पानी चलता है तथा बरसात के दिनों में पहाड़ों से रिजरवायर बनाकर जब पानी कम हो जाता है उस समय उसका इस्तेमाल किया जाय। तो इसमें मान्यवर, बहुत बड़ा काम है जिसमें धन भी बहुत ज्यादा लगेगा। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं जिसने लोगों को पानी मिल सके। इसमें हमारा एक ही रास्ता है कि राजकीय नलकूप लगायें और निजी नलकूप भी लगायें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी दे सकें। इस दिशा में हमने प्रयास किया है और जो हमारे साधन है उसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल लगा रहे हैं पिछले वर्ष एक वर्ष में 15 सौ ट्यूबवेल लगाये गये हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत से नलकूप बन गये हैं लेकिन पूरे न होने से सिंचाई नहीं हो पा रही है उसको पूरा करना है ताकि जल्दी से जल्दी सिंचाई हो सके।

लेकिन यह भी जरूरी है कि जहां नलकूप और सिंचाई के साधन नहीं दे पाये हैं उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं पानी पहुंचाने के लिये। हमारा प्रयास होगा इस वर्ष कि ज्यादा से ज्यादा नलकूप लगायें। मान्यवर, मुझे खुशी है कि विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 568 नलकूप लगाये और जो अच्छी दशा में चल रहे हैं और सिंचाई हो रही है। मान्यवर, द्वितीय चरण में विश्व बैंक से 2200 नलकूप लगा रहे हैं। 100 नलकूपों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और 600–700 नलकूप ऐसे होंगे कि उनको डाइरेक्ट लाइन से जोड़ें और जो अच्छी हालत में चले ऐसा प्राविधान करेंगे। इसलिये जो ज्यादा हम सुधार कर सकते हैं वह करेंगे।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को प्रथम स्थान दिया है। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत आबादी केवल खेती पर निर्भर करती है। इसलिये खेती पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिये पानी की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, हमने देखा है कि जिन क्षेत्रों में पैदावार पहले 5-6 मन होती थी वहां नहरें निकल जाने से और सिंचाई के साधन हो जाने से अब 40 मन हो गयी और जहां एक फसल पहले होती थी वहां अब दो फसलें होने लगी हैं। सिंचाई की सुविधा न होने से क्या पैदावार थी और सिंचाई की सुविधा के बाद में आज क्या पैदावार है, इस सबन्ध में मैं आंकड़े देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्न में 1960-61 में उत्पादन 144.86 लाख टन था वह 1982-83 में बढ़कर 262-82 लाख टन हो गया। इसलिए जो इतना उत्पादन बढ़ रहा है वह सिंचाई के कारण बढ़ रहा है और यदि पानी खेतों को न मिले तो नाममात्र की बढ़ोत्तरी होगी। यह भी सही है कि वर्षा कभी होती है कभी नहीं होती है। जब वर्षा हो जाती है तो फसल की और पैदावार अच्छी हो जाती है लेकिन वर्षा नहीं होती है तो खेत सूख जाते हैं। इसलिये प्रयास हो रहा है कि पिछले वर्ष जहां नहरें निकल सकती हैं वहां नहरें निकालकर सिंचाई की जा रही है। लेकिन आज यह भी देखने में आ रहा है कि नहरों में पानी नहीं रह जाता है, इसलिये जैसे बिहार में बड़े-बड़े रिजरवायर, जो बहुउद्देशीय योजनायें जिनसे बिजली पैदा करेंगे और सिंचाई एवं बहुत से काम किये जा सकते हैं, तो उसी प्रकार की योजनायें हम चलाना चाहते हैं और इस दिशा में हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ काफी पिछड़ रहे हैं। शुरू में जब योजनायें शुरू हुई थीं तो उस समय क्या था और आज क्या है, इसको जब हम देखते हैं तो 1978-79 में पहाड़ पर 2 प्रतिशत ऐसा क्षेत्र था जिसमें सिंचाई करते थे और आज 25 प्रतिशत पर हम पहुंच गये हैं। इसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में 32 प्रतिशत से 57 प्रतिशत पर पहुंच गये हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र में 19 प्रतिशत से 60 प्रतिशत पहुंच गये, बुन्देलखण्ड में 12 प्रतिशत से 38 प्रतिशत पर पहुंच गये हैं और पूर्वी क्षेत्र में जहां सिंचाई न के बराबर यानी 2 प्रतिशत थी वहां 68 प्रतिशत पर पहुंच गये हैं। इसलिये आप देखेंगे कि किस तरह उन क्षेत्रों में जो सूखे थे वहां आज हमने सिंचाई की सुविधा प्रदान किया है जिससे उत्पादन बढ़ रहा है और कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में पैदावार कम हो रही है। मान्यवर, आज हमारी पैदावार इतनी अधिक है कि हमारा प्रदेश सरप्लस स्टेट हो गया है और खाद्यान्न हम बाहर भेज रहे हैं जो कि खुशी की बात है। हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करेंगे और पैदावार बढ़ायेंगे जिससे कई प्रदेशों को हम ज्यादा से ज्यादा खाना दे सकते हैं।

मान्यवर, हम दो-तीन बातें कहना चाहते हैं। हमारी बहुत सी नहरें पुरानी हैं। गंगा और यमुना की तो बहुत पुरानी नहरें हैं। वह इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनके कारण हमको डर हो गया है। उसमें बहुत से साइफन और पुल भी कमजोर हो गये हैं। यू0पी0 कम्पोजिंग प्लान बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत पूरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण 170 करोड़ रुपये से किया जाएगा और यह कार्य 6 वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो हमारा यह प्रयास है कि जो नहरें हैं उनको ठीक कराना है और उनमें हमें पानी बढ़ाना है। विश्व बैंक की सहायता से यह कार्य हम करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारे जो बड़े-बड़े मल्टो परपज प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो रिजरवायर हैं, जैसे कसाऊ है, मनेरी भाली है एसी बहुत सी हैं, इनका सर्वे हमने कराया है और हम बहुत पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो परिव्यय है, वह इतना कम है, जिससे हम जितना करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसलिए यह देखना है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को कैसे चलाएं। इसलिए हमने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि हमारी टिहरी योजना जो 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है, जो हम कई वर्षों से चला रहे थे, उसमें जितना काम करना चाहते थे, धनाभाव के कारण नहीं कर पाये हैं। उसके बारे में यह कह रहे हैं कि यह योजना भारत सरकार, विश्व बैंक आदि से सहायता लेकर यदि बनवा दें तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। इसके साथ जो दूसरी योजनाएं हैं, भाली, मनेरी, विष्णुप्रयाग, श्रीनगर आदि की इनको प्रदेश के द्वारा पूरा कराया जाए। रिजरवायर बनाकर नदियों के पानी को हम विभिन्न योजनाओं के द्वारा रोकना चाहते हैं। क्योंकि जहां आवश्यकता है पानी न रोके जाने के कारण उससे बड़ी भयंकर बाढ़ असमय में आती रहती है

और हमारे यहां निरन्तर बिजली की भी सभी क्षेत्रों में कमी बनी रहती है चूंकि हमें अधिक बिजली की आवश्यकता है, इसलिए इस तरह से बाढ़ रुकेगी और उससे हम बिजली भी बनाएंगे ।

आज हमारे ट्यूब वेल्स बिजली की भारी कमी के कारण 6-8 घंटे चलते हैं, जबकि वह 24 घंटे चलने के लिए बनाए गये हैं । लोग कहते हैं कि नलकूपों में घाटा हो रहा है, तो वह घाटा तो होगा ही जब वह कम समय चलेंगे । इसलिए विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत जो नलकूप बनाये जा रहे हैं, उसमें 18 घंटे जरूर बिजली मिले, इस निश्चय के साथ हम इसमें काम कर रहे हैं । इसलिए डायरेक्ट लाइने जोड़ी जा रही है । आगे और भी जो नलकूप हम विश्व बैंक से मांगने की कोशिश करेंगे उसमें भी यही व्यवस्था करेंगे । बिना इसके हमारा काम नहीं चल सकता है । हमारे थर्मल पावर हाउस बहुत बन रहे हैं, लेकिन उसमें खराब कोयले की सप्लाई और समय से कोयले की न सप्लाई आदि की बहुत सी समस्याएं है, जिससे उनके द्वारा बिजली उत्पादन से हमें और तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उत्पादन कार्य में बाधा पैदा होती है ।

हमारी जो हाय-डिल स्कीम हैं, उसमें हम यह कहते हैं कि जो स्कीम हमने बनायी है या बनाने जा रहे हैं, 6/7 साल में उसका पूरे का पूरा पैसा रिटर्न होगा और सरकार को उसकी आमदनी होगी । इसलिए यह भी देखना है कि जो पैसा हम व्यय कर रहे हैं, उसका हमें समय पर रिटर्न मिले । 6 हजार मेगावाट बिजली हम अपने उत्तर प्रदेश में हायडिल के जरिये पैदा कर सकते हैं । यह हो जाए तो हम उत्तर प्रदेश को ही नहीं अन्य प्रदेशों को भी बिजली दे सकते हैं । उससे हमारी सिंचाई की सारी आवश्यकता तो पूरी होगी ही, साथ ही हम अपने घरेलू उद्योग धंधों को, कल-कारखानों को भी पूरी ताकत से चला सकेंगे । जो कल कारखाने बिजली की कमी के कारण पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं, उनको पूरी बिजली मिलेगी । अगर पैदावार बढ़ जाए, उद्योग धंधे लग जाए और कारखानों में उत्पादन बढ़ जाए तो यह प्रदेश और देश में गरीबी नहीं रह जाएगी ।

हमारा प्रयास यह भी होगा कि छोटी-छोटी यानी मिनी हाइडिल स्कीम को चलाएं ।

मान्यवर, जो हमारी शारदा सहायक की नहरें बनी हैं इनसे सीपेज की समस्या भी बहुत बड़ी पैदा हो गयी है और इस ओर भी हमारा ध्यान है । जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, इसके लिये हम एक ड्रेन बनाने जा रहे हैं और उसके द्वारा पानी की निकासी हो सकेगी । फिर भी यह समस्या बड़े व्यापक है । करीब 18 हजार हेक्टेयर भूमि में सीपेज होता है इस शारदा सहायक से इसको धीरे-धीरे कम किया जायेगा । जिस तरह से हम तेजी से काम करना चाहते हैं, मान्यवर, धन की कमी के कारण, हम उतनी तेजी से काम कर नहीं पा रहे हैं । अगर और अधिक धन की व्यवस्था हो गयी तो हम और तेजी से काम कर पायेंगे ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि इसमें तमाम नदियां बहती

हैं, जो हिमालय से आती हैं और वर्षा काल में काफी पानी लाती हैं और उसके कारण हमारा सारी तराई बेल्ट पानी में डूब जाती है। बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। कटान भी होता है। इस सब के कारण भी आये दिन परेशानी बनी रहती है। कुछ नदियां हमारी जैसे शारदा, घाघरा, राप्ती, गन्डक इत्यादि हैं ये नैपाल से आती हैं और हमारे यहां पानी छोड़ती हैं जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र में हर साल बाढ़ का प्रकोप बना रहता है और हर साल काफी तबाही बहराइच, गोंडा, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी आदि जिलों में होती है। पश्चिमी क्षेत्र में भी, मथुरा, आगरा, बुलन्दशहर, सहारनपुर आदि जिलों में बाढ़ से हर साल हानि होती है। तो बाढ़ की समस्या से भी निपटने के लिये हमारा प्रयास निरन्तर जारी है। हमारी करीब 50 लाख हेक्टेयर भूमि जल प्लावित बाढ़ के कारण होती है। इससे भी बड़ा नुकसान होता है। पर हमें इससे निबटने के लिये काफी धन की जरूरत है। इस सबसे निबटने के लिये हमें करीब 2 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। इतना धन मिलना बड़ा कठिन है। फिर भी जितना धन हमें उपलब्ध हो पाता है उसके अनुसार हम प्रयास करते हैं।

नलकूपों के खराब होने के बारे में भी शिकायत बनी रहती है। यह सही है कि नलकूप अगर खराब होगा तो उसका असर फसल पर पड़ेगा। वह बरबाद हो जायेगी। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि नलकूप खराब न होने पाये-चाहे वह बिजली के कारण या अन्य किसी कारण से। उसके लिये यदि वह खराब होता है, तो जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जायेगा, या यदि किसी की लापरवाही पायी जायेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। किसी भी फसल को पानी न मिलने के कारण अगर सूखती है तो यह बड़े दुख की बात है। इसलिये मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दे दिये हैं कि वे इसे देखें और इस तरह की शिकायत न मिलने पाये।

मान्यवर, मैंने संक्षेप में कुछ बातों को बतलाया है। माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात्, जो उनके बहुमूल्य सुझाव आयेंगे उसके बाद, मैं उनका बिस्तार से जवाब दूंगा तथा कुछ अन्य बातों को सदन के सामने रखूंगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव भी आ जायें ताकि हम उससे लाभान्वित हो सकें। उससे निसन्देह विभाग को लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा करें।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर

एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, भारत कृषि प्रधान देश है और उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है क्योंकि औद्योगीकरण में आप सबसे पीछे हैं । उत्तर प्रदेश की जीविका का जो प्रधान कारोबार है जो जीविका का साधन है वह कृषि है । कृषि की उपज को बढ़ाने का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब पूरी भूमि की सिंचाई विधिवत् तरीके से की जाय । लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी भूमि को सिंचित करने का प्रयास नहीं हुआ है इसीलिये हम पिछड़े हुये हैं । मंत्री जी केवल श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के आर्थिक बाग को सिंचन करके उनकी आर्थिक पूंजी को बढ़ाने की दिशा में यह पूरी तरह से दत्तचित्त हैं और प्रदेश के सिंचाई के कामों को छोड़ने में यह माहिर हो रहे हैं ।

मान्यवर, इस प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें 86 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और खेती से उनकी जीविका चलती है । जैसा कि मंत्री जी ने कहा 203 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई करने के योग्य है उसमें से 175 लाख हेक्टेयर के करीब करीब सिंचाई हो पाती है । इसमें से 68 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें दो फसलें तैयार हो जाती हैं । बाकी जमीन असिंचित है और असिंचित होने के कारण कृषि की जितनी प्रगति होनी चाहिये और जो उपज होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है और किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता है । इस प्रदेश का सरप्लस वाटर 262 मिलियन एकड़ फीट है । उसमें से 45 मिलियन एकड़ यूज करने की घोषणा किया है और उसमें भी यह पिछड़े हैं । सिंचाई के साधन कम होने के कारण और पूरी सिंचिन क्षमता का उपयोग न होने के कारण इस प्रदेश की जनता दिन प्रतिदिन गरीबी की रेखा से नीचे होती जा रही है और उसको सुधारने की दिशा में काम नहीं हो रहा है । हमारा सिंचाई का जो बजट है, आप देख लें कि हर साल सिंचाई का बजट लगभग पांच प्रतिशत बढ़ रहा है । 81-82 में 321 करोड़ रुपये का बजट था और 82-83 में यह 471 करोड़ रुपये हो गया ।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जबसे हिंदुस्तान आजाद हुआ है और उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग का निर्माण हुआ है और सिंचाई विभाग में जितने पैसे का प्राविधान किया गया है अगर केवल उन पैसों और नोटों से अगर नदियों के किनारे बांध बना दिये गये होते तो आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ न आती । पूरे बजट का दुरुपयोग सिंचाई विभाग में हो रहा है । जितनी सिंचन क्षमता नहरों की होनी चाहिये, ट्यूबवेलों की होनी चाहिये, उतनी नहीं है, इसके अलावा जो बाढ़ हर साल आती है और जो उसकी रुकावट का काम होता है वह विधिवत् तरीके से नहीं होता है इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग पर अंकुश लगाइये और नियमित रूप से जो पैसा बजट से पास होता है वह इन कार्यों पर लगाया जाए । कितना लाभ या कितना घाटा हो रहा है इन सारी बातों का लेखा-जोखा मंत्री जी को रखना चाहिये । जितना पैसा सरकार सिंचाई पर खर्च

करती है उसका टर्न ओवर केवल 3 फीसदी आता है और बाकी सब बेकार हो जाता है। इस वर्ष अधिष्ठान पर लगभग 63 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। 63 करोड़ रुपये का खर्च अधिष्ठान पर कर रहे हैं। 7-8 करोड़ रुपया केवल हर वर्ष यात्रा भत्ता पर खर्च होता है और केवल यह जो अनुत्पादक पर इनका सबसे अधिक खर्च पड़ रहा है, इसलिए सिंचाई से जो लाभ होना चाहिए प्रदेश के किसानों को वह फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको आप करिये, ट्यूब बेलों की संख्या आपने दिया है कि 23, 347 हजार के करीब है, जो आपने बोरिंग किया है। जनता पार्टी की सरकार में हर साल 1400 ट्यूब बैल लगाने का प्रावधान था और उसमें लगाया गया। तीन साल में 4200 ट्यूब बैल जनता पार्टी की सरकार में लगाया गया था, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक इस प्रदेश के किसानों की दशा ठीक नहीं होगी, तब तक प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर जनता पार्टी की सरकार ने 4200 ट्यूब बैल लगाने का काम किया था।

मान्यवर, इनकी सरकार को कितनी चिन्ता है, पिछले साल इन्होंने 600 ट्यूब बैल लगाये हैं और इस साल 568 लगाने की बात है। आज तक के बाद इन्होंने 25-26 सौ ट्यूबवेल लगाने का काम किये हैं। इसी से अन्दाजा लगा लीजिए कि जनता के प्रति ये कितने संजीदा हैं और सिंचाई के प्रति ये कितने उदासीन हैं। इनके सरकारी बोरिंग किये गये ट्यूब बेलों की संख्या लगभग 23.347 हजार है और प्राइवेट ट्यूब बेलों की संख्या 150 लाख है। छठी पंचवर्षीय योजना में 20 लाख हेक्टेयर पोटेंशियल क्रियेट करने का इनका लक्ष्य था। सूखी एरिया के लिए इनका डी0 पी0 ए0 पी0 प्रोग्राम में 8 करोड़ रुपया लगने की योजना थी, परन्तु इनकी नालायकी के कारण यह प्रोग्राम भी सफल नहीं हो पाया। इनके इस प्रोग्राम में कौन से कार्य हुए, और कौन से कार्य नहीं हुए आज तक कुछ पता नहीं चला। वह रुपया इनको मिला या नहीं मिला, लेकिन यह मान लीजिए कि इनकी असफलतायें और नाकामयाबी के कारण इनका वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया पिछले वर्ष ही कि 45 जनपदों में ड्रेनेज प्लान इन्होंने बनाया है, जिसमें लगभग 36 जिलों की ड्रेनेज योजनाओं पर काम करने का इरादा रखा। श्रीमन्, प्रदेश में ड्रेनेज की समस्या महत्वपूर्ण समस्या है, पानी का निकास उतना ही आवश्यक है, जितनी सिंचाई आवश्यक है।'

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे माननीय सदस्य ने परदेश कहा है। मान्यवर, माननीय सदस्य प्रदेश की बात न करें।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें आप क्या व्यवस्था चाहते हैं? माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं। उनको बोलने दीजिए।

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, ड्रेनेज व्यवस्था को बनाने के लिए एक टी0ए0सी0 संस्था है, वह संस्था दिल्ली और लखनऊ की है यहां पर नाप-तौल करके रिजेक्ट कर देते हैं। आप ड्रेनेज की खुदान तथा पानी

की निकासी की अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, तो जिले के लेवेल के अधिकारियों के ऊपर यह काम छोड़ दें । जिला लेवेल के अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से प्लान बनाये जायं, जिससे जल निकासी की व्यवस्था हो सके । मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह मामला है, ड्रेनेज की, सीपेज की इस समस्या ने प्रदेश को बिल्कुल अस्त-व्यस्त कर दिया है । मैं अपने जिले की बात कहता हूं । बलिया जनपद तीन तरफ से नदियों से घिरा है। एक तरफ गंगा, एक तरफ घाघरा तथा ये दोनों नदियां पूरब में जाकर मिल जाती हैं । बीच में आजमगढ़ की तरफ 7-8 छोटे-छोटे नाले बलिया जिले से होकर निकलते हैं, जिसमें सारा बरसात का पानी उधर से आता है और चूंकि तीनों तरफ से नदियों से घिरे होने के कारण इनका पानी बाहर नहीं हो पाता, जिससे पूरा जिला जल-प्लावन से ग्रसित हो जाता है । फसलें चौपट हो जाती हैं मकान गिरने लगता है और बरसात के दिनों में तीन तरफ से नदियों का पानी, तथा बरसात का पानी ड्रेन के माध्यम से आता है और दूसरे जनपदों का पानी आता है और पूरा बलिया जलमग्न हो जाता है।

जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । एक बार 77 में हिन्दुस्तान के माने जाने टेक्निकल अफसर पहुंचे थे बलिया में । उन्होंने सुझाव दिया था कि बाढ़ आती है तो बहुत बड़े पम्प योजना के माध्यम से ड्रेनों का पानी इकट्ठा करके पम्पों के माध्यम से बांध के बाहर नदी में बाहर फेंका जा सकता है । बरसात में जो मकान ढहते हैं, जो फसल डूब जाती है । मकान और फसल को बचाया जा सकता है । लोगों की जीविका को बचाया जा सकता है । लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ज्यों ही बरसात शुरू होती है पूरे प्रदेश में, बाढ़ आ जाती है । पूरे प्रदेश में बरसात ज्यों ही शुरू होने वाली होती है इंजीनियर ड्रेनों की सफाई का ठेका दे देते हैं । ठेकेदार एक दो किलोमीटर सफाई करता है और बरसात का पानी आ जाता है और पूरी ड्रेन का पैसा ले लेता है और उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है । मैं कहना चाहता हूं कि ड्रेनों की सफाई जल निकासी के लिये प्रदेश की अहम समस्या है । इसका हल तत्काल प्रभावी ढंग से कोई न निकाला गया तो जो सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का प्रयास है, किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास है उसको सीपेज की समस्या और जल निकासी की समस्या सब चौपट कर देगी । मान्यवर, हमारे यहां भू सर्वेक्षण विभाग मौजूद है । भूसर्वेक्षण विभाग का सिंचाई विभाग के साथ आपसी तालमेल न होने के कारण आप यह सीपेज की समस्या हो गयी है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में भसर्वेक्षण विभाग को शामिल कर लें । वह सिंचाई विभाग को सुझाव देगा कि कहां नहर निकाली जाय, कहां जलस्तर ऊपर है, कहां जल स्तर नीचा है । मान्यवर, सीतापुर, बाराबंकी में सीपेज की समस्या के कारण भखमरी की समस्या होती है । इस समस्या के हल के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया । भू-सर्वेक्षण विभाग और सिंचाई विभाग में जब तक तालमेल नहीं होगा, आपसी सहयोग से काम नहीं करेंगे, सीपेज की समस्या हल नहीं हो सकती है और भखमरी की समस्या होती रहेगी । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में मंत्री जी सोचें।

मान्यवर, मथुरा जिले में गोबर्धन ड्रेन है । मान्यवर, हरियाणा और राजस्थान से पानी आता है और मथुरा डूब जाता है । हरियाणा ने ड्रेनों के अपने तरफ के किनारे ऊंचे कर लिये हैं और मथुरा की तरफ इसका भीटा नीचा कर दिया है । जिसके कारण सारा पानी मथुरा जिले में आ जाता है और यह जिला डूब जाता है । इस ड्रेन के कारण मथुरा तबाह है । सीपेज और ड्रेन की समस्या से सबसे अधिक मथुरा, बलिया, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी प्रभावित हैं और इसमें भुखमरी की स्थिति हो जाती है । गत वर्ष बाढ़ आयी, हर साल बाढ़ आ रही है । मान्यवर, इस बाढ़ आने का एक मात्र कारण है कि बहुत दिनों से नदियों की सफाई नहीं हो पा रही है । नदियों में रेत भर रहा है नदियों का तलहट उंचा हो गया है ।

श्रीमन्, जब नदियों में स्टीमर और जहाज चलते थे उस वक्त नदियों की सफाई की जाती थी । नये पुलों के बनने के कारण यातायात के तमाम दूसरे साधन हो जाने के कारण बड़े जहाजों का चलना बन्द हो गया है । मान्यवर, जब से जहाजों का चलना बन्द हो गया है तब से नदियों की सफाई भी बन्द हो गयी है । इस कारण हर साल प्रदेश में इतनी बाढ़ आती है कि जितनी खरीफ की फसल होती है उसका तीन हिस्सा उत्पादन बाढ़ की चपेट में आ जाता है । मान्यवर, जिन हिस्सों में कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां भी बाढ़ ने सब चौपट कर दिया है और बाढ़ के लिए कोई मास्टर प्लान बनाकर ऐसी बड़ी योजना नहीं चलायी जिससे इस प्रदेश में आने वाली भयंकर बाढ़ का सामना किया जा सके । जिसकी वजह से मान्यवर, 33,34,35,36 करोड़ रुपये तक का घाटा बाढ़ में होता है बाढ़ के कारण किसानों की फसल की बहुत क्षति होती है । मान्यवर, चार सौ, पांच सौ करोड़ के करीब पिछले साल बाढ़ में घाटा हुआ था इसके अलावा राजस्व विभाग से जो अनुदान के रूप में जो रुपया मिलता है वह अलग है इस तरह से बाढ़ की विभीषिका में पांच सौ छः सौ करोड़ रुपये का घाटा होता है इन सबके लिये कोई ठोस उपाय किया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है, सिंचाई मंत्री के लिए दुर्भाग्य है और सिंचाई अधिकारियों के लिए दुर्भाग्य है कि प्रदेश में बेईमान अफसर हैं । लेकिन मैं जानता हूं कि जहां प्रदेश में बेईमान अफसर हैं वहीं ईमानदार अफसर भी हैं । तो ऐसे अफसर को अगर मंत्री जी की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता तो वह निश्चित ही ऐसे प्लान बनाने में सहयोग करते । मान्यवर, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार अब सदाचार हो गया है । सिंचाई विभाग का काम अब सिंचाई की क्षमता बढ़ाना नहीं ट्यूबवैल की क्षमता बढ़ाना नहीं ? परन्तु ओवरसीयर इंजीनियर के तबादले करने में वह उलझे रहते हैं सारा कार्य ट्रांसफर में उलझ कर रह गया है । तो स्थानान्तरण के संबंध में एक नीति बनानी चाहिए आप कहें कि एक बार जो स्थानान्तरण हो गया है अब मैं दुबारा किसी का नहीं करूंगा ।

आप बुरा नहीं मानेंगे इसी तरह की चर्चा आपके दल के कुछ लोग करते हैं कि इस स्थानान्तरण में भारी घूस का बोलबाला हुआ है। मान्यवर, इंजीनियर अपना स्थानान्तरण रुकवाने के लिए 50 हजार, 10 हजार रुपया देकर

एक जगह 10-10 साल रहने का काम करता है वह प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का काम नहीं करता है। इसमें मंत्री जी को कितना देते होंगे यह मंत्री जी जानें और मंत्रिमण्डल के लोग जानें या उनका विभाग जाने। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप बाढ़ को रोकना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई बड़ी योजना बनानी होगी। मान्यवर, एक बार मैं बाहर गया था वहां मान्यवर, नदियों के तटों को बांध दिया गया है वे किनारे को काट नहीं सकतीं। हर साल बाढ़ से इस प्रदेश के कई हजार गांव नदी की गोद में चले जाते हैं और वहां के लोगों की खेती तो बर्बाद होती ही है, रहने के लिए भी अनाश्रित हो जाते हैं। लेकिन कटान को रोकने के लिए कोई भी मास्टर प्लान सिंचाई विभाग अब तक नहीं बना पाया। कहीं कटान होता है तो मंत्री जी को रुपया दे देते हैं परन्तु वह कटान जहां होता है वहां अधिकारी तुरन्त जीप लेकर जाते हैं वहां दो-चार ट्रक लकड़ी काट कर या दूसरा समान गिरा देते हैं दो-चार ट्रक बोल्डर गिरा देते हैं और कहते हैं कि हमने चार सौ-पांच सौ बोल्डर गिरा दिए वह पानी में बह गये। 400–500 ट्रक बोल्डर गिराने की बात कागज पर दिखा कर पैसा ले लेते हैं। यह बेइमानी हर जिले में होती है और होती रहेगी जब तक आप मास्टर प्लान नहीं बनाते हैं।

अगर कटान का मामला आगे बढ़ जाता है तो पीचिंग का काम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक कटान रोकने के लिये तमाम विभागीय इंजीनियरों को बैठाकर कोई बढ़िया सा मास्टर प्लान तैयार नहीं करेंगे, उनकी पूरी राय करके कि पूरे प्रदेश में कटान न हो तथा इसको कैसे रोकें इस विषय पर जब तक एक आयोग बैठाकर पूरी जांच करके योजना नहीं बनायेंगे, तब तक ये घूसखोर और चोर जो अधिकारी हैं, वह दो बोल्डर गिराकर 400 ट्रक का पैसा लेते रहेंगे और सिंचाई विभाग का विनाश करते रहेंगे। आप पैसा देते रहेंगे, लेकिन प्रगति नहीं हो सकेगी और सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार में डूबा रहेगा। आप ऐसी जगह से आये हैं, जहां सिंचाई की बहुत आवश्यकता है, जहां की जनता सिंचाई पर निर्भर करती है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी, आप कितना समय और लेंगे। बहुत से सदस्य अपने क्षेत्रों के बारे में भी कहना चाहते हैं, आपको तो बाद में भी समय मिलेगा।

श्री राम गोविन्द–

श्रीमन्, अभी तो काफी समय चाहिए। आपका ट्यूबवेल विभाग है, वह बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गया है। जब भी रबी की बुआई और खरीफ का समय आता है हर जनपद में, माननीय मंत्री जी अपने जनपद में देखे होंगे, 80 प्रतिशत ट्यूबवेल बेकार पड़े रहते हैं। बिलकुल बेकार। श्रीमन्, जहां ट्यूबवेल बेकार पड़े रहते हैं और सिंचाई की आवश्यकता होती है बड़े पैमाने पर, उस समय क्या माननीय मंत्रीजी कोई ऐसी जांच पड़ताल करवायेंगे कि कितने ट्यूबवेल खराब रहते हैं यहां पर। इसके बारे में अगर माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं, तो उत्तर में यदि 30 खराब होते हैं तो बताते हैं कि एक खराब है। मैंने अपने जिले के लिये प्रश्न किया कि उपलब्ध ट्यूबवेलों में से कितने चल रहे हैं और कितने खराब हैं। उसके लिये

माननीय, चीफ इंजीनियर द्विवेदी जी 47 खराब ट्यूबवेलों की लिस्ट लेकर बलिया से आये और 15 दिन के बाद सदन में बताया गया कि एक ट्यूबवेल खराब है । चीफ इंजीनियर द्विवेदी 47 के आंकड़े लेकर गये और आठ दिन बाद यहां आया कि एक खराब है । ट्यूबवेल की नालियों की हालत भी दयनीय है । गूलें बनाने के लिये जो पैसा मिलता है उसका भी सही उपयोग सही रूप में नहीं होती है । नालियां एक किलोमीटर और डेढ़ किलोमीटर भी अब तक नहीं बन पायी है । नालियां तो अगर बन भी गयी है, गूल के लिये कहते है कि विभाग में पैसे नहीं है । ट्यूबवेल की मरम्मत के लिये विभाग में पैसे का प्राविधान है, लेकिन कोई काश्तकार रिपोर्ट दे कि ट्यूबवेल खराब है तो जो मिस्त्री जाता है वह कहता है कि हमारे विभाग में मरम्मत के लिये पैसा नहीं है, चन्दा लेकर धन दो तो बना दें । चन्दा लेकर पैसा देते हैं तो वह ट्यूबवेल बनाता है और जो सारा सामान है, वह नकली लगा देता है । जिससे श्रीमन् एक माह डेढ़ माह भी ट्यूबवेल नहीं चल पाता और खराब हो जाता है। आपने करीब साढ़े तीन सौ एकड़ कमाण्ड एरिया रखा है । अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं कि कोई एक ट्यूबवेल पूरे प्रदेश का बता दें जो डेढ़ सौ एकड़ की सिंचन क्षमता रखता हो ।

आज कोई भी ऐसा ट्यूबवेल नहीं है जो डेढ़ सौ एकड़ भूमि की सिंचाई करता हो। यदि कोई ऐसा ट्यूबवेल तकनीकी कारण और बिजली न मिल पाने के कारण खराब है, तो माननीय मंत्री जी कृपा करके उसे बता दें । तकनीकी खराबी के कारण और बिजली न मिल पाने के कारण आज प्रदेश में कोई भी ट्यूबवेल 50 एकड़ से ज्यादा भूमि की सिंचाई कर पाने में समर्थ नहीं है। नालियां टूटी हुई हैं, और यदि कहीं पर नालियां बनाई गई हैं तो साइफन नहीं लगाया गया है और कहीं पर साइफन लगाया गया है तो उसे चूहे काटे जा रहे हैं और इनकी मरम्मत के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो इनकी सिंचाई क्षमता कैसे बढ़ रही है? माननीय मंत्री जी कह देंगे कि आजादी के बाद हमने बहुत प्रगति की है। वास्तव में जो प्रगति इन्होंने की है, उसे आप देखें। आज किसान के खेत तक पानी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, नालियां नहीं हैं। आज ट्यूबवेल विभाग की हालत यह है कि इस विभाग ने 25–30 करोड़ रुपए का सामान खरीद के रखा है जिसकी न तो कोई आवश्यकता ही थी और न ही इसकी कोई उपयोगिता, केवल कमीशन खाने के लिए यह सामान खरीदा गया है और वह सारा का सारा सामान गोदाम में सड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करें कि कौन अधिकारी ने इसे खरीदा और किस प्रयोग हेतु उसने यह सामान खरीदा। वह सामान काम में आया है कि नहीं। यदि उसका उपयोग नहीं किया गया है तो उसमें कितने धन का अपव्यय हुआ है और इसके लिए कौन से अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस पूरे मामले में माननीय मंत्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्रीमन्, केन्द्रीय योजना आयोग ने पूरे हिन्दुस्तान में 36 योजनाओं को टेक-अप किया, जिसमें 2 योजनायें इस प्रदेश की भी हैं। एक शारदा सहायक और दूसरी अपर गंगा योजना थी। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ-साफ निर्देश दे दिये हैं कि पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में नहरों की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। यही कारण था कि योजना आयोग ने पैसा नहीं दिया। श्रीमन्, नहरों की सफाई कब की जाती है, जब बोवाई का समय आता है या जब फसल के बोवाई या सिंचाई का समय आता है, उस समय इनके कुछ इन्जीनियर अपने चहेते ठेकेदारों को इसकी सफाई का काम दे देते हैं। श्रीमन्, यह ठेका उस समय दिया जाता है जब सिंचाई की चरम सीमा होती है। यह सब इसलिए दिया जाता है कि ठेकेदारों को पैसा मिल जाय और अधिकारियों को कमीशन। फलस्वरूप किसान के खेत में पानी नहीं जाता है उसकी फसल चौपट हो जाती है। माननीय मंत्री जी मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि आप किसानों की हालत को सही तरह से जानते हैं, क्योंकि आप भी किसान के लड़के हैं और उस जगह से आते हैं, जहां किसानी होती है आप इसे गहराई से देखें। यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस बात पर इस प्रदेश की जनता अपनी यह चिन्ता प्रकट करने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोलमाल में माननीय मंत्री जी भी भागीदार हों?

श्रीमन्, लिफ्ट इरीगेशन, इनके विभाग का एक महकमा है। यह महकमा बिलकुल बेकार है। इसमें जितना पैसा लगा है वह बिलकुल बेकार लगा है। इससे सिंचाई का कोई काम नहीं होता है। इससे बहुत से बहुत 10 या 15 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इस विभाग में जितने इन्जीनियर, सुपरवाइजर और कर्मचारी लगे हैं, अगर इस विभाग से 10 रुपए की सिंचाई होती है, तो खर्च 300 रुपये हो जाता है। इसलिए इस प्रदेश में, खासकर मेरे यहां तो, यह योजना बेकार पड़ी हुई है। यदि आप इसकी जांच पड़ताल कर इसकी सिंचाई क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और इसकी मशीन को ठीक करना चाहते हैं, तो ठीक है अन्यथा इस विभाग को आप बन्द कर दें। इस प्रकार इस बेकार विभाग पर इस गरीब प्रदेश की जनता का पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है।

माननीय, हमारे जनपद बलिया में दोहरी घाट पम्प कैनाल योजना है, उसमें 8 पम्प हैं। उसमें दो ओवरसियरों को आपसी झगड़े में कि यह ओवरसियर यहां नहीं रहेगा, यह ओवरसियर यहां रहेगा, इस झगड़े में रबी की फसल चौपट हो गयी है। उसमें यह स्थिति हो गयी कि 4 पम्प चले, बाद में 2 पम्प चले फिर एक पम्प चलने लगा। तमाम लोग जिलाधिकारी वगैरह से मिले, तमाम बातें हुईं, अब कहीं दो पम्प वहां चल रहे हैं। अगर आठों पम्प चलते, तो माननीय, जिले का बिल्कुल कल्याण हो जाता। लेकिन चूंकि वहां कमीशन का पैसा है, वहां पैसे का खेल है, इसलिए उसमें वहां कौन मन लगाकर के बैठे। इन ओवरसियरों के झगड़े के कारण वहां जो 8 पम्प हैं, उनमें केवल दो ही चालू हालत में हैं। माननीय मंत्री जी क्या

एसी जगह पर हस्तक्षेप करके इस झगड़े का निपटारा नहीं करा सकते हैं कि कौन ओवरसियर वहां रहेगा, कौन नहीं रहेगा?

उन आठों पम्पों के न चलने के कारण बलिया जनपद के तमाम कृषकों की फसलों को नुकसान हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप में दम है, तो वहां के लोगों को जो नुकसान हुआ है फसल का, उनका मुआवजा देने का काम करें। क्योंकि यह आपके विभाग के ओवरसियरों के झगड़े के कारण यह फसलें चौपट हो गयी हैं। श्रीमन्, मैं इसके अतिरिक्त कहना चाहूंगा कि एन0 आर0 ई0 पी0 में जो पैसा खर्च हो रहा है, उसकी बाबत सुझाव है कि जो आर0 ई0 एस0 या पी0 डब्लू0 डी0 मिट्टी का काम कर रहा है सिंचाई योजना में, एन0 आई0 ई0 पी0 का जो पैसा है, उससे कम से कम नहरों की पिचिंग करा दें। नहरों की पिचिंग हो जाने से, जो सीपेज वाली समस्या है, वह कम हो जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहूंगा कि नहरों का कमाण्ड एरिया बंटा है, लेकिन उसके अधिकांश एरिया में पानी नहीं पहुंचता है। नहरें तो सोर्स से बन जाती हैं। इंजीनियर का नक्शा बन जाता है, तो एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 और इसी तरह के लोग उसकी बाबत जाते हैं कि इसमें हमारे फलां रिश्तेदार का खेत है, इसमें यह चीज आ जायेगी, इसका डाइरेक्शन बदल दिया जाय। तो, जब इस तरह सोर्स आदि से नहरों का डायरेक्शन बदल दिया जाता है, तो जो नहरें बनती हैं तो वह भली प्रकार कार्य कैसे कर सकती हैं? वह ऊंची-नीची जगहों से गुजरती हैं, इसके कारण, जहां पर उचित स्थान पर पानी पहुंचना चाहिए, वहां पानी नहीं जाता है। इसके अलावा आपने उसके कमांड एरिया में ट्यूबवेल पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। तो मान्यवर, इस तरह से आप देखें, जिन नहरों के कमांड एरिया में, पूरे एरिया में पानी नहीं जा रहा है, आप वहां सरकारी ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करें, जिससे वहां के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि उस प्रतिबन्ध को शिथिल कर ऐसे स्थानों पर, सरकारी ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करवायें।

इसके अलावा मैं इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की दो-एक बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, भ्रष्टाचार भी सिंचाई विभाग में बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

भ्रष्टाचार के अलावा चौधरी साहब को कुछ दीखता ही नहीं है।

श्री राम गोविन्द–

आप भी जब क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां आपको दिखाई पड़ता है, यहां पर आप नहीं कह सकते, लेकिन वहां जाने पर आपको दीखता है।

श्रीमन्, पर साल बजट पास हुआ, बजट के समय ही यहां कह दिया गया कि हमें यहां से पैसा जिलों को सीधे भेज देंगे। हमको, जहां तक विश्वास है कि पैसे के अभाव में किसी भी जनपद में कोई भी सिंचाई संबंधी कार्य नहीं हुआ। न तो कहीं छोटी माइनर ही बनी है। छोटी नहरों पर पुल तक नहीं बने हैं, उसकी बाबत कहा यह गया कि पैसे का अभाव है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि केवल भ्रष्टाचार ही

दीखता है। मान्यवर, जब यह क्षेत्र में जाते होंगे, तो इनको वहां भ्रष्टाचार दीखता होगा, यहां उसे वह नहीं कहते। जब आप क्षेत्र में जाते होंगे, तो लोग जूतों से भगाते होंगे, कि क्या कर रहे हो, हमारे यहां यह गूल नहीं है, यह पुल नहीं है, यहां माइनर नहीं है, आप वहां यह बातें सुनते होंगे, वहां आपको भ्रष्टाचार दीखता होगा, आप यहां आकर चुप हैं, लेकिन जाकर क्षेत्र के लोगों को जवाब तो दीजिये। गूलें, छोटे-छोटे पुल और छोटी-छोटी माइनरें-एक साल में, एक भी और खासकर पूर्वांचल में, कहीं नहीं खोदी हैं, कहा यह गया कि पैसे का बिल्कुल अभाव है। पैसे का अभाव इतना बताया गया कि तनख्वाह देने के लिये पैसा नहीं है, तो माइनर कहां से बनवायें। कुछ जगहों पर नहरों पर पुलों की बाबत स्थिति क्या है जहां चकबंदी कार्यवाही पूर्ण हो गयी है, सड़कें बन गयी हैं, लेकिन नहर पर पुल न बनने से, जनता को जो असुविधा है, सो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही सड़कों पर जो लाखों रुपए व्यय हुए हैं, उसके पुल के अभाव में, उन सड़कों का कोई उपयोग नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या आपने उन्हें पैसा ही नहीं दिया? क्या हो गया पैसा? प्रदेश में कोई भी काम क्यों नहीं हुआ? क्या इसका सर्वे करवायेंगे, जांच करवायेंगे कि अधिकारियों के पास पैसा नहीं है? बजट का सबसे बड़ा भाग बजट का सिंचाई पर खर्च होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को जो सुझाव दिये हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर जब जवाब देंगे तो विधिवत रूप से समझायेंगे। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि अपने बहुमूल्य सुझाव दें। सत्ता पक्ष में होने के मद में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की हैसियत से, विधायक की हैसियत से, प्रदेश में सिंचाई की समस्यायें हैं या नहीं हैं, इस पर अपने विचार प्रकट करें। बजट तो पास हो जायेगा लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो कमियां हैं, इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे।

[समय 2 बजकर 22 मिनट]

श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आभारी हूं।

अभी भाई राम गोविन्द जी ने कटौती प्रस्ताव रखा। मैं तो उन्हें यही सुझाव दूंगा कि सरकारी कामकाज की बात है, उनकी समझ में नहीं आयी। इसलिए कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सुझाव वाली बात पर गौर करें। जितने मामले उन्होंने यहां पर रखे हैं उनसे साफ जाहिर है कि उन्होंने सुनी सुनायी बातें कही हैं। जो वस्तुस्थिति क्षेत्र में है उस पर उन्होंने गौर नहीं किया। सबसे पहले मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रयास किया है कि सिंचाई की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। बहुत सी ऐसी परियोजनायें, जो कि बहुत लम्बे अरसे से पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही थीं लेकिन वे जनता की आकांक्षाओं और सिंचाई की पूर्ति के लिये आवश्यक थी, उनके लिये उन्होंने प्रयास किया है। चाहे वह लखवाड़-व्यास परियोजना हो या अन्य परियोजनाएं हों। अबकी बार

उन्होंने प्रयास किया है कि उनको पूरा किया जाय।

जहां मंत्री जी का आभारी हूं, वहीं उन्हें थोड़े से सुझाव भी दूंगा। कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनको ध्यान में लाना आवश्यक है। हमारे यहां सिंचाई विभाग में जो कर्मचारी हैं, वे रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे यहां ऐसी परिपाटी चली हुई है कि अधिकारियों को दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है। केन्द्र सरकार में 4 वर्ष की अवधि है, प्रदेश सरकार ने 5 साल का कार्यकाल रखा है, लेकिन बहुत से लोग 12-12 साल से गये हुए हैं, जिससे कि जी0 ओ0 का उल्लंघन हो रहा है। इससे जो काम करने वाली प्रतिभायें हैं, वे दूसरे विभाग में चली जाती हैं। कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयास करके चले जाते हैं। इससे वित्तीय साधन का दुरुपयोग भी हो रहा है, क्योंकि वहां उनकी पदोन्नति कर दी जाती है, जिससे वित्तीय भार शासन पर पड़ता है। जो ऐसे लोग हैं, उनको वापस बुलाया जाय ताकि जी0 ओ0 का भी आदर हो सके।

इससे हमें जो फ़ाइनेन्शियली लास होता है उसे रोका जा सकता है और जो अच्छी प्रतिभायें दूसरे विभागों को चली जाती हैं उनको वापस बुला कर हम उनका लाभ उठा सकते हैं और सदुपयोग कर सकते हैं।

हमारे यहां एक भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग है। इस विभाग का और सिंचाई विभाग का चोली दामन का साथ है। इसमें 75 प्रतिशत आदमी प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हैं मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विभाग को सिंचाई विभाग में समायोजित कर लीजिये तो उपयुक्त रहेगा।

मैंने इसी सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत एक मामला उठाया था कि हमारे सहारनपुर में धमोला नदी है। इसमें पूर्वी यमुना से सीपेज का पानी इकट्ठा होता है और सहारनपुर से होकर बहता है। यह नदी तीन किलोमीटर की लम्बाई में शहर में होकर बहती है तथा भारी कटाव हो रहा है बर्षों से बाढ़ के प्रकोप से तथा सीपेज के कारण जमीन और बस्तियां प्रभावित होती रहती हैं। इसके बारे में जब मैंने नियम 301 के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाया था तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इसके बारे में हम कार्यवाही करेंगे और कटाव को रोकने के उपाय करेंगे। लेकिन आज मुझे दुख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी कुछ तो इसमें कार्यवाही हुई है लेकिन वहां मेरठ का जो अधीक्षण अभियन्ता है वह इस बात की गम्भीरता को नहीं समझता है, उसमें मंत्री जी के आश्वासन को बलाए ताक कर दिया है। और पूरी की पूरी योजना की कटौती कर दी गयी है। जिस शहर की 5 लाख लोगों की आबादी हो और जिसमें तीन किलो मीटर लम्बी नदी बहती हो, वहां की इस योजना को मंत्री जी पूरा करवाने का कष्ट करेंगे, यह बहुत छोटा बजट है, बहुत बड़ा बजट नहीं है। अत: पूरी स्कीम पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसी प्रकार से देहरादून जनपद में वीरपुर नामक एक नहर है, वहां पर जो चूना की खोदान होती है तो उसका चूना और रेत मिट्टी से नहर को पाट दिया गया है जिससे उसके पानी की क्षमता कम हो गयी है। वहां पर बासमती की फसल होती है जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। परन्तु चूने के कारण नहर के पानी की

क्षमता कम होने के कारण वह बासमती कम हो पाता है जिसके कारण वहां के सब किसान प्रभावित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान वहां की नहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप वहां की बासमती की फसल पर जरूर ध्यान दें। देहरादून का बासमती चावल प्रसिद्ध है जिसकी पैदावार खतरे में पड़ गयी है।

मान्यवर, एक समस्या और है पहाड़ी इलाकों की, वहां पर जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और उससे सम्बन्धित जो मुआवजा दिया जा रहा है इससे वहां की जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्योंकि कहीं पर 27 हजार बीघा के हिसाब से, कहीं पर 75 हजार प्रति बीघा के हिसाब से और कहीं 80 हजार बीघा के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। यह जमीन बांध बनाने के लिए अधिगृहीत की जा रही है। लखवार ब्यास बांध के बहुत से लोग मुझे मिले थे, उनको रोष है कि 27 हजार रु0 बीघा के हिसाब से उन्हें मुआवजा लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है जबकि गढ़वाल में 75 हजार और 80 हजार रु0 के हिसाब से दिया जा रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस तरह की विषमता को दूर करने का प्रयास करें।

एक बात और कहूंगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं शिवालिक पर्वतों की तलहटी के नीचे बस्ती है सहारनपुर जनपदों की, वहां नलकूपों की खुदाई करने का प्राविधान किया गया था। वहां की जमीन पथरीली होने के कारण आपकी रिंग्स मशीनें कामयाब नहीं हो पाती हैं। आपके पास पत्थर काटने की मशीनों का अभाव है जिसके कारण नलकूप की खुदाई हो नहीं पाती है और वहां की जनता को पीने का पानी उपलब्ध होने का कोई साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तलहटी में, जहां के लिये नलकूप स्वीकृत हुए हैं, पर्कसन रिंग मशीन जो कि पत्थर को काटती है, उसका आप इन्तजाम करें ताकि वहां के लोगों को आराम मिल सके और आप सिंचाई के साधनों को बढ़ायें। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो श्री चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने सिंचाई की चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी के प्रति प्रदेश की जनता की आशा है और वह कुछ माननीय सदस्यों के दुलारे हैं। मान्यवर, एक आदमी के पास जितने भी विशेषण होते हैं, वह स्वयं इनके नाम में अलंकृत है। वह अपने में बीर हैं, अपने में बहादुर हैं और सिंह हैं। इतने अलंकारों से वह अलंकृत हैं लेकिन इनके कुछ एसे हिंस्र अधिकारी हैं जो इस विभाग की सीपेज की चर्चा से स्वयं माननीय सदन को भिगो चुके हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी पर भीगने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस माननीय सदन में कई बार चर्चा आयी है सीपेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन किसानों पर ध्यान देंगे जो सीपेज से परेशान हैं। सीपेज की समस्या एक सामूहिक समस्या है, उस का माननीय मंत्री जी निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आशा है।

मान्यवर, अब मैं नल कूपों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नलकूपों पर नलकूप चालक रहते ही नहीं हैं और यदि रहते हैं तो कहीं उसका स्टारटर खराब है तो कहीं अन्य कोई दूसरी चीज खराब है। नलकूप चलने का मतलब होता है आम किसान की किस्मत का चलाना। बात बहुत छोटी है परन्तु इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बात केवल नलकूप चलाने की होती है। हमारे देवरिया जनपद में एक जी0 डी0 दुबे, सहायक अभियन्ता हैं। वह 6 वर्ष से वहां पर कार्यरत हैं, उनके बारे में मैंने शिकायत की, सचिव वर्मा जी से की महेश्वरी जी से की और चार रोज पहले अग्रवाल जी को दिया।

श्री बीर बहादुर सिंह–

उनका ट्रान्सफर हो गया है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, उनका ट्रान्सफर तो पिछले साल ही हो गया था। एक वी0 पी0 सिंघल, अधिशासी अभियन्ता हैं, जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को शिकायत लिखकर दी तो उत्तर मिला कि मूल रूप से प्रार्थना पत्र सिंचाई मंत्री जी के पास भेज दिया गया है। इसी सन्दर्भ में मैंने प्रश्न भी किया कि क्या सन्दर्भित पत्र मिला है अथवा नहीं तो प्रथम सत्र में तीसरे बुधवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में मिला कि उसको जांच कराने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। यह फोटो स्टेट कापी है। जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत थी, जिसने ठेकेदार को अनिधिकृत भुगतान किया था और स्वयं भी उस में हिस्सा लिया था, उसने मुझे लिखा, यह चिट्ठी है, कि मुझे वह पत्र मूल रूप से मिला ही नहीं है, माननीय विधायक मूल रूप से भेज दें तो उसकी जांच करा ली जायेगी। श्री डी0 पी0 सिंघल, अधिशासी अभियन्ता देवरिया के विरुद्ध शिकायतें थीं अमरनाथ सिंह से गलत भुगतान लिये जाने के सम्बन्ध में थी। उसने मुझसे कहा...

श्री अधिष्ठाता–

आप इसकी प्रतिलिपि मंत्री जी को भिजवा दें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं दे दूंगा। सिंचाई सचिव से मैंने इस सम्बन्ध में बात की। उन्होंने मुझे त्यागी जी के पास भेज दिया। त्यागी जी निश्चित ही एक त्याग की मूर्ति हैं। वे वकालत करने लगे और कहने लगे कि मैंने जांच कर ली। मैंने पूछा कि जब उनके पास मूल पत्र मिला ही नहीं तो जांच किस बात की उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैंने जांच करवा ली है। अधीक्षण अभियन्ता ने जांच की। मान्यवर, आपकी तरफ से आदेश होता है कि माननीय विधायकों के जो शिकायती पत्र विभागों को जायं तो उसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से माननीय सदस्यों को भी सूचित किया जाय लेकिन जिनसे उनको वास्तविक तथ्य पाना था, अमरनाथ सिंह को पूछा तक नहीं। उनकी सत्य निष्ठा और सेवाओं पर मुझे संदेह नहीं है लेकिन अधिशाषी अभि-

यन्ता और अधीक्षण अभियंता की जात में कोई फर्क नहीं होता और वास्तविकता पर परदा डालकर अमरनाथ सिंह के भुगतान को स्वयं के हित में लेकर धन के आहरण के अपराध पर कार्यवाही करने से बचने का षड़यंत्र किया जा रहा है।

मान्यवर, एक श्री आर0 के0 मौर्य हैं बिल्थरोड बलिया में सहायक अभियन्ता हैं । उनका स्थानांतरण हो गया है । उनका तीन बार ट्रांसफर होता है लेकिन फिर स्थगन हो जाता है । पता नहीं क्यों ट्रांसफर होता है और स्थगन हो जाता है । क्यों आप इस तरह की मान्यतायें डालते हैं । मुझे जानकारी है कि 10 वर्ष में निश्चित स्थान पर उनको जाना चाहिए, नहीं जा पाते हैं । 6 वर्ष के लगभग जी0 डी0 दुबे को हो गये लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ । मान्यवर, आपकी टी0 ए0 सी0 पांडे माझा नकल बंधा और गौरा के ठेकर को जांचने हेतु जाने वाली है । जहां तक मुझे जानकारी है ये जी0 डी0 दुबे उनको रिसीव करने के लिए देवरिया जायेंगें और भोले-भाले टी0 ए0 सी0 के अधिकारी जी0 डी0 दुबे के प्रभाल में आ जायेंगे और वहीं पर जांच करने के लिये जायेंगें जहां जी0 डी0 दुबे ले जायेंगें और गौरा पांडे माझा नकल बंधा को नहीं देखेंगे।

श्री मोहन सिंह–

यह जी0 डी0 दुबे बड़ा बेइमान है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

अगर इतने बड़े बेइमान हैं तो इनको पुरस्कार दे दीजिये पद्मश्री दे दीजिये । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक जमुआर नाला हुआ करता है । यह बहुत पुराना नाला है । 20-21 किलोमीटर का है । वह डेढ़ सौ गांवों को प्रभावित करता है। उसके प्रवाह से जल जमाव हो जाता है । उसके सम्बन्ध में जिले से एक योजना बनकर आयी । मैंने सवाल किया तो कहा गया कि उसको एक तकनीकी समिति देखेगी । डेढ़ वर्ष हो गया, किसी समिति को नहीं दिया गया और कोई भी तथ्य सामने नहीं आया । इसमें आप शीघ्रता करें । इसमें प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा । जल जमाव से कृषि से वंचित भूमि कृषि कार्य में आयेगी जिससे जन सामान्य और शासन दोनों लाभान्वित होंगे । इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में एक हरखोली नाला है जो सैरवा भवनोली ताल से निकलकर नावा पार के निकट बरहज सरज में मिलता है । उसकी सफाई करने के लिये पिछले वर्ष 3 लाख रुपये की स्वीकृति जिले से दी गयी । सहायक अभियन्ता जी0 डी0 दुबे इस रुपये को खा जाना चाहते थे । इस पर मैंने सवाल किया जिससे 1 लाख 40 हजार का व्यय उन्होंने बताया और नाले की सफाई तो नहीं हुई उसकी डसिंग होकर रह गयी । इस नाले की सफाई एवं गहराई के लिये अतिरिक्त धन की स्वीकृत दें जिससे हजारों हजार एकड़ भूमि कृषि कार्य में आ सके और जल जमाव बन्द हो ।

छोटी गण्डक नदी पर चनकीघाट पर पांटून पुल की व्यवस्था करें जिससे लगभग 2 सौ गांव जो जनपद देवरिया से कट जाते हैं जुट जायेंगे और इन गांवों को अपने विकास क्षेत्र, चिकित्सालय, विद्यालय, डाकखाना और तहसील मुख्यालय तक आने जाने की सुविधा हो जायेगी और इस क्षेत्र के लोगों को भी अपने देश के स्वतंत्र होने और सुविधा मिलने का अनुभव होगा । साथ ही य0 पी0 और बिहार के लोगों को आने-जाने की सुविधा भी हो जायेगी । बाकी बात हमारे साथी कहेंगे । मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए

बिनम्र शब्दों में आग्रह करना चाहूंगा कि यह सीपेज की समस्या बन्द नहीं होगी और हम लोग भोगते रहेंगे इसलिए माननीय मंत्री जी इस अनुदान की मांग को वापस ले लें । इन शब्दों के साथ मैं भाई राम गोविन्द जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं और आपका अनुग्रहीत हूं जो आपने मुझे विचार व्यक्त करने का मौका दिया ।

श्री भोला पाण्डेय –

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के विकास में सिंचाई विभाग को एक नया आयाम दिया और उसके अनुरूप यह बजट प्रस्तुत किया । इसमें दो राय नहीं है कि यह देश और प्रदेश मुख्यत: किसानों का ही प्रदेश है और किसानों का विकास तभी संभव है जब किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी दें । कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि कांग्रेस हुकुमत ने शुरू से ही किसानों के विकास के लिए सिचाई को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया । लेकिन जैसा भाई राम गोविन्द ने कहा सिंचाई विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार है और जो उसका मुख्य ध्येय है वह सही माने में नहीं हो पा रहा है हम इसका खुला विरोध कर रहे हैं। वह इसलिए कि वे पिछले आंकड़ों को उठा कर देख लें सिंचाई विभाग में जितना कार्य होना चाहिए, जितनी क्षमता बढ़नी चाहिये उससे ज्यादा सिंचन क्षमता जनमानस के लिए बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ।

सिंचाई विभाग का मुख्य काम है खेती को सिंचित करना । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा जब तक आप सिक्योर्ड इरिगेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक सिंचाई सही तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं । जो नलकूप लगाये जाते हैं उनके जो चालक हैं या दूसरे अधिकारी हैं उनको निर्देशित करें कि इतनी क्षमता है इसलिए इसको पूरा करना होगा, इतनी जमीन को इस नलकूप से सिंचित किया जा सकता है इसलिए इतनी जमीन सिंचित करनी होगी इससे ज्यादा या कम सिंचाई नहीं होनी चाहिये । इसलिए आप सिंचाई विभाग को निर्देशित करें कि सिक्योर्ड इरिगेशन की व्यवस्था हो ।

दूसरी बात नलकूपों की है । हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जितनी क्षमता होनी चाहिये और जिस तरह से नहरों का या नलकूपों का रखरखाव होना चाहिये वह सही तरीके से नहीं हो पा रहा है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे बलिया जनपद में आप दौरा करके देख लें अगर 100 नलकूप हैं तो उसमें से 90 सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं । इसलिये सबसे प्रमुख सुझाव यह है कि आप इसकी व्यवस्था करें चाहे एन0 आर0 इ0 पी0 के पैसे से करें या विभाग के बजट से पैसा दिया जाय इन नलकूपों के रखरखाव की ठीक व्यवस्था की जाय ।

दूसरी बात जो नहरों से सिंचाई की जाती है उसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि नहरें बनाने का काम कोई करता है और उसके रखरखाव का काम दूसरा विभाग करता है । जब तक इन दोनों के बीच कोआर्डिनेशन नहीं लायेंगे, भावनात्मक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

एकता नहीं लायेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं होगा । मैं तो यहां तक कहूंगा कि सिंचाई से संबंधित सारी चीजों को आप लेकर अपने ही विभाग में समाहित कर लें और जो कर्मचारी इनको बनाये वहीं उनका रखरखाव भी करें इससे भावनात्मक एकता अयेगी और ठीक से काम होगा ।

आपके विभाग का सबसे महत्वपूर्ण काम बाढ़ से हमारी रक्षा करना है । प्रत्येक वर्ष हमारे जिले में चाहे जहां आप चले जाय बाढ़ की समस्या सबसे अधिक रहती है । मान्यवर, मैं बलिया जिले से चुनकर आता हूं और मैं जिस क्षेत्र द्वाबा से चुनकर आता हूं वहां की एक-एक इंच जमीन पानी से लबालब भरी रहती है । लेकिन दुख की बात है कि जय प्रकाश नगर के पास एक रेगुलेटर बनने की बात थी, मैं लगातार 8 वर्षों से, श्री राम गोविन्द को बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन के समय उस रेगुलेटर के काम को रोक दिया गया जबकि पहले से उसका काम शुरू हो गया था । मंत्री जी हमारे बलिया गये और जनता ने मांग किया, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं लेकिन बधाई तभी सार्थक होगी जबकि 30 अप्रैल तक रेगुलेटर बनकर तैयार हो जाय । लेकिन बीच में कुछ लोगों द्वारा रेगुलेटर बनाने के कार्य में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। तीन दिन पहले मैं वहां गया था, अधिकारियों से पूछा कि मंत्री जी के आदेश के बावजूद रेगुलेटर पूरी तरह क्यों नहीं बना तो अधिकारियों ने कहा कि अभी तक मुझे कोई धन नहीं प्राप्त हुआ है जिससे उसको हम बनवा सकें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एन0 आर0 इ0 पी0 द्वारा रेगुलेटर बनाने का काम जो चलाया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय और गम्भीरता से विचार करें।

मान्यवर, जगदीशपुर भूसौला साइट पर कई करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये हैं लेकिन 4-5 ठोकरें ही बन पायीं और कई ठोकरें गंगा में विलीन हो गयी हैं । मान्यवर, गंगा के कटाव को रोकने के लिये समुचित व्यवस्था करायी जाये । चूंकि तीन-तीन बार प्रोजेक्ट को कमेटी में रखा गया किन्तु मैं नहीं समझता कि किस कारण से उस साइट पर जहां पीचिंग रिंग बांध बनाने की आवश्यकता है उसके लिये यहां से धन नहीं आबंटन किया जा रहा है, इसलिये इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, इसी तरह नरायनपुर पचरुखिया और मंझुवा में जब बाढ़ आती है तो काम शुरू हो जाता है और एन0 आर0 इ0 पी0 से 2-4 हजार रुपये लेकर खर्च कर दिये जाते हैं किन्तु उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है । इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव बना था उसके संबंध में मुझे मालूम हुआ है कि एक सप्ताह पहले कमेटी ने उस प्रस्ताव को रेजेक्ट कर दिया है । मान्यवर, जब हम अपने जनपद में जाते हैं तो जनता कहती है कि जहां आवश्यकता नहीं है, जैसा श्री राम गोविन्द ने कहा, वहां 50 करोड़ रुपये दे दिये जाते हैं और जहां धन की आवश्यकता है वहां सिंचाई विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन तीन साइटों पर जिनका नाम मैंने ऊपर बताया है वहां किसी प्रकार जून के पहले बाढ़ से जनता की रक्षा करने की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव श्री राम गोविन्द ने रखा है और कहा है कि

विभाग में भ्रष्टाचार है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतने लम्बे चौड़े बजट पर, जिसमें दो दिन चर्चा होगी, मैं मांग करता हूं शासन से कि बाढ़ को रोकने के लिये और सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिये दो अलग-अलग विभाग कर दें जो बाढ़ और सिंचाई के कार्यों को अलग-अलग देखें तो अच्छा होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए यह विश्वास करता हूं कि हमने अपने क्षेत्र के संबंध में जो बातें कहीं हैं उनको मंत्री जी तत्काल पूरा करायेंगे ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कुछ बातों की तरफ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं विश्व बैंक नलकूप योजना की तरफ आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं . . (व्यवधान) मंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। भोला पाण्डेय अपना भाषण दे चुके हैं और मंत्री जी से बात कर रहे हैं, जिससे वह हमारी बात नहीं सुन रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

वह आपकी बात को सुन रहे हैं और उसी के लिए सलाह कर रहे हैं ।

श्री ऊदल–

उस योजना में शुरू-शुरू में ट्रायल बेसेस पर कुछ नलकूप लगे और उसमें बनारस भी था। 83-84 में क्लस्टर योजना बनाने की बात शुरू हुई। मंत्री जी ने पूरे मंडल की बैठक पिछले साल बुलाई थी। बनारस का नाम कट गया था, लेकिन फिर बाद में जोड़ दिया गया। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि पिछले साल फिर कट गया, 84-85 में फिर कट गया। तो जहां पर आपने ट्रायल बेसेस पर किया है, वहां पर यह ट्यूब वेल कलस्टर में लग सकते हैं और एरिया हो तो वहां भी लगने चाहिए। इस साल 25 के कलस्टर में ट्यूब वेल वहां लगाना चाहिए। बाबतपुर एरोड्रम वाराणसी के पास के स्थान को मंत्री जी ने देखा है, उस क्षेत्र में एरिया है, वहां पर 25 का कलस्टर बना दिया जाए । दूसरी बात मैं पम्प नहर कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा इसमें यह विचार नहीं है कि उससे सिंचाई नहीं हो रही है, लेकिन उसमें कुछ कमी है। अगर पूरी क्षमता से उसको चला दिया जाए, प्रत्येक पम्प कैनाल में तो नहर टूट जायेगी। इसलिए रोटेशन में कुछ पम्प एक साथ और कुछ पम्प एक साथ चलाए जाते हैं। नहरों की क्षमता कम है, टेल तक किसी भी नहर में पानी नहीं पहुंचता है। उदाहरण के लिए दो नहरें जमानिया पम्प कैनाल और दवेकली पम्प कैनाल, जिसमें टेल तक पानी ले जाने के लिए नहरों का पुनर्निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है टेल तक बिलकुल पानी नहीं पहुंचता है। अतः इन नहरों में टेल तक पानी ले जाने के लिए नहरों का पुनर्निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है और प्रत्येक पम्प कैनाल को पूरी क्षमता से चलाने के लिए नहरों को गहरा करना और चौड़ा करना भी बहुत आवश्यक है।

सोने लिफ्ट कैनाल बहुत दिनों से बन रही है, उसके बारे में मैंने जबानी कहा है और लिखकर भी दिया है, धन के अभाव में 10 वर्ष हो गये हैं और वह पूरी नहीं हुई है। लागत बढ़ गयी है, यदि वह 5/6 साल में बन भी गयी तो वाणसागर बन जाने से उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी। ज्ञानपुर पम्प कैनाल जल्दी तैयार हो रही है, लेकिन उसका समरखन आपके अधिकारियों ने किसी प्रभाव से बदल दिया है और नतीजा यह है कि वह हाईकोर्ट से स्टे हो गया है। मंत्री जी नोट कर लें, ज्ञानपुर पम्प कैनाल करेवा गांव में हाईकोर्ट का स्टे हो जाने के कारण खुदाई

रुकी हुई है। इसी तरह से शारदा सहायक के 28वां सर्किल बाबतपुर में भी बरही नेवादा में नहर रुकी हुई है हाई कोर्ट से स्टे है, जिसके कारण से हजारों एकड़ भूमि की वहां पर सिंचाई नहीं हो रही है। कल ही मैं आ रहा था, नहरों से पानी टूटकर बर्बाद हो रहा है। शाहगंज के पास मेहरावां व खेतासराय के पास तमाम क्षेत्र जलमग्न पड़ा हुआ है। इसी तरह से अमेठी और मिसरौली के पास भी है। शाहगंज का तो मैं रोज देखता हूं।

हमारे यहां एक माइनर जौलापुर है, यह बनारस में है जो गड़खड़ा गांव के पास टूट गयी है, किसानों की फसल तीन-चार गांवों में डूब कर सड़ गयी आलू, मटर, चना, गेहूं आदि नहीं बचा है। किसान दाने-दाने के लिए तरस गया।

नलकूपों का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं उसमें घाटा हो रहा है, पर वह इसलिए हो रहा है कि बिजली ठीक से नहीं मिल पाती। दूसरे नलकूपों का रखरखाव भी ठीक नहीं है जिसके कारण भी घाटा होता है उसको अगर ठीक से चलाना है तो बिजली की व्यवस्था पहले ठीक करनी होगी, उनकी नालियों को भी पक्का करना होगा, नालियों की व्यवस्था ठीक न होने के कारण भी बड़ा नुकसान होता है, नलकूपों के लिए छोटे-मोटे सामान को भी उपलब्ध कराना होगा।

मान्यवर, जलभराव और सीपेज की समस्या हमारे प्रदेश में बड़ी गम्भीर है। सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, फतेहपुर आदि अनेकों जिले ऐसे हैं जहां सीपेज की समस्या गम्भीर है। इसका निदान दो तरह से हो सकता है—एक तो यह कि पक्की नालियां बनायी जायं जो नलकूपों के जरिए उनका पानी निकाला जाय। जहां-जहां पानी भरा है, वहां लिफ्ट करके उस पानी को नहर में गिराया जाय। इसके अलावा और कोई रास्ता इसके हल करने का है नहीं। इस गम्भीर समस्या पर बहुत ही गम्भीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। आज हजारों एकड़ जमीन सीपेज की समस्या से ग्रसित है और किसान दाने-दाने को मोहताज हो रहा है।

एक चीज की ओर और मैं ध्यान दिलाऊंगा। जो आपके पुराने नाले थे और पानी निकासी के जो रास्ते थे, उनको चकबंदी में लोगों ने अपने-अपने नाम एलाट करवा लिए। पानी निकासी के रास्ते रह नहीं गये इसलिए आप इस बात का भी सर्वे कराइये और जो पुराने जल निकासी के रास्ते थे उनको ठीक कराइये।

बाढ़ भी हमारे यहां प्रदेश में हर साल आती है और उससे भी बड़ा नुकसान होता है। पिछले दिनों बहराइच, बस्ती, गोंडा आदि जिलों में जो बाढ़ आयी उससे बहुत काफी नुकसान हुआ। इसके लिये और उपायों के साथ यह भी जरूरी है जो पुल हमारे पक्की सड़कों तथा रेलों पर बने हुए हैं, रेल के हैं, वे बहुत पुराने हैं और बहुत नीचे बने हुए हैं। उनको ऊंचा किया जाना चाहिये और चौड़ा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं बैठ कर बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठकर बोलें।

श्री श्रीनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के

महत्वपूर्ण बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। मान्यवर, यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के लिये सिंचाई की क्या महत्ता होती है यह सभी जानते हैं। मान्यवर, मैं बनारस से आता हूं और वहां के संबंध में कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वहां पर एक शारदा नहर है। शारदा नहर में जो बाबतपुर रजबहा है वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है। उक्त रजबहे की खुदाई कुछ जगहों पर हुई है और कुछ जगहों पर नहीं हुई है। इसके कारण जब शाहगंज से पानी चलता है तो मेरे क्षेत्र सैदपुर में तमाम पानी आ जाता है और भर जाता है और आज भी पानी का भराव है। सिंचाई विभाग में सिंचाई कार्यों के लिये जब किसानों की भूमि ली जाती है तो उसका मुआवजा किसानों को ठीक से नहीं मिलता है इसलिये जमीन प्राप्त होने में बड़ी मुश्किल होती है। मेरा सुझाव है कि जब किसी गांव में किसी एक व्यक्ति की जमीन पड़ जाती है तो वह जमीन से वंचित हो जाता है, उसके पास जमीन नहीं रह जाती है। इसलिये अगर ऐसी परिस्थिति किसी ग्राम सभा में आ जाय तो जो चकबन्दी की जमीन है (ग्राम सभा के पास) उसको दी जाय ताकि जमीन से वह वंचित न हो और उसकी जीविका का साधन बना रहे। इस तरह से जमीन की समस्या हल हो जायगी। मेरा क्षेत्र टेल पर पड़ता है और वहां रेलवे लाइन जाती है लेकिन वहां पर आज तक पुल रजबहे पर नहीं बना है जिससे बड़ी असुविधा होती है। वहां पर पुल बनाया जाय।

मान्यवर, वहां पर भोपौली पम्प कैनाल, ज्ञानपुर पम्प कैनाल, नारायणपुर पम्प कैनाल है। तीनों की क्षमता बहुत कम है जिससे कि पूरी सिंचाई नहीं हो पाती है। टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिये वहां पर ट्यूबवेल की आवश्यकता है। यद्यपि मेरे यहां काफी ट्यूबवेल बनारस में लगे हैं लेकिन इस साल संभवत: 3-4 ट्यूबवेल मंजूर हुए हैं, 13-14 विधायकों के क्षेत्र में। इनकी अभी खुदाई भी नहीं हो पायी है। किसी के यहां अभी यह ट्यूबवेल मिल नहीं पाये हैं। मान्यवर, जहां तक नारायणपुर पम्प कैनाल का प्रश्न है, तो चंदौली जो 80 प्रतिशत इरीगेटेड है लेकिन पानी आकर नारायणपुर में डंप होता है। नहरें पुरानी होने के कारण पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और सिंचाई में दिक्कत होती है।

हमारे यहां चकिया जो महराजा बनारस की स्टेट का हिस्सा रहा है वहां पर 80 प्रतिशत नहरें हैं लेकिन वह बहुत पुरानी हैं। जहां तक उनकी मरम्मत का सवाल है तो जब भी आप रोड से जायं तो जितनी दूर तक नजर जाती है उतनी दूर तक नहर की सफाई दिखायी देती है और बाकी जगहों पर नहरें जैसी की तैसी हालत में पड़ीं हुई हैं। तो नहरों की सफाई अति आवश्यक है। मान्यवर, भोपौली पंप कैनाल जिससे दानापुर क्षेत्र की सिंचाई होती है उसकी क्षमता को बढ़ाने की बात चल रही है लेकिन उसकी क्षमता बढ़ाई नहीं गयी है। उसकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। वहां पर ट्यूबवेल भी नहीं हैं। तो इसकी क्षमता बढ़ाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। मान्यवर, जो ज्ञानपुर पंप कैनाल है वहां पर अभी तक विद्युत की व्यवस्था नहीं हो पायी है। ज्ञानपुर, भदोही के इलाके में ट्यूबवेल बड़ी संख्या में लगे हैं जिससे वहां पर पानी की सतह नीचे चली गयी है और पीने के पानी की समस्या खड़ी हो रही है।

अगर इस पंप कैनाल को चला दिया जाय तो ज्ञानपुर, बनारस तक पानी की व्यवस्था हो जायगी और इलाहाबाद के कुछ हिस्से में पानी की व्यवस्था हो जायगी।

अब मैं आपका ध्यान वाराणसी के ट्यूबवेल की ओर ले जाना चाहता हूं। वाराणसी में प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब भी हमारे वाराणसी में ही आपको मिलेंगे। उसका मूल कारण विभाग कहता है कि यंत्र नहीं हैं। बिजली की हालत यह है कि जब सारे लोग सोते हैं, उस समय बिजली मिलती है और इतनी कम बिजली मिलती है कि खेत तक पानी जाते-जाते सूख जाता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो एक अनुभवी मंत्री हैं, साथ ही वह वाराणसी के बीस सूत्री के इन्चार्ज भी हैं। यहां पर माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस ट्यूबवेल की समस्या को वह अवश्य हल करें, क्योंकि ट्यूबवेल के न होने से दूसरा सिंचाई का भी साधन नहीं है, फसल सूख जाती है। जब विभाग में जाते हैं, तो वे कहते हैं कि अर्थ की व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को ठीक करें और ट्यूबवेल ठीक चलें ताकि वहां की सिंचाई इत्यादि का प्रबन्ध हो सके। मेरे क्षेत्र का एक हिस्सा ऐसा आता है, जो दो नदियों से घिरा हुआ है। वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उसे घाव कहते हैं वह एक टापू की तरह से गंगा और उसकी सहायक नदियों से भी घिरा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा चल रही है, लेकिन सिंचाई मन्त्री जी हाउस में नहीं हैं।

श्रीमती धनेश्वरी देवी–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय राज्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

राज्य मंत्री जी बैठे हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, इस देश का दुर्भाग्य है। इनको यह ज्ञान नहीं है कि कौन मंत्री हैं। मान्यवर, राज्य मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं कि मंत्री जी नहीं हैं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में अगर ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दें, तो मेरे क्षेत्र का बड़ा ही हित होगा। मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि चीफ इंजीनियरों की एक लम्बी सी लाइन है, लेकिन जो प्रमुख अभियन्ता है, वह हर 1-2 महीने में सेवा निवृत्त हो जाते हैं। मेरा अनुरोध है, जैसा कि हमारे रेल में एक बोर्ड होता है, उसी प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों का एक बोर्ड बना दिया जाय, जो आटोनामस बिजली विभाग की तरह न हो, जो स्वायत्तशासी न हो, तो उसमें जितने अनुभवी इंजीनियर्स आयेंगे, उन्हें सूबे की परिस्थितियों का ज्ञान होगा। मान्यवर, यह दुनिया का आठवां देश है। एक-दो महीने के लिए जो प्रमुख अभियन्ता आते हैं, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं रहता है। तो जब बोर्ड बन जायगा, तो उसे पूरा ज्ञान रहेगा। मान्यवर, मैं गाड़ियों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

गाड़ियां जो उन्हें दी गयी हैं, प्रायः ये उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाते हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी गाड़ियों का एक पूल बना दिया जाए, जिनको जो काम निर्धारित हो, तब उसके लिए वह गाड़ियां दी जायं, क्योंकि इसका बहुत ही दुरुपयोग होता है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में ओवरलैपिंग बहुत है। कहने का मतलब यह है कि मैं वाराणसी के संबंध में बात कर रहा हूं। वहां पर एक मुख्य अभियन्ता सोन रहते हैं, लेकिन जब हम लोग उनसे नहर के बारे में बात करते हैं, तो वह कहते हैं कि इसके प्रमुख अभियन्ता और हैं, उनसे बात करिए। इसी तरह से सिंचाई, ट्यूबवेल, अनुसंधान आदि के अलग-अलग मुख्य अभियन्ता हैं। मेरी राय है कि ये सारे काम एक मुख्य अभियन्ता को दे दिया जाय, ताकि जनप्रतिनिधियों को तथा जनता को राहत मिल सके।

मान्यवर, जहां नहर खुदती है और जिस क्षेत्र की जमीन ली जाती है, इंजीनियर उस क्षेत्र के विधायक को ले लें तो निगोसिएशन से जमीन आसानी से मिल सकती है और नहर की खुदाई हो सकती है। इन सब के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। राम गोविन्द जी मेरे मित्र हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह परसेप्शन है—दी सी दि थिंग्स एज दी आर, नाट एज दे आर। जैसा हम हैं वैसा देखते हैं न कि चीज जैसी है वैसी देखते हैं। पड़ोसी होने के नाते कहूंगा सिंचाई का यह बहुत सुन्दर बजट रखा गया है, इसका समर्थन करें और कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्रीमती गौरी देवी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग से हमारे देश और प्रदेश की जनता, किसानों की भलाई होती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय में पहला स्थान सिंचाई का है। सिंचाई की क्षमता में हम बहुत आगे हैं। लेकिन दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्री जी हमारे गोरखपुर जिले के हैं। मैं मंत्री जी से बहुत उम्मीद रखती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम में सारे ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, ट्रांसफार्मर जल गया है, नाली टूट गयी है, जिसके कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। हमारे किसान भाई परेशान हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं हमारे यहां सैकड़ों एकड़ जमीन है जिसमें सिंचाई की सुविधा नहीं है। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे किसान भाईयों को पानी की सुविधा दी जाय। मैं कई बार लिख चुकी हूं, कई बार सदन में उठा चुकी हूं, यह नई बात नहीं कह रही हूं। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी विशेष ध्यान देकर जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां पर ट्यूबवेल लगवा दें।

हमारे यहां बहुत से ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनका रखरखाव अच्छा नहीं है। मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में वसानपुर चिवटहा गांव बांध से बाहर है। इस गांव में सैकड़ों पक्के मकान हैं। मैं चाहूंगी कि यहां रिंग बांध बना दिया जाय ताकि लाखों लोगों की और सैकड़ों पक्के मकान की भलाई हो जाय। माननीय मंत्री जी, गजपुर मलौली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांध परसाल टूट गया था उसको पीच करवा दें और किनारे पर पत्थर लगवा दें तो मैं समझती हूं कि राप्ती का जो बाढ़ के समय ऊंचा लेवेल का पानी आ जाता है, उससे बच जायेगा।

माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि लाखों गांव एसे हैं जो बच जायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगी कि गजपुर मनौली जो बन्धा है मंत्री जी को जानकारी होगी कि परसाल वह बाढ़ में टूट गया था अगर वहां किनारे से पत्थर लगवा दिया जाय तो बाढ़ के समय वह बन्धा पानी से सुरक्षित हो जायेगा। वहां विभागीय गाड़ी नहीं जाती है मैं चाहती हूं कि बन्धे की मरम्मत करायी जाय। अगर माननीय मंत्री जी उस बन्धे को सही करा देंगे तो मैं समझती हूं कि उस एरिये को बड़ा लाभ हो जायेगा और सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबने से बच जायेंगे और जनता को सुविधा हो जायेगी।

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहती हूं कि मंझरा विसनोटोला है। वहां छोटे-छोटे टोले हैं वहां हर साल बाढ़ में कई घर विलीन हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से चाहूंगी कि वहां नाले की सफाई करवा दिया जाय और बन्धे को भरवा दिया जाय तो गांव बच जायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं कि खोरावार कैनाल है वहां पानी का फैलाव बहुत हो जाता है जिससे कई एकड़ जमीन डूब जाती है मैं चाहूंगी कि उस कैनाल की नाली को भरवा दें। उससे जनता की कठिनाई दूर हो जायेगी। इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करती हूं। जयहिन्द।

श्रीमती पुष्पा चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने सिंचाई मंत्री द्वारा.....

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

मान्यवर, क्या जवाबी कीर्तन करवा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें बीच में आप भी बोल रहे हैं चाहे जैसा कीर्तन समझ लें।

श्रीमती पुष्पा चौहान –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि जिस समय मैं बोलूं उस वक्त बीच में दोनों पक्ष के कोई भी माननीय सदस्य न बोलें। क्योंकि हम-सत्ता पक्ष के तहत अनुशासन में बंधे हुए सिपाही हैं। मुझे भी जब तक आपकी ओर से अवसर नहीं मिलता तब तक एक भी मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी होगी तो मैं समझती हूं कि सत्ता पक्ष के या विरोध पक्ष के सदस्य जब मैं बोलूंगी तो बीच में नहीं बोलेंगे।

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने सिंचाई मंत्री के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं बजट का समर्थन इसलिए करती हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने प्रदेश के हित के लिए बड़ी सूझ-बूझ से यह बजट बनाया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रथम और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र को लेकर, उसे अपने दिमाग में रखकर इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इसमें जो योजनाएं हैं वह व्यवहारिक रूप से लागू हो सकें और प्रदेश को एक ठोस पृष्ठभूमि विकास के लिए दे सकें। मैं विरोध पक्ष द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं। क्योंकि इतने सफल और सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने वाले बजट का विरोध वे केवल एक परम्परा और रीति को निभाने के लिये करते

हैं, और छोटी, मोटी आवाज में करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है, अतः वे इसे वापस ले लें तो आज प्रदेश में यह होगा कि उन्होंने एक कदम प्रदेश की प्रगति के लिए उठाया। उधर माननीया गौरी देवी जी ने अभी यह कहा प्रदेश की सिंचाई क्षमता पर प्रहार करते हुए, तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी यह निवेदन करूंगी कि इस सदन में मांग रखने का और अपने क्षेत्र की प्रगति के लिये चीजें मांगने का सभी को अधिकार है, इसलिये केवल बुराई की जाय, इसमें उनको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी की बात से, आदत से परिचित हूं, जितना वाजिब प्रयास होता है प्रदेश के जिस क्षेत्र के विकास के लिए, वे उसी सीमा में करते हैं। मुझे यह भी कहना है कि जहां तक मेरे क्षेत्र की प्रगति का सवाल है, केवल दो सालों में कितनी प्रगति हुई है, मैं जानती हूं, 77 में भी सिंचाई मंत्री जी भी उसी जनपद के थे। लेकिन कितनी प्रगति इन दो वर्षों में हुई है, यह कोई केवल खुली किताब नहीं, एक तस्वीर है, जिसे देखा जा सकता है, किताब तो केवल पढ़ी जा सकती है। क्योंकि ट्यूबवेल कोई जेब में रखने की चीज नहीं है, नालियां कोई जेब में रखने की चीज नहीं है, बांध कोई जेब में रखने की चीज नहीं है। मैं गत वर्ष भी बोली थी। मैं समझती हूं कि यह जो प्रगति हुई है, उसकी एक लिस्ट है इसको देख लिया जाय, नक्शों से नहीं आंखों से देख लें, उनके सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है। अभी चौधरी साहब ने भ्रष्टाचार की बात और अधिकारियों पर पकड़ की बात कही, तो मेरा कहना है कि "जाकी रही भावना, जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" मुझे अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार कहीं नजर नहीं आता, कहीं किसी अधिकारी की पकड़ की बात नजर नहीं आती। हमको ट्यूबवेल नजर आते हैं, अपने क्षेत्र की बढ़ती हुई प्रगति नजर आती है।

इस विभाग के कार्य कलापों और सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी हर सेवाओं के देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस बात से वहां की जनता अवगत है कि लगभग 22 वर्षों से जो क्षेत्र बहरूपियों के हाथ में खेल रहा था, उनके प्रायश्चित को देखते हुए उन्होंने उस क्षेत्र के सर पर हाथ रखा है और उनको सान्त्वना दी है। हां, इतना अवश्य कहूंगी कि कहीं-कहीं ट्यूबवेल हैं, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं है। 22 वर्षों में जहां की भोली जनता यह न समझ सकी कि उसकी तरक्की कहां है, किन हाथों में दें, तो क्या समझे विद्युत एवं सिंचाई विभाग का क्या सम्बन्ध कहां है? उनको ट्यूबवेल मैं आपसे आग्रह करूंगी कि उनको ट्यूबवेल से बहता हुआ पानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि उनको ट्यूबवेल को कनेक्शन दिये जांय। मेरे क्षेत्र में कहीं गन्दगी की बात नहीं आयी। यहां आदाश हो रहे हैं और वहां पालन हो रहा है। आप कहते हैं कि अधिकारियों पर पकड़ नहीं है तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि इन माननीय मंत्री जी के विभाग में ऐसी बात नहीं मिलेगी। इस बात को विशेष रूप से विरोध पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी विकास कार्य की बात मेरे क्षेत्र में

करता हूं तो मैं जनप्रतिनिधि की हैसियत से ऊपर उठकर उनका सम्मान करती हूं, चाहे वह विकास मूर्त रूप में हो और चाहे अमूर्त रूप में। शिक्षा मंत्रीजी श्री मैनी जी ने मेरे क्षेत्र में परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था की, जनता को सामने नहीं देखा, लेकिन अब जनता जानती है कि उसकी प्रगति का आधार कांग्रेस (इ) के हाथ में है। मान्यवर, एक तरफ तो सिंचाई सुविधा मांगते हैं हरे खेत और दूसरी तरफ औद्योगीकरण के आकाश को छूते हुए मनसूबे लिये हुए रेह का बंजर दोनों मेरे क्षेत्र की विशेषताएं हैं और आज की स्थिति में ये दोनों विभाग उसी तरह से अलग नहीं किये जा सकते। जैसे कि हमारे यहां कृषि और उद्योग है। माननीय सिंचाई मंत्री जी का अखबार में हमने स्टेटमेंट भी पढ़ा, उन्होंने कहा था कि 50 ट्यूबवेल वहां पर जल्दी से जल्दी लगाये जायेंगे और वहां बोरिंग भी की जायेगी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह केन्द्र तक पहुंचने के लिए एक बहुत मजबूत और सक्षम सीढ़ी है अतः वहां की ऊसर को प्रगति में लाने के लिए जल्दी से जल्दी वहां शिलान्यास का प्रयत्न करें, तो मैं आभारी होऊंगी।

श्रीमन्, मैं एक कहानी फिर दोहराना चाहती हूं, जिसे मैंने पिछले वर्ष भी कहा था—एक ऐसा व्यक्ति, जिसकी झोपड़ी में बहुत सारे छेद थे। जब भी बादल गरजते थे, बारिश होती थी, तो वह खाट में लेटकर आराम से यह सोचा करता था कि मुझे शेर से इतना डर नहीं लगता है, जितना मुझे इस टपके से लगता है, तब तो वह डर, डर ही था, अब वह उन्होंने महसूस कर लिया है। वह टपका उनके सिर पर पड़ गया। वह एक नाम राजीव गांधी का धीरे-धीरे इस सदन में उठ रहा था। लेकिन अब प्रधानों के सम्मेलन में वह राजीव गांधी के लिए सदन का त्याग कर रहे थे। हमारे पक्ष के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ लक्षण है। आज भी बजट के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ राजीव गांधी का नाम भी जोड़ दिया। मैं आज स्पष्ट करना चाहती हूं कि वह टपका उनके सिर पर पड़ चुका है और ये भी लगातार उन दोनों श्रीमती गांधी और राजीव गांधी नामों को जोड़ा करेंगे।

श्रीमन् पिछले साल भी किसी ग्राम पर नाले की मांग की गयी थी। थोड़ी-थोड़ी मांगे रखी जायं तो वे पूरी भी होती रहती हैं। वैसे मांगे तो बहुत होती हैं। पिछले वर्ष की मांगों में मैं एक मांग इस साल और जोड़ना चाहती हूं कि वहां पर बरईशाहपुर में एक नाले की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं तथा जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे वापस लेने के लिए अपना सुझाव देती हूं और साथ ही साथ इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

[समय 3 बजकर 29 मिनट]

श्री हरिवंश सहाय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। . . .

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, माननीय श्री श्यामलाल वाजपेयी जी कह रहे थे कि क्या आप जवाबी कीर्तन करवा रहे हैं तो उस समय आपने यह कहा था कि आप भी उनके बीच में हैं। अब हमें यह पता नहीं

कि वह नर-नारी के बीच के हैं या नारी-नारी के बीच के हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप और यह (श्री श्याम लाल वाजपेयी) दोनों ही बीच के हैं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

श्रीमन्, हम तो बीच में बैठे हुए हैं, किन्तु यह (श्री राम गोविन्द चौधरी) लटके हुए हैं।

श्री हरिवंश सहाय–

भाटपाररानी जो मेरा क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि भटनी और बनकटा का जल स्तर धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है। जिसकी वजह से इलाके में जो नहरें यहां आनी थी, वे समाप्त हो गयी हैं। वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि विश्व बैंक के जरिए भटनी बनकटा और भाटपाररानी में ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई क्षमता बढ़ावें जिससे उस इलाके में उर्वरा शक्ति समाप्त न हो सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे इलाके में छोटी गंडक नदी है, जिसके किनारे बांध बना है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। वहां खुरुवा नाला के दाहिने तरफ खैराट मोहरर, खैराव गेहा, झरना घाट, बिन्दलविया, बलवा अफगान पांच नाले हैं, जिसके मुहाने पर रेगुलेटर न होने से 70 गांव हर साल डूब जाया करते हैं। नदी के बांयें किनारे के मुहाने तो बन्द हो गए हैं लेकिन दाहिने किनारे के मुहाने, जो पांच हैं, वह खुले हैं, जिसके कारण हर साल वह गांव डूब जाया करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि केवल गंडक विभाग से वह पांच काम बाकी हैं, उस काम को पूरा कराने के लिए व्यवस्था करें। यह आपसे मेरा निवेदन है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में जो बांध बना है, हर साल उसकी रिपेयरिंग होती है, उसकी तीन बार रिपेयरिंग हुई। उसमें स्थिति क्या हो गई है, उसका ग्राउंड लेविल बदल दिया गया है। अधिकारी ग्राउंड लेविल नीचे कर देते हैं, एक फीट काट देते हैं, जिससे बांध एक फीट ऊंचा दिखाई देता है। मिट्टी कुछ नहीं डालते, हरेक रिच पर 20 से 25 हजार रुपए अधिक खर्च किया जाता है इतने काम को 100 रु0 में कराया जा सकता है, लेकिन उसका 20 हजार रुपये से ऊपर पेमेंट हो जाता है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को कई बार लिखा और इसकी जांच भी हुई थी, विधान सभा में सवाल भी किया था। लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। बड़का गांव से चमकी तक जो बांध है, उसकी शुरू में जो ग्राउंड लेविल बनी हुई थी, रिपेयर के बाद ग्राउंड लेविल बदल गयी है। आप इसमें जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि ग्राउंड लेविल बदल गयी है और इसमें काफी घोटाला, जाल-बट्टा किया गया है। मैं उसकी बाबत लिखकर के आपको दे दूंगा, आप इसमें स्थिति को देखने का कष्ट करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे साथी दुर्गा प्रसाद मिश्र जी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ इंजीनियरों के नाम लिये, देवरिया जिले में बड़ी गंडक पर बांध बना हुआ है, जिन अधिकारियों ने या ठेकेदारों ने उस बांध को छुआ, वह सब के सब लखपति या करोड़पति हो गये। हमारी तहसील में जिन लोगों ने बांध को छुआ है, वह भी आज इस स्थिति के हैं कि आकाश में चलते हैं और ऐश आराम की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि ग्राउंड लेविल बदलकर भारी माल

में धन अर्जित किया गया है। मैं आपको इसकी बाबत भी लिखकर दूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप इसकी बाबत जांच करवाकर आवश्यक कार्याही करेंगे।

इसके अतिरिक्त यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां ट्यूबवेल बन रहे हैं। ट्यूबवेल तो बन रहे हैं, लेकिन उसके नाली न बनने के कारण अच्छी तरह से उससे सिंचाई नहीं हो पा रही है। मैं चाहूंगा कि नालियां भी उसके साथ-साथ बनवायें। हमारे यहां एक डी0 पी0 सिंघल साहब गये थे, वह गंडक-3 में इक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वहां रहकर उन्होंने काफी धन अर्जित किया है, इतना धन अर्जित किया है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मान्यवर, जब हम लोग इनके विरुद्ध लिखापढ़ी करते हैं, तो कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है मैं चाहूंगा कि आप इनके विरुद्ध जांच करायें जिससे पता चलेगा कि इन्होंने काफी जाल बट्टा किया गया है। इन्होंने कई जगह डि-वाटरिंग फर्जी दिखाई है, कोई भी डि-वाटरिंग नहीं करवायी है, उसको फर्जी दिखाकर पैसा ले लिया गया है। अन्त में यह भी आपसे निवेदन है कि जो रेगुलेटर छूट गये हैं, उसको आप बनवाने का कष्ट करें।

माननीय मंत्री जी मेरे इलाके में एक भरहेचौरा गांव है, जिसका ल्हेटी गंडक नदी से कटान हो रहा है, पेड़ कट गये हैं, कुआं कट गया है, गांव बीस फीट की दूरी पर रह गया है। जब कहा जाता है, तो अधिकारी लोग यह जवाब देते हैं कि गांव अभी दूर है, अभी नहीं कट रहा है। मान्यवर, जब गांव कट जायेगा, तब आप कौन सी कार्यवाही करेंगे? इसलिए चाहूंगा कि उसमें कोई आप कारगर कार्यवाही तय करें, ताकि गांव बच सके। पिछले वर्ष जब मैंने इसकी बाबत यहां सवाल किया था तो माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि रेगुलेटर बनवा देंगे, ताकि गांव कटान से बच सके। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि परसौनी, वीरसिंहपुर, अहिरौली, पुरना छापर—यह गांव भी नदी से कटान की स्थिति में है। इन गांवों को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पर कोई कारगर कार्यवाही तय करवायें, जिससे यह गांव नदी की कटान से बच सकें।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं, आपका मैं आभारी भी हूं कि मेरे इलाके में कुछ ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ भटनी ब्लाक है, उसमें भी विश्व बैंक से ट्यूबवैल लगवायें। पूरी तहसील सलेमपुर नहर योजना से वंचित हो गयी है। अगर नहरें नहीं बन सकीं तो ट्यूबवेल के द्वारा ही सिंचाई कराने का कष्ट करें, जिसके लिए मैं आभारी रहूंगा। माननीय मंत्री जी मेरे इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा इलाका भाट का इलाका है इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां की सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिये काफी मात्रा में ट्यूबवैल लगवा दें। पुनः माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मेरे सुझावों को पूरा करायें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

प्रो0 चन्द प्रकाश शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर मुझे दिया। मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने प्रदेश की सिंचाई के लिये एक बड़ा क्रान्तिकारी बजट दिया है, जिसमें न केवल बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये ही धन दिया गया है बल्कि बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र

में गुन्ता ऐसे बांध के लिये भी एक करोड़ रु0 की व्यवस्था की है। मैं उनका आभारी हूं कि बुन्देलखण्ड में विश्व बैंक की सहायता से ट्यूबवैल लगाने की भी योजना स्वीकृत की है। मैं आपका ध्यान बुन्देलखण्ड की ओर ले जाना चाहता हूं क्योंकि सिंचाई की समस्या प्रदेश में सबसे अधिक बुन्देलखण्ड में है। वहां पर 30 लाख 4 हजार हैक्टेयर जमीन है, जिसमें से 24 लाख 21 हजार हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य है, लेकिन इस समय 20 लाख 63 हजार हैक्टेयर जमीन में ही कृषि होती है। इस समय जो सिंचाई परियोजनायें चल रही हैं उनसे वर्ष 1984-85 तक केवल 7 लाख हैक्टेयर जमीन ही सिंचित हो पायगी। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बुन्देलखण्ड को वृहद सिंचाई परियोजनायें दी हैं 181 करोड़ रुपये की– राजघाट परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मोदहा परियोजना, आदि। इसमें 57 करोड़ रुपया शासन की तरफ से व्यय किया जा चुका है और 84-85 में 15 करोड़ 92 लाख रुपये देने जा रहे हैं।

एक ओर बुन्देलखण्ड की सिंचाई का जो प्रतिशत है वह 22 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश का औसत 54 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। 181 करोड़ रु0 की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक वर्ष में 15 करोड़ रु0 धन देंगे तो यह योजनाएं कब समाप्त होंगी। इन परियोजनाओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत धन देकर अविलम्ब पूरा करना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा आप 2 लाख 55 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित कर देंगे। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की ओर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इसके द्वारा 13 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाले हैं, 26 करोड़ की व्यवस्था की भी है। बुन्देलखण्ड की सिंचाई की जो समस्यायें हैं, इनके लिए एक मास्टर प्लान बनायें और विश्व बैंक की सहायता से भी इस कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करें। बांदा जनपद की सिंचाई समस्याओं की ओर मैंने आपका ध्यान बार-बार आकर्षित किया है।

बांदा जनपद के लिए सिंचाई का पानी मध्य प्रदेश से आता है, गंगेऊ बांध से आता है। गंगेऊ बांध पर तीन साल से आन्दोलन चल रहा है। वहां पर लोगों ने कर्मचारियों की और इंजीनियर्स की पिटाई की है और बराबर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गंगेऊ बांध की जो परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती है, और पूरी नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी माननीया प्रधान मंत्री से इस बात पर विचार-विमर्श कर लें क्योंकि इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार से सहयोग लिया जाना चाहिए। बुन्देलखण्ड में इस समय 2500 ट्यूबवैल लगाने के लिये स्थान चुने जा चुके हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2200 ट्यूबवैलों के लिए परियोजना चलायी गयी उसी प्रकार से बुन्देलखण्ड के 2500 ट्यूबवैलों के लिए भी परियोजना बनाई जाय और यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े तो विश्व बैंक से भी सहायता ली जाय।

अभी पिछली बार शासन ने पंचनद के निर्माण कराने के लिये घोषणा की थी। पिछले वर्ष मंत्री जी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, उस समय आपने हमीरपुर का भी दौरा किया था और वहां की बाढ़ की समस्या को देखा था और मंत्री जी ने हमीरपुर को बचाने के लिये एक कमेटी का गठन किया था। मेरा निवेदन है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को अविलम्ब

मंगा लिया जाय और उसके आधार पर प्रोटेक्शन लिये जाने की कार्यवाही की जाय।

इसी प्रकार से बांदा को बाढ़ से बचाने के लिये निम्न नाला फ्लड स्कीम बनायी गयी थी, वह स्वीकार भी हो गयी थी। मेरा निवेदन है कि 1984-85 के लिये आप उसके लिये धन उपलब्ध करा दें ताकि उस स्कीम का कार्यान्वयन हो सके। इसके साथ ही मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। हमारे गन्ना एवं कैनाल की योजना स्वीकार हो गयी थी लेकिन भी सम्बन्धी भी दिक्कत में मंत्री जी लाभ करवाने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री कांवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम कंवर सिंह–

हम लोगों को आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। इधर से दो सदस्य और उधर से एक सदस्य को आपको बुलवाना चाहिये। हम लोग अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा है कि यहां नियम और परम्पराओं से ही काम चलना है। सत्ता रूढ़ दल और विरोधी दल दोनों को बराबर का हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

नियमों को आप परिवर्तित कर दीजिये, पर मौका तो बोलने का दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं यह कह रहा हूं कि कुछ परम्पराएं होती हैं। उनका निर्वहन करना होता है। यदि आवश्यकता हुई तो उन परम्पराओं को बीच में तोड़ा जा सकता है। मैंने नेगी जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें पार्टी से नाम जाता है ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें मैंने आपकी भावना को समझ लिया है।

*श्री कंवर सिंह नेगी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री राम गोविन्द द्वारा सिंचाई अनुदानों पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी जल राशि है और सिंचाई की बहुत सम्भावनाएं हैं परन्तु हमारे पानी का ठीक ढंग से सदी उपयोग न होने के कारण आज भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। मान्यवर, जहां पंजाब का सिंचाई प्रतिशत 92 है वहीं हमारे प्रदेश का 42.5 प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह प्रतिशत केवल 8 और 10 का है। मान्यवर, टेहरी जो बहुउद्देशीय योजना है, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि जितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वह गत वित्तीय संकट के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं।

टेहरी डैम से 2000 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी और मथुरा से लेकर पूर्व में कानपुर तक के क्षेत्र की सिंचाई होनी थी लेकिन उस योजना के लिए माननीय मंत्री जी के पास धन की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार सिंचाई प्रयोजन योजना है, जो

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बहुत अच्छी योजना थी और 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न होनी है । यहां पर सभी सदस्यों ने कहा कि बहुत से नलकूप लग रहे हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिल पा रही है जो योजनाएं विद्युत उत्पादन की है वह धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो रही है।

मान्यवर, विष्णु प्रयाग योजना में 256 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी । वहां के इन्जीनियरों ने गल्ती कर दी । जितना वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है उससे अधिक बिजली उत्पादन का अनुमान बना दिया । पानी कम है और बिजली का उत्पादन का लक्ष्य ज्यादा कर दिया । इसको छिपाने के लिये उन्होंने एक पुनरीक्षित योजना बना दी और 440 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिये धोली और अलकनन्दा में भ्यूंडा नदी का पानी भी उसमें मिलायेंगे । इसके बारे में आप अपने विभाग के अधिकारियों से यह जानकारी करें कि 440 मैगावाट बिजली के लिये भ्यूंडा नदी का पानी मिलाने पर भी क्या आपको 12 महीने पानी उपलब्ध होता रहेगा या नहीं । मेरी जानकारी है कि पूरा पानी नहीं मिल पायेगा । आपके इंजीनियरों ने अपनी पहली गलती को छिपाने के लिये यह पुनरीक्षित योजना बनाई है । यह प्रदेश के साथ जबरदस्त धोखा आप कर रहे हैं । मैंने आपको सुझाव दिया था कि विष्णुप्रयाग में सुरंग बनाने के लिये आपको कोई मशीन ले जानी है तो क्या मतलब है आप पैसा सड़कों पर खर्च करें? वहां जमीन कच्ची है भूस्खलन होते रहते हैं। जोशीमठ के नीचे पहाड़ काटकर हैं लग से मारवाड़ी तक खर्च कर रहे हैं । आज तो वैज्ञानिक जमाना है । माननीय मंत्री जी आप अपने इंजीनियरों से पूछें कि हेलीकाप्टर के द्वारा भी आप मशीनें वहां ले जा सकते हैं, वहां पर उतार सकते हैं और जैसे ही काम पूरा हो, हेलीकाप्टर के द्वारा ही मशीनों को ला सकते हैं । सारी समस्या हल हो जायेगी । आप जानते हैं कि लड़ाई के समय बड़ी से बड़ी मशीनें और पैटर्न टैंक तक इस तरह से ले जाते हैं कार्यस्थल पर पहुंचते हैं । उसी तरह से कार्य पूरा हो जाने के बाद आपकी मशीनें वापस हो जाती हैं । अनावश्यक रूप से रुपया इन सड़कों के बनाने पर खर्च करते हैं । इस तरह से विष्णु प्रयाग में 12/14 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और कुछ भी काम नहीं हुआ है । इस योजना में जो छोटे-छोटे कर्मचारी थे, जिनकी आजीविका चल रही थी उनको आप वहां से हटा रहे हैं और जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर-इन-चीफ, प्रमुख अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता हैं उनको हटा दिया जाय । यदि 10 इंजीनियर भी आप हटा दें तो सौ-दो सौ छोटी नौकरी वाले जो हैं वे बरकरार रहेंगे । वे तो टेक्निकल हैंड हैं वे दूसरी जगह प्राइवेट नौकरी पा जायेंगे लेकिन जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं यदि वे नौकरी से हट जायेंगे तो उनकी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जायेगा ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में माइक्रो हाइडिल का काम सिंचाई विभाग करता था उसे अब बिजली विभाग ने ले लिया। यदि वह काम सिंचाई विभाग ही करता तो उसकी सारी जानकारी उसे रहती और सिंचाई के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी होता। लेकिन यह विभाग अलग-अलग बनाने से कोई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। मान्यवर, सिंचाई विभाग वाले कहते हैं कि पहाड़ों में नदी का जलस्तर कम हो गया इसलिये सिंचाई की सम्भावना नहीं है। मेरा सुझाव है कि जहां पर नदी का जलस्तर ऊंचा है वहां से नहरें निकाल दी जायं। लिफ्ट सिंचाई की

स्कीम सफल हो सकती है। आपकी तरफ से कहा जाता है कि बिजली महंगी हो रही है इसलिये लिफ्ट स्कीम सफल नहीं हो पा रही है। इस दृष्टि से वहां पर फ्लैट रेट पर सस्ती बिजली उपलब्ध करा दी जाय तो स्थिति ठीक हो सकती है। **हाईड्रम की स्कीम** वहां पर सफल हो रही है। मेरा निवेदन है कि हाईड्रम की ओर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। बाढ़ सुरक्षा के संबंध में पहाड़ों में नदियों और गधेरों से टूट फूट होती है और बाढ़ सुरक्षा का पैसा वहां तब जाता है जब वहां पर काफी नुकसान हो जाता है।

तब उसके बाद यहां से धन जाता है। मान्यवर, इनकी एक उपलब्धियों की पुस्तिका मिली है जिसमें अपनी उपलब्धियां बतायी हैं। पहाड़ में एक लस्तर नहर के निर्माण की उपलब्धि इन्होंने बताई है। तो उसमें जितना भ्रष्टाचार और इनकी जितनी असफलता हुई है उससे ज्यादा कोई और हो नहीं सकती है। यह कोई उपलब्धि नहीं है यह बहुत बड़ा चार्ज आपके ऊपर है इस निर्माण में बहुत धांधली हुई है, इसमें जनता के साथ धोखा हुआ है उससे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है कहीं नहर से पानी नहीं जा रहा है।

एक बात मैंने माननीय मंत्री जी से कही थी उनसे निवेदन किया था कि जो आपका प्लानिंग एण्ड इनवेस्टिगेशन डिवीजन था वही अब सिंचाई विभाग में नहर निर्माण का कार्य कर रहा है। तो इतने कम स्टाफ से इतना काम नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है कि उस प्लानिंग एण्ड इनवेस्टिगेशन डिवीजन को सिंचाई विभाग में नहर निर्माण खण्ड में बदल कर वहां पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उपलब्ध कराया जाय।

माननीय मंत्री जी ने एक अच्छा काम किया सिंचाई सलाहकार समिति बना कर जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर विचार विमर्श करती है। उसमें विधायक और एम0 पी0 नाम के अनुसार अध्यक्षता करते हैं। लेकिन उस सलाहकार समिति द्वारा बतायी गयी स्कीमों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सलाहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर अवश्य ही विचार होना चाहिए और उसके अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

(श्री राम कुंवर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रभू नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और अधिष्ठाता महोदय में आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस विधान मंडल दल की तरफ से जिन व्यक्तियों के नामों की सूची मिली है क्या उसके अनुसार वक्ताओं को बुलाते हैं या कोई और तरीका है?

श्री अधिष्ठाता–

हर दल की तरफ से अध्यक्ष पीठ पर नाम आते हैं और अध्यक्ष का यह विवेक है व्यक्तियों को देख कर पूरे प्रदेश को ध्यान में रख कर व्यक्तियों को बोलने की आज्ञा देते हैं। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उधर केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इधर 50 व्यक्ति बैठे हैं तो उस हिसाब से मौका दें।

*श्री राम कुंवर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका बहुत आभारी हूं कि बहुत कसरत और दंड करने के बाद बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिये मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह जो सिंचाई का बजट पेश किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया...

श्री अधिष्ठाता–

मैंने एक माननीय सदस्य को बुला लिया है उनको सुनें।

श्री राम कुंवर सिंह–

मान्यवर, इस बजट से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 80 फीसदी लोगों से संबंध है। इसमें सारे सदन के सदस्यों से चाहे उधर के हों या इधर के हों सब से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बजट का अधिकांश हिस्सा सिंचाई विभाग को देना चाहिए क्योंकि इसका संबंध 80 फीसदी लोगों से है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की इस समस्या का हल नितान्त आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक उत्तर प्रदेश की औसत सिंचाई का जो अनुपात है वह 40 फीसदी है।

इस विभाग से इस देश और प्रदेश का बहुत बड़ा हित हुआ है और सिंचाई से उत्पादन अधिक हुआ है। मान्यवर, चाहे खाद कम हो, बीज खराब हो और चाहे जुताई कम हुई हो लेकिन पानी पूरा मिलता है तो उत्पादन बढ़ सकता है और इस विभाग के माध्यम से यह काम हुआ है।

मान्यवर, सिंचाई के जो साधन हैं वह कहीं कम और कहीं ज्यादा हैं, एक साथी ने कहा कि सिंचाई के साधन हमारे यहां बहुत हैं लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अपने विभाग के अधिकारियों को आदेश दें कि हर जिले के क्षेत्रफल को देखते हुए कहा अब तक सिंचाई के साधन अधिक हैं और कहां कम हैं, तो जहां कम हैं वहां अधिक साधन उपलब्ध करायें।

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक तरफ तो सिंचाई के साधन बढ़ाये जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ पुराने ट्यूबवेल ऐसे हैं कि उनके पानी की निकासी की क्षमता कम हो गयी है। जो कमांड एरिया बना था उसका 1/10 प्रतिशत भी सिंचाई नहीं हो पाती है। इसलिये कमांड एरिया के अनुपात को देखते हुए पानी की निकासी के लिये नये इंजन या बोरिंग की व्यवस्था करें अन्यथा जो 10–15 साल के पुराने ट्यूबवेल हैं वह 2–4 सालों से खराब पड़े हैं और अधिकारियों से यह बात कही जाती है कि ट्यूबवेल खराब हैं तो जवाब मिलता है कि नेट और बोल्ट ठीक कराने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिये इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, नहरें जो बनी हैं उनमें सीपेज अधिक हो रहा है और नहर के किनारे एक-एक एकड़ की चौड़ाई में सीपेज से जमीन डूबी है। यह इस कारण है कि नहरों की गहराई और उसके बंधों की ऊंचाई ठीक नहीं है जिससे पानी की बरबादी होती है और फसल का नुकसान होता है। इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाये जिससे जनता का हित होगा।

मान्यवर, हमारा जिला आजमगढ़ 18 नदियों से घिरा हुआ है जिससे वहां कहीं बाढ़ और कहीं सूखा रहता है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आजमगढ़ जिले का सर्वे कराकर देखा जाये कि किन नदियों की सफाई होनी चाहिये और कहां बंधा बनाने की आवश्यकता है, यदि ऐसा काम किया जायेगा तो हमारा जिला जो बाढ़ और सूखे से पीड़ित है वह बच सकेगा।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक सिलनी नदी है जो 10 किलोमीटर की लम्बाई में हमारे क्षेत्र में बहती है। नदी के दोनों ओर एक-एक एकड़ की चौड़ाई में जमीन पानी में डूबी रहती है। 30-35 वर्षों के बाद भी उस सिलनी नदी की सफाई नहीं हुई है। इसलिये उस नदी की सफाई की व्यवस्था करा दें।

मंत्री जी अपने विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए टाइट करें कि किसानों के सुझाव के अनुसार जैसे बरहा से पानी ले जाने की बात करते हैं कि ऐसी नाली बनायी जाये परन्तु विभाग के लोग लेवेल लेते लेते उस नाली को गड्ढे में गिरा देते है जिससे किसानों के खेत की सिंचाई न होकर किनारे के खेत व ताल भरते हैं और पानी की बरबादी होती है। ऐसी स्थिति में जो सिंचाई का तरीका है, गांव के लोगों का अनुभव के आधार पर नाली बनायी जांय। मान्यवर, जितनी नालियां बनायी जाती हैं उनकी हर साल मरम्मत होती है किन्तु उसके बावजूद अधिकांश नालियों में ट्यूबवेल का पानी $\frac{2}{3}$ हिस्सा नालियां टूटने से खराब होता है और अधिकांश नालियां ऐसी हैं जो दो सालों से अधिक काम नहीं करती हैं जिससे किसानों की स्थिति खराब होती है और खेत की सिंचाई नहीं हो पाती है, इसलिए इन नालियों की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों की जो जमीन नहरों के लिए ली गई है, उसका मुआवजा उन्हें 10/10, 12/12 साल से अभी तक नहीं दिया गया है। नहर बन गई है और उससे किसानों और जिले का लाभ हो रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप अपने अधिकार से इन गरीब किसानों को, जिनकी खेती का कुछ हिस्सा नहर में चला गया है, मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करें। अन्त में मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करते हुए उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री प्रभु नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने के बाद)

श्री अधिष्ठाता–

इससे पहले वह बोलें मैं विरोधी दलों के सदस्यों से खासकर कहना चाहूंगा कि जहां वह अपेक्षा करते हैं कि माननीय मंत्री जी सदन में रहें और उनकी बात सुनें, वहां इस पक्ष के लोगों की भी यह चाह है कि वह जो सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं, उसको वह लोग भी ध्यान से सुनें और नोट करें। यहां पर सारी बेन्चेज (अपोजीशन) खाली हैं। आइन्दा से वह वहां उपस्थित रहें तो अच्छा है।

श्री बिहारी लाल–

श्रीमन्, विरोधी दल की लाबी साफ हो गयी है, अब तो वह कहीं रहे ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

*श्री प्रभु नारायण सिंह–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। खेती को अगर इस देश और प्रदेश की रूह कहा जाए तो सिंचाई खेती की रीढ़ है। बिना सिंचाई साधनों की उपलब्धता के सचमुच

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में वांछित खेती नहीं हो सकती है। आज खेती के क्षेत्र में जो इतना विकास देखा जा रहा है, साधनों की जो इतनी तेजी से बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, इस सबके जड़ में सिंचाई के पर्याप्त साधन ही हैं। तो मैं आज अपनी इस सरकार और विशेषकर प्रदेश के सिंचाई मंत्री को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में यह वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष 180 हजार हैक्टर की वृद्धि हुई है। गंगा और घाघरा के बीच का जो दोआबा क्षेत्र है, मैं उसका निवासी हूं, उसके बारे में मैं विशेष रूप से बात करूंगा। क्योंकि इसमें फ़ैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, बलिया, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर और वाराणसी आदि जनपद आते हैं। इस प्रदेश का जो प्राकृतिक भाग है, उसमें यह सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसका कृषि योग्य क्षेत्रफल कुल 81.18 लाख हेक्टर है और सींचा हुआ क्षेत्रफल 67.78 है। इतना व्यापक क्षेत्र इस दोआबा का है। इसकी सिंचाई मुख्यतः शारदा नहर प्रणाली, रुहेलखंड और रामपुर नहर, जलाशयों, घाघरा, रामगंगा तथा सहायक नदियों पम्प नहरों, राजकीय नलकूपों तथा लघु सिंचाई कार्यों से होती है। इस क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं। पहली तो शारदा सहायक परियोजना है, यह सबसे बड़ी और सस्ती योजना है, जिसके द्वारा प्रदेश के पूर्ववर्ती और मध्यवर्ती जिलों में प्रायः 15.82 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई क्षमता प्रस्तावित है, के अधिकतर कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा अनेक वर्षों से यह सिंचाई भी कर रही है जिससे इस क्षेत्र के कृषकों को काफी लाभ पहुंच रहा है। परन्तु कुछ क्षेत्र जिसमें सीतापुर जनपद मुख्य है में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिससे अनेक कृषक पीड़ित हैं। वैसे श्रीमन्, अगर यह शारदा नहर की जो योजना है इसे अगर पूरी क्षमता के साथ चलाया जाता है तो सीपेज की समस्या खड़ी हो जाती है, अगर पूरी क्षमता से न चलाया जाये तो सिंचाई में दिक्कत पड़ती है। इसके लिये कुछ सोचना होगा। यद्यपि विभाग ने कुछ ड्रेन आदि बना दी हैं जिससे क्षेत्रों की आंशिक राहत पहुंची है, पर आवश्यकता है कि बाकी क्षेत्र को भी राहत देने के लिये उचित प्रबन्ध तत्परता से किये जायं।

हमारे क्षेत्र में सुहेली सिंचाई परियोजना भी है, लखीमपुर में। भारत व नेपाल की सीमा पर लखीमपुर खीरी एक पिछड़ा हुआ जिला है। इसकी निघासन तहसील में सिंचाई सुविधाओं की नितान्त कमी है। पूरी तहसील में केवल 3 नलकूप लगे हैं जब कि कृषि योग्य भूमि लगभग 5.20 लाख हेक्टेयर है। इस भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निघासन तहसील में सुहेली नदी से सिंचाई प्रणाली बनायी जा रही है जिससे 17500 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा। आवश्यकता है कि इस परियोजना को तुरन्त पूरा किया जाय तथा इस क्षेत्र के लिये अन्य परियोजनायें भी प्रस्तावित की जायें।

तीसरे जमनियां पम्प नहर योजना है, गाजीपुर में, जिसकी क्षमता 360 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 1080 क्यूसेक्स किया जा रहा है। इससे गाजीपुर जिले को 25720 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन सुविधा उपलब्ध होगी। यद्यपि इसका पम्प गृह नहीं बन सका है परन्तु बाजों पर अतिरिक्त पम्प लगाकर अस्थायी रूप से जल उपलब्ध कराने के प्रबन्ध पर विचार किया जाय।

एक योजना देवकली पम्प नहर व ज्ञानपुर पम्प नहर है, गाजीपुर में। इस गाजी-

पूर जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु गंगा नदी से 220 क्यूसेक जल पम्प करके बनायी गयी। देवकली पम्प नहर इस क्षेत्र के लिये अपर्याप्त रहने के कारण इसकी क्षमता में वृद्धि करके इसे 1080 क्यूसेक्स की बनायी जा रही है । यद्यपि इसकी वितरण प्रणाली भी तैयार हो गयी है पर पक्का पम्प गृह तैयार न होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । पम्प गृह का निर्माण शीघ्र कराया जाये तथा इस बीच बाजों पर ही अतिरिक्त पम्प लगाकर सुविधा में अस्थायी वृद्धि की जाये ।

इलाहाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी क्षेत्र में सिंचाई हेतु ज्ञानपुर पम्प नहर के कार्य प्राय: पूरे हो गये हैं । इसमें तुरन्त विद्युत व्यवस्था करायी जाय।

इस क्षेत्र में रबी की सींच के लिये पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है । जब कि शारदा घाघरा आदि बड़ी-बड़ी नदियों का वर्षा का जल व्यर्थ बहता जा रहा है । आवश्यक है कि इन नदियों के वर्षा के जल को संचय करके उसका रबी सिंचाई हेतु उपयोग किया जाय। इसके लिये सम्भवत: नेपाल राज्य के सहयोग की आवश्यकता होगी । सिंचाई मंत्री जी केन्द्र सरकार को इसके लिये प्रेरित कर इन नदियों पर बांध बनवाने के लिये शीघ्र प्रबन्ध करें ।

मान्यवर, नलकूप की बात इसके बाद आती है। नहरों के बाद नलकूप की बात न की जाय तो सिंचाई की बात अधूरी रह जायगी। बहुत से एसे भाग हैं, जहां पर विश्व बैंक की सहायता से बड़ी सफलता के साथ सिंचाई की व्यवस्था की गयी है और सिंचाई मंत्री जी इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का प्रबन्ध करें। विश्व बैंक के सहयोग से इन नलकूपों में पक्की गूलों के स्थान पर पालीथीन पाइप के उपयोग से जल का रिसाव रुक गया है। इससे कृषकों को बड़ा लाभ है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री प्रभू नारायण सिंह–

मान्यवर, एक मिनट और समय दे दें। मैं जौनपुर की बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, जौनपुर 3-4 महीने बाढ़ में डूबा रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि बाढ़ से जौनपुर को बचाने के लिए निश्चय ही तत्काल और प्रभावकारी कदम उठाये जायं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको बोलने के लिए समय दिया। मान्यवर, सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष और हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। कृषि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें कितने सिंचाई के साधन प्रदेश में उपलब्ध हैं। मान्यवर, मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में बंपर क्राप है, रबी की फसल बहुत अच्छी है जिसमें सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। मान्यवर, हालांकि माननीय चौधरी साहब बहुत ही भले और सज्जन सदस्य हैं लेकिन उन्होंने भी परम्परागत राग अलापना शुरू किया भ्रष्टाचार का। यह सही है, मैं भी स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार है।

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।) भ्रष्टाचार समाज की गिरती हुई मान्यताओं का फल है। भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत है जो समाज की गिरी हुई मान्यताओं के कारण है। मेरी एसी मान्यता है कि यह जो भ्रष्टाचार है इसके

लिए हमारा पूरा समाज दोषी है। सारे इंजीनियर्स ने भ्रष्टाचार कर रखा है, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार कर रखा है, कमीशन का भ्रष्टाचार कर रखा है, जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा है तो मैं उनको विशेष रूप से जागरूक करना चाहता हूं कि आज जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, बांध हैं, शारदा कैनाल है, मध्य गंगा कैनाल है, पी0 एल0 जी0 सी0 है, चारों तरफ बने हुए ट्यूबवेल हैं, बिजली की लाइनें हैं, बड़े-बड़े डैम्स हैं, जलाशय हैं यह आज इन्हीं इंजीनियर्स के बनाये हुए हैं।

इस वास्तविकता को हमको और आपको देखना होगा। पूरे परिप्रेक्ष्य में इस विभाग को हमें देखना होगा। विभाग में और लोग भी हैं, इंजीनियर्स तो कम से कम साइट पर धूप में जाते हैं भागदौड़ करते हैं और भला या बुरा परिणाम निकाल कर सामने ला रहे हैं। तो सिर्फ एक नजरिये से देखना कि भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिये कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इरीगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं उन्होंने हमारे किसान को जो दिया हमारी खेती उसी पर डिपेंड करती है। मान्यवर, मुझे फख्र होता है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स का विदेशों में एक स्थान है। बहुत से एफ्रो एशियन कंट्रीज और अन्य देशों में जो हाई कंसलटेंसी एजेंसी है उसमें उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स हैं। हमारे इंजीनियर्स विदेशों में जाकर वहां की सिंचाई योजनाओं और ऐसी ही योजनाओं में अपनी राय देते हैं। उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स से, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या चाहे कर्नाटक हो वहां के इंजीनियर्स, हेड आफ डिपार्टमेंट्स हमारे इंजीनियर्स से सलाह मशविरा करते हैं, गाइडेन्स लेते हैं। शायद माननीय चौधरी साहब को और आप लोगों को इसका ज्ञान नहीं है।

खुशी की बात है कि आज हमारे माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में सिंचाई विभाग का काफी विकास हुआ है और बहुत सी योजनायें आयी हैं। नहरें खुदी हैं, जलाशय बने हैं और बड़े-बड़े बैराज बने हैं। जैसा कि मैंने स्वीकार किया है, भ्रष्टाचार आज आम लाइफ हो गया है तो उस पर काफी कंट्रोल माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किया है और उस पर अंकुश लगाया है। बहुत से इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है जिसका जिक्र उन्होंने अपने बजट भाषण में किया होगा जो मैंने सुना नहीं था। इसके अलावा बड़ी-बड़ी विद्युत परियोजनायें जैसे ऋषिकेश में चिल्ला विद्युत परियोजना को आप देखेंगे तो आपकी आंखें फट जायेंगी कि हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स ने किस प्रकार से काम किया है। मैं इंजीनियर्स की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं कुछ और सुझाव भी देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ डिवीजन में मैंने यह महसूस किया कि नहरों की सफाई के लिए फण्ड्स सही समय पर नहीं पहुंच सके, जिसके कारण नहरों की सफाई वक्त से नहीं हो सकी। इसी प्रकार नलकूपों की भी हालत भी खराब रही, चूंकि समय से वहां पर

धन नहीं पहुंचा और यही कारण रहा है कि वहां के इंजीनियरों को पुरानी ईंटों को बेचना पड़ा। तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वक्त पर फण्ड्स पहुंच जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो दूसरे डिवीजन्स हैं, वह हम लोगों को इग्नोर करते हैं मेरे क्षेत्र में बुलन्दशहर डिवीजन की रजवहा है, अलीगढ़ क्षेत्र में वक्त पर पानी नहीं देते हैं और न उसकी सफाई करते हैं। शुरू में कुछ सफाई किये थे, लेकिन बाद में कोई सफाई नहीं की गयी और जो नये ट्यूबवेल्स विश्व बैंक की योजना में बने हैं, उनके सिस्टम तो अच्छे हैं, लेकिन वहां पर आपरेटर्स अंशकालिक होने के कारण आम तरीके पर वह आपरेटर्स गांव की पार्टीबन्दी में पड़े रहते हैं। अतः फुल टाइम आपरेटर, इन ट्यूबवेलों पर रखने चाहिए। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में नहरों को पक्का कराया गया है, उसी तरह से हमारे यहां भी नहरों को पक्का किया जाय, तो अच्छा है।

माननीय अनवार साहब ने अलीगढ़ डिवीजन की नहर की जो पटरी पक्की बन रही है, मानऊ से बरौठा तक, उसकी शिकायत की थी और टैक्निकल सेल जांच करने गये, लेकिन उनके अधिकारियों ने माननीय विधायक जी से कोई सम्पर्क भी नहीं किया और मिल जुल कर गलत रिपोर्ट दे दी। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्री विद्यासागर नौटियाल–

मैं माननीय मंत्री जी को मैदान से पहाड़ की ओर ले जाना चाहता हूं और इसकी शुरुआत मैं मैदान से कर रहा हूं। ऋषिकेश के पास मुनी-की रेती में ग्राम ढालूवाला है, यह मान्यवर, मैदान में है और मेरे चुनाव क्षेत्र में है और इसके बारे में जनता पिछले कई वर्षों से मांग करती आ रही है कि मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेल दिया जाय। एक पहाड़ी विधायक की ट्यूबवेल की मांग को स्वीकार कर लें। अब पहाड़ की तरफ चलें, माननीय सिंचाई मंत्री जी बहुत ही दलदल में फंसे हुए हैं। मेरी बहुत ज्यादा सहानुभूति है, क्योंकि इनके अभियन्ताओं ने काम खराब कर रखे हैं और जबाबदेही में माननीय मंत्री जी को खड़ा होना पड़ता है। चमियाला नहर, व कोठयाड़ा नहर में टेल ऊपर है और हेड नीचे है और क्योंकि मुआइना करने के लिए कई बार अभियंतागण और जन-प्रतिनिधि यहां तक कि माननीय मंत्री-गण भी गये हैं, लेकिन जो चीज बुनियादी तौर पर गलत थी, वह आज तक ठीक नहीं कर पाये।

लस्तर नहर के बारे में मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, बाकी बातें मैं बाद में कहूंगा। सितम्बर, 1983 में माननीय मंत्री जी आपने पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की मीटिंग बुलाई थी और उस दिन आपने मुझसे वादा किया था कि लस्तर नहर की मरम्मत के लिए जो पैसा जरूरी है, वह मैं तत्काल दूंगा, मैंने पांच लाख मांगा था, आपने कहा कि 7 लाख दूंगे, लेकिन 7 हजार रुपया भी अभी तक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहीं आया है। श्रीमन्, यह लस्तर नहर जो है, शासन के लिए गले की हड्डी बन गयी है, जो न नीचे जाती है, न बाहर निकल रही है। लस्तर नहर के बारे में जो यह पुस्तिका हमको दी गयी है, चूंकि सुबह दी जाती है और यह आशा की जाती है कि हम आद्योपान्त अध्ययन कर लें और अपने सुझाव सदन में रख दें।

इस पुस्तक में दिखाया गया है, जो क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार चला दी गई है और जिन गांवों की सिंचाई की जानी थी उनकी सिंचाई कर दी गयी है, उस जमीन की सिंचाई कर दी गयी है। यह सरासर गलत है। लस्कर नहर इतनी अभागी नहर है कि 5 गांव जो नहर के किनारे पड़ते हैं, जब नहर में पानी चलाया जाता है तो वह पानी गांव के हर घर में चला जाता है। घर के अन्दर ज्यादा भरता है आगे नहर में कम पानी जाता है।

मैदान का सीपेज दूसरी प्रकार का है और पहाड़ का सीपेज दूसरी प्रकार है। मैं वहां स्वयं गया था मैंने पानी चलवाया तो 5 गांव के घर-घर में पानी भर गया। मंत्री जी मकान की दीवाल और नहर की पटरी का फासला कहीं-कहीं 3 फुट से कम है। इतने गलत तरीके से बना दी गई है कि पानी जब चलाया जाता है तो नहर में पानी कम जाता है और रिसता हुआ बाहर निकल जाता है। जब तक आप इन पांचों गांवों को दूसरी जगह नहीं व्यवस्थापित करेंगे तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती है। 8-9 हजार फुट ऊंचाई पर यह नहर बनी है। अप्रैल के महीने से 2 बजे के बाद लगातार बारिश होना लाजमी चीज है। जब तक इसके लिये अलग से पैसा नहीं देंगे, 5-7 वर्ष तक इसको ठीक नहीं किया जायेगा, इसको सफलता नहीं मिलेगी। इसको मंत्री जी आप ठीक तरह से अनुदान दे दें।

मान्यवर, नरेन्द्र नगर में सिंगटाली गूल बनाने की योजना है। 2-2 अधीक्षण अभियन्ताओं को मैं स्वयं गांव में ले गया लेकिन उस योजना पर आज तक काम शुरू नहीं किया गया। सिंगटाली योजना के बारे में आग्रह करूंगा इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें। अब मैं उस योजना के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में मंत्री जी इस सदन में अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, बाहर क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। यह योजना 666 साल में पूरी होगी। 15 करोड़ रुपया टेहरी योजना पर इस वर्ष खर्च होगा। टेहरी बांध पर 18 करोड़ का कुल खर्च होगा, जिसमें 15 लाख 15 हजार उपकरणों और संयंत्र पर, निर्देशन और प्रशासन पर 2 करोड़ 70 लाख और काम पर 15 करोड़ खर्च होगा।

(इस समय 4 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह एक हजार करोड़ की योजना है। जैसा मंत्री जी कहते हैं इस योजना को देखने के लिये मंत्री जीवित रहेंगे 666 साल तक। टेहरी योजना..

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

भागीरथी घाटी विकास अधिकरण के....

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

*श्री सुन्दर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट में चर्चा करने का अवसर दिया। सिंचाई मंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिये, कृषि प्रधान प्रदेश के लिये महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया है। उसके समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में मैं अपने विचार आपके समक्ष रखता हूं। माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर सिंचाई का स्थान पहला था। जैसे ही मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लिया रामगोविन्द जी अहा कह रहे हैं। उनको जानना चाहिए कि माननीय इन्दिरा गांधी जी ने **किसानों का गरीब किसानों के खेतों** का, जो प्रथम सूत्र 20 सूत्री कार्यक्रम का है वह सिंचाई का है इसको प्रधानता दी है। कांग्रेस की कथनी करनी में भेद नही है। आप लोग तो सिर्फ आलोचना करते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ उस प्रथम 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरे प्रदेश की जनता के लिए गरीब प्रदेश के किसानों को पानी पहुंचाने के लिए और कृषि प्रधान देश को पानी पहुंचाने के लिये जो कार्य किये हैं उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। प्रदेश में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह इस बात का प्रमाण है कि पूरे प्रदेश में चाहे वह बुन्देलखण्ड का क्षेत्र हो, चाहे वह पहाड़ का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे मध्य क्षेत्र हो उत्पादन के आंकड़े हर क्षेत्र में बढ़े हैं सिंचाई **की सुविधा में इस वर्ष बढ़ोत्तरी की** गई है और यह सबको कहना पड़ेगा और विरोध पक्ष को भी इस कड़ुवे सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि कृषि के साथ में सिंचाई के साधनों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और की जा रही है।

हमारे सिंचाई मंत्री ने महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अगर 1 हजार करोड़ की धनराशि सिंचाई विभाग को दी जाती है तो संभवत: प्रदेश में, जो इस विधान सभा के माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं वह पूरी हो जाती लेकिन धन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, अपने जनपद बहराइच और पड़ोसी जनपद बस्ती के लिए कहना चाहूंगा। जो सरजू नहर परियोजना चालू हुई है उसमें आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रयास है। मान्यवर, सरजू परियोजना 450 करोड़ लागत की परियोजना है जो सिंचाई विभाग की प्रगति है जो पहाड़ का अध्ययन किया गया है उसके अनुसार इस परियोजना को 12 वर्ष के अन्दर पूरा हो जाना चाहिए इस पर अब तक केवल 125 लाख 40 हजार रुपया व्यय हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो सके। हमारे जनपद बहराइच एवं गोंडा में जो निकासी है वह ठीक ढंग से नहीं हो रही है उससे हमारे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि सरजू नहर परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घाघरा नदी है वहां जरवल नाला है इस पर जो निर्माण किया गया है मैं बधाई देना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

16 किलोमीटर बंधा बनाया गया है जिसमे ढाई सौ गांव जलमग्न होने से बच गये हैं और हरी-भरी खेती वहां हो रही है इससे बड़ा ही लाभ हुआ है। कटिनाला पर जो बांध बनाया गया है उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन उस बन्धे को ऊंचा किया जाना और खड़ंजा लगाना बहुत आवश्यक है मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह बन्धा इतना मजबूत हो जाए कि इस बन्धे से बहराइच के जो गांव बच गये हैं उनको भविष्य में इस बन्धे से नुकसान न हो। हमारे जनपद में सौभाग्य की बात है कि 1980 में गोंडा में जल विद्युत उद्योग खुला लेकिन मान्यवर, इतना कहना चाहूंगा कि जल-विद्युत, हाइडिल स्टेशन 10–15 मेगावाट का बहराइच में स्थापित कर दिया जाय तो यह क्षेत्र बहुत प्रगति कर जायगा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

(श्री नन्द राम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, इस पर चर्चा कल जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मैं दो घोषणायें करना चाहता हूं। नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अकबाल हुसैन की सूचना जो ग्राम बसंतपुर, थाना तुलसीपुर, गोण्डा के गोमती हरिजन पर थानाध्यक्ष के षड़यंत्र से हमला किये जाने एवं हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना यह है कि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में सदन द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मुझे इस सत्र में उक्त निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित करनी थी। तदनुसार मैंने इस हेतु शुक्रवार 16 अप्रैल, 1984 की तिथि निर्धारित की है। अतः उक्त निर्वाचन अब 16 अप्रैल, 1984 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र नियमानुसार गुरुवार, 15 अप्रैल, 1984 को मध्याह्न 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं। नाम निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जा रहा है।

भूमि विकास बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों को बर्खास्त किये जाने के संबंध में वक्तव्य

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बरखा पाठक)–

[उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों ने मई, 1983 में गैरकानूनी हड़ताल की थी। किन्तु उनकी उक्त कार्यवाही के आधार पर किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया। मई, 1983 के पश्चात् 8 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया। इसमें से सर्वश्री कामता प्रसाद शर्मा तथा भास्कर चन्द्र उपाध्याय के विरुद्ध दुष्कृत्य, अनुशासनहीनता तथा अभद्रता करने के

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आरोप थे । श्री चन्द्र भानु दुबे वित्तीय अनियमितता, श्री उमाशंकर सिंह फर्जी ऋण वितरण एवं धन के गोलमाल, श्री नगेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल विधि विरुद्ध धन के दुरुपयोग तथा सर्वश्री नरेश चन्द्र, राजाराम एवं किशोरी सिंह फर्जी ऋण वितरण एवं धन के गोलमाल के आरोप सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्त किये गये थे । सर्वश्री कामता प्रसाद शर्मा, भास्कर चन्द्र उपाध्याय तथा चन्द्र भानु दुबे के विरुद्ध आपराधिक मामले न्यायालयों में अलग से विचाराधीन हैं । उपर्युक्त सभी मामलों में सहकारी संस्थागत सेवामण्डल का अनुमोदन प्राप्त करके नियमानुसार सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की गयी थी। अतः यह कहना सही नहीं है कि अफसरों के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाले कर्मचारियों को गैरकानूनी ढंग से बर्खास्त किया गया है।

जहां तक अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही का प्रश्न है, भूमि विकास बैंक की कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों की ओर से बैंक के उप सामान्य प्रबन्धक (वित्त) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसपर जांच कराई जा रही है । भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से प्रसारित एक पर्चे एवं पत्र में बैंक के सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन) के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाये गये थे । इस संबंध में जांच से उक्त अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । अतः यह कहना कि आरम्भ से प्राप्त शिकायतों पर अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी सही नहीं है । बैंक में अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये घपला किये जाने की बात भी मिथ्या है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया से कोई शेयर नहीं खरीदे गये हैं, बल्कि सहकारी वर्ष 1983-84 में सितम्बर, अक्टूबर तथा दिसम्बर, 1983 में कुल तीन करोड़ सैंतिस लाख उन्नीस हजार नौ सौ सत्तर रुपये के यूनिट, बैंक की आरक्षित निधि से, लाभकारी विनियोजन होने के कारण, खरीदे गये हैं । यूनिटों का यह क्रय उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–59 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 165 व 173 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है । नियमानुसार बैंक की आरक्षित निधि को बैंक के व्यवसाय अर्थात् कृषकों को ऋण वितरण के कार्य में नहीं लगाया जा सकता और उसका विनियोजन उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार ही किया जा सकता है ।

यह कहना सही नहीं है कि बैंक की आय बराबर घटती चली जा रही है । उल्लेखनीय है कि बैंक की कुल कार्यशील पूंजी बढ़कर लगभग 412 करोड़ रुपये हो गई है और वर्तमान वर्ष में अभी तक लगभग 58 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण कृषकों को वितरित किया जा चुका है, जो इस कालावधि में पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है । भूमि विकास बैंक को सहकारी वर्ष 1981-82 में आठ करोड़ अठारह लाख चौरासी हजार छः सौ नब्बे रुपये का लाभ हुआ था, जबकि सहकारी वर्ष 1982-83 में बैंक को नौ करोड़ दो लाख पैंतिस हजार एक

सौ निन्यानवे रुपये का लाभ हुआ। इससे स्पष्ट है कि बैंक की आय बढ़ रही है। **कुशल प्रबन्ध के कारण बैंक की** वसूली में भी वृद्धि हुई है। सहकारी वर्ष 1981-82 के मुकाबले वर्ष 1982-83 में एक करोड़ तीस लाख रुपये की अधिक वसूली की गई। अतः यह कहना सही नहीं है कि बैंक की आय घटने तथा **ऋण की वसूली में कमी के कारण कृषकों** को पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनमें रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और उसमें अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये घपला किए जाने की बात तथ्य से परे है।

बैंक के प्रशासक द्वारा मेरे खाते में दस हजार रुपये रिश्वत जमा करने की बात **बिल्कुल निराधार, मिथ्या और भ्रामक** है।]

श्री अध्यक्ष–

क्या इसमें कोई माननीय सदस्य प्रश्न नहीं कर रहा है?

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय **मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्वश्री** कान्ता प्रसाद और श्री भाष्कर चन्द्र उपाध्याय **का मामला कोर्ट में विचाराधीन है**, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, परन्तु अब वे लोग कोर्ट से जीत गये हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी उनकी आर्थिक दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको पुनः सेवा में कब तक ले लेंगे?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, कोर्ट सर्वोपरि है।

कानपुर देहात की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 20-2-84 को सायंकाल 7 बजे थाना रसूलाबाद में यह सूचना प्राप्त हुई कि इटावा का कुख्यात दस्यु कल्लू काछी अपने गैंग के 6-7 सदस्यों के साथ रिन्द नदी के पश्चिम-**उत्तर दिशा में स्थित अरहर के खेतों में मौजूद है और किसी गंभीर अपराध की** योजना में है। इस सूचना पर पुलिस दल जनता के कुछ व्यक्तियों सहित नियत स्थल पर पहुंचा। इस बात की पुष्टि हो जाने पर कि अपराधियों का एक गिरोह उपस्थित है पुलिस दल ने आत्म-समर्पण करने के लिये चेतावनी दी किन्तु अपराधियों ने पुलिस दल पर फायर आरम्भ कर दिया। पुलिस दल को भी आत्म-रक्षा में गोलियां चलानी पड़ी और यह गोलीबारी दो घन्टे तक चलती रही। अन्ततः जब अपराधियों की ओर से फायरिंग बन्द हो गयी तो पुलिस दल आगे बढ़ा और चार अपराधियों के शव प्राप्त हुए। मृत अपराधियों के पास से एक डायरी तथा एक पुस्तक बरामद हुई जिसमें उल्लिखित नामों तथा विवरणों के आधार पर तथा आस पास के लोगों से पूंछतांछ करके मृतकों की सही शिनाख्त की गई। मृतकों के नाम मीरा नटनी, कल्लू काछी, भरे लाल उर्फ भूरे काछी तथा प्रताप सिंह काछी ज्ञात हुए। इनके पास से चार फैक्ट्री निर्मित बन्दूकें बरामद हुई। इस संबंध में थाना रसूलाबाद पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 भा0दं0वि0 तथा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के समय अथवा उसके उपरांत उक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका अथवा शिकायत किसी भी

व्यक्ति द्वारा किसी भी जनप्पदीय पुलिस अधिकारी से नहीं की गई । फिर भी घटना की मजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

घटना से आस पास के क्षेत्रों में किसी प्रकार का रोष व क्षोभ व्याप्त नहीं है।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, थाना रसूलाबाद का सम्बन्ध मुझ से है और श्री भगवानदीन कुशवाहा जी से भी है। यह घटना माननीय भगवान-दीन कुशवाहा के क्षेत्र में हुई है । मैं भगवानदीन कुशवाहा जी के साथ घटना स्थल पर गया था और जिस गांव के करीब यह काण्ड बताया जाता है, वहां के लोगों से, हमने विधिवत जांच की है, मान्य-वर, जांच में असलियत यह है कि भगवानपुर नाम का एक गांव है, जो घटना में उल्लिखित गांव के बगल में लगा हुआ है, इस भगवानपुर गांव में एक उदरिया काछी और शिवकुमार मिश्रा नाम के–यह दो बदमाश रहते हैं।

एक सदस्य–

यह सब तो वक्तव्य में है।

श्री मोती लाल दहेलवी–

यह वक्तव्य में नहीं है । यह दो आपराधिक प्रवत्ति के लोग उस गांव में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री सरेन्द कपिल–

मान्यवर, यह बता दें मीरा नटनी से इनके क्या सम्बन्ध हैं?

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, उदरिया काछी ने कुछ समय पहले राहजनी करके 4 बंदूकें हासिल की थी । यह बंदूकें शिव कुमार मिश्र के घर में रखी हुई थी । पुलिस को जब जानकारी हुई कि 4 अवैध बंदूकें शिव-कुमार मिश्र के यहां हैं, तो पुलिस शिव कुमार मिश्र और उदरिया काछी को थाने ले गयी । थाने में मान्यवर एक भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 और कई राजनीतिज्ञ लोग उनकी सिफारिश करने गये।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न क्या है?

श्री मोती लाल दहेलवी–

प्राश्न पर ही आ रहा हूं।

मान्यवर, उसमें यह बात तय हुई कि यह लोग अगर एक गैंग लाकर दे देंगे, तो इनको छोड़ दिया जायेगा। इस वायदे पर कि यह एक गैंग लाकर दे देंगे, इनको, इन दोनों को छोड़ दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात गलत है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, इनका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया । लेकिन, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य ने पहले सचना एक दी उसमें कहा गया कि एक आदमी की हत्या हो गयी । लेकिन, इनके दल के लोगों ने ही उसे गायब कर दिया था । मान्यवर, उसके बारे में यह सचना दी कि पुलिस ने उसको मुठभेड में मार दिया । मान्यवर, आपकी जान-कारी के लिये मैं कहना चाहूंगा कि वह आदमी बाहर खड़ा है, मन्न । इस सदन के बाहर वह व्यक्ति मौजूद है । मान्य-वर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मान्य-वर, इन्होंने जो आरोप लगाये, इनका जो पत्र है, इन्होंने जो पत्र आपको दिया इसमें शंकर सिंह, मोती लाल दहेलवी ने पत्र दिया, इसमें यह आरोप लगाया है पुलिस पर कि एक आदमी हरिजन है उसको पुलिस ने मार दिया । जबकि असलियत यह है कि इनके दल के लोगों ने ही उसे गायब कर दिया । उसको पुलिस ने बरामद किया । यह हाउस के

बाहर मौजूद है, यदि आप चाहेंगे और आज्ञा होगी तो उसको सदन के सम्मुख भी लाया जा सकता है। बंदूकों के मिलने की बात कही गयी। इसमें स्थिति यह है कि जब घटनास्थल पर मुठभेड़ हुई, तो उस वक्त यह बंदूकें मिली हैं, किसी के घर पर रखी हुई नहीं मिलीं?

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह जो वक्तव्य आया है, इसके आधार पर क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि इसमें उल्लिखित भी है कि दो घंटे फायरिंग हुई, दो घंटे तक लगातार फायरिंग हुई और जिसमें 4 डाकुओं के मरने की बात है और पुलिस ने भी उस समय अपने सेल्फ डिफेंस के लिये गोलियां चलायीं। यह जो फायरिंग हुई और चार डाकुओं के मरने की बात है, तो क्या उसमें किसी पुलिस वाले को भी चोटें लगीं? और दूसरे यह जो बताया गया है कि दो घंटे तक फायरिंग हुई तो इसमें बतायें कि पुलिस की तरफ से कितने फायर हुए और दूसरी तरफ से कितने हुए?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

यह तो सूचना नहीं है कि कितनी गोलियां चलीं, लेकिन पुलिस वाला कोई घायल नहीं हुआ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जिन लोगों का नाम लिया गया है–मीरा नटनी कल्लू काछी, भूरे काछी, जिन के ऊपर विपक्ष के सदस्यों द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार हो रहा है, क्या यह लोग शरीफ आदमी थे या हिस्ट्री शीटर थे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

इन सब का आपराधिक इतिहास था, ये हिस्ट्री शीटर थे और मीरा नटनी, कल्लू काछी की रखैल थी।

श्री भीखा लाल–

विरोधी पार्टी के लोग किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी की सिफारिश या उसको बचाने की नीयत से नहीं बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार या शासन को अधिकार है कि आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को घर से पकड़कर मार दिया जाय? दो घण्टे तक गोली चली, 4 फैक्ट्री मेड बन्दूकें बदमाशों के पास थीं, लेकिन पुलिस के खराश भी नहीं आयी, क्या मन्त्री जी इससे संतुष्ट हैं?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं सन्तुष्ट हूं कि इन चारों का आपराधिक इतिहास था। सूचना मिली, धावा बोला पुलिस ने और मुठभेड़ में, उनको उम्मीद नहीं थी कि पुलिस आ जायगी, फायरिंग हुई और वह मारे गये। यह कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस का कोई आदमी मरे तभी आप लोग सन्तुष्ट हों।

श्री ऊदल–

क्या मा0 मन्त्री जी इस बात की जांच पुनः करा लेंगे कि मीरा नटनी का नाम लिया जा रहा है, वह मीरा नटनी नहीं है कोई और है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री ऊदल–

जिस मीरा नटनी का नाम वक्तव्य में दिया है कि वह मारी गयी, क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि वह लड़की मीरा नटनी नहीं कोई और थी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

अगर आप कह रहे हैं कि वह मीरा नटनी नहीं कोई और थी, तो इसकी जांच करा लेंगे।

श्री मोतीलाल दहेलवी–

अभी मन्त्री जी ने एक आरोप लगा दिया । अगर हमारे दल के किसी व्यक्ति ने किसी को गायब कर के यह आरोप लगाया हो तो मैं इस सदन में एक क्षण भी बैठना गुनाह समझूंगा । मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यह इसको सिद्ध कर दें तो मैं यहां नहीं बैठूंगा, मैं अपने पवित्र जीवन को लेकर ही बैठूंगा । मैं जानना चाहूंगा कि जिस पत्र का हवाला आपने दिया है, उसमें मनुआ के पिता राम चरन ने दरखास्त अपनी लगायी है या नहीं ? दूसरी बात, मैं यह जानना चाहूंगा कि हमने 14 तारीख को भी एक पत्र लिखा है, अगर वह पत्र आपकी फाइल में मौजूद है तो कृपा करके बता दें, यह अपने आप सिद्ध हो जायगा कि फर्जी मठभेड़ है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, माननीय दहेलवी जी ने प्रश्न किया है और मा0 मन्त्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोतीलाल दहेलवी जी का पत्र है, 7 मार्च का पत्र है, इस पर दस्तखत हैं।

मान्यवर, 7 मार्च को

श्री अध्यक्ष–

माननीय भोला पाण्डेय, आप इधर आइये ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

यह 7 मार्च का पत्र है, इसमें मोती लाल दहेलवी, शंकर सिंह तथा भगवान दीन कुशवाहा के दस्तखत हैं । इसमें उसके बाप ने भी दस्तखत किये हैं । कुछ दिन पहले कचेहरी में उसने अपना कलम बन्द बयान दिया है, उसमें उसने कहा है कि उसे कुछ लोग जबरदस्ती उठा कर ले गये और उसको बाध्य किया गया कि ऐसा बयान दो सरकार के खिलाफ । उसका यह कलम बन्द बयान कचेहरी में लिया गया है । यह अखबार में फोटो भी छपी है कि बाप और बेटे दोनों बैठे हुए हैं कचेहरी में ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, इस वक्तव्य को आप स्वयं देखें कि यह कितना संदिग्ध है । वक्तव्य में आपने खुद कहा है कि 4 डकैत मारे गये जो कि अरहर के खेत में छिपे हुए थे । आजकल अरहर के खेत में कोई चला जाय तो वह इतना घना होता है कि किसी को आसानी से देखा नहीं जा सकता है । तो लोग उसमें छुपे हुए थे वह मारे गये और जो फायरिंग कर रहे थे 4 बन्दूक लिये उन्हें एक छर्रा भी नहीं लगा। उन्होंने डायरियां भी पा ली जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे । माननीय मंत्री जी कृपया यह बतला दें कि जब पुलिस फोर्स ने दो घण्टे फायरिंग की तो जितने आर्म्स और अम्यूनिशन वह लेकर गयी थी तो उसकी सूचना जी0 डी0 में तो लिखी होगी कि इतना सामान लेकर जा रही है और जब मौके पर से वापस आई होगी तो फिर जी0 डी0 में इन्ट्री की गयी होगी कि इतनी कारतूसें काम आयीं और खाली हो गयीं । इन दोनों इन्ट्रीज को आप बतला दें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य को यह

सूचना चाहिये तो मैं उन्हें कल यह सूचना दे दूंगा और सदन को भी बतला दूंगा । जहां तक प्रश्न यह है कि पुलिस के आदमियों को चोटें नहीं आयी और वे नहीं मारे गये, तो यह तो तारीफ की बात है कि पुलिस ने इतनी होशियारी से मुकाबिला किया । क्या आप लोग चाहते हैं कि पुलिस मारी जाय ? डायरी जो मिली है उसमें किसी का नाम नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि अभी बहुत से मामले जैसे नियम 56 आदि के अन्तर्गत भविष्य में आयेंगे और सरकार उन पर अपना स्टेटमेन्ट देगी तो अगर इसी तरह से शासन से वक्तव्य आयेंगे तब तो उनका महत्व ही कुछ नहीं रह जाता है । सूचना क्यों नहीं है जब कि लिखत-पढ़त में तहरीर होगी और मंत्री जी कहते हैं कि उनको इसकी कोई सूचना नहीं है जबकि इतनी दो घण्टे तक फायरिंग हुई कम से कम आपकी ओर से कोई ऐसे निर्देश होने चाहिए कि **भविष्य में ऐसी स्टेटमेंट नहीं आवेंगे।** पूरी सूचना के साथ स्टेटमेन्ट सदन में आने चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के पास सूचना है नहीं । मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्री जी, कोई इनकी बात तो है नहीं तो फिर यह सूचना को छिपायेंगे क्यों ?

श्री रियासत हुसैन–

मंत्री जी को जो सूचना भेजी गयी है और जो यह वक्तव्य आया है इससे मुख्य प्रश्न यह उठता है । हमको स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है । यदि इनके पास सूचना नहीं है तो इनको अपने विभाग से यह मंगाना चाहिए । यदि यह सूचना नहीं आती है तो फिर इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है । भविष्य में बहुत से नियमों के अन्तर्गत शासन के वक्तव्य आयेंगे और ऐसे ही सूचना के अभाव में उनका महत्व समाप्त हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, माननीय वासुदेव सिंह जी, माननीय बल्देव सिंह आर्य जी आप सब लोग भविष्य में इस बात का ध्यान रखें ।

श्री मोती लाल देहलवी–

यह जिस मीरा नटनी के मारे जाने की बात मंत्री जी ने कही है मान्यवर, उस मीरा नटिनी की उम्र क्या है और पोस्ट मार्टम में उसकी क्या उम्र बतायी गयी है । मेरी निश्चित जानकारी है कि यह मीरा नटिनी नहीं बल्कि 15-16 साल की लड़की है जो भवनपुर के उड़ेइया काछी के यहां रहती रही है, तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि यह मीरा नटिनी नहीं, बल्कि एक दूसरी 15-16 साल की लड़की है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य ने उम्र पूछी है। मीरा नटिनी की अवस्था पोस्ट मार्टम के अनुसार 24 और पंचनामा के अनुसार 30 वर्ष है ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26 मार्च, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

क्रम सं0	नाम	पद	टंकण		साक्षात्कार
			हिन्दी	अंग्रेजी	
1	2	3	4	5	6
1	श्री जमाल हैदर रिजवी	टाइपिस्ट	14	5	49
2	,, राम उजागिर तिवारी	,,	20	22	48
3	,, हसन मसूद	जूनियर क्लर्क	5	3	49
4	,, मोहम्मद अख्तर नईमी	रिकार्डकीपर	6	0	20
5	,, राम औतार	टाइपिस्ट	3	2	49
6	कुमारी नर्गिस फातिमा	जूनियर क्लर्क	4	5	25
7	श्री राम कृपाल	,,	2	4	49
8	,, सिब्ते हसन	टाइपिस्ट	6	12	49
9	,, एस0 एन0 सिंह	जूनियर क्लर्क	8	1	49
10	,, लाल बहादुर सैनी	,,	5	16	35
11	,, आर0 के0 पाण्डेय	,,	12	8	25
12	,, राम अचल	,,	10	13	40
13	श्रीमती सुमन लता श्रीवास्तव	,,	14	17	45
14	श्री बलि राम	,,	7	6	49
15	,, बद्री नाथ तिवारी	,,	12	14	45
16	,, सैयद जुल्फेकार हैदर	,,	14	0	40
17	,, महेन्द्र पाल सिंह	,,	6	12	40
18	,, जी0 डी0 त्रिपाठी	,,	11	12	30
19	,, महाराज नारायण	,,	9	8	48
20	,, राज नारायण सिंह	,,	10	10	45
21	,, राम पाल यादव	,,	12	10	40
22	,, ललू राम वर्मा	,,	13	13	40
23	,, शोभनाथ पाण्डेय	,,	12	17	40
24	,, हरि नारायण श्रीवास्तव	,,	9	9	40
25	,, आद्या प्रसाद सिंह	टाइपिस्ट कम क्लर्क	12	11	40
26	,, राम कुमार	जूनियर क्लर्क	12	0	10
27	,, अजय कुमार सिंह	टाइपिस्ट	3	5	45
28	,, दिलीप कुमार श्रीवास्तव	,,	18	16	45
29	,, राजेन्द्र बहादुर सिंह	क्लर्क	5	9	40

1	2	3	4	5	6
30—	श्री अवध राज सिंह	क्लर्क/टाइपिस्ट	9	12	40
31—	,, नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	जूनियर क्लर्क	12	10	40
32—	,, राम सहोदर मिश्र	,,	5	0	45
33—	,, सुरेश चन्द्र शर्मा	,,	15	10	48
34—	,, लल्लन सिंह	,,	4	3	20
35—	,, दिनेश कुमार मिश्रा	,,	3	4	48
36—	,, गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव	,,	4	10	48
37—	,, सैयद मोहम्मद अकबर	,,	5	16	49
38—	,, राम कृपाल पाण्डेय	,,	13	10	35
39—	,, आर0 पी0 पाण्डेय	,,	5	0	49
40—	,, सैयद गुलाम हुसैन जैदी	,,	5	8	20
41—	,, राम मिलन वर्मा	,,	1	5	48
42	,, राम अवध सिंह	,,	7	0	45
43—	,, राम लाल तिवारी	,,	7	5	35
44—	,, अनिल कुमार श्रीवास्तव	,,	17	11	20
45—	,, इशरत हुसैन	,,	13	0	48

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

अध्यक्ष, पंचायत सेवक संघ, आगरा द्वारा दिनांक 7–6–81 में दिये गये ज्ञापन के अनुसार निम्न मुख्य मांगे थीं:—

1—पुराने एवं नये उचंत खाते के मूल एवं ब्याज का भुगतान कराया जाना ।

2—सन् 1971 से जी0 पी0 एफ0 का हिसाब किताब नहीं बताया गया इसकी पासबुक/स्लिप बनवाकर दिलाई जायं ।

3—अवशेष टी0 ए0 बिल, हाउस रेन्ट, वेतनवृद्धि एवं विशेष वेतनवृद्धि लगाकर भुगतान कराया जाय ।

4—सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण कराया जाय और जो सेवा पुस्तिकायें गुम कर दी गई हैं उनके सम्बन्ध में जाँच कर उचित कार्यवाही की जाय ।

5—स्थायीकरण करने तथा ज्येष्ठता सूची के प्रकाशन करने की कार्यवाही की जाय ।

6—श्री अब्बास बाबू सहायक आँकिक के पास पड़ी हुई अपीलों का निस्तारण कराया जाय ।

7—सेवा निवृत्त पंचायत सेवकों की ग्रेच्युटी एवं पेशन आदि का निस्तारण किया जाय ।

8—निलम्बित पंचायत सेवकों को जिनमें श्री दीक्षित दो वर्ष 6 माह एवं श्री जयबीर सिंह यादव लगभग 1 वर्ष से निलम्बित हैं उनके मामले निस्तारत किये जाँय ।

9—श्री मोहम्मद अब्बास सहायक आँकिक/कैशियर द्वारा किये गबन एवं घुटाले की जाँच कराई जाय ।

10—वेतन निश्चित समय पर दिलाया जाय ।

11—जिला कार्यालय पर कोई भुगतान नहीं कराया जाय सभी भुगतान विकास खण्डों द्वारा कराये जाँय ।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

दैनिक वेतन कर्मचारी का नाम	सेवा अवधि	कार्य दिवस
श्री बेचन प्रसाद सिंह	अगस्त 1978 से दिसम्बर 1978 तक	147
	जनवरी 1979 से दिसम्बर 1979 तक	328
	जनवरी 1980 से अप्रैल 1980 तक	118
	जून 1982 से अगस्त 1982 तक	75
	नवम्बर 1982 से दिसम्बर 1982 तक	50
	जनवरी 1983 से दिसम्बर 1983 तक	365
	जनवरी 1984 से फरवरी 1984 तक	60

संसद पुस्तकालय

नत्थी "घ"

(देखिये अताराँकित प्रश्न संख्या 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

स्वर्गीय श्री बचन सिंह भंडारी के परिवार को निम्नाँकित आर्थिक सहायता प्रदान की गई—

		रु0
1—अहेतुक सहायता	.. .. ..	1,000.00
2—शासन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त आर्थिक सहायता	..	10,000.00
3—जिला दैवी आपदा निधि से सहायता	..	750.00

अन्य—

(1) मृत्यु उपरान्त श्री भंडारी के संचित 180 दिन उपार्जित अवकाश का अवकाश वेतन।		
(2) पेंशन आडिट विभाग द्वारा स्वीकृति ग्रेच्युटी	..	10,021.28
(3) जी0 पी0 एफ0 से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत	..	10,000.00
(4) सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत	..	25,510.15

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

माँग संख्या	वस्तु स्थिति/निर्णय
1—पुनरीक्षित वेतनमानों में असंगति	कार्यवाही की जा रही है ।
2—बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में परिषदीय लिपिकों की नियुक्ति ।	कार्यवाही की जा रही है ।
3—नकदीकरण अवकाश की राजाज्ञा में संशोधन ।	मान्य नहीं है क्योंकि अवकाश नकदीकरण की सुविधा पिछली तिथि से देना संभव नहीं । निर्णय हुआ कि मामला समाप्त किया जाय ।
4—पारिवारिक पेंशन की सुविधा	कार्यवाही की जा रही है ।
5—राज्य कर्मचारियों के समान ग्रेच्युटी, नगर प्रतिकर भत्ता, लीव ट्रेवेल कन्शेसन्स की सुविधा ।	कार्यवाही की जा रही है ।
6—भवन/वाहन अग्रिम की सुविधा	अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है । संघ की सहमति से मामला समाप्त किया गया ।
7—परिषदीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामूहिक बीमा की धनराशि बढ़ाया जाना ।	कार्यवाही की जा रही है ।
8—सेवा नियमावली का निर्माण	परीक्षण किया जा रहा है ।
9—उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था ।	परीक्षण किया जा रहा है ।
10—बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना ।	सूचना माँगी गई है ।
11—भविष्य निधि नियमावली में संशोधन	कार्यवाही की जा रही है ।
12—1972 से 1980 तक सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन	स्वीकार करना संभव नहीं । निर्णय हुआ कि मामला समाप्त किया जाय ।
13—मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजन की सुविधा ।	कार्यवाही की जा रही है ।
14—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का परिषद में नामांकन	स्वीकार करना सम्भव नहीं । निर्णय हुआ कि यह मामला समाप्त किया जाय ।
15—समय मान वेतन मान की सुविधा	स्वीकार करना संभव नहीं । वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत किया गया ।
16—परिषद् के कार्यालय संगठन में भानक का निर्धारण ।	विचाराधीन है ।
17—बेसिक शिक्षा अधिकारो लखनऊ का स्थानान्तरण व अन्य कार्यवाही ।	इस माँग को संघ की सहमति से समाप्त किया गया ।

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1984 तक द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में कुल कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है—

क्र0 सं0	श्रेणी	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या एवं प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति की संख्या एवं प्रतिशतता
1.	द्वितीय	6	1 (16.5 प्रतिशत)	शून्य
2	तृतीय	78	11 (14.1 प्रतिशत)	शून्य
3	चतुर्थ	111	29 (26.13 प्रतिशत)	1 (0.9प्रतिशत)
	योग	195	41	1

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 88 विभान सभा— (126)—1984—813